VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अगस्त 2025

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• प्री फाउंडेशन कक्षाएं
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI : 11 सितम्बर, 2 PM
JAIPUR : 20 जुलाई
JODHPUR : 15 सितम्बर

फास्ट ट्रैक कोर्स 2026
सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स
क्या आप "प्री" के लिए तैयार हैं?
इस कोर्स का उद्देश्य
GS प्रीलिम्स कोर्स विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है जो GS पेपर I की तैयारी में अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें GS पेपर I प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस, विगत वर्षों के UPSC पेपर का विश्लेषण और Vision IAS के क्लासरूम टेस्ट की प्रैक्टिस एवं चर्चा शामिल होगी। हमारा लक्ष्य है कि अभ्यर्थी बेहतर परफॉर्म करें और कोर्स पूरा करने के बाद अपने प्रीलिम्स स्कोर में एक बड़ा सुधार करें।
कला एवं संस्कृति
भूगोल
राजव्यवस्था
भारत का इतिहास
अंतर्राष्ट्रीय संबंध
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
पर्यावरण
अर्थव्यवस्था
इसमें निम्नलिखित शामिल है:
पर्सनल स्टूडेंट प्लेटफ़ॉर्म पर रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस तक पहुंच
प्रीलिम्स सिलेबस के लिए विस्तृत, प्रासंगिक और अपडेटेड स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी
सेक्शनल मिनी टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स
हिन्दी माध्यम
7 OCT, 5 PM
ENGLISH MEDIUM
13 OCT, 2 PM

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)............4

1.1. संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 4

1.2. ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 7

1.3. राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस अधिनियम, 2025.................. 10

1.4. जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025.... 12

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 14

1.5.1. व्यावसायिक और प्रतिबंधित वाक् मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं: सुप्रीम कोर्ट.. 14

1.5.2. OCI कार्ड के नियम सख्त किए गए 15

1.5.3. भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 15

1.5.4. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम........................ 16

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 18

2.1. निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था 18

2.2. हिंद महासागर में भारत की रणनीति 19

2.3. दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) की केंद्रीयता.. 21

2.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 24

2.4.1. भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी............... 24

2.4.2. संयुक्त राष्ट्र-भारत वैश्विक क्षमता निर्माण पहल 25

2.4.3. यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन......................... 25

2.4.4. इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज़ (INF) संधि... 26

2.4.5. संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता से आर्मेनिया-अज़रबैजान शांति समझौता संपन्न हुआ........................ 27

2.4.6. अलास्का शिखर सम्मेलन............................... 27

2.4.7. एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान 28

2.4.8. सुर्ख़ियों में रहे विवादित क्षेत्र........................... 28

3. अर्थव्यवस्था (Economy)..30

3.1. उत्पाद राष्ट्र 30

3.2. भारत में क्षेत्रीय असंतुलन.................................... 32

3.3. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण.................................... 34

3.3.1. डी-डॉलेराइजेशन 37

3.4. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 38

3.5. ब्लू इकोनॉमी 40

3.6. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025.. 43

3.7. गिग वर्कर्स.. 45

3.8. आयकर अधिनियम 2025 47

3.9. पर्यावरण, सामाजिक और शासन............................ 48

3.10. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग.................................. 50

3.11. भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 52

3.11.1. सागरमाला कार्यक्रम के 10 वर्ष 54

3.12. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना............................. 56

3.13. एम.एस. स्वामीनाथन की 100वीं जयंती................ 57

3.14. संक्षिप्त सुर्ख़ियां.. 59

3.14.1. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग 59

3.14.2. गिफ्ट सिटी जैसे वित्तीय केंद्र 59

3.14.3. भारत की खुदरा मुद्रास्फीति.......................... 60

3.14.4. वित्तीय क्षेत्रक के लिए RBI का FREE-AI विज़न61

3.14.5. स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक.............. 62

3.14.6. RBI ने को-लेंडिंग नियमों को सख्त किया......... 63

3.14.7. नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा 63

3.14.8. स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति....................... 64

4. सुरक्षा (Security) 66

4.1. उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन 66

4.2. रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्रक की हिस्सेदारी में वृद्धि...... 67

4.3. सुदर्शन चक्र मिशन.. 70

4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां.. 71

4.4.1. अग्नि-5... 71

4.4.2. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास.................................. 72

5. पर्यावरण (Environment) 73

5.1. ई-मोबिलिटी... 73

5.2. आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग पर भारत का संकल्प 75

5.3. हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं 77
5.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 79
5.4.1. भारत का जल प्रबंधन 79
5.4.2. ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इंवेस्टमेंट्स 80
5.4.3. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 80
5.4.4. UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड.................. 81
5.4.5. अवाज़ा प्रोग्राम ऑफ एक्शन (APOA) 2024-2034 81
5.4.6. सुंदरबन टाइगर रिजर्व 82
5.4.7. मातृ वन पहल 83
5.4.8. एटालिन जलविद्युत परियोजना....................... 84
5.4.9. सुर्ख़ियों में रहे ज्वालामुखी विस्फोट 85
5.4.10. ड्रेक पैसेज 86
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)..................................87
6.1. शहरी प्रवासन.. 87
6.2. आदि कर्मयोगी अभियान...................................... 90
6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 91
6.3.1. बहु-विषयक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (MERITE) योजना...................................... 91
6.3.2. केरल, भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना.. 93
6.3.3. भारत का रजिस्ट्रार जनरल 93
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 95
7.1. भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 95
7.2. भारत का पहला वाणिज्यिक भू-प्रेक्षण (EO) सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन.. 97
7.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 100
7.3.1. ISRO ने त्सो कर वैली, लद्दाख में HOPE एनालॉग मिशन का उद्घाटन किया.. 100
7.3.2. इसरो का सबसे भारी रॉकेट 'लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल (LMLV)' 2035 तक तैयार हो जाएगा 101
7.3.3. यूरोपीय आयोग के जनरल-पर्पज AI (GPAI) कोड ऑफ प्रैक्टिस.. 101
7.3.4. ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस.................................. 103
7.3.5. फास्टैग वार्षिक पास 104
7.3.6. महाराष्ट्र ने हाइपरलूप के निर्माण के लिए IIT मद्रास के स्टार्ट-अप (ट्यूटर हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड) के साथ समझौता किया 104
7.3.7. श्रेष्ठ/Shresth पहल 106
8. संस्कृति (Culture)... 107
8.1. गोस्वामी तुलसीदास जी..................................... 107
8.2. काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 साल 108
8.3. वीरता पुरस्कार 110
8.4. राष्ट्रमंडल खेल 111
8.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां.. 112
8.5.1. विट्ठलभाई पटेल 112
8.5.2. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023........................ 112
9. नीतिशास्त्र (Ethics) 114
9.1. सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास 114
9.2. आवारा कुत्तों के प्रबंधन की नैतिकता 117
10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 120
10.1. प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 120
10.2. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना.............................. 121
11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News) 123

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026
▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
DELHI : 11 सितम्बर, 2 PM | JAIPUR : 20 जुलाई | JODHPUR : 15 सितम्बर
Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.
/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi /c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

	विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
	विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

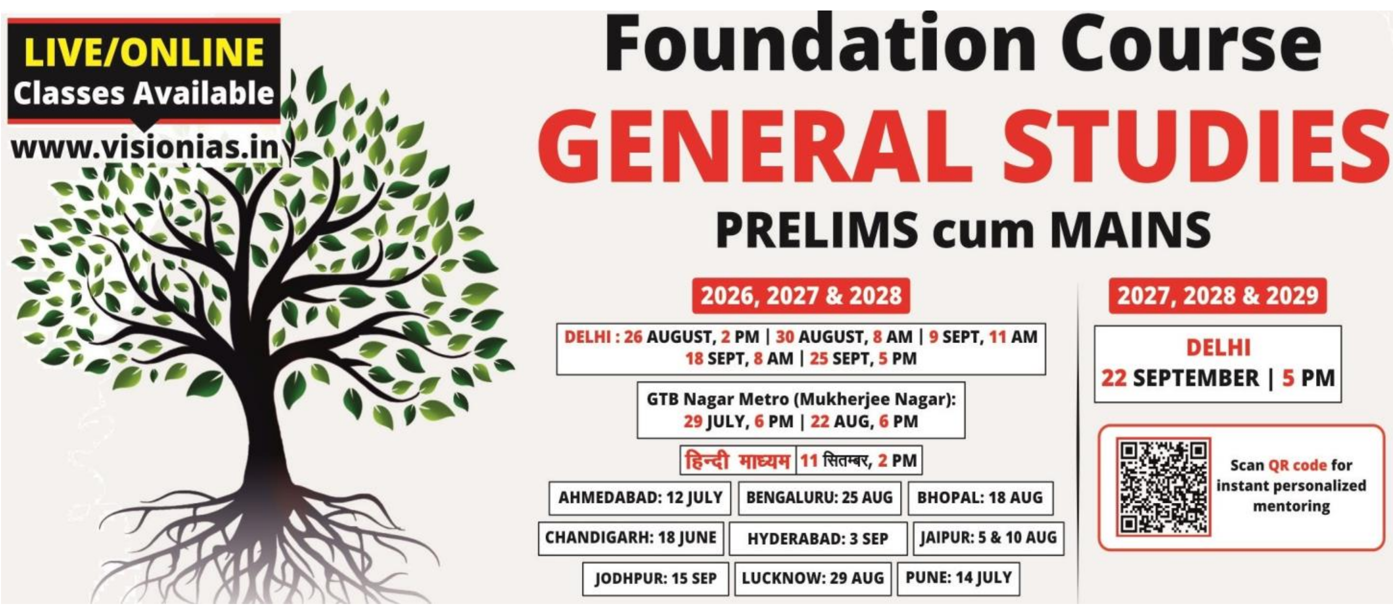

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

मासिक समसामयिकी रिवीजन कक्षाएं 2026

GS प्रीलिम्स और मेन्स

हिन्दी माध्यम
30 AUG | 2 PM

English Medium
23 AUG | 2 PM

अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें

Live/Online Classes are available

Lakshya

लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम 2026

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2026 के लिए रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु 12 माह का कार्यक्रम)

प्रारंभः 29 अगस्त

- जीएस प्रीलिम्स और मेन्स के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस हेतु 12 महीने की रणनीतिक योजना।
- यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के सिलेबस का संपूर्ण कवरेज।
- सीनियर मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम द्वारा मार्गदर्शन।
- प्रीलिम्स और मेन्स के लिए अधिक स्कोरिंग क्षमता वाले विषयों पर बल।
- ठोस प्रैक्टिस के माध्यम से करेंट अफेयर्स और सीसैट की तैयारी पर ध्यान।
- लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट (LPPT) और लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट (LMPT) की उपलब्धता।
- 25,000+ प्रश्नों के व्यापक संग्रह के साथ संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज।
- बेहतर उत्तर लेखन कौशल का विकास।
- प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए विषय–वार रणनीतिक डॉक्यूमेंट और स्मार्ट कंटेंट।
- निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र पर विशेष बल।
- ग्रुप और व्यक्तिगत परामर्श सत्र।
- लाइव प्रैक्टिस, साथी अभ्यर्थियों के साथ डिस्कशन और स्ट्रेटजी पर चर्चा।
- नियमित मूल्यांकन, निगरानी और प्रदर्शन में सुधार।
- आत्मविश्वास निर्माण और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी पर बल।
- टॉपर्स, नौकरशाहों और शिक्षाविदों के साथ इंटरैक्टिव सत्र।

WWW.VISIONIAS.IN 8468022022

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 {The Constitution (One Hundred and Thirteenth Amendment) Bill, 2025}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने **लोक सभा में संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025** पेश किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह विधेयक यह प्रावधान करता है कि यदि **प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र व राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का कोई मंत्री** किसी गंभीर अपराध के लिए लगातार **30 दिनों से अधिक समय तक हिरासत** में रहता है, तो उसे अपने पद से त्याग-पत्र देना होगा या उसे पद से हटाया जाएगा।
    - इसके लिए भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 75, 164 और 239AA** में बड़े संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।
- यही प्रावधान **पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश** पर भी लागू होगा। इसके लिए **केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025** लाया गया है, जो राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री/ मंत्रियों को हटाने का अधिकार प्रदान करता है।
- **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025** भी यही प्रावधान **जम्मू और कश्मीर पर लागू** करता है। इसके तहत **उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री/ मंत्रियों को हटाने** का अधिकार प्राप्त होगा।
- ये तीनों विधेयक विस्तृत जांच और चर्चा के लिए **संयुक्त संसदीय समिति (JPC)**[1] को भेजे गए हैं।

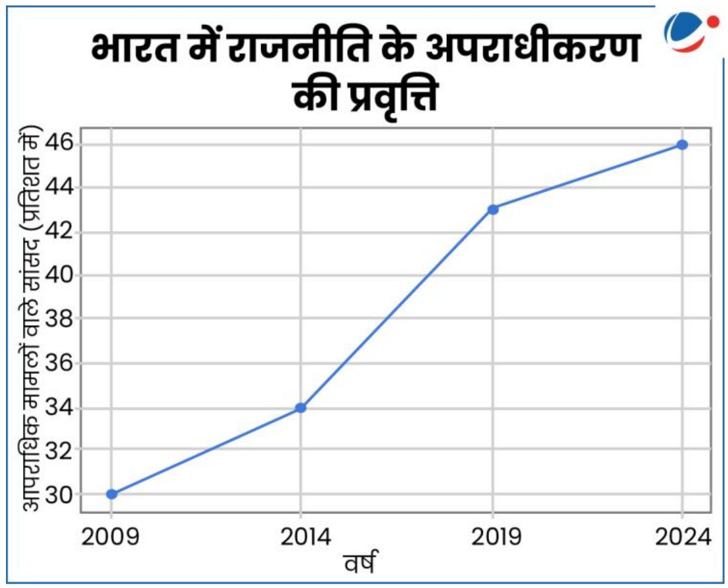

130वां संविधान संशोधन विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान

- **पद से हटाने का आधार:** किसी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यों के मंत्री को पद से हटा दिया जाएगा यदि उसे **पांच या अधिक वर्षों के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत** में रखा जाता है।
    - यह प्रावधान **प्रधान मंत्री** पर भी लागू होगा।
- **पद से हटाने की प्रक्रिया:**
    - **केंद्रीय मंत्री (प्रधान मंत्री को छोड़कर):** राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री की सलाह पर **31वें दिन** ऐसे मंत्री को उसके पद से हटाना होगा। यदि प्रधान मंत्री 31वें दिन तक कोई सलाह नहीं देता, तो **मंत्री स्वतः 31वें दिन से पदमुक्त** हो जाएगा।
    - **राज्यों के मंत्री (मुख्यमंत्री को छोड़कर):** इस मामले में भी ऊपर की तरह एक समान प्रावधान लागू होता है, जिसमें **राज्यपाल** मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। यदि मुख्यमंत्री 31वें दिन तक सलाह नहीं देता, तो मंत्री स्वतः पदमुक्त हो जाएगा।
    - **दिल्ली के मंत्री (मुख्यमंत्री को छोड़कर): राष्ट्रपति,** दिल्ली के **मुख्यमंत्री की सलाह** पर मंत्री को हटाएगा। यदि मुख्यमंत्री सलाह नहीं देता, तो 31वें दिन मंत्री मंत्री स्वतः पदमुक्त हो जाएगा।
    - **प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री (केंद्र/ राज्य/ दिल्ली):** यदि प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री लगातार **30 दिन तक हिरासत** में रहता है, तो उसे **31वें दिन तक अपना पद त्यागना** होगा। यदि वह त्याग-पत्र नहीं देता, तो **31वें दिन** से स्वतः पदमुक्त हो जाएगा।
- **पुनर्नियुक्ति पर कोई रोक नहीं:** हिरासत से रिहाई के बाद मंत्री, प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री को फिर से अपने पद पर वापस आने की अनुमति है।

[1] Joint Parliamentary Committee

विधेयक के पक्ष में तर्क

- **संवैधानिक नैतिकता और नैतिक शासन: मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014)** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि **नैतिकता संवैधानिक ढांचे का एक अभिन्न अंग है,** और गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी व्यक्तियों को मंत्री बनाने से बचना चाहिए।
- **जनविश्वास की रक्षा:** यह कदम भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है, जिससे जनता का राजनीतिक संस्थाओं पर भरोसा बढ़ सकता है।
- **सुशासन:** यह **"जेल से शासन चलाना"** जैसी स्थिति को खत्म करने का प्रयास है। इससे कार्यपालिका की जवाबदेही बनी रहेगी और उत्तरदायित्व संबंधी संवैधानिक कमियों को दूर किया जा सकेगा।
- **कानूनी कमियों को दूर करना:** मौजूदा **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA)**[2] केवल दोषसिद्धि यानी दोषी साबित होने के बाद ही निर्वाचित प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराता है। वर्तमान विधेयक गिरफ्तारी, हिरासत और सजा मिलने के बीच के समय को भी कवर करता है, जिससे इस तरह की कानूनी कमियों को दूर किया जा सकता है।
- **अन्य कर्मचारियों के साथ निष्पक्षता:** सामान्य सरकारी कर्मचारियों को 48 घंटे तक हिरासत में रहने के बाद निलंबन का सामना करना पड़ता है, इसलिए मंत्रियों पर भी समान मानक लागू होने चाहिए।
- **अन्य:** यह सभी दलों पर समान रूप से लागू होगा। इस प्रकार यह राजनीति को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा, झूठे मुकदमों व मनमानी गिरफ्तारियों पर न्यायिक निगरानी का संतुलन भी बनेगा।

विधेयक के विपक्ष में तर्क

- **राजनीतिक हथियार बनाना और संघवाद के लिए खतरा:** प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके नेताओं को मामूली आरोपों में गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे चुनावी प्रक्रिया के बिना ही सरकार गिराने का "कानूनी शॉर्टकट" मिल सकता है।
- **निर्दोष माने जाने के सिद्धांत के प्रतिकूल:** यह विधेयक उस सिद्धांत के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि "जब तक दोष साबित न हो, व्यक्ति निर्दोष है।" केवल गिरफ्तारी या हिरासत के आधार पर पद से हटाना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है।
  - **लिली थॉमस बनाम भारत संघ** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोग्यता केवल दोषसिद्धि के बाद लागू होती है, गिरफ्तारी या हिरासत पर नहीं।
- **व्यवहार में असंगति:** विधायकों/ सांसदों और मंत्रियों के मामले में एक विरोधाभास की स्थिति है।
  - जहां सांसद एवं विधायक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत केवल **दोषसिद्धि (दोषी घोषित होने और दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने)** पर ही अयोग्य ठहराए जाते हैं, वहीं इस विधेयक के तहत मंत्रियों को केवल हिरासत में लिए जाने पर ही त्याग-पत्र देने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
  - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, जब तक दोषसिद्धि न हो (केवल गिरफ्तारी पर नहीं), एक विधायक/ सांसद संबंधित सदन का सदस्य बना रह सकता है और उसे मंत्री भी नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ आरोप या गिरफ्तारी के आधार पर विधायक/ सांसद को मंत्री बनने से नहीं रोका जा सकता। दूसरी ओर, वर्तमान विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार मंत्री को पद छोड़ना होगा।
- **"रिवॉल्विंग डोर" की समस्या:** रिहाई के बाद दोबारा मंत्री बनने की अनुमति से बार-बार पद त्याग और पुनर्नियुक्ति की स्थिति बनेगी। इससे राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है और संभावित रूप से रणनीतिक कानूनी चालबाजियों को प्रोत्साहन मिल सकता है।
- **कार्यपालिका का विवेक और राजनीतिकरण:** हटाने की दोहरी प्रक्रिया (प्रधान मंत्री/ मुख्यमंत्री की सलाह या स्वतः पदमुक्ति) का राजनीतिकरण हो सकता है। यह संभावना है कि प्रधान मंत्री अपने सहयोगियों को बचा सकता है या प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए विरोधी मुख्यमंत्री को हटा सकता है।
- **सुरक्षा उपायों का अभाव:** यदि गिरफ्तारी गलत या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है तो मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है।
  - यह **प्रिवेंटिव डिटेंशन तथा गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA)[3], 1967; धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)[4], 2002** जैसे कानूनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है।
    - **उदाहरण के लिए,** पिछले पांच वर्षों में ED द्वारा दर्ज किए गए 5,000 मामलों में से 10% से भी कम मामलों में दोषसिद्धि हुई है।

---

[2] Representation of People Act

[3] Unlawful Activities Prevention Act

[4] Prevention of Money Laundering Act

अपराधों के बाद अयोग्यता के लिए मौजूदा कानूनी ढांचा और निर्णय

- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) की धारा 8(3):** इसके तहत यदि किसी विधायक/ सांसद को कुछ आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया जाता है और **कम-से-कम दो साल की सजा** सुनाई जाती है, तो वह चुनाव लड़ने या पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है।
- **लिली थॉमस (2013) वाद का निर्णय:** सुप्रीम कोर्ट ने RPA की **धारा 8(4) को रद्द** कर दिया, जिसमें दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर करने पर वर्तमान सदस्य अयोग्यता से बच जाता था।
- **मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) वाद:** कोर्ट ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को मंत्री बनाने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन प्रधान मंत्री को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से गंभीर अपराधों वाले व्यक्तियों को मंत्री बनाने से बचना चाहिए।
- **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन (2018) की जनहित याचिका:** कोर्ट ने कहा कि कानून से बाहर जाकर नए अयोग्यता के आधार नहीं जोड़े जा सकते। संसद को चाहिए कि वह ऐसा कानून बनाए, जिससे राजनीतिक दल गंभीर अपराधियों की सदस्यता रद्द करें और उन्हें चुनावी टिकट न दें।
- **भारत निर्वाचन आयोग (2016):** 2016 में, इसने लोक प्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की थी, ताकि ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके, जिनके खिलाफ अदालत द्वारा कम-से-कम पांच साल के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए गए हों।

आगे की राह

- **अंतरिम निलंबन:** मंत्री को सीधे पद से हटाने की बजाय, कानून में प्रावधान किया जाना चाहिए कि मुकदमे के दौरान **मंत्री केवल अपने अधिकारों और कामकाज से अस्थायी रूप से निलंबित** रहे। इससे शासन चलता रहेगा तथा जवाबदेही भी बनी रहेगी।
- **राजनीतिक दलों की भूमिका मजबूत करना:** राजनीतिक दलों को आत्म-अनुशासन अपनाना चाहिए और **आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं** देनी चाहिए। उन्हें केवल "चुनाव जीतने की संभावना" की बजाय ईमानदारी और चरित्र को महत्व देना चाहिए।
- **विधि आयोग की सिफारिशें: पांच वर्षों तक के कारावास की सजा वाले अपराधों** के लिए आरोप तय करने को अयोग्यता का एक अतिरिक्त आधार बनाया जाना चाहिए।
  - इससे प्रारंभिक न्यायिक जांच सुनिश्चित करके तुच्छ या राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ्तारियों को रोका जा सकेगा।
- **जमानत को सामान्य नियम बनाना:** गंभीर हिंसक अपराधों को छोड़कर बाकी मामलों में जमानत को सामान्य नियम बनाया जा सकता है। इससे पद से हटाने वाले नए प्रावधान अधिक स्वीकार्य बन सकेंगे।
- **आपराधिक मामलों में तेजी लाना:** केवल गिरफ्तारी के आधार पर मंत्रियों को अयोग्य ठहराने की बजाय, मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों में न्यायिक तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि निष्पक्ष जांच एवं त्वरित सुनवाई सुनिश्चित हो सके।
- **एक स्वतंत्र समीक्षा तंत्र स्थापित करना:** एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण या न्यायिक पैनल बनाया जा सकता है, जो यह तय करे कि मंत्री को हटाने की शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं। इससे कार्यपालिका के अतिक्रमण को रोका जा सकेगा तथा कानून का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित हो सकेगा।

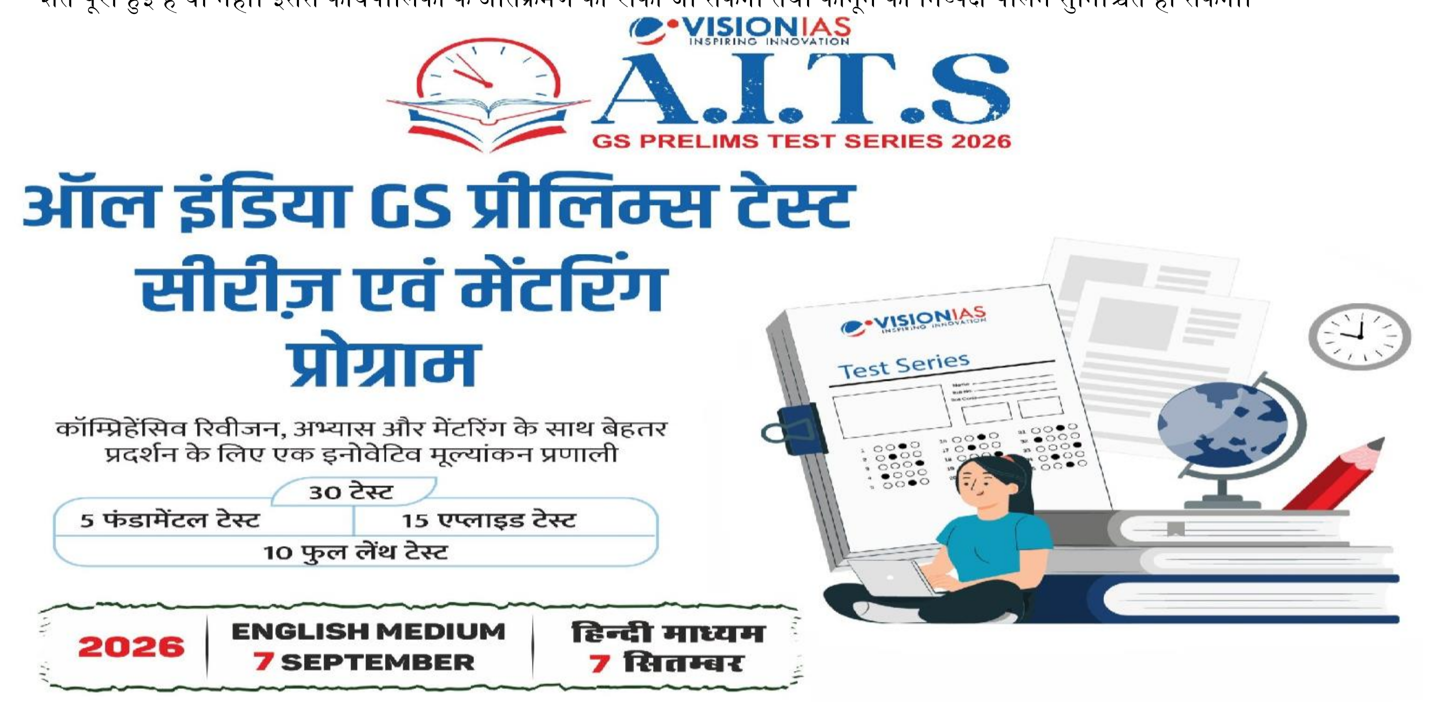

1.2. ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 (The Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद ने **'ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025'** पारित किया। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह विधेयक अब कानून बना गया है। इसके तहत **ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक** लगा दी गई है, जबकि अन्य तरह के ऑनलाइन गेम्स या खेलों को बढ़ावा देने और नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस कानून का उद्देश्य **ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रक के लिए एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क** तैयार करना है। इससे इस क्षेत्रक को **विनियमित किया जा सकेगा, इसे बढ़ावा दिया जा सकेगा तथा नवाचार और आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन** मिलेगा। साथ ही, सभी नागरिकों के लिए एक **विकसित, सुरक्षित एवं जिम्मेदार डिजिटल व्यवस्था** सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है।
- यह विधेयक भारत के संविधान के **अनुच्छेद 117(1) और 117(3) के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश** से सदन में पेश किया गया था। इस प्रकार, इसे **वित्त विधेयक** के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

अनुच्छेद 117: वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान

- **अनुच्छेद 117(1):** इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 110 (धन विधेयक) में दिए गए किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा :
- **अनुच्छेद 117(3):** भारत की संचित निधि से होने वाले किसी व्यय से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक राष्ट्रपति ने उस सदन से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश नहीं की है।

इस कानून की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई?

- **आदत और आर्थिक नुकसान:** ऑनलाइन मनी गेम्स लोगों को **बार-बार खेलने के लिए उकसाते हैं और जल्दी पैसा कमाने का झूठा भ्रम** पैदा करते हैं। इससे लोगों को इन गेम्स की लत लग जाती है तथा **परिवार कर्ज़ और परेशानी में फंस** जाते हैं।
    - केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार, ऑनलाइन मनी गेमिंग ने लगभग **45 करोड़ लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित** किया है और **उन्हें 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान** हुआ है।
- **मानसिक स्वास्थ्य:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने गेमिंग डिसऑर्डर को अपनी बीमारियों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सूचीबद्ध किया है।
    - **गेमिंग डिसऑर्डर** का अर्थ है—**नियंत्रित होकर नहीं खेलना, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों की अनदेखी** करना और **नुकसान होने के बावजूद खेलते रहना।**
- **कानूनी खामियों को सुधारना: जुआ और बेटिंग** पहले से ही **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023** और कई राज्य कानूनों के तहत **प्रतिबंधित** हैं, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग **अभी भी बिना किसी विनियम के चल** रही थी।
    - कई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स **विदेशों से संचालित** होते हैं। इस कारण उन्हें विनियमित करने में भारत सरकार को समस्या होती थी। साथ ही, राज्यों के बीच भी ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन को लेकर कानूनी असमानताएं विद्यमान थीं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा:** जांच से पता चला है कि कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल **आतंकवाद को वित्त-पोषित करने, गैर-कानूनी संदेश भेजने और मनी लॉन्ड्रिंग** के लिए किया जा रहा था। इससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था।
- **ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा:** यह विधेयक **सकारात्मक डिजिटल सहभागिता को प्रोत्साहित** करता है तथा **ई-स्पोर्ट्स क्षेत्रक में रचनात्मक अर्थव्यवस्था एवं नवाचार को बढ़ावा** देता है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **प्रमुख परिभाषाएं:**
    - **ऑनलाइन गेम्स:** ऐसे सभी गेम्स, जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस पर खेले जाते हैं और जिन्हें इंटरनेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार तकनीक की मदद से सॉफ्टवेयर के रूप में चलाया एवं संचालित किया जाता है।
- **ऑनलाइन गेम्स की श्रेणियां:**
    - **ई-स्पोर्ट्स:** प्रतिस्पर्धी डिजिटल खेल जहां टीमें या व्यक्ति संगठित टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। इनमें रणनीति, तालमेल और उन्नत निर्णय लेने की क्षमता की जरूरत होती है।
        - उदाहरण के लिए- **वेद "बील्ज़ेबॉय" बाम्ब 'पोकेमॉन गो वर्ल्ड चैंपियनशिप' 2025 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी** बने।
    - **ऑनलाइन सोशल गेम्स:** ऐसे खेल जो रोज़मर्रा की मनोरंजन गतिविधियों का हिस्सा होते हैं। ये अधिकतर **कौशल-आधारित** होते हैं और इनका उद्देश्य **मनोरंजन, सीखने या सामाजिक संपर्क को बढ़ावा** देना होता है। उदाहरण: वर्डले (ऑनलाइन शब्द आधारित गेम), कहूट (Kahoot!) आदि।

  - **ऑनलाइन मनी गेम्स:** ऐसे खेल जिनमें खिलाड़ी को खेलने के लिए शुल्क देना या पैसा जमा करना होता है और बदले में वह पैसे या अन्य इनाम जीतने की उम्मीद रखता है। ये खेल चाहे कौशल पर आधारित हों, संयोग पर आधारित हों या दोनों पर, लेकिन इनमें ई-स्पोर्ट्स शामिल नहीं होता है। **उदाहरण:** Dream11, रम्मी, पोकर, WinZO आदि।
- **लागू होने का क्षेत्र:** यह कानून **पूरे भारत में लागू होगा** और उन ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर भी लागू होगा, जो **भारत के भीतर उपलब्ध** कराई जाती हैं या **विदेशों से संचालित होकर भारत में उपलब्ध** कराई जाती हैं।
- **ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध:** ऑनलाइन मनी गेम्स, जिन्हें **रियल मनी गेम्स** भी कहा जाता है, और उनसे जुड़ी सेवाओं पर **पूरी तरह रोक** लगाई जाएगी।
  - ऐसे खेलों को **संचालित करना, उनका विज्ञापन करना, और बैंकों या किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा इनके लिए लेन-देन करने की सुविधा देना,** इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  - साथ ही, **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** के तहत अधिकारियों को ऐसे **गैर-कानूनी प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच को ब्लॉक करने का अधिकार** भी दिया गया है।
- **ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा:** ई-स्पोर्ट्स को **"मान्यता प्राप्त प्रतिस्पर्धी खेल"** माना गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इनके लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा। साथ ही, इनके लिए प्रशिक्षण अकादमियों व शोध केंद्रों जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
- **सामाजिक और शैक्षणिक खेलों को बढ़ावा:** केंद्र सरकार को ऐसे सामाजिक खेलों को मान्यता देने व पंजीकृत करने का अधिकार होगा, जो सुरक्षित हों और आयु के अनुसार उपयुक्त हों। इनके लिए विशेष प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
- **ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण: राष्ट्रीय स्तर पर एक विनियामक प्राधिकरण** गठित किया जाएगा। **यह प्राधिकरण-**
  - खेलों की श्रेणी तय करेगा,
  - उन्हें पंजीकृत करेगा,
  - यह निर्णय लेगा कि कोई खेल "मनी गेम" है या नहीं, और
  - साथ ही शिकायतों का समाधान भी करेगा।
- **अपराध और दंड:** इस कानून के तहत आने वाले अपराध **संज्ञेय (Cognisable) और गैर-जमानती** होंगे।
  - **ऑनलाइन मनी गेम्स उपलब्ध** कराने पर **3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना** लगाया जा सकता है।
  - ऐसे खेलों का **विज्ञापन** करने पर **2 साल तक की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना** हो सकता है।
- **कॉरपोरेट और संस्थागत जिम्मेदारी:** कंपनियों और उनके अधिकारियों को **जवाबदेह** ठहराया जाएगा। हालांकि, ऐसे **स्वतंत्र या गैर-कार्यकारी निदेशकों** को छूट दी जाएगी, जो वास्तविक निर्णय-निर्माण में शामिल नहीं थे।
- **जांच और प्रवर्तन के अधिकार: केंद्र सरकार** अधिकारियों को जांच, तलाशी एवं जब्ती के लिए अधिकृत कर सकती है। कुछ मामलों में **बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का भी अधिकार** होगा।

ऑनलाइन गेमिंग के खतरों से निपटने के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहलें

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A:** यह धारा सरकार को अवैध वेबसाइट्स या लिंक तक पहुंच को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। उदाहरण: 2022-25 के दौरान 1,524 बेटिंग और जुए से जुड़ी वेबसाइट्स एवं मोबाइल ऐप्स ब्लॉक किए गए हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** ये नियम ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम तय करते हैं। उदाहरण: मध्यवर्तियों का स्व-विनियामक संस्थाओं (SRBs) के साथ पंजीकरण।
- **भारतीय न्याय संहिता, 2023:** धारा 111 एवं 112 क्रमशः अवैध आर्थिक गतिविधियों, साइबर अपराधों, और बिना अनुमति के बेटिंग व जुए को दंडित करती हैं।
- **एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (IGST Act):** अवैध और विदेशी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स IGST अधिनियम के तहत नियंत्रित किए जाते हैं।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** यह कानून भ्रामक और छद्म विज्ञापनों पर रोक लगाता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स को बेटिंग प्लेटफॉर्म्स का प्रचार करने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

हालांकि, यह अधिनियम ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और डिजिटल युग में नागरिकों की सुरक्षा के संदर्भ में कई लाभ प्रदान करता है, लेकिन यह **नीतिगत अस्थिरता और अनिश्चितता** को लेकर चिंताएं भी पैदा करता है। तेजी से बढ़ते ऑनलाइन मनी गेमिंग क्षेत्रक पर अचानक प्रतिबंध लगाने से नीतिगत असंगतता की धारणा पैदा होने का खतरा है। इससे उद्योग और निवेशकों का विश्वास कमजोर हो सकता है, खासकर भारत में विदेशी निवेश के प्रवाह पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

निष्कर्ष

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 भारत के डिजिटल परिदृश्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। इसका लक्ष्य नागरिकों को ऑनलाइन मनी-गेमिंग उद्योग की शोषणकारी प्रथाओं से बचाना है और साथ ही वैध ई-स्पोर्ट्स एवं सोशल गेमिंग के विकास को प्रोत्साहित करना है। ऐसा करके, इसका उद्देश्य देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना और सबसे बढ़कर, यह सुनिश्चित करना है कि तकनीक सामाजिक कल्याण का साधन बने, न कि नुकसान का।

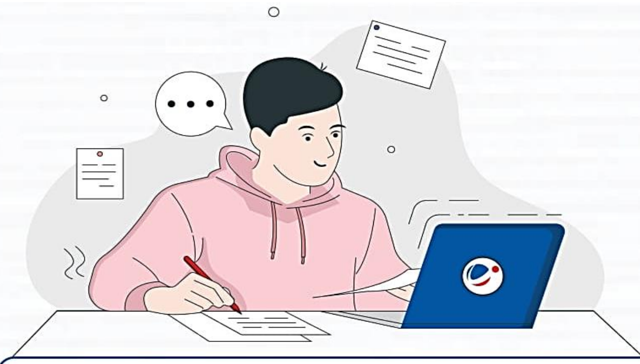

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।
यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।
इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ–साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न–पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर–की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

1.3. राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस अधिनियम, 2025 (National Sports Governance Act, 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस विधेयक, 2025** को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

भारत में खेलों का गवर्नेंस

- संविधान की सातवीं अनुसूची की **राज्य सूची के प्रविष्टि 33** के अनुसार, **खेलों का विनियमन राज्यों के अधिकार क्षेत्र** में आता है।
- मौजूदा नीतियों में **राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) तथा खेल प्रसारण सिग्नल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007** शामिल हैं।
  - राष्ट्रीय खेल नीति **1984 में बनी थी और 2001 में संशोधित** की गई थी।
- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2001 की नीति को प्रतिस्थापित करते हुए **राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (NSP, 2025)** को मंजूरी दी है।
  - नई नीति **पांच मुख्य स्तंभों पर आधारित** है। ये स्तंभ हैं- **वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता; आर्थिक विकास; सामाजिक विकास; एक जन आंदोलन के रूप में खेल तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ एकीकरण।**

अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- **राष्ट्रीय खेल शासी निकायों (NSBs) की स्थापना:** निम्नलिखित निकायों को उनके संबंधित मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के लिए **राष्ट्रीय खेल शासी निकाय** के रूप में स्थापित किया जाएगा:
  - **राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (NOC):** यह भारत में ओलंपिक खेलों के लिए एकमात्र शासी निकाय है।
  - **राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (NPC):** यह पैरालंपिक खेलों के लिए एकमात्र शासी निकाय है।
  - **अन्य निकाय: राष्ट्रीय खेल संघ (NSF), क्षेत्रीय खेल संघ (RSF) आदि।**
    - ये निकाय संबंधित **अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबद्ध** होंगे तथा राज्य और जिला स्तर पर इनकी संबद्ध इकाइयां होंगी।
    - इन निकायों का **संचालन अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और नियमों** के अनुसार होगा।
- **राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB)[5]:** इसे किसी भी खेल संगठन को राष्ट्रीय खेल शासी निकाय के रूप में मान्यता देने का अधिकार होगा। साथ ही, यह उनकी संबद्ध इकाइयों का पंजीकरण भी करेगा। केवल मान्यता प्राप्त संस्थाएं ही केंद्र सरकार से वित्त-पोषण प्राप्त करेंगी।
  - राष्ट्रीय खेल शासी निकाय (NSBs) को **अपने हितधारकों के लिए एक आचार संहिता** तैयार करनी होगी। इसमें **नैतिक और उचित आचरण के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित** किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल शासी निकाय (NSBs) राष्ट्रीय खेल बोर्ड के दिशा-निर्देशानुसार यह संहिता तैयार करेंगे।
  - मान्यता प्राप्त संगठन को **RTI अधिनियम, 2005 के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण'** माना जाएगा।
  - **केंद्र सरकार** बोर्ड की संरचना तय करेगी और **खोज-सह-चयन समिति** की सिफारिशों के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति करेगी।
  - **बोर्ड में नियुक्त** होने के लिए व्यक्ति को **लोक प्रशासन, खेल प्रशासन, खेल कानून और अन्य संबंधित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव** होना चाहिए।

[5] National Sports Board

- **राष्ट्रीय खेल अधिकरण (National Sports Tribunal):**
    - इसका कार्य **खेल-संबंधी विवादों का शीघ्र समाधान** सुनिश्चित करना होगा।
    - हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा आयोजित खेलों और राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के आंतरिक विवादों पर इसका अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
- **चुनावों की निगरानी:** केंद्र सरकार राष्ट्रीय खेल शासी निकायों के चुनावों की निगरानी के लिए **निर्वाचन अधिकारियों का एक राष्ट्रीय पैनल** गठित करेगी।
    - **प्रत्येक राष्ट्रीय खेल शासी निकाय** को भी अपने संबद्ध संगठनों के चुनाव की निगरानी के लिए एक निर्वाचन पैनल का गठन करना होगा।
- **केन्द्र सरकार की शक्तियां:** यदि किसी खेल के प्रचार के लिए लोक हित में आवश्यक हो, तो केंद्र सरकार किसी भी राष्ट्रीय निकाय या उसके संबद्ध संगठनों को इस कानून के किसी भी प्रावधान से छूट दे सकती है।

भारत में एक व्यापक खेल कानून की आवश्यकता

- **एक व्यापक और एक समान खेल कानून का अभाव:** देश में खेलों के लिए कोई एक-समान व समग्र कानून नहीं है। इसकी वजह से नियम अलग-अलग और कई बार पुराने हो जाते हैं।
    - उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2013 पारित ही नहीं हो पाया।
- **राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) में राजनेताओं का वर्चस्व: न्यूनतम खेल विशेषज्ञता वाले राजनेता** अक्सर NSFs में प्रमुख पदों पर आसीन होते हैं।
    - ज्ञातव्य है कि **फीफा** ने तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण **अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को निलंबित** कर दिया था।
- **प्रमुख संगठनों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में टकराव:** जैसे कि भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और NSFs जैसी संस्थाओं की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां आपस में टकराती हैं, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है व देरी होती है।
- **अपर्याप्त वित्त-पोषण और उसका सही उपयोग न होना:** 2022-2023 के लिए आवंटित बजट का **40% से भी कम हिस्सा एथलीट विकास** हेतु उपयोग किया गया था।
- **नीतियों का कमजोर क्रियान्वयन:** राष्ट्रीय खेल नीति (1984 में लागू, 2001 में संशोधित) को सफलतापूर्वक व्यवहार में नहीं लाया गया था।
- **ओलंपिक 2036 की तैयारी:** यह कानून ओलंपिक चार्टर और विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करके **2036 ओलंपिक के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन** करता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय स्पोर्ट्स गवर्नेंस अधिनियम, 2025 का उद्देश्य एक ऐसा खेल तंत्र बनाना है जो पारदर्शी, जवाबदेह और खिलाड़ी-केंद्रित हो। यह अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होगा और भारतीय खेलों में लगातार उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी व्यवस्था स्थापित करेगा।

संबंधित सुर्ख़ियां

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022** में संशोधन करना है। इस प्रकार यह विधेयक अब अधिनियम बन गया है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- **उद्देश्य-** यह खेलों में डोपिंग (प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग) पर रोक लगाता है तथा जांच, प्रवर्तन और उल्लंघनों के निपटारे के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- यह **खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को कन्वेंशन** को प्रभावी बनाता है।
- यह **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा/ NADA)** को डोपिंग रोधी विनियमों को लागू करने के लिए सशक्त बनाता है।
- **राष्ट्रीय खेल डोपिंग रोधी बोर्ड:** यह NADA की गतिविधियों की निगरानी करेगा और डोपिंग रोधी विनियमों पर केंद्र सरकार को सलाह देगा।
- **पहले के अधिनियम में किए गए परिवर्तन**
    - **अपील पैनल:** अपील पैनल का गठन करने और अपील प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रीय बोर्ड से केंद्र सरकार को स्थानांतरित कर दी गई है।
    - **डोपिंग रोधी निकायों की स्वायत्तता: नाडा** के किसी भी सदस्य को **परिचालन स्वतंत्रता** होगी। यह WADA के मानकों और UNESCO के नियमों के अनुरूप है।

- **निर्दिष्ट निकायों द्वारा CAS में अपील का अधिकार:** पहले कोई भी व्यक्ति **कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स (CAS), स्विट्ज़रलैंड में अपील** कर सकता था। अब केवल **निर्दिष्ट निकायों** को ही यह अधिकार होगा।
- **परीक्षण प्रयोगशालाओं का अनिवार्य प्रत्यायन:** अब WADA से मान्यता (Accreditation) लेना अनिवार्य होगा। पहले यह केवल स्वैच्छिक था।
- **डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन:** इसमें **विश्व डोपिंग रोधी संहिता की परिभाषाओं और समय-सारिणी** को अपनाया गया है तथा उन्हें **भारत में कानून का दर्जा** दिया गया है।

1.4. जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 {Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **लोक सभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025** पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य कानूनों के अनुपालन को सरल बनाकर, कानूनों को उपडेट करके, कुछ कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करके और विश्वास-आधारित शासन व्यवस्था को बढ़वा देते हुए **ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) और ईज़ ऑफ लिविंग संबंधी सुधारों को आगे बढ़ाना है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- यह विधेयक **जन विश्वास अधिनियम, 2023** की सफलता पर आधारित है। इसके तहत 19 मंत्रालयों व विभागों से संबंधित **42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों** के तहत वर्णित कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था।
- 2025 का विधेयक इन सुधारों का विस्तार करता है और 10 मंत्रालयों /विभागों से संबंधित **16 केंद्रीय अधिनियमों** को शामिल करता है।
- यह विधेयक **प्रक्रियागत सुधार का एक उदाहरण** है, जिसमें कठोर और दंडात्मक अनुपालन की जगह **सरल व भरोसे पर आधारित व्यवस्थाएं** लाई गई हैं। इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को आसान बनाना, न्यायपालिका पर से बोझ घटाना और नागरिकों व व्यवसायों के लिए एक अनुकूल परिवेश तैयार करना है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- **पहली बार उल्लंघन:** 10 अधिनियमों के अंतर्गत उल्लेखित 76 अपराधों के मामले में पहली बार अपराध करने पर सजा नहीं दी जाएगी बल्कि **परामर्श या चेतावनी** दी जाएगी।
- **कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना:** यह **288 प्रावधानों** के तहत वर्णित कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है तथा मामूली गलती के लिए जेल की सजा के स्थान पर जुर्माने या चेतावनी का प्रावधान करता है।
  - **उदाहरण:** चाय अधिनियम, 1953 तथा विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (जिन्हें पहले 2023 में संशोधित किया गया था) को और भी उदार बनाया गया है।
- **जुर्माने का सरलीकरण: जुर्मानों को तार्किक और अनुपातिक** बनाया गया है। साथ ही **बार-बार अपराध करने पर दंड में क्रमिक वृद्धि** की जाएगी।
- **निर्णय तंत्र:** मामलों का **त्वरित समाधान सुनिश्चित** करने और **न्यायपालिका पर बोझ कम** करने के लिए **नामित अधिकारियों को यह प्राधिकार** दिया गया है कि **वे प्रशासनिक प्रक्रिया के जरिए जुर्माना** लगा सकते हैं।
- **जुर्माने की स्वतः वृद्धि:** हर **3 साल में दंड और जुर्माना 10% बढ़** जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि **दंड प्रभावी बने रहें और बार-बार कानून में संशोधन** करने की ज़रूरत न पड़े।

प्रक्रियात्मक सुधार क्या हैं?

- प्रक्रियात्मक सुधारों को **"नट्स एंड बोल्ट्स रिफॉर्म (बुनियादी सुधार)"** कहा जाता है। इसका अर्थ है, **किसी नियम या प्रक्रिया में छोटे-छोटे बदलाव** करना, जैसे किसी नियम की उपधारा में संशोधन करना।
  - ये **संरचनात्मक सुधारों** से अलग होते हैं। संरचनात्मक सुधार (जैसे GST, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, मौद्रिक नीति समिति आदि) **आर्थिक ढांचे की पूरी संरचना को बदल** देते हैं, जबकि प्रक्रियात्मक सुधार **मौजूदा संरचना के संचालन को और बेहतर** बनाते हैं।

- ये **छोटे स्तर के लक्षित बदलाव** होते हैं, जिनका उद्देश्य **सार्वजनिक नीतियों के भीतर किसी विशेष क्षेत्रक या गतिविधि में कामकाज की दक्षता बढ़ाना** होता है।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21** में भी यह सुझाव दिया गया था कि भारत की प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं में अत्यधिक नियम-कानून और अस्पष्टता की बजाय, सरल नियम एवं आसान प्रक्रियाएं ज्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे।

प्रक्रियात्मक सुधारों का महत्त्व

- **आर्थिक संवृद्धि को बनाए रखना:** दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के नाते, **भारत को अपनी आर्थिक गति बनाए रखने के लिए निरंतर सुधारों की आवश्यकता** है।
  - प्रक्रियात्मक सुधार **प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तनों के बीच के अंतराल को समाप्त** करते हैं और **प्रगति के पहिये को गतिमान** बनाए रखते हैं।
- **व्यापार, जीवन और विज्ञान में सुगमता:** ये सुधार प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं की रोजमर्रा की परेशानियों को दूर करते हैं। उदाहरण: वैज्ञानिक संस्थाओं के लिए नए खरीद नियमों ने वैज्ञानिकों का काम आसान और प्रभावी बना दिया है।
- **बाधाओं और देरी को दूर करना:** भारत की कई सरकारी प्रक्रियाओं में **पुराने नियम, बोझिल कागजी कार्रवाई, अनावश्यक अनुमोदन और सेवाओं की धीमी डिलीवरी जैसी विरासत में मिली समस्याएं** देखने को मिलती हैं। ये लोगों और व्यवसायों दोनों के लिए बाधा बनती हैं। प्रक्रियात्मक सुधार इन अवरोधों को कम करते हैं।
- **क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ाना:** उदाहरण के लिए– **अन्य सेवा प्रदाताओं (OSP)** के लिए दूरसंचार नियमों को उदार बनाने से **आईटी और BPO सेक्टर में तेजी से विकास** हुआ है।
- **भ्रष्टाचार और अनुचित लाभ कम करना:** जब प्रणालियां पारदर्शी बनती हैं और अनावश्यक नियम हटाए जाते हैं, तो भ्रष्टाचार एवं मनमानी के अवसर कम हो जाते हैं।
- **समस्या-समाधान की मानसिकता विकसित करना:** व्यवस्थित प्रक्रियात्मक सुधारों से **सरकार के भीतर लगातार समस्याओं का समाधान करने की संस्कृति** निर्मित होती है। इससे संस्थाएं लचीली और संवेदनशील बनती हैं, वे इस मानसिकता से बाहर निकलती हैं कि **प्रणालियां "ईश्वर-प्रदत्त" हैं और बदली नहीं जा सकतीं।**

सफल प्रक्रियात्मक सुधारों से संबंधित केस स्टडीज़

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने से गड़बड़ी और दोहराव कम हुआ है। इससे बड़े पैमाने पर संसाधनों की बचत हुई है तथा सेवाओं की आपूर्ति बेहतर हुई है।
- **कंपनी का स्वैच्छिक परिसमापन[6]:** पहले कंपनी को स्वेच्छा से बंद करने की प्रक्रिया 4 साल से ज़्यादा खिंच जाती थी और इसमें कई रुकावटें आती थी। विज्ञापन प्रक्रिया को सरल बनाने और कई NOC (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) की जरूरत हटाने से यह समय बहुत घट गया है और भारत दुनिया के सबसे तेज "एग्जिट सिस्टम" वाले देशों में से एक बन गया है।

[6] Voluntary Company Liquidation

- **स्वायत्त निकायों का तार्किकरण:** कई पुराने या एक जैसे काम करने वाले सरकारी संस्थानों को बंद या उनका आपस में विलय कर दिया गया है। उदाहरण के लिए: अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और कई फिल्म इकाइयों को मिलाकर एक ही निगम बना दिया गया है।
- **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल:** यह सरकारी खरीद के लिए शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और खरीद लागत 15-20% तक कम हुई है।
- **कानूनी और विवाद समाधान सुधार:** अदालतों में देरी और खर्च कम करने पर ध्यान दिया गया है। इसमें **दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) और ऋण वसूली की नई व्यवस्था** जैसे कदम शामिल किए गए हैं।
- **विधिक मापविज्ञान (Legal Metrology) संशोधन: जन विश्वास अधिनियम, 2023** के तहत **कुछ कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर** कर दिया गया है, ताकि भ्रष्टाचार और अनावश्यक परेशानियों को कम किया जा सके।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे भारत एक गतिशील और नवाचार-प्रधान अर्थव्यवस्था में विकसित हो रहा है, जन विश्वास विधेयक जैसे सुधारों को अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि शासन परिवर्तन की लंबी यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जाना चाहिए। **तकनीक को अपनाकर, प्रक्रियाओं को लगातार सरल बनाकर और नागरिक-केंद्रित शासन लागू करके,** ये सुधार संस्थाओं के भीतर **उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं अनुकूलनशीलता की संस्कृति विकसित** कर सकते हैं।

1.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.5.1. व्यावसायिक और प्रतिबंधित वाक् मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं: सुप्रीम कोर्ट (Commercial, Prohibited Speeches Not Part of Fundamental Rights: SC)

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने यह टिप्पणी दिव्यांग-जनों के बारे में असंवेदनशील चुटकुले बनाने वाले सोशल मीडिया कॉमेडियन के खिलाफ एक मामले की सुनवाई के दौरान की। इस मामले में कॉमेडियन पर **"अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग"** करने का आरोप लगाया गया है।

प्रमुख न्यायिक टिप्पणियां

- **व्यावसायिक और प्रतिबंधित भाषण को संरक्षण नहीं:** वाक् स्वतंत्रता (**अनुच्छेद** 19(1)(a)) के तहत व्यावसायिक भाषण या प्रतिबंधित वाक् शामिल नहीं हैं।
  - **घृणा वाक् (Hate speech)/ प्रतिबंधित भाषण (Prohibited speech):** ऐसी अभिव्यक्तियां जो किसी **धर्म, जाति, नस्ल या नृजातीयता** जैसी अंतर्निहित विशेषताओं के आधार पर किसी **समूह के खिलाफ शत्रुता, नफरत या हिंसा को बढ़ावा** देती हैं।
  - **व्यावसायिक भाषण (Commercial speech): आर्थिक लाभ** के लिए किए गए विज्ञापन और संबंधित भाषण।
- **इन्फ्लुएंसर्स की जवाबदेही:** बड़ी संख्या में फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स को **जिम्मेदारी के साथ काम** करना चाहिए।
- **दंडात्मक कार्रवाई और मुआवजा:** ऐसे मामलों के लिए, कोर्ट ने **आईटी नियमों एवं सिनेमैटोग्राफ अधिनियम** के तहत समानुपातिक दंडात्मक उपायों का सुझाव दिया है।

- **सोशल मीडिया दिशा-निर्देश:** कोर्ट ने सरकार से **ऑनलाइन कंटेंट को विनियमित करने हेतु व्यापक दिशा-निर्देश** तैयार करने के लिए कहा है।

वाक् स्वतंत्रता से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

- **अमीश देवगन बनाम भारत संघ वाद (2020):** इसमें स्वतंत्र वाक् और घृणित/ प्रतिबंधित **वाक् के बीच** अंतर किया गया। साथ ही, **व्यापक पहुंच वाले इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी पर भी जोर** दिया गया।
- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद (2015):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक **आसन्न खतरे का आभास न हो, तब तक वैध ऑनलाइन अभिव्यक्ति को बाधित नहीं** किया जा सकता।

1.5.2. OCI कार्ड के नियम सख्त किए गए (Rules For Oci Card Tightened)

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने **नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D** के तहत यह अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) का पंजीकरण निम्नलिखित स्थितियों में रद्द किया जा सकता है, यदि:**
    - किसी व्यक्ति को **कम-से-कम दो साल की जेल की सजा** सुनाई गई हो; या
    - किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे अपराध के लिए **चार्जशीट दायर** की गई हो, जिसमें **सात साल या उससे अधिक की कैद** का प्रावधान हो।

OCI कार्ड के बारे में

- OCI कार्ड योजना **2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन** के माध्यम से शुरू की गई थी।
    - 2015 में, **पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (PIO)** कार्ड योजना को OCI के साथ मिला दिया गया था और **सभी PIO कार्डधारकों को OCI कार्डधारक** मान लिया गया।
- OCI कोई **'दोहरी नागरिकता'** नहीं है। यह **राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं** करता है।

OCI के रूप में पंजीकरण के लिए पात्रता

- कोई भी विदेशी नागरिक OCI के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है, यदि वह:
    - 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद **भारत का नागरिक रहा हो;** या
    - 26 जनवरी, 1950 को **भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था;** या
    - उस क्षेत्र से संबंधित था जो **15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना;** या
    - उपर्युक्त पात्रताओं के तहत आने वाले नागरिकों का **संतान या पोता-पोती या परपोता-परपोती हो;** या
    - एक नाबालिग बच्चा, जिसके **माता-पिता, दोनों भारत के नागरिक हैं** या **माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक** है; या
    - भारत के नागरिक का/की **विदेशी मूल का/की पति/ पत्नी, या OCI कार्डधारक** का/की विदेशी मूल का/की पति/ पत्नी, जिनका विवाह **पंजीकृत हो और कम-से-कम दो वर्ष** तक अस्तित्व में रहा हो।
- **अपवाद:** वह व्यक्ति जो **पाकिस्तान, बांग्लादेश** या किसी ऐसे अन्य देश का नागरिक है या रहा है, जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, वह OCI के लिए पात्र नहीं होगा।

- **OCI पंजीकरण रद्द करने के आधार:**
    - धोखाधड़ी से पंजीकरण लिया हो;
    - भारत के संविधान के प्रति असंतोष प्रकट किया हो;
    - भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, या विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा लोकहित के लिए आवश्यक हो आदि।
- **OCI कार्डधारकों को मिलने वाले लाभ:**
    - **OCI कार्डधारकों को आजीवन वीजा की सुविधा उपलब्ध** है। वे भारत में कई बार आ-जा सकते हैं। वास्तव में यह **बहुउद्देशीय** कार्ड है।
    - भारत में **किसी भी अवधि** के लिए ठहरने हेतु **विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने से छूट।**
    - **आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में उन्हें अनिवासी भारतीयों (NRIs)** के समान सुविधाएं दी जाती हैं।
- हालांकि, **OCI कार्डधारकों को भारत में कृषि-भूमि या बागान जैसी परिसंपत्तियों की खरीद की अनुमति नहीं है।**

1.5.3. भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव (Election To The Office of The Vice-President of India)

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने **17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख** की घोषणा कर दी है। यह चुनाव भारत की राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **कार्यकाल और रिक्ति:**
    - **अनुच्छेद 67** के अनुसार, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल **पांच वर्ष** का होता है।
    - **अनुच्छेद 68(2)** के अनुसार, पद रिक्त होने पर **जल्द से जल्द चुनाव कराना** अनिवार्य है।

- **निर्वाचक मंडल:** इसमें **लोक सभा और राज्य सभा दोनों के सदस्य** (निर्वाचित और मनोनीत) शामिल होते हैं।
  - वर्तमान में, दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या **782** है।
- **मतदान प्रणाली: अनुच्छेद 66(1)** के तहत, चुनाव **एकल संक्रमणीय मत** के माध्यम से **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और गुप्त मतदान** द्वारा होता है।
- **प्राधिकार: अनुच्छेद 324 तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952** के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए **ECI** चुनाव का संचालन करता है।

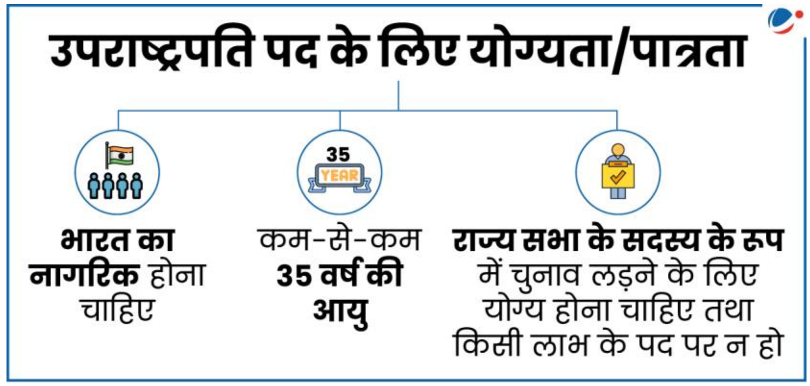

उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया

- **नामांकन:** उम्मीदवार को **20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक** की आवश्यकता होती है। **15,000 रुपये जमानत राशि** के रूप में जमा कराना अनिवार्य है।
- **मतदान:** मतदान **संसद भवन** में होता है और इसके लिए **ECI द्वारा प्रदान किए गए विशेष पेन** का उपयोग किया जाता है। **पहली वरीयता का वोट** देना अनिवार्य है।
- **पर्यवेक्षण:** ECI **रिटर्निंग ऑफिसर (राज्य सभा का महासचिव)** और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है।

चुनाव में पालन किए जाने वाले प्रमुख सुरक्षा उपाय

- **पार्टी व्हिप की अनुमति नहीं** होती है।
- **गोपनीयता का उल्लंघन या अनधिकृत पेन का उपयोग** करने पर वोट अमान्य हो जाता है।
- **राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत घूसखोरी या अनुचित प्रभाव** का उपयोग करने पर चुनाव को चुनौती दी जा सकती है।

1.5.4. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation: NCDC)

कैबिनेट ने **केंद्रीय क्षेत्रक** की **"राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को अनुदान सहायता"** योजना को मंजूरी दी।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) योजना को सहायता अनुदान के बारे में:

- इस योजना का परिव्यय **2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपये** निर्धारित किया गया है। यह राशि **500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष** के अनुसार भारत सरकार के बजटीय समर्थन से प्राप्त होगी।
- NCDC इस योजना के लिए **कार्यान्वयन एजेंसी,** जिसका उद्देश्य ऋण वितरण, परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी और ऋण की वसूली करना है।
- **प्रदान किए जाने वाले ऋण में निम्नलिखित शामिल होंगे:**
  - विविध क्षेत्रकों में परियोजना संबंधी सुविधाओं की स्थापना, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं विस्तार के लिए **दीर्घकालिक ऋण।**
  - सहकारी समितियों को अपना व्यवसाय कुशलतापूर्वक और लाभप्रद रूप से चलाने में सक्षम बनाने के लिए **कार्यशील पूंजी।**
  - वे संविधान के **अनुच्छेद 275 (सांविधिक अनुदान)** और **अनुच्छेद 282 (विवेकाधीन अनुदान)** के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित होते हैं।

निष्कर्ष

यह योजना आधुनिकीकरण और नए परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराती है, जिससे करोड़ों किसानों को लाभ मिलता है। यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करती है, व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन करती है और भारत के महत्वपूर्ण सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाती है।

नोट: *भारत में सहकारिता के बारे में और अधिक जानकारी के लिए जुलाई, 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 1.3. देखें।*

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था (Fair and Representative Global Order)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के विदेश मंत्री ने **प्रथम बिम्सटेक (BIMSTEC) पारंपरिक संगीत समारोह** में निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था का आह्वान किया।

वैश्विक व्यवस्था निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण क्यों नहीं है?

- **वैश्विक संस्थाओं में असमान प्रतिनिधित्व:** उदाहरण के लिए- P5 देश (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में **स्थायी सदस्यता एवं वीटो अधिकार** प्राप्त हैं। इससे वे UNSC के निर्णयों में असामान्य रूप से अधिक प्रभाव डालते हैं और अस्थायी सदस्यों को दरकिनार कर देते हैं।
- **ग्लोबल साउथ का हाशिये पर होना:** ग्लोबल नॉर्थ (औद्योगिक देशों) के पास IMF में ग्लोबल साउथ (विकासशील या अल्प विकसित देशों) की तुलना में 9 गुना अधिक मतदान शक्ति है।
    - **उदाहरण के लिए:** संयुक्त राज्य अमेरिका के पास IMF बोर्ड में **16.49%** मतदान शक्ति है, जबकि यह केवल **4.22%** वैश्विक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।
- **अप्रभावी बहुपक्षवाद:** शक्तिशाली राष्ट्र बहुपक्षीय मंचों की उपेक्षा करते हैं, जिससे वास्तविक वैश्विक सहयोग कमजोर होता है। परिणामस्वरूप, वैश्विक प्रतिक्रियाएं विभाजित और स्वार्थ-संचालित हो जाती हैं।
    - **उदाहरण के लिए:** संयुक्त राज्य अमेरिका **पेरिस जलवायु समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से आधिकारिक रूप से बाहर** निकलने वाला है।

शब्दावली को जानें

- **वैश्विक व्यवस्था अथवा विश्व व्यवस्था:** इसका आशय उस शक्ति-संतुलन और अधिकार-तंत्र से है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति तथा विश्व राजनीति के संचालन हेतु आधारभूत ढांचा प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में **'व्यवस्था'** को एक ऐसी संस्थागत प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसके माध्यम से राष्ट्र अपने आपसी संबंधों और हितों का समन्वय एवं संचालन करते हैं।

- **भू-राजनीतिक शक्ति के उपकरण के रूप में व्यापार:** उदाहरण के लिए- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाना, यूरोपीय संघ का कार्बन टैक्स आदि व्यापार संबंधों में असमानता को उजागर करते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन की असमानताएं:** संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे औद्योगिक देश, कुल ऐतिहासिक उत्सर्जन में लगभग 20% का योगदान करते हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम ज्यादातर ग्लोबल साउथ के देशों को झेलने पड़ते हैं।
    - **उदाहरण के लिए:** 2024 में फिलीपींस को भयंकर हीट वेव का सामना करना पड़ा था, जिससे वहां सूखा और गर्मी से संबंधित मौतें हुई थीं।
- **प्रौद्योगिकी और ज्ञान का विभाजन:** उदाहरण के लिए- प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 के अनुसार, दुनिया की 100 कंपनियां, जिनमें से ज्यादातर अमेरिका व चीन की हैं, वैश्विक निजी अनुसंधान और विकास (R&D) निवेश में 40% का योगदान करती हैं। यह तकनीकी शक्ति के बड़े स्तर पर केंद्रीकरण को दर्शाता है।

निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के लिए आगे की राह

- **बहुपक्षीय सुधार:** उदाहरण के लिए- **G4 (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान) के सदस्य देश** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं।
- **बहुपक्षवाद का विऔपनिवेशीकरण (Decolonising Multilateralism):** "वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट" जैसी पहलें दिखाती हैं कि भारत एक अधिक न्यायसंगत और समान विश्व व्यवस्था का नेतृत्व कर सकता है।
- **रियो डी जेनेरियो घोषणा का क्रियान्वयन:** 17वें ब्रिक्स समिट में स्वीकृत इस घोषणा में समावेशी AI गवर्नेंस और IMF कोटा में बदलाव की बात की गई है, ताकि वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं एवं राष्ट्रीय हितों को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके।
- **डिजिटल और तकनीकी अंतराल को समाप्त करना:** ओपन-सोर्स और सभी को शामिल करने वाले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना चाहिए।
    - **उदाहरण के लिए:** भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल को ग्लोबल साउथ के लिए एक आदर्श रूपरेखा माना गया है।

* **जलवायु न्याय: साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व** (CBDR)[7] जैसे फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना चाहिए और उन्हें मौजूदा आर्थिक एवं जलवायु चुनौतियों के हिसाब से अपडेट करना चाहिए।

निष्कर्ष

एक निष्पक्ष वैश्विक व्यवस्था के लिए समावेशी संस्थाओं, न्यायसंगत वित्तीय प्रणाली और उत्तर-दक्षिण (North–South) के बीच संतुलित सहयोग की जरूरत है। भारत जैसे उभरते देश इन अंतरालों को खत्म करके एक न्यायपूर्ण और प्रभावी विश्व व्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

विश्व व्यवस्था के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #90

विश्व व्यवस्था: उदय और संभावित पतन

2.2. हिंद महासागर में भारत की रणनीति (India's Strategy in Indian Ocean)

सुर्ख़ियों में क्यों?

IOR में भारत की रणनीति पर विदेश मामलों की संसदीय समिति ने रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक है- **'भारत की हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) रणनीति का मूल्यांकन।'** इस रिपोर्ट को हाल ही में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) का महत्व

* **भू-सामरिक (Geostrategic) महत्व:**
  * **भारत:** हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में इसकी 11,098.81 कि.मी. की लंबी समुद्री तटरेखा है, जिसमें लगभग 1,300 द्वीप और 24 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) है।
  * **वैश्विक:** यह विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा** महासागर है। इसमें **35 तटीय देश** हैं और यहां विश्व की **एक-तिहाई जनसंख्या** निवास करती है।
* **आर्थिक महत्व:**
  * **भारत:** मात्रा के हिसाब से भारत का **90% व्यापार** और अधिकांश **तेल आयात** IOR के रास्ते होता है।
  * **वैश्विक:** विश्व का **50% कंटेनर ट्रैफिक, 1/3 बल्क कार्गो और 2/3 तेल की आपूर्ति** IOR से होकर गुजरता/ गुजरती है।

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की रणनीति

* **रणनीतिक साझेदारियां:** IOR में भारत की नीति **"पड़ोसी पहले (Neighbourhood First)"** और **SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास)** सिद्धांत से प्रेरित रही है।
  * मार्च 2025 में भारत ने **MAHASAGAR (क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) सिद्धांत** पेश किया था, जो SAGAR सिद्धांत का ही विस्तृत रूप है।

महासागर (MAHASAGAR) विजन का ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं पर है

मैरीटाइम लीडरशिप	समुद्री क्षमताएं	ग्लोबल साउथ	समुद्री क्षेत्र में प्रभावशीलता	समुद्री सुरक्षा व्यवस्था
हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में निवल सुरक्षा प्रदाता और प्रथम मददगार के रूप में भारत के नेतृत्व को बढ़ावा देना।	भारत की संलग्नता और अन्य गतिविधियों के दायरे का विस्तार करना।	हिंद महासागर क्षेत्र से परे ग्लोबल साउथ के देशों के साथ समुद्री सुरक्षा संबंधों को मज़बूत करना।	संयुक्त प्रशिक्षण, सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से प्रभावशीलता को बढ़ाना।	प्रतिक्रियाशील और मजबूत समुद्री सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करना।

[7] Common but Differentiated Responsibilities

- **समग्र सुरक्षा प्रदाता:** भारत ने स्वयं को हिंद महासागर क्षेत्र में समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित किया है।
    - भारत सक्रिय रूप से **समुद्री डकैती विरोधी अभियानों** में हिस्सा लेता है। यह अन्य देशों के साथ मिलकर **IUU (अवैध, असूचित और अविनियमित) मत्स्यन, समुद्री आतंकवाद तथा समुद्री अपराध** से निपटता है।
    - भारत **संयुक्त EEZ निगरानी अभ्यास** करता है और जानकारी साझा करने के लिए **सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR)** का उपयोग करता है।
- **तटीय देशों के साथ जुड़ाव:** भारत ने **मॉरीशस, मालदीव, श्रीलंका और सेशेल्स** जैसे हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा दिया है।
    - **इन साझेदारियों के मुख्य स्तंभ हैं:** विकासात्मक सहायता, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, आपदा राहत व मानवीय सहायता (HADR), रक्षा व समुद्री सुरक्षा सहयोग आदि।
- **क्षेत्रीय नेतृत्व:** भारत IOR के **बहुपक्षीय मंचों में अहम भूमिका निभाता** है, जैसे- इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन कमीशन आदि।
- **अवसंरचना और कनेक्टिविटी:** भारत IOR में बंदरगाहों के विकास में निवेश कर रहा है, जैसे **ईरान में चाबहार पोर्ट तथा श्रीलंका, मॉरीशस और सेशेल्स में विभिन्न अवसंरचना परियोजनाएं** आदि। इसका उद्देश्य समुद्री संपर्क एवं रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करना है।
    - **सागरमाला 2.0:** यह भारत की प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य पोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर करना, आंतरिक जलमार्गों का विकास करना और औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। इससे भारत की समुद्री प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत किया जा सकेगा।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत:** भारत एक भरोसेमंद **'प्रथम सहायता प्रदाता'** की भूमिका निभाता है।
    - **उदाहरण के लिए: टाइफून यागी** से आई बाढ़ के बाद भारत ने **ऑपरेशन "सद्भाव"** चलाया था तथा **म्यांमार, लाओस और वियतनाम** को राहत सामग्री एवं चिकित्सीय सहायता पहुंचाई थी।

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच

- **इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA):** यह **23 सदस्यीय** क्षेत्रीय संगठन है। भारत इसका **संस्थापक सदस्य** है। इसका उद्देश्य **आर्थिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा और पर्यावरणीय सुरक्षा को मजबूत** करना है।
- **हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS):** भारत ने इसे **2008** में शुरू किया था। इसका लक्ष्य तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना है।
- **इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI):** भारत ने **2019** में इसकी घोषणा की थी। यह एक **खुला और गैर-संधि** आधारित वैश्विक मंच है, जिसका उद्देश्य **समुद्री क्षेत्र का प्रबंधन, संरक्षण, स्थायित्व और सुरक्षा** सुनिश्चित करना है।
- **क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD):** यह मंच समुद्री सुरक्षा, आपदा के समय मदद (HADR), पर्यावरण संरक्षण, कनेक्टिविटी, रणनीतिक तकनीक, आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण एवं मजबूती तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम करता है।
- **बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक/ BIMSTEC):** भारत इसमें **सुरक्षा स्तंभ** का नेतृत्व करता है। इसमें **आतंकवाद-रोधी प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा सुरक्षा** जैसे विषय शामिल हैं।
- **इंडियन ओशन कमीशन (IOC):** यह एक छोटा संगठन है, जो **आर्थिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों और समुद्री सुरक्षा** पर केंद्रित है। भारत इसमें एक **प्रेक्षक सदस्य** (Observer State) है।

भारतीय रणनीति के समक्ष मौजूद चुनौतियां और खतरे

- **भू-राजनीतिक :** हिंद महासागर क्षेत्र में **बाहरी देशों की बढ़ती उपस्थिति।** ये देश बंदरगाहों और अवसंरचना में निवेश करके अपना रणनीतिक प्रभाव बढ़ा रहे हैं। जैसे- श्रीलंका और मालदीव में चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा। इससे हमारे सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
    - **लघु द्वीपीय देश अलग-अलग शक्तियों के साथ संतुलनकारी संबंध स्थापित** करने की कोशिश करते हैं। इससे भारत के लिए उनके साथ लगातार आर्थिक और सुरक्षा सहयोग बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **समुद्री सुरक्षा:** इस क्षेत्र को समुद्री डकैती, आतंकवाद, IUU मत्स्यन, ड्रग्स तस्करी और स्मगलिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **अवसंरचना और कनेक्टिविटी की कमी:** IOR के कई देश, जिनमें भारत के प्रमुख साझेदार जैसे **श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स** भी शामिल हैं, अवसंरचना एवं वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं।

आगे की राह

- **अनुकूलित रणनीतिक सहभागिता योजना:** भारत को सभी 35 तटीय देशों को शामिल करते हुए एक व्यापक और मजबूत रणनीतिक सहभागिता योजना तैयार करनी चाहिए। इसमें मुख्य फोकस **समुद्री सुरक्षा, जलवायु लचीलापन, अवसंरचना विकास, रक्षा सहयोग** आदि पर होना चाहिए।
- **रणनीतिक क्रियान्वयन को संस्थागत बनाना:** सभी प्रमुख मंत्रालयों को शामिल करते हुए एक समर्पित **अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स** का गठन किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य मौजूदा संस्थागत बाधाओं को दूर करना, निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना और क्षेत्र में भारत के हितों का तेजी से एवं बेहतर तालमेल से क्रियान्वयन करना होना चाहिए।
- **हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत रणनीतियों का एकीकरण:** हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत नीतियों को एकीकृत करते हुए एक **एकीकृत एवं सुसंगत समुद्री रणनीति** विकसित करनी चाहिए। साथ ही क्वाड, IORA और आसियान जैसे प्रमुख बहुपक्षीय मंचों के जरिए सहयोग को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **ग्रीन 'महासागर/ MAHASAGAR' पहल:** भारत की क्षेत्रीय रणनीति में **पर्यावरणीय संधारणीयता** को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें **समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र की सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, आपदा प्रबंधन और ब्लू इकॉनमी** को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाना चाहिए।
- **समुद्री रणनीति को मजबूत बनाना:** भारत की समुद्री शक्ति को उन्नत तकनीकों के जरिए बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे- **उपग्रह निगरानी और AI संचालित समुद्री क्षेत्र जागरूकता** आदि।
- **भारतीय नौसेना की भूमिका:** बेड़े की तैयारी, कर्मियों के प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स सहायता में सुधार करके और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत स्वदेशी विकास को प्राथमिकता देकर **नौसेना बलों के आधुनिकीकरण में तेजी** लानी चाहिए।
- **भारत की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना:** सांस्कृतिक केंद्र, कला प्रदर्शन और विरासत को बढ़ावा देने जैसी पहलों को शुरू करने के लिए **भारतीय मिशनों का वित्त-पोषण बढ़ाना** चाहिए।

निष्कर्ष

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की नीति सुरक्षा बनाए रखने, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और राजनीतिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अधिक समृद्धि को बढ़ावा देना तथा संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) के आधार पर हिंद महासागर को एक मुक्त, खुला और समावेशी स्थान बनाना है।

2.3. दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) की केंद्रीयता {Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Centrality}

सुर्ख़ियों में क्यों?

आसियान (ASEAN) की केंद्रीयता की अवधारणा वास्तव में महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, व्यापारिक तनाव और बदलती वैश्विक व्यवस्था के कारण संकट में है। इससे निपटने के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक सुधारों और मजबूत साझेदारियों की आवश्यकता है।

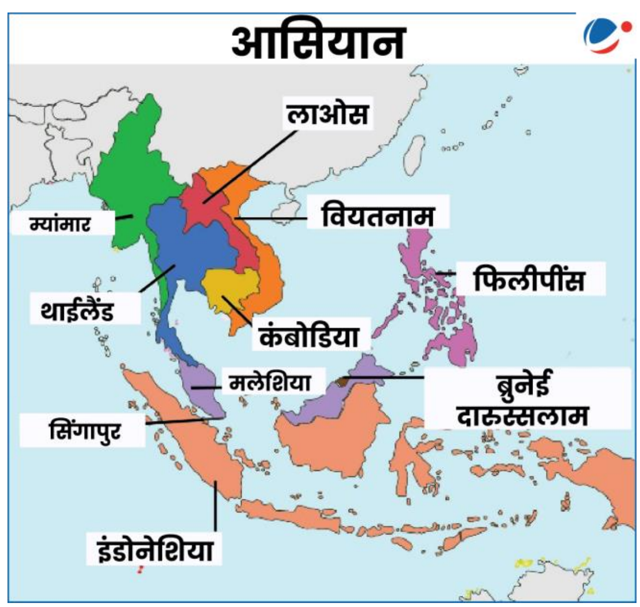

आसियान के बारे में

- **स्थापना:** आसियान की स्थापना **1967 में आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा-पत्र) पर हस्ताक्षर** के साथ हुई थी।
- **उद्देश्य:** क्षेत्रीय आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में तेजी लाना; शांति, स्थिरता और कानून के शासन को बढ़ावा देना; शिक्षा, व्यापार, कृषि व उद्योग में सहयोग को प्रोत्साहित करना आदि।
- **सचिवालय:** जकार्ता (इंडोनेशिया)।
- **सदस्य देश:** 10 देश (मानचित्र देखिए)।
    - **इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड** इसके संस्थापक सदस्य हैं।
- **आसियान शिखर सम्मेलन: आसियान शिखर सम्मेलन:** यह आसियान में **सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय** है। इसमें आसियान सदस्य देशों के **राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष** शामिल होते हैं।
- **आसियान चार्टर का अनुच्छेद 1.15:** यह इस बात पर जोर देता है कि समूह का प्राथमिक लक्ष्य बाहरी भागीदारों के साथ अपने संबंधों और सहयोग के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति के रूप में आसियान की केंद्रीय एवं सक्रिय भूमिका को बनाए रखना है।

क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता की प्रासंगिकता

- **सुरक्षा व स्थिरता: आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF)[8] और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (ADMM-Plus)[9]** जैसे मंचों के माध्यम से, आसियान संगठन के सदस्य देशों और बाहरी शक्तियों को रक्षा, समुद्री एवं सुरक्षा संवाद के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **आर्थिक एकीकरण: क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP)[10]** आसियान की अगुवाई में शुरू हुई है। इस साझेदारी ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया है।
- **मानक-स्थापना:** जैसे-**मित्रता और सहयोग संधि** (TAC)[11], जो मूल रूप से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए थी, अब एक बड़ी क्षेत्रीय व्यवस्था बन गई है। **चीन, अमेरिका और रूस** जैसी महाशक्तियां भी इसकी हस्ताक्षरकर्ता हैं।

आसियान की केंद्रीयता के समक्ष चुनौतियां

- **महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता:** अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा से आसियान के हाशिए पर जाने और क्षेत्रीय एकता के कमजोर होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है (जैसे- चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाम अमेरिका के नेतृत्व वाली हिंद-प्रशांत रणनीति)।
- **अमेरिकी टैरिफ:** ये टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को अस्थिर कर रहे हैं। स्थिर व्यापार-व्यवस्था आसियान की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **क्षेत्रीय मंचों तथा उनके अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव:** QUAD और AUKUS (ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम व संयुक्त राज्य अमेरिका) जैसे नए लघु समूह आसियान के नेतृत्व वाले सुरक्षा तंत्रों (जैसे- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ADMM–प्लस आदि) को चुनौती देते हैं।
- **आंतरिक मतभेद:** उदाहरण के लिए- जहां एक ओर **वियतनाम आसियान के सदस्यों पर चीन का सामना करने के लिए दबाव** डाल रहा है, वहीं दूसरी ओर **कंबोडिया और लाओस** जैसे देश अवसंरचना विकास के लिए **चीन के ऋण पर तेजी से निर्भर** होते जा रहे हैं।
- **विश्वसनीयता का संकट:** म्यांमार संकट पर आसियान अपनी **"पांच-सूत्रीय सहमति"** को लागू करने में विफल रहा है। इससे बाहरी शक्तियों को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला है।
- **कमजोर संस्थागत क्षमता:** आसियान सचिवालय के सीमित संसाधन महत्वाकांक्षी पहलों को लागू करने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

आसियान की केंद्रीयता को मजबूत करने के लिए आगे की राह

- **आसियान को अपग्रेड करना: आसियान का कम्युनिटी विज़न 2045, आसियान राजनीतिक-सुरक्षा समुदाय की रणनीतिक योजना, तथा आसियान आर्थिक समुदाय (AEC)[12] की रणनीतिक योजना (2026-2030)** इस दिशा में सही कदम हैं।
- **समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ सहयोग:** उदाहरण के लिए- यूरोपीय संघ (EU) आसियान और इसके अधिकतर सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार समझौते चाहता है तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।
- **औपचारिक परामर्श तंत्र को बढ़ाना:** जैसे कि QUAD के साथ साझा चिंताओं पर संयुक्त पहलों का प्रस्ताव करना चाहिए, और लघु समूह वाली व्यवस्थाओं को आसियान के नेतृत्व वाली प्रक्रियाओं से जोड़ने के उपाय तलाशने चाहिए।
- **भारत के साथ घनिष्ठ साझेदारी:** क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, आर्थिक विविधीकरण को बढ़ाने और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रोत्साहित करने में भारत एवं आसियान के साझा हित हैं।

आसियान की केंद्रीयता में बदलाव से भारत कैसे निपट सकता है?

- **प्रयासों में समन्वय:** विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और ब्लू इकोनॉमी के अवसरों के मामले में भारत की **इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) को आसियान के हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण** (AOIP)[13] के साथ साझा हितों पर आगे बढ़ाना चाहिए।
- **समन्वय के क्षेत्रों की खोज:** इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA), बिम्सटेक (BIMSTEC), इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल (IMT-GT) जैसी उप-क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए।
- **आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA)[14] की समीक्षा में तेजी:** इसे और अधिक प्रभावी, उपयोगकर्ता-अनुकूल, सरल एवं व्यवसायों के लिए व्यापार-अनुकूल बनाना चाहिए।

---

[8] ASEAN Regional Forum

[9] ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus

[10] Regional Comprehensive Economic Partnership

[11] Treaty of Amity and Cooperation

[12] ASEAN Economic Community

[13] ASEAN Outlook on Indo-Pacific

[14] ASEAN-India Trade in Goods Agreement

- **आसियान-भारत पर्यटन सहयोग कार्य योजना 2023-2027 का क्रियान्वयन:** संयुक्त कार्यक्रमों के लिए मजबूत सहयोग पर विचार करना चाहिए, जिसमें पर्यटन शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान शामिल हों, ताकि क्षमता का निर्माण हो सके।

निष्कर्ष

आसियान दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रमुख संगठन बनकर उभरा है। भविष्य में मुख्य दृष्टिकोण दक्षिण-पूर्व एशिया के विकास और प्रगति में इसकी केंद्रीयता को पुनः बहाल करने का होना चाहिए। इसके साथ ही सदस्य देशों की यह प्रतिबद्धता भी आवश्यक है कि वे बाहरी शक्तियों की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रभावित हुए बिना क्षेत्रीय सहयोग और संतुलन को बनाए रखें।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION

wwww.visionias.in

8468022022, 9019066066

VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए

करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है।

PT365 की विशेषताएं

व्यापक कवरेज
- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे– राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी
- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट

QR आधारित स्मार्ट क्विज
- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स
- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझाने के लिए अलग–अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

सरकारी योजनाएं और नीतियां
- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।

नया क्या है?
- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

PT 365 का महत्त्व

रिविजन में आसानी: कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।

वैल्यू एडिशन: इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्खियाँ शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्प मटेरियल: आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।

इंटीग्रेटेड एप्रोच: UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।

और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

2.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.4.1. भारत-फिलीपींस रणनीतिक साझेदारी (India-Philippines Strategic Partnership)

भारत और फिलीपींस ने **रणनीतिक साझेदारी कार्य योजना (2025-29)** पर हस्ताक्षर किए।

अन्य संबंधित तथ्य

भारत और फिलीपींस ने **राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष (1949 में स्थापित) पूरे होने** पर अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। साथ ही, भारत ने अपनी लुक ईस्ट नीति (1992) और एक्ट ईस्ट नीति (2014) को और मजबूत किया है।

भारत-फिलीपींस संबंधों का अवलोकन

- **द्विपक्षीय व्यापार:** वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 3.05 अरब डॉलर से अधिक हो गया
- **पीपल-टू-पीपल संबंध:** प्रवासी (फिलीपींस में लगभग 1.2 लाख भारतीय रहते हैं)
- **बहुपक्षीय मंच:** क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग से संबंधित अनेक पहल में भागीदारी
- **साइबर सुरक्षा और आतंकवाद का विरोध:** अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के विरुद्ध सहयोग
- **समुद्री सहयोग:** समुद्री क्षेत्र में जागरूकता पर आपसी ध्यान
- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा:** उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देने वाला सहयोग कार्यक्रम
- **नीली अर्थव्यवस्था:** महासागर-आधारित संधारणीय उद्योगों पर विशेष ध्यान, जैसे कि झींगा

भारत-फिलीपींस संबंध के प्रमुख आयाम

- **रक्षा सहयोग:** फिलीपींस **ब्रह्मोस मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार देश है।**
  - भारत का हथियार निर्यात बढ़ते विश्वास और रक्षा सहयोग का उदाहरण है, जैसे फ़िलिपींस के साथ **375 मिलियन डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल समझौता।**
- **चीन के आक्रामक रुख से निपटना:** दक्षिण चीन सागर में **चीन की बढ़ती उपस्थिति** फ़िलिपींस की संप्रभुता और भारत के समुद्री व्यापार मार्गों दोनों के लिए खतरा है, जिससे दोनों **देशों के बीच सहयोग और मजबूत हो रहा** है।
  - 2016 के आर्बिट्रेशन के फैसले ने **दक्षिण चीन सागर** में फिलीपींस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की पुष्टि की थी और **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS)** के तहत चीन के "ऐतिहासिक अधिकारों" के दावे को खारिज कर दिया था।
  - भारत दक्षिण चीन सागर (SCS) क्षेत्र में **नियम-आधारित व्यवस्था** और **आवागमन की स्वतंत्रता** की मांग करता है।
- **इंडो-पेसिफिक विज़न:** भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक संपर्क में फिलीपीन्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष

भारत-फ़िलिपींस संबंध **साइबर, आर्थिक, समुद्री और रक्षा सहयोग** के माध्यम से और अधिक रणनीतिक रूप से गहरे हो रहे हैं। यह साझेदारी एक **नियम-आधारित हिंद-प्रशांत** को बढ़ावा देती है और भारत की **एक्ट ईस्ट नीति** को मज़बूती प्रदान करती है। साथ मिलकर काम करने से दोनों देश इस क्षेत्र में **साझा समृद्धि, स्थिरता और सुरक्षा** सुनिश्चित कर सकते हैं।

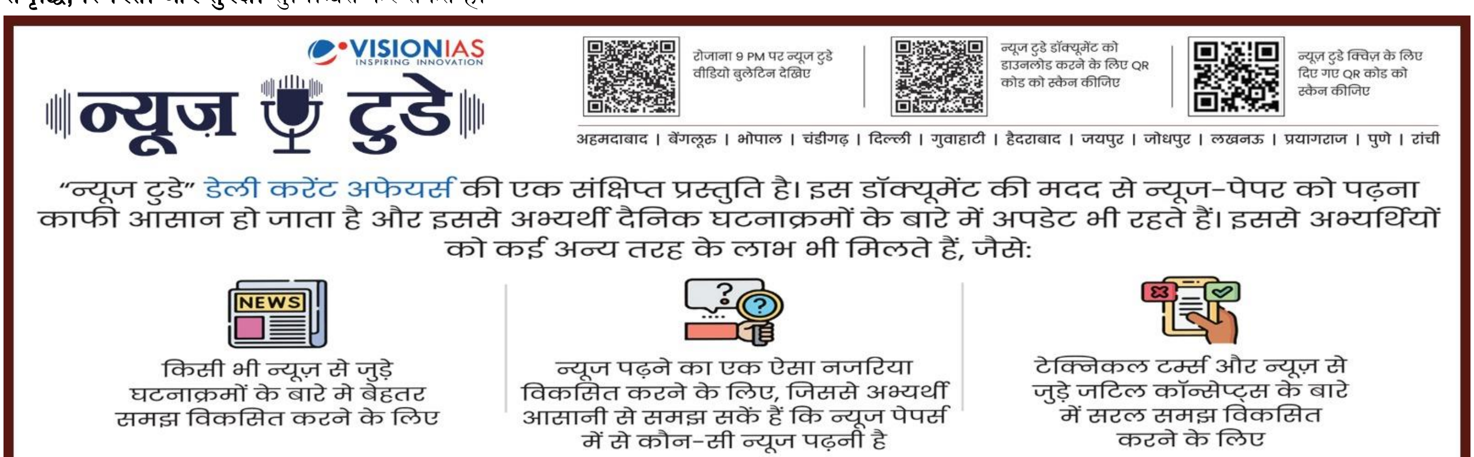

2.4.2. संयुक्त राष्ट्र-भारत वैश्विक क्षमता निर्माण पहल (Un-India Global Capacity-Building Initiative)

भारत ने **एशिया, अफ्रीका और कैरेबियाई देशों** के लिए वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के अंतर्गत **संयुक्त राष्ट्र के साथ परियोजनाएं** शुरू की।

वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के बारे में

- **उत्पत्ति:** भारत और संयुक्त राष्ट्र ने इसे संयुक्त रूप से सितंबर 2023 में शुरू किया था।
- **उद्देश्य: सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** पर प्रगति में तेजी लाने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ **भारत के विकास अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा** करना।
- इसे नए **संयुक्त राष्ट्र-भारत SDG देश कोष (UN India SDG Country Fund)** के साथ-साथ **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ITEC)** के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

2.4.3. यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (Eurasian Economic Union: EAEU)

भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) ने व्यापार समझौते के लिए विचारार्थ विषयों (Terms of Reference) पर हस्ताक्षर किए। विचारार्थ विषयों पर हस्ताक्षर होने का अर्थ है कि अब **मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर औपचारिक वार्ता** शुरू हो गई है। इसका उद्देश्य भारत और यूरेशियाई देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले **व्यापारिक सहयोग के लिए एक दीर्घकालिक रूपरेखा** तैयार करना है।

EAEU के साथ FTA के संभावित लाभ

- **आर्थिक लाभ**
  - इससे छुपी हुई व्यापारिक संभावनाएं उजागर होंगी, निवेश बढ़ेगा और भारत व EAEU के बीच मजबूत एवं सतत आर्थिक साझेदारी बनेगी।
    - दोनों के बीच **2024 में 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार** हुआ था। यह 2023 की तुलना में **7% अधिक** है।
  - **बाजार तक पहुंच:** इससे **भारतीय निर्यातकों** को नए अवसर मिलेंगे, खासकर तब जब **अमेरिका आयात पर अधिक प्रशुल्क लगा** रहा है। यह भारत को **नए क्षेत्रकों और नए देशों में विस्तार करने में मदद** करेगा।
  - **प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि:** यह समझौता भारत की स्थिति को **गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं** के मुकाबले मजबूत करेगा।
    - इससे **भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)** को विशेष रूप से लाभ होगा।
  - **ऊर्जा साझेदारी:** EAEU के पास **प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा स्रोत** उपलब्ध है, जो भारत की आर्थिक संवृद्धि के लिए बहुत जरूरी हैं।
    - उदाहरण के लिए- वर्तमान में **भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 35-40% हिस्सा अकेले रूस** पूरा कर रहा है।
  - **रणनीतिक लाभ: रूस और उसके सहयोगी देशों के साथ मजबूत संबंधों** से भारत की **"मल्टी-अलाइन्मेंट"** की नीति और भी मजबूत होगी।
    - **मल्टी-अलाइन्मेंट नीति:** विविध देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की नीति।

यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के बारे में

- **परिचय:** यह एक **अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है, जिसे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और एकीकरण के लिए स्थापित किया गया है।
- **स्थापना:** इसे **2014 में "यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रीटी"** के माध्यम से स्थापित किया गया था।
- **लाभ:** यह सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रमिकों आदि के स्वतंत्र आवागमन की सुविधा प्रदान करता है।

2.4.4. इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज़ (INF) संधि {Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty}

रूस ने आधिकारिक तौर पर 1987 की इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज़ (INF) संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त की। रूस ने इसके पीछे **अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाइयों** का हवाला दिया है। इन कार्रवाइयों में **रूसी तटों के करीब दो परमाणु पनडुब्बियों** को तैनात करने का अमेरिकी आदेश और **फिलीपींस में टाइफून मिसाइल प्रणाली** की तैनाती शामिल है।

इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज़ (INF) संधि के बारे में

- यह संधि **1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ** के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। इस संधि के तहत **500-5,500 किमी की रेंज की सभी जमीन से प्रक्षेपित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करना आवश्यक था।**
- यह **परमाणु शस्त्रागार को कम** करने, हथियारों की एक पूरी श्रेणी को हटाने तथा सत्यापन के लिए साइट पर निरीक्षण की अनुमति देने वाला पहला बड़ा समझौता था।
- **2019 में अमेरिका के इस संधि से हटने के बाद** यह पहले ही कमजोर हो गई थी।

परमाणु हथियार नियंत्रण पर प्रभाव

- **शस्त्र नियंत्रण फ्रेमवर्क्स का खंडित होना:** देशों के बीच विश्वास कमजोर हुआ है, जिससे भविष्य में परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयास कठिन हो जाएंगे।
- **परमाणु निरस्त्रीकरण पर नकारात्मक प्रभाव:** प्रमुख शक्तियां परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण में तेजी ला रही हैं, जबकि परमाणु हथियार विहीन देश अपनी **परमाणु अप्रसार प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार** कर रहे हैं। इससे **वैश्विक अस्थिरता बढ़** रही है।
- **शीत युद्ध की राजनीति की वापसी:** संधि के प्रभावहीन होने से शीत युद्ध युग के यूरोपीय मिसाइल संकट के फिर से उभरने की आशंका उत्पन्न हो गई है।
- **सुरक्षा संबंधी जोखिम में वृद्धि:** इस तरह की मिसाइलें बहुत तेजी से लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं, जिससे प्रक्षेपण संबंधी भ्रामक अलर्ट के कारण वैश्विक परमाणु संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है।

परमाणु हथियार नियंत्रण से संबंधित प्रमुख समझौते

- **परमाणु अप्रसार संधि (NPT):** यह संधि **1970** में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और इनसे संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है।
- **स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन्स ट्रीटी (SORT):** यह **2002** में संपन्न अमेरिका-रूस का द्विपक्षीय समझौता है, जो सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करता है।
- **न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (New START/ न्यू स्टार्ट):** यह अमेरिका और रूस के बीच **2010** का द्विपक्षीय समझौता है, जो सामरिक हथियारों की संख्या को सीमित करता है।
- **परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW):** इसे **2017** में संयुक्त राष्ट्र में अपनाया गया था और यह किसी भी परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाती है।

2.4.5. संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता से आर्मेनिया-अज़रबैजान शांति समझौता संपन्न हुआ (Armenia-Azerbaijan Peace Agreement Brokered by The United States)

इस समझौते का उद्देश्य **दक्षिण काकेशस क्षेत्र के दो देशों के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त** करना है।

इस समझौते के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **संघर्ष की समाप्ति:** दोनों देशों ने सशस्त्र संघर्ष खत्म करने और राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमति जताई।
- **ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी" (TRIPP) मार्ग:** आर्मेनियाई क्षेत्र से होकर अज़रबैजान को उसके एक्स्क्लेव **नखचिवन** से जोड़ने वाला **नया ट्रांजिट मार्ग** बनाया जाएगा।
  - इस मार्ग के विकास का **अनन्य अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका** के पास होगा।
- **अमेरिकी सहयोग समझौते:** दोनों देशों ने **ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था में सहयोग** बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अलग-अलग समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए।

संघर्ष की पृष्ठभूमि

आर्मेनिया-अज़रबैजान संघर्ष मुख्य रूप से **नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र** को लेकर है। यह क्षेत्र अज़रबैजान में **मुख्य रूप से नृजातीय आर्मेनियाई लोगों की आबादी वाला** एक पहाड़ी क्षेत्र है।

- **1980 का दशक:** आर्मेनिया के समर्थन से नागोर्नो-काराबाख अज़रबैजान से अलग हो गया।
- **1991:** दोनों देशों को सोवियत संघ से स्वतंत्रता मिली, लेकिन विवाद जारी रहा।
- **2023:** अज़रबैजान ने पूरे क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसके कारण लगभग **100,000 आर्मेनियाई लोग** आर्मेनिया पलायन कर गए।

भारत के हित

भारत इस शांति समझौते का समर्थन करता है और इसे वार्ता और कूटनीति के लिए एक **"महत्वपूर्ण उपलब्धि"** मानता है। यह समझौता भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि:

- **आर्मेनिया** इस क्षेत्र का एकमात्र देश है, जिसके साथ भारत की **मैत्री और सहयोग संधि (1995 में हस्ताक्षरित) है।**
- **अज़रबैजान** भारत को मध्य एशिया के माध्यम से रूस से जोड़ने वाले **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा** मार्ग पर स्थित है।

2.4.6. अलास्का शिखर सम्मेलन (Alaska Summit)

संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति ने रूस-यूक्रेन के बीच **युद्ध-विराम** की संभावनाओं पर विचार करने के लिए **अलास्का में बैठक** की।

- **अलास्का के बारे में:**
  - अलास्का **संयुक्त राज्य अमेरिका** का **भौगोलिक रूप से असंबद्ध (non-contiguous) राज्य** है। यह **उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी सिरे पर** अवस्थित है ।
  - **अलास्का संधि 1867** के तहत इसे **संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से खरीदा** था।
  - **समुद्री सीमाएं**: इसके उत्तर में **ब्यूफोर्ट सागर** और **आर्कटिक महासागर**, दक्षिण में **अलास्का की खाड़ी** और **प्रशांत महासागर**, पश्चिम में **बेरिंग सागर**, उत्तर-पश्चिम में **चुकची सागर** हैं।
- **नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरेलिस** अलास्का के अधिकांश हिस्सों से दिखाई देती हैं।
- लगभग एक-तिहाई अलास्का राज्य **आर्कटिक सर्कल के भीतर** स्थित है और लगभग **85% अलास्का परमाफ़्रॉस्ट से ढका** हुआ है।

2.4.7. एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (Asia-Pacific Institute For Broadcasting Development: AIBD)

भारत को **AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष** चुना गया। यह निर्णय थाईलैंड में आयोजित 23वें AIBD-महा-सम्मेलन में लिया गया।

एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (AIBD) के बारे में

- **स्थापना:** AIBD की स्थापना **1977** में **यूनेस्को** के तत्वाधान में की गई थी। यह एक विशेष क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
- **सचिवालय:** कुआलालंपुर (मलेशिया)।
- **कार्य:** एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत और समन्वित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परिवेश सुनिश्चित करना।
- **सदस्य:** वर्तमान में **45 देशों के 92 संगठन** इसके **सदस्य** हैं।
  - भारत AIBD का **संस्थापक सदस्य** है। इसमें भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर '**प्रसार भारती**' सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है।

2.4.8. सुर्ख़ियों में रहे विवादित क्षेत्र (Areas in Conflict in News)

विवादित क्षेत्र	कारण	प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं	मानचित्र
गाजा (खान यूनिस, राफा, जबालिया, दीर अल-बलाह)।	संयुक्त राष्ट्र (UN) ने अगस्त 2025 में **आधिकारिक रूप से अकाल घोषित किया**, जहाँ लगभग **5 लाख लोग लोग भुखमरी के खतरे में हैं**। इसका कारण है इजरायल की लंबी चली आ रही **नाकेबंदी** और हमास के हमले के बाद **सहायता सामग्री की सीमित एंट्री**।	• **पूर्वी भूमध्यसागर** के किनारे स्थित एक **छोटी तटीय पट्टी**। • इसके **उत्तर और पूर्व में इजरायल**, तथा **दक्षिण-पश्चिम में मिस्र** की सीमा लगती है। • लगभग **22 लाख की आबादी** के साथ यह दुनिया के सबसे **भीड़भाड़ वाले इलाकों** में से एक है।	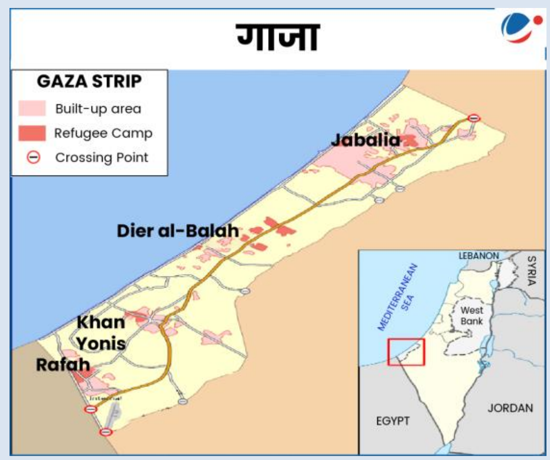
सूडान (दारफुर, खार्तूम, दक्षिणी कोर्डोफन, ब्लू नील स्टेट)	अप्रैल 2023 में सेना और शक्तिशाली अर्धसैनिक समूह **रैपिड सपोर्ट फ़ोर्स (RSF)** के बीच भयंकर सत्ता संघर्ष शुरू होने के बाद **सूडान एक गृह-युद्ध में उलझ गया**।	• **उत्तर-पूर्व अफ्रीका** में स्थित, जिसके उत्तर में मिस्र और उत्तर-पूर्व में लाल सागर है। • अफ्रीका का **तीसरा सबसे बड़ा देश**। • **नील नदी तंत्र (व्हाईट नील और ब्लू नील नदी)** सूडान से होकर बहती है।	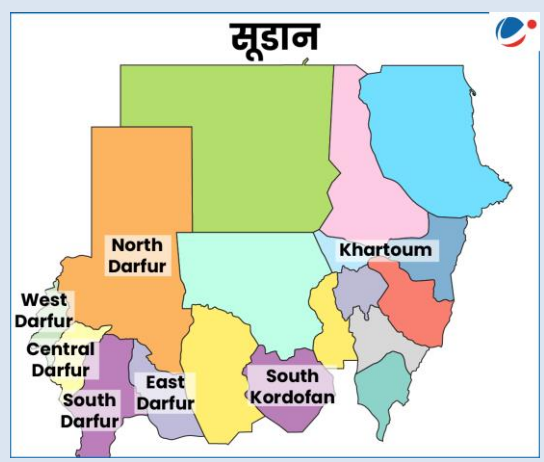

यूक्रेन (कीव, डोनेट्स्क, ज़ापोरिज्जिया, चेर्कासी और चेर्निहाइव, और खार्किव)।	रूस के लगातार **मिसाइल और ड्रोन हमलों** के बीच यूक्रेन में **मानवीय हालात और बिगड़ रहे हैं**।	• **पूर्व में रूस**, और **दक्षिण में काला सागर व आज़ोव सागर** की सीमा लगती है। • **नीपर नदी (Dnieper River)** कीव से होकर बहती है और काला सागर में मिलती है। • **पश्चिम में कार्पेथियन पर्वत** और **दक्षिण में क्रीमियन पर्वत** स्थित हैं।	
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (उत्तर किवु, इतुरी प्रांत)	कांगो **पूर्वी हिस्से में लंबे समय से युद्धों का सामना** कर रहा है, जो **नृजातीय तनाव, कमजोर शासन** और **खनिज संपदा के लिए संघर्ष** की वजह से है।	• **मध्य अफ्रीका** में स्थित और महाद्वीप का **दूसरा सबसे बड़ा देश**। • **कांगो नदी बेसिन** – अफ्रीका की **दूसरी सबसे लंबी नदी**। • **कांगो वर्षावन** – दुनिया का **दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन**। • **खनिज संपदा से भरपूर** – कोबाल्ट, तांबा, सोना आदि।	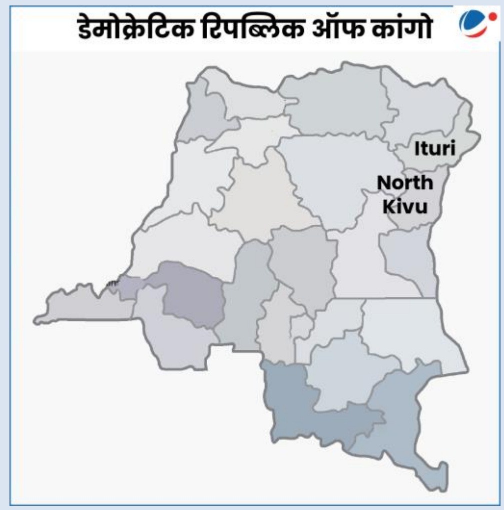

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. उत्पाद राष्ट्र (Product Nation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारत के लिए बढ़ती वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं और बढ़ते संरक्षणवाद से निपटने के तरीके सुझाए।

अन्य संबंधित तथ्य

- **रूस-यूक्रेन युद्ध** और **पश्चिम एशिया संकट** जैसे संघर्षों ने ऊर्जा बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है। इससे भारत का व्यापार और अधिक असुरक्षित हो गया है।
- हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर **50 प्रतिशत टैरिफ लगाने** की कार्रवाई ने भी इसी ओर संकेत किया है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत के लिए **सेवा-उन्मुख अर्थव्यवस्था** से **वास्तविक उत्पाद राष्ट्र** में विकसित होने का सुअवसर है।
  - यह सरकार द्वारा घोषित हाल के सुधारों; जैसे- **GST दरों में परिवर्तन** में भी दिखाई देता है।

उत्पाद राष्ट्र क्या है?

- **परिभाषा**: एक उत्पाद राष्ट्र वह देश है जो बड़ी मात्रा में **उच्च-मूल्य वाली वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात** करता है। इससे वह **निवल आयातक की बजाय निवल उत्पादक** राष्ट्र बन जाता है।
- **उद्देश्य**: इसका मुख्य उद्देश्य केवल उपभोक्ता या असेंबलर होने की बजाय **विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का विनिर्माता** बनना है। इससे संबंधित देश की आर्थिक ताकत और दुनिया में उसकी रणनीतिक स्थिति, दोनों में सुधार होता है।
- **स्माइल कर्व इनसाइट: स्टैन शिह** द्वारा प्रस्तुत स्माइल कर्व सिद्धांत दर्शाता है कि किसी उत्पाद की मूल्य-श्रृंखला में अधिकतम मूल्य आरंभिक चरणों (अनुसंधान एवं विकास, डिज़ाइन) और अंतिम चरणों (विपणन, ब्रांडिंग, बिक्री के पश्चात सेवाएं) में होता है, जबकि मध्यवर्ती चरण (विनिर्माण) में यह सबसे कम होता है। **उदाहरण के लिए-** एप्पल (**3 ट्रिलियन डॉलर बाजार मूल्य**) बनाम फॉक्सकॉन (85 **बिलियन डॉलर बाजार मूल्य**)।
  - यह कर्व इस बात पर ज़ोर देता है कि केवल असेंबल ही नहीं, बल्कि उत्पाद के पूरे जीवनचक्र में निवेश किया जाना चाहिए।
- पिछले तीन दशकों में, **दक्षिण कोरिया, जापान और कई दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र** विनिर्माण केंद्रों के रूप में उभरे हैं।

भारत की रूपांतरणकारी पहलें

संबंधित क्षेत्र	मुख्य पहलू
राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा	ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों का उपयोग
ऊर्जा और संसाधन सुरक्षा	11 वर्षों में सौर क्षमता में 30 गुना वृद्धि
महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी	राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत
अंतरिक्ष क्षेत्र और नवाचार	स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान (गगनयान)
MSME और विनिर्माण	वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में MSME का समावेश
सामाजिक न्याय	DBT से सामाजिक सुरक्षा में क्रांति आई है
युवा, कौशल और रोजगार	विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत
कृषि और ग्रामीण विकास	पी.एम. धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ
स्वास्थ्य एवं कल्याण	मानव और पशु चिकित्सा के लिए मुफ्त टीकाकरण
सुधार और गवर्नेंस	नया आयकर अधिनियम लागू किया गया
डिजिटल और वित्तीय समावेशन	UPI का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया

एक उत्पाद राष्ट्र बनने में मौजूद चुनौतियां

- **नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में कमी**: विनिर्माण और उच्च-तकनीक में नवाचार की कमी है। उदाहरण के लिए, भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल **0.65%** अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करता है।
- **आयात पर निर्भरता**: ऊर्जा, उर्वरक, धातु, एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स और प्रौद्योगिकी के मामले में भारत आयात पर अत्यधिक निर्भर है। इससे हमेशा इनकी आपूर्ति के बाधित होने का खतरा बना रहता है।
  - भारत अपनी सेमीकंडक्टर जरूरतों का **65-70%** आयात करता है।

- **सीमित निजी निवेश**: सुधारों के बावजूद निजी क्षेत्रक का **पूंजी निर्माण कमजोर** बना हुआ है।
- **विनियामक और नीतिगत बाधाएं**: नियामकीय मंजूरी में देरी, नियमों का अनुपालन जटिल होना और व्यवसाय करने में सुगमता का अभाव आर्थिक संवृद्धि को प्रभावित करता है।
- **संरचनात्मक बाधाएं**: अवसंरचना और कुशल श्रमिकों की कमी भारत में विनिर्माण को तेजी से बढ़ाने की क्षमता को सीमित करती हैं।
    - **मेक इन इंडिया** के तहत उत्पाद में वास्तविक मूल्य संवर्धन की बजाय केवल असेंबल के कार्य करने तक सीमित होने का खतरा है।
- **रोजगार सृजन**: रोजगार के अवसरों का सृजन और बढ़ते युवा कार्यबल (विशेषकर विनिर्माण क्षेत्रक में) के बीच काफी अंतराल है।
- **जलवायु और संधारणीयता से जुड़े जोखिम**: जलवायु परिवर्तन के खतरे, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की चुनौतियां और हरित परियोजनाओं के लिए वित्त-पोषण की कमी कुछ प्रमुख जोखिम हैं।
    - भारत में **70% बिजली कोयले से** उत्पादित की जाती है।

आगे की राह

- **विनिर्माण को मजबूत करना:** उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना का विस्तार करने तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में स्वदेशी नवाचार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- **अवसंरचना और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना:** लॉजिस्टिक पार्क्स, मल्टीमॉडल परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश करना चाहिए, तथा **क्लस्टर-आधारित विकास** के माध्यम से MSMEs को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, 2022.**
- **मानव पूंजी में निवेश:** शिक्षा और कौशल विकास में सुधार करना चाहिए ताकि यह उत्पाद-आधारित अर्थव्यवस्था की जरूरतों (AI, रोबोटिक्स, उन्नत विनिर्माण) के अनुरूप हो सके।
    - उदाहरण के लिए- **स्किल इंडिया** और **गति शक्ति** जैसी पहलें आधार के रूप में कार्य कर सकती हैं।
- **उत्पाद विकास प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना**: ऐसे स्मार्ट प्रोडक्ट प्लेटफ़ॉर्म तैयार किए जाने चाहिए जिन्हें स्टार्ट-अप्स और कंपनियां तेजी से विकास के लिए इस्तेमाल कर सकें, जैसे **अटल इन्क्यूबेशन सेंटर।**

निष्कर्ष

इंडस्ट्री 5.0 के सिद्धांतों के अनुरूप **मानव रचनात्मकता और बुद्धिमत्तापूर्ण तकनीकों** को जोड़ने वाले स्वदेशी नवाचार और अत्याधुनिक विनिर्माण को मजबूत करके भारत बाहरी खतरों को कम कर सकता है और मूल्य सृजन को बढ़ावा दे सकता है। वास्तव में **इंडस्ट्री 5.0** मानव-केंद्रित, संधारणीय और मजबूत औद्योगिक मॉडल है जहां AI, रोबोटिक्स, IoT जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां मानव की जगह लेने की बजाय उसके साथ कार्य करती हैं। **व्यापार युद्धों और भू-राजनीतिक अस्थिरता** के इस दौर में, यह कदम भारत की **भू-रणनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता** की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

3.2. भारत में क्षेत्रीय असंतुलन (Regional Imbalances in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त संबंधी स्थायी समिति ने केंद्र सरकार से राज्यों के बीच उद्योगों का समान रूप से वितरण सुनिश्चित करके भारत में **क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने हेतु एक कार्य-योजना** तैयार करने की सिफारिश की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अपनी **26वीं रिपोर्ट, 'वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में भारत की आर्थिक संवृद्धि के लिए रोडमैप'** में उल्लेख किया है कि उद्योग **राज्य सूची का विषय** है।
    - हालांकि, समिति ने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार की पहलें महत्वपूर्ण हैं।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25** ने भी राज्यों के बीच औद्योगिक विकास में व्याप्त व्यापक असमानता को रेखांकित किया था।
- क्षेत्रीय असंतुलन का तात्पर्य **आर्थिक विकास में अंतर तथा अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में असमान आर्थिक संवृद्धि** से है।

संविधान की संघ सूची में भी निम्नलिखित उद्योग शामिल हैं:
- वे उद्योग जिन्हें **संसद द्वारा कानून बनाकर रक्षा या युद्ध संचालन के लिए आवश्यक** घोषित किया गया है।
- वे उद्योग जिन्हें **संसद द्वारा कानून बनाकर लोकहित में आवश्यक मानते हुए उनपर संघीय नियंत्रण स्थापित** किया गया है।

भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कारण

- **ऐतिहासिक कारक**: क्षेत्रीय असंतुलन की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान तब शुरू हुई जब आर्थिक विकास पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में केंद्रित हो गया।
- **भौगोलिक कारक**: दुर्गम भू-भाग (जैसे- हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य) प्रशासन और परियोजना लागत को बढ़ा देते हैं।
- **राजनीतिक कारक**: उदाहरण के लिए- विरोध प्रदर्शनों की वजह से नैनो कार प्रोजेक्ट को मजबूरी में पश्चिम बंगाल से गुजरात में स्थानांतरित करना पड़ा।
- **नीतिगत असमानताएं**: हरित क्रांति का लाभ पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ ही राज्यों को मिला, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन में और अधिक बढ़ोतरी हुई।
- **सहायक उद्योगों के विकास में कमी:** पिछड़े क्षेत्रों (जैसे- राउरकेला, बरौनी, भिलाई) में बड़े सार्वजनिक उपक्रम तो लगे, लेकिन सहायक उद्योग विकसित नहीं हुए।
- **स्थान-विशिष्ट कारक:** उदाहरण के लिए- राजधानी दिल्ली के करीब होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (गुरुग्राम, नोएडा) में वाणिज्यिक केंद्रों और आवासीय परिसरों का विकास हुआ।
- **अवसंरचना की कमी**: खराब परिवहन व्यवस्था और बैंकिंग सेवाओं की कमी इत्यादि की वजह से विकास सीमित होता है। उदाहरण के लिए- खराब सड़क/ रेल संपर्क, बैंकिंग सेवाओं की कम पहुंच और बिजली की कमी के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में सीमित औद्योगिक विकास हुआ है।

भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के परिणाम

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** उदाहरण के लिए- पूर्वोत्तर में उग्रवाद तथा मध्य एवं पूर्वी राज्यों के बड़े हिस्सों में **वामपंथी उग्रवाद का प्रसार और प्रभाव** है।
- **राजनीतिक विखंडन:** उदाहरण के लिए, तेलंगाना राज्य का निर्माण इसी असंतुलन का परिणाम था। महाराष्ट्र में अलग विदर्भ राज्य, असम में बोडोलैंड, आदि की मांग भी क्षेत्रीय असंतुलन का दुष्परिणाम है।
- **आर्थिक**:
    - **राष्ट्रीय संवृद्धि**: क्षेत्रीय असंतुलन संपूर्ण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि को धीमा कर देता है।
    - **आर्थिक अंतराल**: प्रति व्यक्ति आय में बड़ा अंतर। उदाहरण के लिए- कर्नाटक में प्रतिव्यक्ति आय 2,04,605 रुपये और मध्य प्रदेश में मात्र 70,434 रुपये है।
    - **असंतुलन को बढ़ावा**: यह देखा गया है कि समृद्ध क्षेत्र अधिक निवेश आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए- चेन्नई और बैंगलोर जैसे शहरों ने अन्य शहरों की तुलना में तीव्र विकास किया है।
- **पर्यावरण**: केंद्रित औद्योगिक विकास से वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण होता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में प्रदूषण।

* **सामाजिक**: क्षेत्रीय असंतुलन से युवाओं में निराशा बढ़ती है, वहीं इससे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs), महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होते है।
* **मानव विकास में असमानता**: UNDP के अनुसार, मानव विकास सूचकांक में भारतीय राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पर है, जबकि बिहार सबसे निचले पायदान पर है।
* **चिकित्सा कर्मियों की कमी**: बिहार में 28,391 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि दिल्ली में 2,203 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। दोनों ही **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के प्रति एक हजार आबादी पर 1 डॉक्टर के मानक को पूरा नहीं करते हैं।
* **अन्य परिणाम**: मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद जैसे महानगरों में आवास और जलापूर्ति की समस्याएं विद्यमान हैं।

सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

* **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP):** देश के 112 सबसे कम विकसित जिलों को बेहतर बनाना।
* **आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP):** भारत के कम विकसित ब्लॉकों का विकास करना (27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉक)।
* **पी.एम.-डिवाइन (PM-DevINE) (प्रधान मंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल):** भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में तेज़ी लाना।
* **विशेष पैकेज योजना:** हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए।
* **प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY):** इसका उद्देश्य खनन से प्रभावित जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों तथा अन्य लोगों का कल्याण करना है।
* **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP):** अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास स्थित दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों को विकसित करना।

आगे की राह

* **पिछड़े क्षेत्रों में नए वित्तीय संस्थानों की स्थापना:** सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये संस्थान पिछड़े क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में योगदान दें।
* **नए क्षेत्रीय बोर्ड**: आवश्यक कानूनी शक्तियों और वित्त-पोषण के साथ नए क्षेत्रीय बोर्ड स्थापित किए जाने चाहिए ताकि ये क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर सकें।
* **ग्रोथ कॉरिडोर**: राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिए शिक्षा जोन, कृषि जोन और औद्योगिक जोन वाले ग्रोथ कॉरिडोर विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
* **प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय आवंटन:** राज्यों को, जिनमें विकसित राज्य भी शामिल हैं, अपनी सीमाओं के भीतर असमानताओं को कम करने के लिए पुरस्कृत करने हेतु एक प्रणाली शुरू करनी चाहिए।
* **अवसंरचना विकास के लिए अतिरिक्त धन:** अल्प विकसित राज्यों और पिछड़े क्षेत्रों में अंतर-जिला स्तर पर मुख्य अवसंरचना के निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्त प्रदान करने की आवश्यकता है।
* **पिछड़े राज्यों में सुशासन और स्थानीय शासन को मजबूत करना**: प्रभावी प्रशासन राज्यों को (खासकर पिछड़े क्षेत्रों में) राजस्व बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और संसाधन उपयोग में सुधार करने में मदद कर सकता है।
* **अन्य उपाय**: नियम-कानूनों में छूट, अनुसंधान-विकास (R&D) और नवाचार, तथा कार्यबल के कौशल स्तर में सुधार जैसे उपाय किए जा सकते हैं।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए ऐसे परिवेश का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो **नवाचार को बढ़ावा दे, निवेश को आकर्षित करे और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित** करे। गवर्नेंस को मजबूत करना, अवसंरचना में सुधार करना, तथा **सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद** के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना संतुलित विकास के लिए आवश्यक है।

3.3. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of Rupee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI ने बैंकों के लिए स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVAs) खोलने हेतु पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इस कदम से रुपये में व्यापार निपटान में तेजी आएगी और भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में सहायता मिलेगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट (SRVA) व्यवस्था **जुलाई 2022** में आरंभ की गई थी। इसे **निर्यातकों और आयातकों को भारतीय रुपये में व्यापार का इनवॉइस बनाने या निपटान करने में सक्षम बनाने** के लिए शुरू किया गया था। इस तरह यह **'रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण'** करने की दिशा में बड़ा कदम था।
- **वोस्ट्रो अकाउंट:** वोस्ट्रो खाता वह बैंक खाता है जिसे कोई घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक के लिए अपनी (घरेलू बैंक की) स्थानीय मुद्रा में बनाए रखता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को सुगम बनाया जा सके।
    - उदाहरण के लिए- यदि एक अमेरिकी बैंक भारत में भारतीय स्टेट बैंक में रुपये में लेनदेन हेतु खाता रखता है, तो यह **SBI का वोस्ट्रो अकाउंट** है।
- **यह कैसे कार्य करता है?**
    - **आयातकों के लिए**: जब कोई भारतीय आयातक किसी विदेशी व्यापारी को रुपये में भुगतान करता है, तो राशि वोस्ट्रो अकाउंट में जमा हो जाती है।
    - **निर्यातकों के लिए**: जब कोई भारतीय निर्यातक भुगतान प्राप्त करता है, तो वोस्ट्रो अकाउंट से पैसा काट लिया जाता है और निर्यातक के नियमित खाते में जमा कर दिया जाता है।

> **शब्दावली को जानें**
>
> - **नोस्ट्रो खाता** किसी घरेलू बैंक के उस खाते को कहा जाता है जो किसी विदेशी बैंक में उसी देश की मुद्रा में होता है।
>   - **उदाहरण के लिए,** यदि किसी भारतीय बैंक (जैसे- SBI) का किसी अमेरिकी बैंक (जैसे- सिटीबैंक) में अमेरिकी डॉलर में खाता है, तो वह **SBI का नोस्ट्रो खाता** है।
> - नोस्ट्रो खाते विदेशी मुद्राओं, जैसे कि अमेरिकी डॉलर में **विनिमय और व्यापार की प्रक्रिया को सरल** बनाते हैं।

रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है?

- रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है **जिसमें सीमा-पार लेनदेन में रुपये के उपयोग को** बढ़ाया जाता है।
    - इसमें पहले रुपये को **आयात और निर्यात व्यापार में बढ़ावा देना, फिर अन्य चालू खाता लेनदेन में और उसके बाद पूंजी खाता लेनदेन में उपयोग** की अनुमति देना शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है?

- एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वास्तव में अमेरिकी डॉलर या यूरो की तरह मुद्रा होती है जिसका इस्तेमाल देशों के बीच तथा मुद्रा जारी करने वाले देश की सीमाओं के बाहर लेन-देन के लिए किया जाता है।
- जिस प्रकार, **घरेलू मुद्रा तीन कार्य (विनिमय का माध्यम, यूनिट ऑफ अकाउंट** और **स्टोर ऑफ वैल्यू)** करती है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी इन तीन कार्यों को पूरा करती है।
    - हालांकि यह दो अलग-अलग स्तरों पर ऐसा कार्य करती है- **निजी लेन-देन तथा सार्वजनिक लेन-देन**। इस प्रकार यह कुल **छह कार्य** करती है।

एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कार्य

कार्य	क्षेत्र: निजी	क्षेत्र: आधिकारिक
यूनिट ऑफ अकाउंट	मुद्रा का उपयोग विदेशी व्यापार का इनवॉइस बनाने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं/ उत्पादों को मूल्य में व्यक्त करने में किया जाता है।	मुद्रा का उपयोग विनिमय दर को व्यक्त करने में किया जाता है।
विनिमय का माध्यम	मुद्रा का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान का निपटान करने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाता है।	विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप मुद्रा के रूप में तथा भुगतान संतुलन के वित्तपोषण हेतु इस्तेमाल।
स्टोर ऑफ वैल्यू	मुद्रा का उपयोग जमा, ऋण और बॉण्ड को मूल्यवर्ग में अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है।	मौद्रिक संस्थाओं द्वारा मुद्रा भंडार के लिए।

- वर्तमान में, अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, चीनी रॅन्मिन्बी/ युआन और पाउंड स्टर्लिंग **दुनिया की प्रमुख आरक्षित मुद्राएं** हैं अर्थात विश्व के देश इन्हें मुद्रा भंडार के रूप में रखते हैं।

मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के निर्धारक

- **व्यापक उपयोग:** वैश्विक लेन-देन में उस मुद्रा का सामान्य रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।
- **पूंजी खाते में खुलापन:** विदेशी और घरेलू निवेशक कितनी आसानी से पूंजी निवेश कर सकते हैं या अपनी पूंजी निकाल सकते हैं।
- **आर्थिक बुनियाद:** अर्थव्यवस्था का बड़ा आकार और वृहद व्यापार नेटवर्क।
- **स्थिरता:** मुद्रा स्थिर और आसानी से परिवर्तनीय होनी चाहिए।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

- **मुद्रा संबंधी कम जोखिम और विदेशी मुद्रा भंडार रखने की कम आवश्यकता:** रुपये में व्यापार का निपटान करने से विदेशी मुद्रा से होने वाला नुकसान कम होगा, लेन-देन की लागत कम होगी और विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भरता कम होगी।
- **विश्व में भारत की स्थिति और सौदेबाजी की शक्ति मजबूत होगी:** अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में रुपये का व्यापक उपयोग व्यापार वार्ताओं में भारत की भूमिका को मजबूत करेगा और इसके आर्थिक प्रभाव को बढ़ाएगा।
- **व्यापार और नीतिगत लचीलापन:** रुपये में व्यापार को बढ़ावा देने से आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव को कम किया जा सकेगा, व्यापार भागीदारों में विविधता आएगी, और विदेशों से रुपये में ऋण लेने को बढ़ावा मिलने से राजकोषीय प्रबंधन में मदद मिलेगी।
- **वित्तीय बाजार का विकास:** जब विश्व में रुपये की मांग बढ़ेगी तो भारतीय बॉण्ड और शेयर बाजार और अधिक मजबूत होंगे, निवेश आकर्षित होगा तथा लेन-देन तेज़ और अधिक पारदर्शी होंगे।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में मौजूद चुनौतियां

- **विनिमय दर के उतार-चढ़ाव में वृद्धि**: जब वैश्विक व्यापार में रुपये का लेनदेन बढ़ेगा तो यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित होगा। इससे लेन-देन की लागत बढ़ेगी तथा कारोबारियों व निवेशकों के लिए वित्तीय प्रबंधन कठिन हो जाएगा।
- **मौद्रिक नीति की स्वायत्तता में कमी**: अगर रुपया दुनिया भर में ज्यादा इस्तेमाल होगा तो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लिए रुपये के मूल्य को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। इससे मुद्रास्फीति और व्यापक आर्थिक प्रबंधन अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
    - **ट्रिफिन डाइलेमा**, यह वह स्थिति है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वाले देश को अपनी घरेलू आर्थिक जरूरतों और वैश्विक स्तर पर उसकी मुद्रा की बढ़ती मांग, दोनों में संतुलन बनाए रखने में परेशानी होती है।
- **पूंजी पलायन का खतरा:** अगर विदेशी निवेशकों के पास बहुत ज्यादा रुपये होंगे तो वे अचानक बड़ी मात्रा में पूंजी बाहर ले जा सकते हैं। इससे आर्थिक संकट पैदा हो सकता है और रुपये का अवमूल्यन हो सकता है।
- **बाहरी खतरों के प्रभाव में आना:** वैश्विक वित्तीय बाजारों के साथ गहन एकीकरण रुपये को बाहरी आघातों (जैसे- ब्याज दर में बदलाव और वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव) के अधिक प्रभाव में ला देगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है।
- **प्रतिस्पर्धा:** वर्तमान में वैश्विक रिजर्व मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग का दबदबा है। रुपये को इन मुद्राओं से प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
- **तरलता (मुद्रा की अधिक आपूर्ति) और परिवर्तनीयता सुनिश्चित करना:** वर्तमान में रुपया पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं है, यानी इसे वैश्विक बाजार में स्वतंत्र रूप से खरीदा-बेचा नहीं जा सकता। **पूंजी खाते में आंशिक परिवर्तनीयता रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में बड़ी बाधा** है।
    - भारत में **चालू खाता में पूर्ण परिवर्तनीयता** की अनुमति है, जबकि **पूंजी खातों में केवल आंशिक परिवर्तनीयता** की अनुमति है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उठाए गए कदम

- **RBI की रणनीतिक कार्य-योजना 2024-25:** RBI ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने वाली पहलों का उल्लेख किया था। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **विदेशों में रुपये में खाता खोलने व रुपये में ऋण लेने की अनुमति:** भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों (PROI)[15] को रुपये में खाता खोलने और ऋण लेने की सुविधा दी गई है।
    - **स्पेक्ट्रा (SPECTRA) परियोजना:** यह एक सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म है जो बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECBs)[16] और व्यापारिक ऋणों की रिपोर्टिंग एवं मंजूरी के लिए बनाया गया है, ताकि बाह्य वाणिज्यिक उधारी और व्यापारिक ऋण प्रक्रियाओं को सरल और सुविधाजनक बनाया जा सके।

---

[15] Persons resident outside India

[16] External Commercial Borrowings

- **भारतीय भुगतान अवसंरचना**: भारत ने भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर जैसे देशों की भुगतान प्रणालियों के साथ UPI को एकीकृत किया है। साथ ही, अन्य देशों में भी UPI लेनदेन का विस्तार किया जा रहा है।
- **एशियाई क्लियरिंग यूनियन (ACU)**: RBI ने ACU में रुपये को लेनदेन निपटान मुद्रा बनाने का प्रस्ताव रखा है।
- **गिफ्ट सिटी का विकास:** यह वित्तीय बाज़ार अवसंरचना हैं जिसमें दो अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज और एक डिपॉजिटरी शामिल हैं।
- **RBI ने फेमा (FEMA) विनियम, 1999 को उदार बनाया:** RBI ने सीमा-पार लेन-देन में रुपये के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नियमों को उदार बनाया है।
- **अन्य पहलें**: द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते, श्रीलंका में रुपये को विदेशी मुद्रा के रूप में मान्यता, रुपये मूल्यवर्ग वाले बॉण्ड जारी करना (जैसे-मसाला बॉण्ड), इत्यादि।

आगे की राह

- **RBI के अंतर-विभागीय समूह की सिफारिशें**
  - **अल्पकालिक उपाय**: इसमें अनिवासी भारतीयों के लिए रुपये में खाता खोलने को बढ़ावा देना, भुगतान प्रणालियों का एकीकरण करना, और भारतीय भुगतान प्रणालियों का अंतर्राष्ट्रीयकरण जैसे कदम शामिल हैं।
  - **मध्यम-अवधि के उपाय**: इसमें मसाला बॉण्ड नियमों का उदारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के निपटान के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्रणाली का विस्तार, आदि शामिल हैं।
  - **दीर्घकालिक उपाय**: विशेष आहरण अधिकार (SDR)[17] बास्केट में भारतीय रुपये को शामिल करना।
    - SDR एक **अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति** है। इसका निर्माण **IMF** ने 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक मुद्रा भंडार के पूरक के रूप में किया था।
    - SDR का मूल्य **5 प्रमुख मुद्राओं- अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, चीनी रैंन्मिन्बी, और ब्रिटिश पाउंड** के भारित बास्केट से तय होता है।
- **विशिष्ट सुधार**: भारत रुपये की परिवर्तनीयता को बढ़ाकर, एक मजबूत बॉण्ड बाजार विकसित करके, निर्यातकों और आयातकों को रुपये में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करके रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दे सकता है।
- **मैक्रोइकॉनॉमिक बुनियादी समस्याओं का समाधान करना**: भारत को मुद्रास्फीति और उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्ति जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी **मैक्रोइकॉनॉमिक बुनियाद को मजबूत करने** पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- **KYC मानदंडों को आसान बनाना**: RBI और SEBI को विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय रुपये वाली परिसंपत्तियों तक पहुँच को आसान बनाना चाहिए।

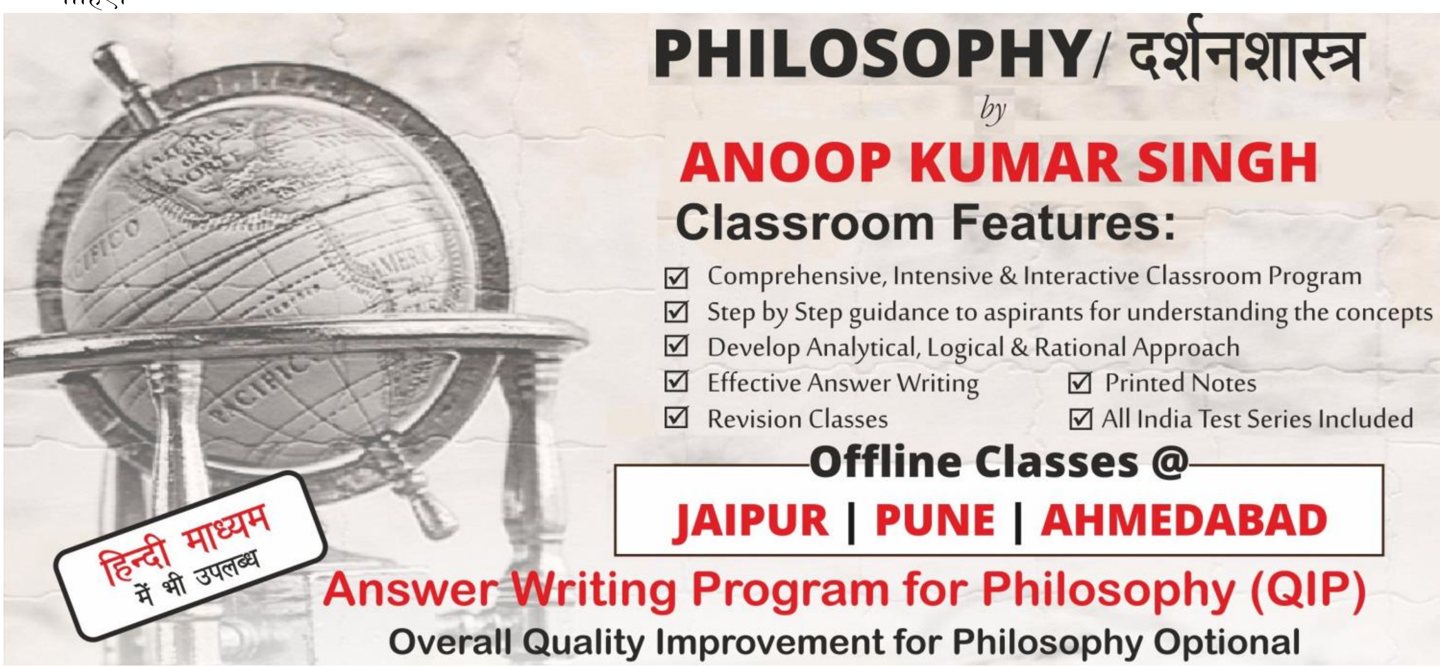

17 Special Drawing Rights

3.3.1. डी-डॉलेराइजेशन (De-Dollarization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI ने स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVAs), UPI लिंकेज, करेंसी स्वैप समझौतों के माध्यम से रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बल दिया है। इन क़दमों का उद्देश्य विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता को कम करना और वैश्विक **डी-डॉलेराइजेशन** में योगदान देना है।

डी-डॉलेराइजेशन क्या है?

- इसका उद्देश्य **डॉलेराइजेशन** (वैश्विक बाजार में अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक प्रभुत्व) को कमजोर करना है। ऐसा करने से वैश्विक व्यापार, रिजर्व मुद्रा के रूप में डॉलर की महत्ता और वित्तीय लेन-देन में इसके उपयोग में उल्लेखनीय कमी आएगी।

डी-डॉलराइजेशन के संबंध में हालिया रुझान

केंद्रीय बैंक के पास विदेशी मुद्रा (FX) भंडार: अमेरिकी डॉलर का हिस्सा दो दशक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है।

फिक्स्ड इनकम में: अमेरिकी ट्रेजरी बाजार में विदेशी स्वामित्व का हिस्सा पिछले 15 वर्षों में कम हुआ है, जो डॉलर पर निर्भरता में कमी को दर्शाता है।

कमोडिटी बाजार: कमोडिटी बाजार में डी-डॉलराइजेशन का चलन सबसे प्रमुख रूप से देखा जा रहा है, जहां ऊर्जा उत्पादों के अनुबंधों में गैर-डॉलर मुद्राओं का उपयोग बढ़ रहा है। यह संकेत देता है कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं में मूल्यांकन की ओर बढ़ रहा है।

डी-डॉलेराइजेशन के प्रमुख कारण

- **अमेरिका की आर्थिक शक्ति घट रही है, पर डॉलर का वर्चस्व बना हुआ है:** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक GDP में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 45% थी जो वर्तमान में घटकर लगभग 25% रह गई है। इसके बावजूद डॉलर का प्रभुत्व बना हुआ है।
- **डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता के नुकसान**: अमेरिकी सरकार का भारी ऋण बोझ एवं 2023 में अमेरिकी **ऋण के उच्चतम सीमा पर पहुंचने का संकट** जैसी घटनाओं ने डॉलर की विश्वसनीयता को कमजोर किया है।
- **अमेरिकी मौद्रिक नीति का नकारात्मक प्रभाव**: फेडरल रिजर्व द्वारा उठाए गए कई कदमों (जैसे-2023 में ब्याज दरों में बढ़ोतरी) से कई देशों में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, ऋण की लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई और मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई।
- **अमेरिकी डॉलर और पेमेंट क्लीयरिंग प्रणालियों का हथियार के रूप में उपयोग**: वर्तमान में, लगभग 40 देशों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इनसे देशों की नीतियों और सरकार के संचालन पर असर पड़ता है।
- **एक नई और अधिक लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की आकांक्षा**: डी-डॉलेराइजेशन के प्रयास एकध्रुवीय दुनिया से हटकर 'बहुध्रुवीय नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO)[18]' की ओर बढ़ने की वैश्विक आकांक्षा को भी दर्शाते हैं।
- **अमेरिका के बाहर सकारात्मक विकास**: चीन में आर्थिक और राजनीतिक सुधारों जैसे कदम वैकल्पिक मुद्राओं की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं।

डी-डॉलेराइजेशन के समक्ष चुनौतियां

- **अन्य विकल्पों की लागत:** अमेरिकी डॉलर के बदले किसी अन्य मुद्रा पर निर्भरता बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रणालियों को अपडेट करने, अनुबंधों को समायोजित करने और व्यापार समझौतों पर दोबारा वार्ता करने पर भारी खर्च आएगा।
- **बाजार में अस्थिरता:** नई मुद्राएं अपनाने से बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा हो सकती है। इससे वैश्विक व्यापार और निवेश प्रवाह प्रभावित हो सकता है।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने से राजनीतिक टकराव बढ़ सकता है। साथ ही, अमेरिका इस कदम को अपने आर्थिक प्रभाव के लिए चुनौती के रूप में देख सकता है।
- **मुद्रा भंडार में विविधीकरण की चुनौतियां**: वैकल्पिक मुद्राओं या स्वर्ण जैसी परिसंपत्तियों में रिजर्व रखने से नए खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें मुद्रा का अवमूल्यन या वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव आदि शामिल हैं।

---

18 New International Economic Order

निष्कर्ष

भारत के मामले में, डी-डॉलेराइजेशन को रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी **रुपीफिकेशन** से पूरा किया जा सकता है। इससे किसी भी संस्था को रुपया खरीदने और बेचने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाएगी।

3.4. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम {Fiscal Responsibility And Budget Management (FRBM) Act}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम** के अनुपालन में कई राजकोषीय विसंगतियों और पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को रेखांकित किया है।

FRBM अधिनियम, 2003 के बारे में

- **उद्देश्य**: FRBM अधिनियम, 2003 को राजकोषीय प्रबंधन में **अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी** को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया। राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी से तात्पर्य है कर्ज का बोझ या संसाधनों में कमी का दबाव अगली पीढ़ी पर नहीं छोड़ना।
    - इस अधिनियम का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और जिम्मेदार वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की राजकोषीय नीति को सतत मार्ग की ओर निर्देशित करना है।
    - इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान यह है कि CAG को **हर वर्ष इसके प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करनी** होगी।
- **FRBM अधिनियम** के तहत बजट के साथ संसद में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है:
    - **वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण (Macro-economic Framework Statement),**
    - **मध्यावधिक राजकोषीय नीति-सह राजकोषीय कार्यनीति का विवरण (Medium Term Fiscal Policy Statement),**
    - **राजकोषीय समेकन का पथ/ विवरण (Fiscal Policy Strategy Statement)।**

FRBM अधिनियम के तहत मुख्य लक्ष्य

मापदंड	**लक्ष्य**	**समय-सीमा**	**2023-24 तक वर्तमान अनुपात (CAG रिपोर्ट)**
राजकोषीय घाटा (मूल FRBM)	GDP का 3% तक	31 मार्च, 2021 तक	5.32%
ऋण सीमा	सामान्य सरकार (केंद्र + राज्य) ≤ GDP का 60% केंद्र सरकार ≤ GDP का 40%	वित्त वर्ष 2024–25 के अंत तक	केंद्र सरकार: 57% सामान्य सरकार: 81.3%

संशोधित राजकोषीय समेकन पथ	राजकोषीय घाटे को GDP के < 4.5% तक सीमित रखना	वित्त वर्ष 2025–26
अतिरिक्त गारंटी (भारत की संचित निधि पर)	किसी भी वर्ष में GDP का ≤ 0.5%	वार्षिक सीमा
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम में 2018 के संशोधन द्वारा, **राजस्व घाटा** और **प्रभावी राजस्व घाटा** के लक्ष्यों को हटा दिया गया।		

कैग की रिपोर्ट के मुख्य बिन्दुओं पर एक नज़र

- **केंद्र सरकार के ऋण की स्थितियां**
  - **ऋण-GDP अनुपात:** महामारी के दौरान केंद्र सरकार का **ऋण-GDP** अनुपात **वित्तीय वर्ष 2020-21 में 61.38%** के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया था।
    - हालांकि, मार्च 2024 तक यह पुनः घटकर **57%** हो गया।
    - उच्च ऋण-GDP अनुपात अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि यह डिफ़ॉल्ट (ऋण चुकाने में विफलता) के जोखिम को दर्शाता है।
  - **ऋण वहनीयता (सस्टेनेबिलिटी):** इसके संबंध में एक सकारात्मक संकेत मिला है। इसमें **2022-23 और वित्तीय वर्ष 2024 में ऋण वहनीयता विश्लेषण संकेतक सकारात्मक था**। यह स्थिरता का सूचक है।
- **राजस्व प्राप्तियां बनाम ब्याज भुगतान:** यह अनुपात सरकार की राजकोषीय स्थिति और राजकोषीय संकट का एक अहम संकेतक माना जाता है। यह **2020-21 में 38.66% के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था, हालांकि बाद में इसमें कमी दर्ज की गई। 2022-23 में मामूली रूप से बढ़कर यह 35.35%** हो गया।
- **गारंटी सीमाओं का अनुपालन:** यह **2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कानूनी सीमा के भीतर** रहा, जो एक्ट के अनुपालन को दर्शाता है।
- **अप्राप्त (Unrealized) कर राजस्व:** रिपोर्ट में अधिक **वसूली योग्य कर अनुमान होने के बावजूद अधिक अप्राप्त कर** होने का उल्लेख किया गया है। 2022-23 के अंत तक **अप्राप्त कर राजस्व 21.30 ट्रिलियन** तक पहुंच गया।
  - इस अप्राप्त कर राशि का एक बड़ा हिस्सा विवादित नहीं था, जो कर व्यवस्था को लागू करने या वसूली प्रक्रियाओं में संभावित समस्याओं की तरफ इशारा करता है।
- **घाटे के आंकड़ों में विसंगतियां:** राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा (वर्तमान में 2.54%), प्राथमिक घाटा (वर्तमान में 1.66%) अनुमानों, और विशेष रूप से गैर-कर राजस्व अनुमानों में भिन्नताएं देखी गई हैं।
  - **केंद्रीय सरकार के वित्तीय लेखों (UGFA)[19] में 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का आंकड़ा 2024-25 के लिए बजट-एक नज़र में बताए गए आंकड़ों से भिन्न था।**
  - इस तरह की विसंगतियाँ सवाल खड़ा करती हैं कि क्या सरकार के **महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक** पूरी तरह सटीक और भरोसेमंद हैं।

निष्कर्ष

वर्तमान समय की आवश्यकता है कि पारदर्शिता, कर वसूली और राजकोषीय प्रबंधन पद्धतियों में सुधार को बढ़ावा दिया जाए। इस दिशा में कार्य करके सरकार अपनी राजकोषीय विश्वसनीयता बढ़ा सकती है, अधिक जवाबदेही सुनिश्चित कर सकती है, तथा सुदृढ़ राजकोषीय स्थिति एवं मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता बनाए रखने हेतु FRBM अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है।

प्रमुख शब्दावलियों को जानें

- **ऋण वहनीयता विश्लेषण (Debt Sustainability Analysis)**: यह एक निश्चित अवधि में सरकार के **ऋण-संबंधी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का आकलन** करने का एक माप है।
- **राजकोषीय घाटा:** यह सरकार के **कुल व्यय और कुल प्राप्तियों** (कर्ज़ को छोड़कर) के बीच का अंतर है।
- **प्राथमिक घाटा:** जहां **राजकोषीय घाटा** कुल अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को दर्शाता है, वहीं इसका एक हिस्सा ब्याज भुगतानों को वित्त-पोषित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ब्याज भुगतान पिछली देनदारियों का व्यय हैं और इनका वर्तमान आवंटन प्राथमिकताओं से कोई संबंध नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राथमिक घाटा सरकार के राजकोषीय घाटे और पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है।

[19] Union Government Finance Accounts

- **राजस्व घाटा**: राजस्व घाटा सरकार के राजस्व व्यय का उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना है। यह वर्तमान उपभोग के लिए सरकार की निवल बचत की कमी को दर्शाता है। राजस्व घाटा वास्तव में पूंजी/ परिसंपत्ति निर्माण के बिना उधार में वृद्धि करता है।
- **प्रभावी राजस्व घाटा:** इसका मतलब राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दिए गए अनुदान के बीच का अंतर है।

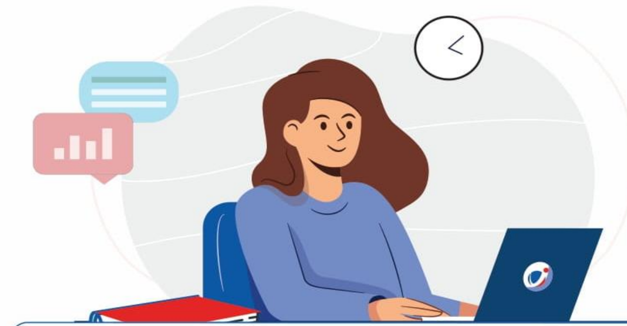

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ–साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन करें

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व–मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड–रिलेशन, कोडिंग–डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप–बाय–स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम–सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं– ऑफलाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन–टू–वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन करें

हमारे **ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम** के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन–टू–वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

3.5. ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने **"भारत की ब्लू इकोनॉमी का रूपांतरण: नवाचार और सतत विकास[20]"** शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें **2035 तक के लिए एक रोडमैप** की रूपरेखा दी गई है।

भारत में ब्लू इकोनॉमी

- **परिभाषा**: द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) के अनुसार, ब्लू इकोनॉमी से तात्पर्य सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत के कानूनी अधिकार- क्षेत्र में आने वाले महासागरों और समुद्री संसाधन क्षमता का पता लगाना और उसे उपयोग अनुकूल बनाना है।
  - ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा का उल्लेख **पहली बार 1994 में यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी (UNU) के प्रोफेसर गुंटर पाउली** ने किया था।
- **क्षमता**: भारत का समुद्री तट **11,098 किलोमीटर** लंबा है और इसका **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला** है। यह क्षेत्र दुनिया के महत्त्वपूर्ण शिपिंग मार्गों पर स्थित है, जिससे इस क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
- **वर्तमान स्थिति**
  - भारत की ब्लू इकोनॉमी देश के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 4%** का योगदान देती है।
    - मात्रा के हिसाब से भारत का 95% व्यापार समुद्री मार्ग के जरिए होता है।
  - इसकी तट-रेखा पर **12 प्रमुख** (महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा) और **200 लघु बंदरगाह** हैं।
  - **2035 तक** भारत के कुल परिवहन में **कोस्टल शिपिंग मॉडल की हिस्सेदारी मौजूदा 6% से बढ़कर 33%** होने का अनुमान है। यह आर्थिक विस्तार के लिए अधिक संभावनाओं को दर्शाता है।

भारत में ब्लू इकोनॉमी से संबंधित चुनौतियां

पर्यावरण संबंधी चुनौतियां

- **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:** समुद्री जल का गर्म होना, प्रबल चक्रवात, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, तटों और विरासत स्थलों का क्षरण।
- **अत्यधिक मत्स्यन** और फिश स्टॉक का कम होना।
- **समुद्री और बंदरगाह प्रदूषण** से पारिस्थितिकी तंत्र; जैसे प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव, जीव-जंतुओं के समुद्री पर्यावास को नुकसान पहुंच रहा है।
- **अत्यधिक पर्यटन** और अनियोजित विकास से नाजुक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण हो सकता है।
- **सीमित और अपूर्ण पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIAs)**।
  - **उदाहरण के लिए-** 2022 की एक रिपोर्ट में CAG ने कहा कि देश में कई परियोजनाएं तटीय क्षेत्र विनियमन और EIA मानदंडों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन कर रही हैं।

नीति और गवर्नेंस संबंधी चुनौतियां

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं** और IMO नियमों को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा है।
- उभरते क्षेत्रों (जैसे- **डीप-सी माइनिंग, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा**) के लिए **आधुनिक विनियामक** फ्रेमवर्क्स को अपनाने में देरी हो रही है।
- मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय, तथा अधिक सामंजस्यपूर्ण नीतिगत फ्रेमवर्क्स (ऊर्जा, विरासत, पर्यटन) की आवश्यकता है।
  - **उदाहरण के लिए-** ब्लू इकॉनमी से जुड़े कार्यों में कई मंत्रालय और एजेंसियां (मत्स्य, शिपिंग, पर्यावरण, पृथ्वी विज्ञान आदि) शामिल हैं, परन्तु **एकीकृत और समन्वित रणनीति** का अभाव है।

तकनीकी और अवसंरचनात्मक चुनौतियां

- मात्स्यिकी क्षेत्रक में **कोल्ड चेन, स्टोरेज और पोस्ट-हार्वेस्ट** सुविधाएं काफी कम हैं।
- **विशेष उपकरणों** (नवीकरणीय ऊर्जा, गहरे समुद्र में खनन, जैव प्रौद्योगिकी) के लिए आयात पर निर्भरता अत्यधिक है।
- भारत की **जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत क्षमता** सीमित है।

---

[20] Transforming India's Blue Economy: Innovation and Sustainable Growth

- अपतटीय ऊर्जा के लिए **विद्युत ग्रिड और ट्रांसमिशन सिस्टम** पर्याप्त नहीं हैं।
- जैव प्रौद्योगिकी में **अनुसंधान के परिणामों का व्यावसायिक उपयोग बहुत कम** है।
- गहरे समुद्र में खनिजों की खोज के लिए **नई तकनीक भारत के पास नहीं है**।
    - **उदाहरण के लिए-** भारत ने अटलांटिक महासागर में परीक्षण अभियानों के लिए फ्रांस के IFREMER की सबमर्सिबल **'नॉटिलस'** का उपयोग किया।

वित्तीय और निवेश संबंधी चुनौतियां

- मात्स्यिकी, बंदरगाह, नवीकरणीय ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रकों में **निजी क्षेत्रक का निवेश बहुत कम** है।
- छोटे मछुआरों, स्टार्ट-अप्स और तटीय पर्यटन सहकारी समितियों के लिए **वित्त-पोषण की कमी** है।
- लघु उद्यमों और अधिक पूंजी वाली गतिविधियों के लिए **बीमा कवरेज का अभाव** है।
- भारत में समुद्री जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए **अधिकांश वित्त-पोषण निजी वेंचर कैपिटल फर्मों** की बजाय जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैसी सरकारी संस्थाओं से आता है।

सामाजिक और समानता संबंधी चुनौतियां

- **कौशल की कमी:** प्रशिक्षित तकनीशियन तथा पोर्ट्स, बायोटेक व गहरे समुद्री कार्यों के लिए उच्च कौशल वाले लोगों की कमी है।
- **जनजातीय, महिलाएं और लघु मछुआरे जैसे वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व** कम है और अक्सर आर्थिक लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। साथ ही **विस्थापन का खतरा** भी बना रहता है।
    - **उदाहरण के लिए-** यद्यपि महिलाएं भारत के तटीय मात्स्यिकी कार्यबल का 72% हैं, परंतु उनकी भूमिका अनौपचारिक और कम-भुगतान वाले रोजगार तक ही सीमित हैं।

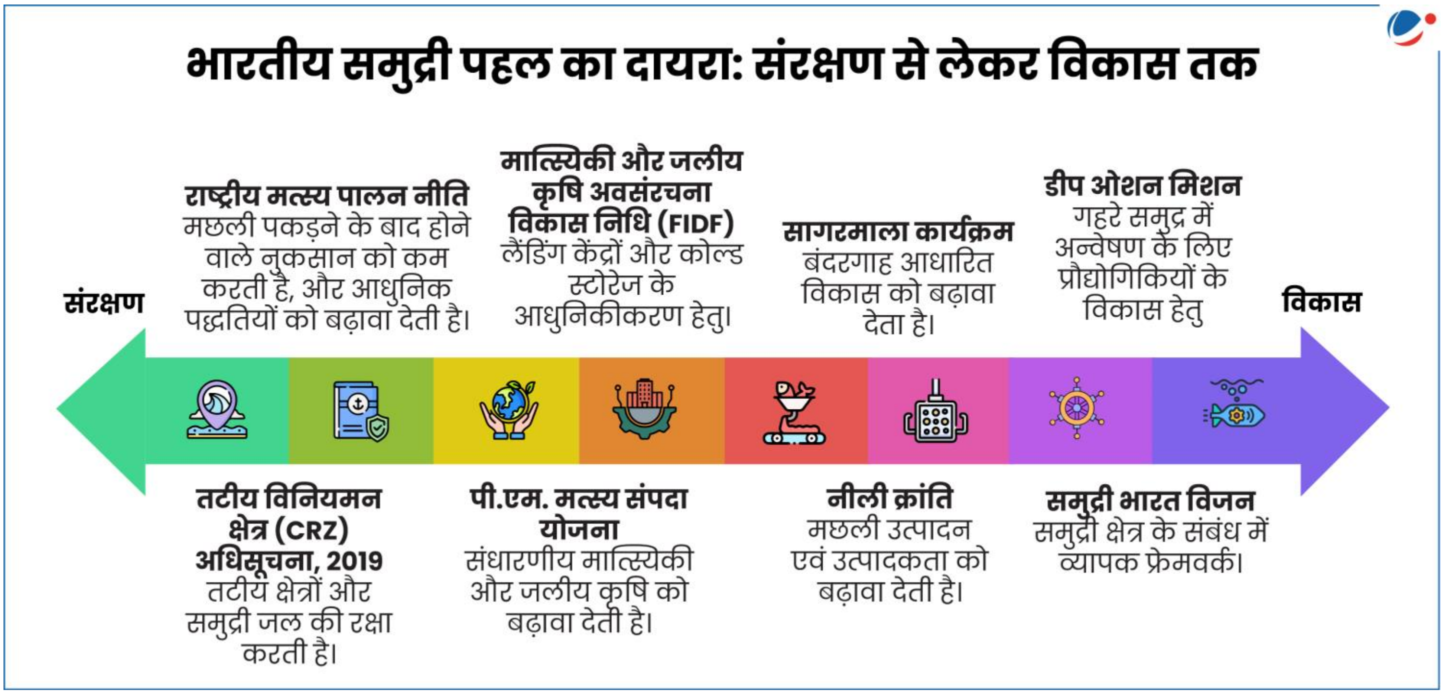

भारत की ब्लू इकोनॉमी से संबंधित सफल केस स्टडी

- **कोच्चि पोर्ट का डिजिटल ट्विन इंटीग्रेशन (वर्चुअल पोर्ट) के माध्यम से स्मार्ट पोर्ट में ट्रांसफॉर्मेशन:**
    - इस एकीकरण से संचालन दक्षता में सुधार हुआ है, सटीक योजना निर्माण संभव हुआ है और पोर्ट संचालन मजबूत हुआ है। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण की निगरानी भी संभव हुई है।
- **अलंग, गुजरात: जहाज तोड़ने को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल में बदलना:**
    - अलंग में पुराने जहाजों को तोड़ने की पारंपरिक **भारी-भरकम इंडस्ट्री को अब पर्यावरण-अनुकूल रिसाइक्लिंग मॉडल** में बदला गया है। यह **हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन** के मानकों के अनुसार काम कर रहा है, जिससे संसाधनों का सुरक्षित और टिकाऊ पुनः उपयोग संभव हुआ है।

- **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ANI): संधारणीय तटीय और समुद्री पर्यटन के लिए एक मॉडल**:
    - यहां समुदाय के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों और पर्यावरण-अनुकूल अवसंरचना में निवेश से लगभग 5,000 रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इससे पर्यटन-क्षेत्र से अपशिष्ट उत्सर्जन में 40% की कमी आयी है।
    - समुद्र तटों के लिए **ब्लू फ्लैग प्रमाणन** और **समुद्री स्थानिक नियोजन (MSP)**[21] ने समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs)[22] में पर्यटन को विनियमित करने में मदद की।
- **ओडिशा में समुदाय के नेतृत्व में सीवीड की खेती: सतत तटीय आजीविका के लिए एक मॉडल:**
    - ओडिशा में सालाना लगभग 5,000 टन सीवीड का उत्पादन हो रहा है। इससे 10,000 से अधिक तटीय परिवारों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिला है।
    - यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है क्योंकि **सीवीड खेती घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड** को अवशोषित करती है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में योगदान देती है, पानी की गुणवत्ता में सुधार करती है और मछलियों पर दबाव कम करती है।

निष्कर्ष

भारत की ब्लू इकोनॉमी की प्रगति के लिए हरित प्रौद्योगिकियों, आपदा-रोधी अवसंरचना और कौशल विकास में लक्षित निवेश आवश्यक हैं। **ब्लू बॉण्ड**, **कार्बन क्रेडिट बाजार**, और **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** जैसे नए वित्तपोषण मॉडल के साथ-साथ संधारणीय संसाधन प्रबंधन और समावेशी भागीदारी से पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। साथ ही, ये उपाय आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन सुनिश्चित करते हुए दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता और चुनौतियों से निपटने की क्षमता को बढ़ावा देंगे।

3.6. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 {Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025** पारित कर दिया।

शब्दावली को जानें

- **गहराई में स्थित खनिज (Deep-seated minerals):** वे खनिज जो भूमि की सतह से 200 मीटर से अधिक गहराई पर पाए जाते हैं।
- **समग्र लाइसेंस (Composite licence):** यह अन्वेषण (प्रोस्पेक्टिंग) और खनन, दोनों के अधिकार प्रदान करता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- उपर्युक्त संशोधन अधिनियम के माध्यम से **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957** में संशोधन किए गए हैं।
- इससे पहले इस अधिनियम में 2023 में संशोधन किए गए थे, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान शामिल किए गए थे:
    - 24 **क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिजों** की एक नई सूची पेश की गई जिसका उद्देश्य इन खनिजों के अन्वेषण और उत्पादन में तेजी लाना है।
    - ऐसे खनिजों के संबंध में खनन अधिकारों की नीलामी के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाया गया।
    - **क्रिटिकल मिनरल्स और गहराई में पाए जाने वाले खनिजों (डीप-सीटेड मिनरल्स)** के लिए **अन्वेषण लाइसेंस** प्रस्तुत किए गए।
- यह अधिनियम भारत में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिजों की उपलब्धता को बढ़ाएगा।

भारत के लिए क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिज क्यों महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं?

- **इन खनिजों की आपूर्ति पर चीन का वर्चस्व**: चीन का वर्तमान में दुर्लभ मृदा-तत्वों (रेयर अर्थ एलिमेंट्स) के 60-70% उत्पादन और 80-90% वैश्विक प्रसंस्करण क्षमता पर नियंत्रण है।

---

[21] Marine Spatial Planning

[22] Marine Protected Areas

- **स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण:** जैसे, सिलिकॉन, टेल्यूरियम, इंडियम और गैलियम का उपयोग **फोटोवोल्टिक (PV) सेल** में किया जाता है। इसी तरह डिस्प्रोसियम और नियोडिमियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग पवन टर्बाइन्स में स्थायी मैग्नेट बनाने में किया जाता है।
- **इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग:** लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे पदार्थ लिथियम-आयन बैटरी और एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा, ये पदार्थ **राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP)**[23] की सफलता के लिए भी आवश्यक हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षमताएं:** क्रिटिकल खनिज संचार और निगरानी प्रणालियों से लेकर हथियार एवं प्रोटेक्टिव गियर जैसी सैन्य क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **डिजिटल संप्रभुता सुरक्षित करना: डिजिटल अर्थव्यवस्था** और तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इन खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना जरूरी है।
    - **उदाहरण के लिए-** माइक्रोचिप्स के निर्माण के लिए सिलिकॉन जरूरी है, जबकि कोबाल्ट मेमोरी बढ़ाने वाले और लॉजिक डिवाइसेज़ के लिए जरूरी है।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDG) से लाभ प्राप्त करने में तेज़ी लाने के लिए:** ये खनिज विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, तथा सरकार के राजस्व, निर्यात और विकास को बढ़ावा देने में सक्षम है।
    - **उदाहरण के लिए-** UNDESA के अनुसार, **चिली ने निर्धनता उन्मूलन (SDG 1)** और बेहतर स्वास्थ्य-देखभाल सेवाओं (SDG 3) की सहायता के लिए तांबे के उत्पादन से प्राप्त राजस्व का उपयोग किया।

प्रमुख संशोधन और उनका महत्त्व

संशोधन	विवरण	महत्व
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास न्यास (NMEDT)[24]	• इसने पहले के **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET)** का स्थान लिया है और इसके **दायरे और अधिकार क्षेत्र** का विस्तार किया गया है। • NMEDT अब आवंटित फंड का उपयोग **भारत के भीतर** (अपतटीय क्षेत्रों सहित) और **भारत के बाहर** भी, खानों और खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए कर सकता है। • पट्टेदारों द्वारा ट्रस्ट को भुगतान की जाने वाली **राशि 2% से बढ़ाकर 3% कर** दी गई है।	• यह **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) का समर्थन करता है:** NCMM के तहत NMEDT से अगले 5 वर्षों में 8,700 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।
अन्य खनिजों को खनन पट्टे में शामिल करना	• पट्टे-धारक मौजूदा पट्टे में अन्य खनिजों को जोड़ने के लिए **राज्य सरकार** को आवेदन कर सकते हैं। • क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिजों तथा अन्य **निर्दिष्ट खनिजों को शामिल करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान** करने की आवश्यकता नहीं है।	• यह क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक **खनिजों के उत्पादन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करता है:** ये खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं और इनका खनन और प्रसंस्करण कठिन होता है। ○ उदाहरण के लिए, कोबाल्ट और निकल आमतौर पर तांबे के अयस्कों के साथ पाए जाते हैं।
सन्निहित क्षेत्र (Contiguous area) का समावेश	• यह **गहराई में पाए जाने वाले खनिजों** के लिए **खनन पट्टे के तहत क्षेत्र (10% तक विस्तार) या समग्र पट्टे (30% तक विस्तार) के लिए एक बार के विस्तार की अनुमति** देता है।	• **यह गहराई में पाए जाने वाले खनिजों के इष्टतम खनन को संभव बनाता है:** इन खनिजों के खनन के लिए अलग पट्टे या लाइसेंस देना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है।

[23] National Electric Mobility Mission Plan

[24] National Mineral Exploration and Development Trust

मिनरल एक्सचेंज की स्थापना	• ये **मिनरल एक्सचेंज** (खनिजों और धातुओं के व्यापार के लिए पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या बाजार) को **पंजीकृत और विनियमित करने के लिए एक प्राधिकरण स्थापित** करने का प्रावधान करता है। • यह **केंद्र सरकार को पंजीकरण, शुल्क लगाने, इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम करने** जैसे मामलों पर मिनरल एक्सचेंज के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है।	• **यह खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देगा:** यह आपूर्ति और मांग की गतिशीलता के आधार पर उचित और पारदर्शी बाजार मूल्य निर्धारित करने में खनिकों और खनिजों के अंतिम-उपयोगकर्ताओं की मदद करेगा।
कैप्टिव माइंस की बिक्री पर सीमा हटाना	• **कैप्टिव माइंस से खनिजों की बिक्री की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी:** ○ पहले, कैप्टिव माइंस को अपने अंतिम-उपयोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, एक वर्ष में उत्पादित खनिजों का केवल 50% तक बेचने की अनुमति थी। • **कैप्टिव माइंस को एकत्रित किए गए ऐसे खनिजों के डंप बेचने** की अनुमति दी गई है जिनका उपयोग आंतरिक रूप से नहीं किया जा सकता है। इससे पर्यावरण के नुकसान को कम करने और खनन कार्यों में सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।	• यह प्रावधान बाजार में अधिक खनिज की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और राज्यों को अतिरिक्त राजस्व प्रदान करेगा।

निष्कर्ष

भारत का हरित ऊर्जा की ओर कदम काफी हद तक क्रिटिकल खनिजों की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर करता है। जैसे-जैसे भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इन आवश्यक खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

नोट: *क्रिटिकल मिनरल्स और NCMM के बारे में और अधिक जानकारी के लिए फरवरी, 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.2. देखें।*

3.7. गिग वर्कर्स (Gig Workers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कर्नाटक विधान सभा ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए **कर्नाटक प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2025** पारित किया।

डेटा बैंक

नीति आयोग के अनुसार, गिग वर्कर्स की स्थिति

- 2020-21 में **77 लाख** कर्मचारी गिग इकोनॉमी में कार्यरत थे।
- 2030 तक **2.35 करोड़** गिग वर्कर्स होंगे।
- यह प्रति वर्ष 13% की वृद्धि दर से बढ़ रही है।

विधेयक के बारे में अन्य संबंधित तथ्य

- **कल्याण बोर्ड की स्थापना:** यह वर्कर्स और एग्रीगेटर्स का पंजीकरण करेगा, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाएगा, योजनाओं की निगरानी करेगा, आदि।
- **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि की स्थापना:** इसमें **कल्याण शुल्क** (श्रमिक और एग्रीगेटर के बीच लेनदेन पर या कंपनी के कुल कारोबार पर) तथा **केंद्र और राज्य सरकारों के योगदान** शामिल होंगे।
- **अन्य**: एग्रीगेटर गिग वर्कर्स को पंजीकृत करेंगे, कार्य की शर्तों को साझा करेंगे, और यह बताएंगे कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स उनकी स्थितियों को कैसे प्रभावित करते हैं।
- **राजस्थान और बिहार** ने इस संबंध में क्रमशः 2023 और 2025 में कानून पारित किए थे।

गिग वर्कर्स के बारे में

- **परिभाषा**: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुसार, एक गिग वर्कर वह व्यक्ति होता है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के दायरे से बाहर कार्य करता है।
- **प्रकार**: प्लेटफॉर्म-आधारित और गैर-प्लेटफॉर्म-आधारित वर्कर।

- **प्लेटफ़ॉर्म-आधारित वर्कर:** जिनका कार्य ऑनलाइन ऐप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए- ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, अर्बन कंपनी आदि।
- **गैर-प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स:** आमतौर पर पारंपरिक क्षेत्रों में कैजुअल पारिश्रमिक-भोगी और स्वरोजगार करने वाले वर्कर्स होते हैं, जो अंशकालिक या पूर्णकालिक कार्य करते हैं।

गिग इकोनॉमी के विकास के कारण: जनसांख्यिकीय लाभांश (65% भारतीय 15-64 वर्ष की आयु वर्ग में हैं), तेजी से शहरीकरण, कोविड-19 के दौरान रिमोट वर्क को बढ़ावा मिलना, स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रसार (भारत में, 85.5% घरों में कम-से-कम एक स्मार्टफोन है), आदि।

गिग अर्थव्यवस्था का महत्त्व

सरकार के लिए

- **जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करना:** रोजगार प्राप्ति क्षमता सुनिश्चित करना, गिग अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यवसाय भारत में सृजित सभी नए रोजगारों में से 56% का योगदान करते हैं।
- **आर्थिक संवृद्धि:** नीति आयोग के अनुसार, 2030 तक भारत की गिग अर्थव्यवस्था में 250 बिलियन डॉलर का लेनदेन हो सकता है। यह देश की GDP का 1.25% होगा।

समाज के लिए

- **कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण**: ILO के अनुसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रोजगार की उदार व्यवस्था महिलाओं, युवाओं और दिव्यांग लोगों को लाभ पहुंचाती है।
- **सूक्ष्म-उद्यमिता**: एयरबीएनबी और अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म लोगों को अपने कौशल, एसेट्स और समय का उपयोग करके आय सृजित करने का अवसर देते हैं। साथ ही, स्टार्टअप के लिए शुरुआती उच्च लागत जैसी बाधाओं को भी कम करते हैं।

श्रमिकों के लिए

- **लचीली कार्य-दशाएं**: रिमोट वर्क, ऑन-डिमांड और कार्य-आधारित व्यवस्था, लचीले कार्य-घंटे, आदि।
- **कौशल विकास**: गिग अर्थव्यवस्था डिजिटल साक्षरता, स्व-प्रबंधन, संचार, समस्या-समाधान आदि जैसे कई कौशल प्रदान करती है।

उपभोक्ताओं के लिए

- **वैश्विक बाजार तक पहुंच**: उदाहरण के लिए, एयरबीएनबी और अमेज़ॅन।
- **अधिक सुविधा**: व्यक्तिगत और सस्ते उत्पादों के माध्यम से।

गिग श्रमिकों के लिए चुनौतियां

- **सामाजिक सुरक्षा कवरेज का अभाव: नीति आयोग** के अनुसार, 82.5% से अधिक गिग वर्कर अनौपचारिक क्षेत्र के वर्कर्स हैं जहां सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध नहीं है।
- **स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** कार्य की प्रकृति के कारण, जैसे समय पर वस्तु पहुंचाने का सख्त नियम सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है।
- **कार्य के अधिक घंटे: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस** के अनुसार, 60% प्लेटफॉर्म वर्कर सप्ताह में 7 दिन कार्य करते हैं, जबकि 47% वर्कर प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक कार्य करते हैं।
- **आय की अनिश्चितता: फेयरवर्क इंडिया** के अनुसार, लगभग आधे गिग वर्कर्स को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है।
- **एल्गोरिथम विषमता:** प्लेटफॉर्म कार्य को प्रबंधित करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। हालांकि, इस पर निर्भरता के कारण कई असंतुलन पैदा होते हैं, जैसे:
  - **सूचना तक पहुंच**: प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स की पहुँच वर्कर्स की व्यक्तिगत जानकारी तक होती है, जिससे निजता के अधिकार के उल्लंघन का खतरा बढ़ जाता है।
  - **पारदर्शिता**: रेटिंग प्रणाली, कार्य वितरण और डेटा-आधारित पारिश्रमिक आदि अक्सर एल्गोरिदम द्वारा निर्देशित होते हैं जिनमे पारदर्शिता नहीं होती हैं। इससे अनुचित गणना की आशंका बढ़ जाती है।

भारत में गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए उठाए गए कदम

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: इसमें गिग श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज का लाभ प्रदान करने का प्रावधान है।

वेतन संहिता, 2019: गिग श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम और फ्लोर वेज (आधार पारिश्रमिक) सुनिश्चित करती है।

ई-श्रम पोर्टल: गिग श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस।

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): इसके तहत गिग श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्रक के सभी पंजीकृत श्रमिक दुर्घटना बीमा लाभ के हकदार हैं।

निष्कर्ष

गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स के लिए एक व्यापक नियम बनाया जा सकता है, जो उन्हें न्यायसंगत पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कवरेज, सुरक्षित कार्यस्थल, लैंगिक समावेशन और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करे। इसमें पारदर्शिता, एल्गोरिथ्मिक जवाबदेही और यूनियन बनाने के अधिकार को अनिवार्य किया जाना चाहिए, साथ ही प्रशिक्षण, शिकायत निवारण और वित्तीय स्रोतों तक पहुंच को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कार्य की बदलती प्रकृति के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #99

फ्यूचर ऑफ वर्क

3.8. आयकर अधिनियम 2025 (Income Tax Act 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने **आयकर अधिनियम, 2025** को मंजूरी दे दी। यह कानून **आयकर अधिनियम, 1961** की जगह लेगा।

आयकर अधिनियम, 2025 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **लागू होना**: यह अधिनियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।
- **छोटा और सरल**: नया अधिनियम पिछले अधिनियम की तुलना में संक्षिप्त और सरल भाषा में है।
  - **न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT)**[25] और **वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT)**[26] के प्रावधानों को दो उप-खंडों में अलग कर दिया गया है।
- **मुख्य कर प्रावधानों में स्थिरता**:
  - व्यक्तियों और निगमों के लिए कर की दरों और व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं।
  - अपराध के प्रकारों और दंडों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
  - अधिकतर परिभाषाओं को भी यथावत रखा गया है।
  - कर मामलों से जुड़ी **जानकारी एकत्र करना और आकलन** अब फेसलेस तरीके से होगा।
- **योजनाएं बनाने की शक्ति:** अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को अधिक **दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही** के लिए नई योजनाएं बनाने का अधिकार दिया गया है।
- **अघोषित आय:** पहले अघोषित आय में केवल पैसा, सोना, चाँदी, गहने और अन्य कीमती सामान शामिल थे। अब इसमें **वर्चुअल डिजिटल एसेट्स** भी शामिल कर ली गई हैं।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT)

- इसका उद्देश्य उन **"जीरो टैक्स भुगतान वाली कंपनियों"** को कर के दायरे में लाना है, जो पर्याप्त लाभ कमाने और उच्च लाभांश देने के बावजूद, आयकर कानून के तहत प्रदान की गई अलग-अलग कर रियायतों और प्रोत्साहनों का फायदा उठाकर टैक्स देने से बच जाती हैं।
- MAT के प्रावधान केवल **कॉर्पोरेट करदाता** पर लागू होते हैं।

वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT)

- इसमें MAT के समान प्रावधान हैं, लेकिन यह **गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं** पर लागू होता है।

[25] Minimum Alternate Tax

[26] Alternate Minimum Tax

* **वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच**: आयकर अधिकारियों को अब तलाशी और जब्ती की कार्यवाही के दौरान वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति है।
  * अब अधिकारी किसी भी पासवर्ड या एक्सेस कोड को **ओवरराइड** करके डिजिटल डाक्यूमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं।
  * **अधिनियम में "वर्चुअल डिजिटल स्पेस"** को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें ई-मेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग अकाउंट्स, और परिसंपत्ति के स्वामित्व के विवरण को भंडारित करने वाली वेबसाइट्स शामिल हैं।
* **विवाद समाधान पैनल**: यह अधिनियम कुछ पात्र करदाताओं को आकलन (Assessees) अधिकारियों द्वारा पारित ड्राफ्ट आदेशों को एक विवाद समाधान पैनल के पास भेजने की अनुमति देता है।
  * इन करदाताओं में **ट्रांसफर प्राइसिंग** मामलों में संलग्न व्यक्ति, अनिवासी, या विदेशी कंपनियां शामिल हैं।
  * **ट्रांसफर प्राइसिंग** किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की इकाइयों के बीच आपसी लेनदेन की कीमत को कहा जाता है।
* **लंबित कार्यवाही:** नए कानून लागू होने के समय यदि कोई मामला आयकर अधिकारी, अपीलीय अधिकरण या न्यायालय में लंबित है, तो उसे पुराने कानून के अनुसार ही निपटाया जाएगा।
* **कर संधियों की व्याख्या:** यह अधिनियम केंद्र सरकार को दोहरे कराधान के मामलों में राहत प्रदान करने के लिए अन्य देशों के साथ समझौते करने की अनुमति देता है।

अन्य संबंधित तथ्य

राष्ट्रपति ने हाल ही में **कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025** को अपनी मंजूरी दे दी।

* यह अधिनियम मौजूदा कर कानूनों, मुख्य रूप से **आयकर अधिनियम, 1961** और **वित्त अधिनियम, 2025** में संशोधन करने के लिए एक विधायी कदम है।

संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान

* **एकीकृत पेंशन प्रणाली (UPS) के लिए छूट**: यह अधिनियम नई पेंशन योजना के लाभों के अनुरूप कर छूट प्रदान करता है।
* **सऊदी अरब की सार्वजनिक निवेश निधि (PIF)[27] और उसकी सहायक कंपनियों को कर लाभ**: सऊदी अरब की सार्वजनिक निवेश निधि में 925 बिलियन डॉलर से अधिक की कुल संपत्ति प्रबंधन के अधीन है।
* **तलाशी मामलों में ब्लॉक असेसमेंट:** इसका उद्देश्य ब्लॉक असेसमेंट प्रक्रियाओं में लंबित मूल्यांकनों/ पुनर्मूल्यांकनों के समाधान को सुव्यवस्थित करना है।

3.9. पर्यावरण, सामाजिक और शासन (Environmental, Social, and Governance: ESG)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति ने लोक सभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और भारत में ESG फ्रेमवर्क में सुधार के लिए सिफारिशें की।

ESG फ्रेमवर्क क्या है?

ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) तीन प्रमुख क्षेत्रकों में कंपनी की संधारणीयता और नैतिक गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। इसमें तीन मुख्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है:पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक जिम्मेदारी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस।

ESG फ्रेमवर्क का महत्व:

* **वैश्विक व्यवस्थाओं के अनुरूप:** यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संधारणीय विकास लक्ष्यों जैसे SDGs और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का समर्थन करता है।
* **वित्तपोषण तक पहुँच**: यह ESG को समझने वाले निवेशकों, ग्राहकों और कर्मचारियों को आकर्षित करता है, साथ ही ग्रीन फाइनेंसिंग (हरित वित्त) तक पहुँच आसान करता है।
* **परिचालन दक्षता में सुधार**: नवीकरणीय ऊर्जा जैसी संधारणीय पद्धतियों को अपनाकर लागत कम करता है।
* **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ**: पर्यावरणीय/सामाजिक नकारात्मक प्रभावों को कम करने वाली सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के माध्यम से नवाचार और चुनौतियों से निपटने की क्षमता को बढ़ावा देता है।
* **ब्रांड वैल्यू:** यह समुदाय की जरूरतों और हितधारकों की चिंताओं का समाधान करके समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

[27] Public Investment Funds

भारत में ESG रिपोर्टिंग से जुड़ी चुनौतियाँ (संसदीय स्थायी समिति द्वारा रेखांकित):

- **ग्रीनवाशिंग का लगातार जोखिम:** उनके ESG प्रदर्शन के बारे में झूठे या भ्रामक दावों से ब्रांड छवि को नुकसान हो सकता है।
- **विभिन्न क्षेत्रों में असंगत कार्यान्वयन:** मान्यता प्राप्त नियमों की कमी और रिपोर्टिंग के बिखरे हुए दृष्टिकोण के कारण अलग-अलग क्षेत्रकों में ESG का क्रियान्वयन असमान है।
- **ESG पद्धतियों को अपनाने में लघु व्यवसायों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ:** ESG को अपनाने के लिए डेटा संग्रह, रिपोर्टिंग, प्रमाणन आदि के संदर्भ में शुरुआत में ही अधिक खर्च करना पड़ता है। इससे संसाधनों और विशेषज्ञता की कमी वाले लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) पर भारी बोझ पड़ता है।

अन्य चुनौतियां:

- **जागरूकता और शिक्षा का अभाव:** कई भारतीय व्यवसायों में ESG के प्रति जागरूकता, विशेषज्ञता और पेशेवरों की कमी है; संधारणीयता और ESG पर शिक्षा सीमित और अविकसित है।
- **व्यावसायिक रणनीति के साथ एकीकरण:** कंपनियाँ ESG को अपनी मूल व्यवसाय रणनीतियों के साथ जोड़ने में कठिनाई महसूस करती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उन पर खर्च तो बहुत होता है, लेकिन वास्तविक मूल्य या संधारणीयता सृजित नहीं हो पाती।
- **डेटा की गुणवत्ता और उपलब्धता:** कई भारतीय कंपनियों में उचित प्रणालियों और मानकों का अभाव है, जिससे ESG डेटा अविश्वसनीय लगता है और इसे मापना या लगातार रिपोर्ट करना कठिन है।
- **विनियामक कमियां:** SEBI ने शीर्ष 1000 सूचीबद्ध फर्मों के लिए ESG डिस्क्लोजर को अनिवार्य किया है।
  - भारत में अब भी एक-समान और स्पष्ट नियमों की कमी है; ESG रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट, और सुसंगत फ्रेमवर्क नहीं है।

ESG को प्रभावी बनाने के लिए आगे की राह:

संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें:

- **अलग ESG निरीक्षण संस्था की स्थापना:** ग्रीनवाशिंग से निपटने के लिए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित की जाए।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन:** निदेशकों की जिम्मेदारियों (fiduciary duties) में ESG उद्देश्यों को शामिल किया जाए।
- **स्वतंत्र ESG समितियां:** ESG रणनीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए।

अन्य अनुशंसाएँ:

- **स्पष्ट ESG लक्ष्य तय करना:** कंपनियों को अपनी व्यावसायिक रणनीति के अनुरूप स्पष्ट ESG लक्ष्य तय करने चाहिए।
  - ये लक्ष्य विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए।
- **ESG प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश:** ताकि ESG रणनीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
- **ESG विशेषज्ञों के साथ साझेदारी करना:** व्यवसाय ESG को अपनाने में मदद करने के लिए ESG परामर्श फर्मों के साथ साझेदारी कर सकते हैं। ये विशेषज्ञ ESG की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकते हैं।

भारत में ESG को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें:

- **बिज़नेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (BRSR):** यह एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जिसे SEBI ने भारत की शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य किया है।
- **BRSR कोर:** यह कंपनियों को उनकी मूल्य श्रृंखलाओं के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी डिस्क्लोजर करना अनिवार्य करता है।
- **जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (NGRBCs):** इन्हें कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 2019 में जारी किया था। ये स्वैच्छिक दिशा-निर्देश हैं जिनका उद्देश्य कंपनियों को नैतिक और संधारणीय पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के** अनुसार एक निश्चित टर्नओवर और लाभप्रदता वाली कंपनियों के लिए पिछले 3 वर्षों के **अपने औसत निवल लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है।**

3.10. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India: CCI)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **वित्त संबंधी स्थायी समिति ने** संसद के समक्ष **"अर्थव्यवस्था विशेषकर डिजिटल परिदृश्य में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बदलती भूमिका[28]"** शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

CCI की भूमिका

- **प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कार्य-प्रणालियों को समाप्त करना**: उदाहरण के लिए, **उमर जावेद बनाम गूगल मामले में**, CCI ने गूगल को निर्देश दिया कि वह ऐप डेवलपर्स को केवल अपने ऐप स्टोर तक सीमित न करे और उन्हें साइड-लोडिंग की अनुमति दे।
    - **साइड-लोडिंग** का अर्थ है **आधिकारिक ऐप स्टोर के अलावा डिवाइस पर बाहर से ऐप्स इंस्टॉल करना**।
- **उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना: उदाहरण के लिए,** CCI ने मेटा (Meta) पर जुर्माना लगाया क्योंकि उसने व्हाट्सएप का यूज़र डेटा अन्य मेटा कंपनियों के साथ साझा करके अपनी प्रभुत्व शक्ति का दुरुपयोग किया।
- **सरकार को प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर सलाह देना: उदाहरण के लिए,** CCI द्वारा बनाया गया "प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन टूलकिट" सरकार की मदद करता है, ताकि कानून और नीतियों के उन पहलुओं को पहचाना जा सके जो प्रतिस्पर्धा को सीमित करते हैं।
- **प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्य-प्रणालियों की जांच, पूछताछ, आदेश पारित करना और जुर्माना लगाना:** उदाहरण के लिए, गूगल सर्च बायस केस में CCI ने 135 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
    - CCI के पास **सिविल कोर्ट के समान शक्तियां** भी हैं (समन जारी करना, सबूत इकट्ठा करना आदि)।
- **विलय को विनियमित करना: उदाहरण के लिए,** वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट विलय को CCI ने मंजूरी दी, लेकिन पहले यह जांचा कि कहीं इसमें प्रीडेटरी प्राइसिंग (कम मूल्य पर बेचना), भारी डिस्काउंट और ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं पर नकारात्मक असर जैसी समस्याएं तो नहीं हैं।
- **बदलती चुनौतियों के अनुसार ढलना: CCI** ने **डिजिटल मार्केट्स डिवीजन (DMD)** का गठन किया है, ताकि डिजिटलाइजेशन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया जा सके।
    - यह विभाग तकनीक और उसके प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव का अध्ययन करता है।
    - यह ड्राफ्ट डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल (DCB) से संबंधित कार्यों में भी मदद करता है।

CCI के समक्ष उभरती हुई चुनौतियां

- **डिजिटलीकरण** : इसने काम-काज को आसान बनाया है, लेकिन साथ ही **कई चुनौतियां** भी पैदा की हैं, जैसे-
    - **टेक कंपनियां गेटकीपर के रूप में:** वे उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच पहुँच को नियंत्रित करती हैं।

[28] Evolving Role of Competition Commission of India in the Economy, particularly the Digital Landscape

        - **उदाहरण:** xAI ने Apple पर केस किया क्योंकि Apple ने iOS में केवल ChatGPT को इंटीग्रेट किया।
    - **नेटवर्क इफेक्ट:** उदाहरण के लिए, व्हाट्सएप की 2021 की **'टेक-इट-या-लीव-इट'** नीति, जो सभी यूजर्स को नेटवर्किंग इफेक्ट का लाभ उठाने के लिए डेटा संग्रह की शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इस पर CCI ने जुर्माना लगाया।
    - **डेटा पर प्रभुत्व:** बड़ी टेक कंपनियां यूजर्स का विशाल डेटा कंट्रोल करती हैं, जिससे लघु कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है।
        - **यूरोपीय संघ** के **विनियामकों ने अमेजन पर** खुदरा क्षेत्र में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर थर्ड पार्टी विक्रेताओं के डेटा का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
- **इकोसिस्टम में दबदबा:** उदाहरण के लिए– Apple का इकोसिस्टम जिसमें एप्पल पे, सफारी ब्राउजर, iCloud, एप्पल म्यूजिक शामिल हैं।
- **अन्य चुनौतियां:**
    - **स्व-प्राथमिकता/ Self-Preferencing-** प्लेटफ़ॉर्म पर अपने ही उत्पादों को प्राथमिकता देना,
    - प्रीडेटरी प्राइसिंग और **भारी छूट**
    - **टाईइंग और बंडलिंग-** विभिन्न सेवाओं को जबरन जोड़कर बेचना।
- **व्यापक नीतिगत फ्रेमवर्क का अभाव:** राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति, 2011 में तैयार की गई थी लेकिन अब तक लागू नहीं हुई है।
- **डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (DCB) की चिंताएं:** इसमें बहुत व्यापक सीमा तय की गई है, जवाब देने का कोई प्रावधान नहीं है और **इसका डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) से टकराव** हो सकता है।
- **सीमा-पार न्याय-क्षेत्र से संबंधित मुद्दे:** डिजिटल बाजार और कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती हैं, इसलिए CCI को वैश्विक विनियामकों के साथ सहयोग करना जरूरी है।
- **संसाधन और क्षमता की कमी:** CCI में मानव संसाधन की भारी कमी है (195 स्वीकृत पदों में से सिर्फ़ 113 भरे गए हैं) और *AI* जैसी तकनीकी विशेषज्ञता का भी अभाव है।
- **कार्यान्वयन की प्रभावशीलता:** CCI द्वारा लगाए गए जुर्माने (20,350.46 करोड़ रुपये में से 18,512.28 करोड़ रुपये) को प्रायः अपीलीय न्यायालयों द्वारा रोक दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है।
- **MSMEs के लिए खतरा:** 2,000 करोड़ रुपये की **डील वैल्यू थ्रेशहोल्ड (DVT)** के कारण बड़ी कंपनियां लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बिना विनियामकीय जांच के अधिग्रहित कर सकती हैं।

प्रतिस्पर्धा को सुव्यवस्थित करने के लिए हालिया पहलें

- **प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023**
    - **डील वैल्यू थ्रेशहोल्ड (DVT):** विलय और अधिग्रहण (M&A) को विशेष रूप से डिजिटल बाजार में नियंत्रित करने के लिए।
        - 2000 करोड़ रुपये से अधिक वैल्यू वाले विलय और अधिग्रहण से संबंधित सभी सौदे को CCI को सूचित करना अनिवार्य है।
    - **निपटान और प्रतिबद्धता तंत्र:** CCI को यह अधिकार दिया गया है कि वह कुछ प्रतिस्पर्धा-रोधी मामलों में संबंधित पक्षों से स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं स्वीकार करे।
    - **आनुपातिक दंड:** CCI के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए अब लगाए गए जुर्माने का 25% अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:** यह अधिनियम व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और डिजिटल कंपनियों की डेटा-आधारित गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

आगे की राह (समिति की सिफारिशें)

- **डिजिटल प्रतिस्पर्धा विनियमन: बाजार अध्ययन** (जैसे AI) का उपयोग करना चाहिए, **राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति को लागू करना** चाहिए आदि।
- **सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों से सीखना:** जैसे कि **यूरोपीय संघ का डिजिटल मार्केट अधिनियम**, जो एक प्रत्याशित प्रतिस्पर्धा फ्रेमवर्क है, यह सुनिश्चित करता है कि गेटकीपर ऑनलाइन निष्पक्ष व्यवहार करें।
- **MSMEs के लिए कम डील वैल्यू थ्रेशहोल्ड:** इस पर MSME से जुड़े अधिग्रहण के मामलों पर विचार किया जाता है, और प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफार्मों द्वारा की जाने वाली प्रीडेटरी प्राइसिंग की CCI द्वारा सक्रिय जांच की जानी चाहिए।
    - बड़ी डिजिटल कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए **MSMEs को डेटा तक पहुंच** सुगम बनाना चाहिए।
- **संस्थागत क्षमता और संसाधनों की कमी को दूर करना:** CCI में स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, निरंतर प्रशिक्षण में निवेश किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक में सुधार करना:** ताकि व्यापक थ्रेशहोल्ड जैसी मौजूदा चिंताओं को दूर किया जा सके।

3.11. भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 (Indian Ports Act 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 को मंजूरी प्रदान की है। यह औपनिवेशिक युग के भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की जगह लेगा।

भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 के बारे में

इसका उद्देश्य **पत्तन/ बंदरगाहों (Ports) से संबंधित कानूनों को एकीकृत करना, बंदरगाहों का समग्र विकास सुनिश्चित करना,** व्यापार को सुगम बनाना और भारत की समुद्री तटरेखा का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।

भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 की मुख्य विशेषताएं:

- **राज्य समुद्रीय विकास परिषद (MSDC)[29] को वैधानिक मान्यता:** यह केंद्र सरकार द्वारा गठित एक परिषद है। इसका काम कानूनी फ्रेमवर्क, बंदरगाह क्षेत्रक के विकास, प्रतिस्पर्धा, दक्षता और बंदरगाह कनेक्टिविटी पर केंद्र सरकार को सुझाव देना है।
  - **संरचना:**
    - केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे।
    - प्रत्येक तटीय राज्य के प्रभारी मंत्री,
    - तटीय सुरक्षा से जुड़े भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के सचिव, और
    - केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव।
- **राज्य समुद्रीय बोर्ड (SMB)[30] को वैधानिक मान्यता:** यह अपने-अपने राज्यों के **प्रमुख बंदरगाहों के अतिरिक्त अन्य बन्दरगाहों** (Non-Major Ports) का संचालन और प्रबंधन करेंगे।
- **विवाद निपटान तंत्र**: प्रत्येक राज्य सरकार को बंदरगाहों (प्रमुख बंदरगाहों के अलावा) के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए एक **विवाद समाधान समिति** का गठन करना होगा।
  - समितियों के अंतर्गत आने वाले मामलों पर किसी भी **सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं** होगा।
  - विवाद समाधान समिति के आदेशों के खिलाफ 60 दिनों के भीतर **हाई कोर्ट** में अपील की जा सकती है।
- **बंदरगाह शुल्क और दरें:**
  - **प्रमुख (Major) बंदरगाहों या महापत्तन** के लिए शुल्क **बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी** या कंपनी होने पर उसके **निदेशक मंडल** द्वारा तय किया जाएगा।
  - प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाहों के लिए शुल्क संबंधित **राज्य समुद्रीय बोर्ड** या **अधिकृत एजेंसियां** तय करेंगी।
- **बंदरगाह अधिकारी (Port officer):** अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार प्रत्येक बंदरगाह या बंदरगाह समूह के लिए एक बंदरगाह अधिकारी (संरक्षक/ Conservator) नियुक्त करेगी।
  - इसके पास जहाज की बर्थिंग, मूरिंग, लंगर डालने, मूवमेंट और अवरोधों को हटाने के संबंध में **निर्देश जारी करने की शक्तियां** हैं।

> **MARPOL और BWM कन्वेंशन**
>
> - MARPOL कन्वेंशन **एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन** है, जो जहाजों द्वारा ऑपरेशनल या आकस्मिक वजहों से होने वाले **समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया है।**
>   - भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है।
> - ब्लास्ट वाटर मैनेज़मेंट (BWM) कन्वेंशन एक प्रकार की संधि है जो **जहाजों के ब्लास्ट वाटर** में मौजूद **हानिकारक जीवों और रोगजनकों के प्रसार को रोकने में मदद करता** है।
>   - भारत इस कन्वेंशन का पक्षकार नहीं है।
> - दोनों कन्वेंशन को **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organisation: IMO)** द्वारा अपनाया गया है।

- **मेगा पोर्ट्स:** केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से, बंदरगाहों को "मेगा पोर्ट्स" के रूप में वर्गीकृत करने के मानदंड अधिसूचित करेगी। मेगा पोर्ट अपनी मूल स्थिति (प्रमुख बंदरगाह या अन्य बंदरगाह) को बनाए रखेगा और उस बंदरगाह पर लागू संबंधित कानूनों द्वारा संचालित होता रहेगा।
- **आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना**: बंदरगाहों की सुरक्षा, संरक्षा, आपदा प्रबंधन, और प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया योजना बनायी जाएगी, जिसे केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी और इसकी नियमित जांच भी होगी।

---

[29] Maritime State Development Council

[30] State Maritime Boards

- **पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण:** यह अधिनियम **जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (MARPOL)**[31] और **ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट (BWM) कन्वेंशन** का अनुपालन अनिवार्य करता है।
- **दंड:** 1908 के अधिनियम में कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर केवल उनके लिए आर्थिक दंड (जुर्माना) निर्धारित किया गया है।
  - **डिजिटल एकीकरण और डेटा प्रबंधन: बंदरगाह से जुड़ी जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम या किसी केंद्रीकृत प्रणाली से जोड़ने** के नियम लागू होंगे।
  - **स्वामित्व परिवर्तन के लिए पूर्व मंजूरी:** किसी भी बंदरगाह के **स्वामित्व या प्रभावी नियंत्रण में बड़े पैमाने पर परिवर्तन** के लिए **केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की एक** नई अनिवार्यता लागू की गई है।
  - **अपवाद:** यह अधिनियम कुछ विशेष बंदरगाहों, नौगम्य नदियों, केवल सैन्य उपयोग के लिए काम करने वाले हवाई जहाजों, गैर-व्यावसायिक सरकारी जहाजों, भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और विदेशी युद्धपोतों पर लागू नहीं होगा।

निष्कर्ष

भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 एक ऐतिहासिक सुधार है जिसका उद्देश्य भारत में बंदरगाह प्रशासन का आधुनिकीकरण, दक्षता को बढ़ावा देना और वैश्विक समुद्री मानकों के अनुरूप बनाना है। हालांकि, मेगा पोर्ट्स के वर्गीकरण की आवश्यकता और संरक्षक (कंजर्वेटर) द्वारा लगाए गए दंड के खिलाफ अपील का प्रावधान न होना जैसी चिंताओं का समाधान किया जाना आवश्यक है। सही निगरानी और संतुलन के साथ यह अधिनियम भारत को 2047 तक एक अग्रणी समुद्री राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ा सकता है।

भारत में बंदरगाह

- वर्तमान में भारत में **12 प्रमुख (Major) पत्तन/ बंदरगाह** हैं। 13वां प्रमुख बंदरगाह **महाराष्ट्र के पालघर जिले** के **वधावन** में निर्माणाधीन है। साथ ही प्रमुख बंदरगाहों के अलावा लगभग **200 अन्य बंदरगाह** हैं।
  - **प्रमुख बंदरगाह:** पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में।
  - **प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाह:** ये संबंधित राज्य समुद्रीय बोर्ड/ राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित और उनके नियंत्रण में होते हैं।
- भारत के कुल व्यापार का लगभग **95% मात्रा (Volume)** के हिसाब से और **70% मूल्य (Value)** के हिसाब से समुद्री मार्गों के माध्यम से संचालित होता है।
  - प्रमुख बंदरगाहों से 53% समुद्री कार्गो का संचालन होता है, जबकि अन्य बंदरगाहों (मुंद्रा और सिक्का जैसे निजी बंदरगाहों सहित) से 47% का संचालन किया जाता है।
- पिछले एक दशक **(वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2024-25)** में बंदरगाहों की **उत्पादकता से जुड़े प्रमुख मानकों में बड़ी प्रगति** हुई है।
  - **आउटपुट प्रति शिप बर्थ डे (OSBD)** उत्पादन **12,458 टन** से बढ़कर **18,304 टन** हो गया है।
  - **औसत टर्नअराउंड समय (TRT)** में **48%** का सुधार हुआ, जो **96 घंटे** से घटकर **49.5 घंटे** रह गया।
  - **खाली समय (Idle Time)** लगभग **29%** घटकर **23.1%** से **16.3%** पर आ गया।
- **भारत में बंदरगाहों के विकास के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें**
  - **सागरमाला (2015):** यह योजना भारत के समुद्री क्षेत्रक में बंदरगाह-आधारित विकास के लिए शुरू की गई थी।
  - **मैरिटाइम इंडिया विज़न 2030:** इसका लक्ष्य बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्गों के माध्यम से समुद्री क्षेत्रक के प्रदर्शन और उत्पादकता को बढ़ाना है।
  - **मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी अधिनियम, 2021:** यह भारत में प्रमुख बंदरगाहों के विनियमन, संचालन और नियोजन का प्रावधान करता है।
  - **FDI नीति:** बंदरगाहों और हार्बर के निर्माण एवं रखरखाव में ऑटोमैटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।

---

[31] International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

3.11.1. सागरमाला कार्यक्रम के 10 वर्ष (10 Years of Sagarmala Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सागरमाला कार्यक्रम ने पिछले दशक में तटीय पोत परिवहन में **118% की वृद्धि** हासिल की है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत और प्रदूषण (उत्सर्जन) दोनों कम हुए हैं।

सागरमाला कार्यक्रम के बारे में

- **मंत्रालय:** इसे 2015 में शुरू किया गया था। यह **केंद्रीय पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** की एक प्रमुख पहल है।
- **उद्देश्य:** भारत की **11,098 किमी लंबी तटरेखा** और **14,500 किमी नौपरिवहन योग्य जलमार्गों** की क्षमता का उपयोग करके देश के आर्थिक विकास को तेज करना।
- **मुख्य लक्ष्य:**
    - अवसंरचना में कम-से-कम निवेश के साथ **घरेलू परिवहन तथा आयात-निर्यात की लॉजिस्टिक्स लागत** को भी कम करना है।
    - मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट में **घरेलू जलमार्गों (आंतरिक व तटीय)** को मजबूत करना।
    - बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्रक में **रोजगार सृजन एवं कौशल विकास करना**।
- **फंडिंग संरचना:**
    - **पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप** (PPP),
    - **आंतरिक और बजट से इतर संसाधन** (MoPSW द्वारा),
    - उच्च सामाजिक प्रभाव वाली परियोजना के लिए **अनुदान सहायता,**
    - स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPVs) के जरिये इक्विटी निवेश।
- **सागरमाला 2.0 (2025):** इसके तहत मुख्य ध्यान जहाज निर्माण, मरम्मत, उसे तोड़ने और पुनर्चक्रण तथा बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर दिया गया है।

सागरमाला कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत फ्रेमवर्क:

- **शीर्ष निकाय: राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC)** की अध्यक्षता **पोत परिवहन मंत्री** करते हैं। यह समिति कार्यक्रम की नीतिगत दिशा तय करती है और उसकी निगरानी का काम करती है।
- **सागरमाला समन्वय और संचालन समिति (SCSC):** इसकी अध्यक्षता **कैबिनेट सचिव** करते हैं। यह समिति परियोजनाओं को लागू करने हेतु मंत्रालयों, राज्य सरकारों और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करती है।
- **राज्य सागरमाला समिति:** इसकी अध्यक्षता **मुख्यमंत्री/ बंदरगाह मामलों के प्रभारी मंत्री** करते हैं। यह समिति सागरमाला से जुड़ी परियोजनाओं का समन्वय और सुविधा प्रदान करती है तथा NSAC द्वारा तय प्राथमिकता वाले मामलों को आगे बढ़ाती है।
- **राज्य समुद्री बोर्ड/राज्य पोर्ट विभाग:** यह **राज्य सागरमाला समिति** को सेवाएं प्रदान करेंगें तथा परियोजनाओं के समन्वय व क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगें।
- **सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड:** इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य **राज्य/क्षेत्र स्तर के स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (SPVs) की मदद करना** है।
    - अब इसका नाम बदलकर **सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL)** कर दिया गया है, और यह भारत की समुद्री क्षेत्रक की पहली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है।

सागरमाला कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां

तटीय समुदाय का विकास: 5.79 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की पहचान की गई, जिनमें से 1.41 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

जलमार्गों को बढ़ावा: अंतर्देशीय जलमार्ग से कार्गो की ढुलाई में 700% की वृद्धि, सड़कों और रेलवे पर बोझ कम हुआ।

बेहतर कनेक्टिविटी: रो-पैक्स फेरी से 40 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ हुआ, जिससे तटीय कनेक्टिविटी बढ़ी है।

बंदरगाह विकास: 9 भारतीय बंदरगाह विश्व के शीर्ष 100 में शामिल हैं, जिसमें विशाखापत्तनम विश्व स्तर पर शीर्ष 20 कंटेनर बंदरगाहों में शामिल है।

औसत बंदरगाह टर्नअराउंड समय: लगभग **2 दिन** (2014-15 में यह औसत 4 दिन था)।

सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न पहलें

- **सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव (S2I2):** इसे मार्च 2025 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री तकनीक में **अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता** (RISE)[32] को बढ़ावा देना है।
- **सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग (CEMS):** इसे 2017 में पोत परिवहन मंत्रालय ने **सीमेंस** और **इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (IRS)** के सहयोग से सागरमाला कार्यक्रम के तहत स्थापित किया था।
- **कोस्टल बर्थ योजना:** इसका उद्देश्य बंदरगाहों या राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना है ताकि **कार्गो और यात्रियों की आवाजाही** के लिए समुद्री मार्ग या राष्ट्रीय जलमार्गों पर आवश्यक अवसंरचना का विकास किया जा सके।

निष्कर्ष

सागरमाला 2.0 भारत को **समुद्री नवाचार और संधारणीय विकास का केंद्र** बनाएगा, जिससे देश में एक **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री क्षेत्रक इकोसिस्टम** का विकास होगा जो **आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और ब्लू इकोनॉमी** को आगे बढ़ाएगा।

32 Research, Innovation, Startups, and Entrepreneurship

3.12. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana: PMGSY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित क्षेत्रों में PMGSY के तहत कार्य की धीमी प्रगति पर चिंता जताई है।

PMGSY के बारे में:

- **संबंधित मंत्रालय:** केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय
- **योजना का प्रकार:** दिसंबर 2000 में शुरू की गई **केंद्र प्रायोजित योजना**
- **उद्देश्य:**
    - गरीबी उन्मूलन की रणनीति के रूप में पात्र 'बिना सड़क वाली ग्रामीण बस्तियों' को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना।
    - 62,500 किलोमीटर बारहमासी सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
    - इन सड़कों के साथ **पुलों का निर्माण या आधुनिकीकरण** किया जाएगा।
- **PMGSY के तहत पात्रता के लिए ग्रामीण आबादी मानदंड:**
    - मैदानी क्षेत्र: **500 या उससे अधिक आबादी,**
    - पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य: **250 या उससे अधिक आबादी**
    - LWE प्रभावित जिले: **100 या उससे अधिक आबादी** (जनगणना 2011 के अनुसार)

PMGSY IV के तहत लागत साझा करने की प्रणाली

विधान-मंडल वाले सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर)	60% केंद्र और 40% राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य	90% केंद्र और 10% राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश
बिना विधान-मंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश	100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित

PMGSY की मुख्य विशेषताएँ

- **संस्थागत व्यवस्थाएँ:**
    - **राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (NRIDA)**[33] तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करती है।
    - **राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियां (SRRDAs)**[34] राज्य स्तर पर योजना का क्रियान्वयन करती हैं।
- **विकेंद्रीकृत योजना:** इसमें **पंचायती राज संस्थाओं, विधायकों (MLAs) और सांसदों (MPs)** की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।
- **निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली:**
    - **OMMAS (ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और अकाउंटिंग सिस्टम):** यह **C-DAC** द्वारा विकसित वेब-आधारित सिस्टम है, जो सड़क निर्माण परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है।
    - **eMARG प्लेटफ़ॉर्म:** यह मोबाइल ऐप का उपयोग करता है जिसमें जिओ-टैग किये गए फोटो होते हैं, जो सड़क रखरखाव के कार्य की जांच और भुगतान के लिए उपयोग होते हैं। इसके द्वारा ठेकेदारों के प्रदर्शन की निगरानी भी की जाती है।
    - **शिकायत निवारण: "मेरी सड़क" ऐप** के जरिए धीमी प्रगति, अधूरे काम या खराब गुणवत्ता जैसी समस्याओं को दूर करने की सुविधा दी गई है।
- **नए मटेरियल/ ग्रीन तकनीकों का उपयोग**
    - मिट्टी को मजबूत (स्टेबलाइज) करने के लिए **फ्लाई ऐश, चूना, पॉलिमर आदि** का उपयोग।
    - सड़क पर **व्हाइट टॉपिंग** के लिए **पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट** का उपयोग।
    - **कोल्ड मिक्स डामर (एस्फाल्ट):** हॉट मिक्स डामर की तुलना में कम PM10 उत्सर्जन और कम ऊर्जा खपत के लिए।
    - अपशिष्ट से बनी प्लास्टिक का इस्तेमाल बिटुमिनस हॉट मिक्स में मॉडिफायर के रूप में।
    - नारियल के रेशों से बने जियो-टेक्सटाइल्स का उपयोग सड़क की नींव (सब-ग्रेड मृदा) की मजबूती और किनारों (साइड स्लोप्स) की स्थिरता के लिए।
    - लोहा, तांबा और स्टील के स्लैग का उपयोग सड़कों को ज्यादा टिकाऊ और घिसाव-रोधी बनाने में।
    - बायो-इंजीनियरिंग, जैसे- जूट और बांस का उपयोग ढलानों (slopes) को स्थिर करने के लिए।

---

[33] National Rural Infrastructure Development Agency

[34] State Rural Roads Development Agencies

योजना के बारे में समिति की टिप्पणियां:

समस्या	टिप्पणियां	सिफारिश
टेंडर में कम बोली लगाना	• ठेकेदार अक्सर न्यूनतम बोली से 25–30% कम बोली लगाते हैं, जिससे सड़क गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ जाती है।	• सड़क की गुणवत्ता पर कम बोली के प्रभाव का आकलन करने के लिए समिति का गठन किया जाना चाहिए। • न्यूनतम बोली और वास्तविक बोली के अंतर को सिक्योरिटी (जमानत) के रूप में अलग रखा जाए, जिसे केवल गुणवत्ता की पुष्टि होने के बाद ही जारी किया जाए।
सड़कों के निर्माण की खराब गुणवत्ता और खराब रखरखाव	• मानकों का पालन न करना, घटिया सामग्री का उपयोग करना; और सड़क का प्रतिकूल मौसम, अधिक ट्रैफिक व मानसून में टिक न पाना।	• ग्रामीण विकास विभाग (DoRD) को गुणवत्ता मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। • कड़ी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, साथ ही गलती करने वाले ठेकेदारों की शॉर्टलिस्टिंग और ब्लैकलिस्टिंग की व्यवस्था करनी होगी।
गांव के अंदर की बस्तियों तक कनेक्टिविटी न होना	• कई छोटी-छोटी बस्तियां (जैसे- देसम, धनीस, टोला, मजरा, गांव के छोटे हिस्से) मुख्य सड़क से 2-3 किलोमीटर अंदर हैं, इसलिए वे सड़क कनेक्टिविटी के लाभ से वंचित रह जाती हैं।	• ग्रामीण विकास विभाग (DoRD) को सड़क संपर्क नीति की समीक्षा करनी चाहिए ताकि सड़कें वास्तव में बिना जुड़ी बस्तियों तक पहुँचें, सिर्फ गाँव की सीमा तक नहीं।
केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की समस्या	• लॉजिस्टिक संबंधी समस्याओं या केंद्र/ राज्यों द्वारा देर से फंड जारी करने के कारण परियोजनाओं में अक्सर देरी होती है।	• DoRD को बेहतर समन्वय और प्रभावी निगरानी व्यवस्था बनानी चाहिए।
LWE क्षेत्रों (वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों) में धीमी प्रगति	• समय-सीमा मार्च 2025 तक बढ़ाने के बावजूद वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजना के तहत कार्य अभी भी लंबित (RCPLWEA)[35] है।	• उग्रवाद, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, कानून-व्यवस्था की स्थिति, और जंगल कटाई की चुनौतियों को बेहतर योजना-निर्माण, हितधारकों के बीच समन्वय और BRO जैसी विशेष एजेंसियों की मदद से हल किया जा सकता है। • क्षेत्र विशेष के लिए नवाचारपूर्ण समाधान अपनाकर परियोजना में देरी से बचा जाए और समय पर काम पूरा हो।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी तथा सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, जैसे आर्थिक विकास, रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य-देखभाल सेवा, के बीच घनिष्ठ संबंध है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत में तीव्र सतत विकास और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन संभव होगा।

3.13. एम.एस. स्वामीनाथन की 100वीं जयंती (100th Birth Anniversary of Ms Swaminathan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने नई दिल्ली में एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- सम्मेलन की थीम थी– **"एवरग्रीन रिवॉल्यूशन: द पाथवे टू बायोहैप्पीनेस"**। यह सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के प्रति प्रो. स्वामीनाथन के आजीवन समर्पण को दर्शाता है।
- उनके सम्मान में **"एम. एस. स्वामीनाथन अवॉर्ड फॉर फूड एंड पीस"** शुरू किया गया।
    - यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो विकासशील देशों के उन लोगों को दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जिन्होंने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
    - ऐसा, पहला पुरस्कार **नाइजीरियाई वैज्ञानिक प्रोफेसर अडेमोला ए. एडेन्ले** को दिया गया।

[35] Pending work under Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Areas

एम.एस. स्वामीनाथन का प्रमुख योगदान

- **हरित क्रांति के वास्तुकार (1960–70 के दशक):** उन्होंने उन्नत बीज प्रजनन तकनीकों और आधुनिक तरीकों से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।
  - **नॉर्मन बोरलॉग** के साथ मिलकर उन्होंने ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया जिसके तहत गेहूं की ऐसी किस्में विकसित कीं जिनमें बौनेपन के जीन शामिल थे। इससे पौधे छोटे एवं मजबूत बने तथा इनकी उत्पादन क्षमता भी ज्यादा थी।
  - सेमी-ड्वार्फ मैक्सिकन गेहूं **(Sonora, Lerma Rojo 64)** और उच्च उत्पादकता वाली इंडिका धान किस्में भारत में प्रस्तुत की गईं।
  - **1989 में पूसा बासमती** के विकास में अहम भूमिका निभाई, जो दुनिया की पहली सेमी-ड्वार्फ और उच्च उत्पादकता वाली बासमती किस्म थी।
- **सदाबहार क्रांति का समर्थन:** स्वामीनाथन ने **हरित क्रांति का समर्थन किया** लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों—जैसे रसायनों का अधिक प्रयोग, एक ही फसल की खेती (monoculture), और मृदा को होने वाले नुकसान—को लेकर चेतावनी भी दी। उन्होंने **"सदाबहार क्रांति"** का विचार दिया, जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना खेती से लगातार अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके।
  - यह **वस्तु-केंद्रित दृष्टिकोण से "प्रणालीगत दृष्टिकोण" की ओर आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता** है।
- **पारिस्थितिक आधार और पद्धतियां**
  - स्वामीनाथन ने **एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM)** और **एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM)** का समर्थन किया, ताकि रसायनों पर निर्भरता कम हो और मृदा की उर्वरता बनी रहे।
  - उन्होंने खेती में **वर्षा जल संरक्षण** (जैसे ड्रिप सिंचाई) और **नवीकरणीय ऊर्जा** (जैसे बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा) के उपयोग पर ज़ोर दिया।
  - उन्होंने **जलवायु-अनुकूल फसलों** (सूखा/ लवण-सहिष्णु किस्में) के विकास पर ध्यान दिया और **मिलेट्स (श्री अन्न)** को बढ़ावा दिया, जिससे जलवायु अनुकूलन के प्रति उनकी दूरदर्शिता का पता चलता है।

सदाबहार क्रांति

- यह **'प्रकृति के अनुकूल'** और **'गरीब हितैषी'** पद्धति है, जिसमें आजीविका सुरक्षा को पर्यावरणीय सुरक्षा से जोड़ा गया है।
- इसके मुख्य घटक हैं – **ईको-एग्रीकल्चर (पर्यावरण अनुकूल कृषि), बायो-विलेज (जैव गाँव), विलेज नॉलेज सेंटर (ग्राम ज्ञान केंद्र),** तथा **आर्थिक, सामाजिक व लैंगिक स्तर पर नैतिकता और न्याय** सुनिश्चित करना।

- **जैव विविधता के संरक्षण पर जोर:** उन्होंने **पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001** और **जैव विविधता अधिनियम - 2002** जैसे कानूनों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- **'बायोहैप्पीनेस' की अवधारणा:** बायोहैप्पीनेस का मतलब है – ऐसी खुशहाली और संतोष की स्थिति जो तब मिलती है जब जैव विविधता को इस तरह से संरक्षित और उपयोग किया जाता है कि वह इंसानों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बेहतर कर सके और रोजगार के अवसर बढ़ाए तथा इंसान तथा प्रकृति के बीच संतुलन बनाए।
- **कृषि में महिलाएं:** 2011 में एम.एस. स्वामीनाथन ने महिला कृषक अधिकार विधेयक (Women Farmers' Entitlements Bill) को गैर-सरकारी विधेयक के रूप में पेश किया।
  - इसका उद्देश्य महिला कृषकों की उनकी लैंगिक-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें कृषि भूमि, जल संसाधनों आदि पर अधिकार प्रदान करके सशक्त बनाना था।
- **पोषण सुरक्षा पर ध्यान:** स्वामीनाथन ने **केवल खाद्य सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पोषण सुरक्षा** की अवधारणा को आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रोटीन की कमी, कैलोरी की कमी और हिडेन हंगर (माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी) को दूर करने पर ध्यान देने की बात कही।
  - इसके लिए उन्होंने बायो-फोर्टिफाइड और पोषण समृद्ध फसलों की खेती को बढ़ावा दिया।
- **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि पहलों का नेतृत्व**
  - उन्होंने 2004 से 2006 तक राष्ट्रीय किसान आयोग (NCF) की अध्यक्षता की और किसानों की समस्याओं पर पाँच रिपोर्ट तैयार कीं। इस रिपोर्ट की **एक मुख्य सिफारिश यह थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) उत्पादन की भारांश लागत से कम-से-कम 50% ज्यादा होना चाहिए।**
  - उन्होंने कृषि नीतियों पर निष्पक्ष और वैज्ञानिक सुझाव देने के लिए 1990 में **राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी/ नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज़ (NAAS)** की स्थापना की।

प्रमुख उपलब्धियां और पुरस्कार

- **भारत रत्न (2024, मरणोपरांत)**
- **पद्मश्री (1967), पद्मभूषण (1972), पद्म विभूषण (1987),** शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (1961), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार (1999), इंदिरा गांधी पुरस्कार (2001)
- **विश्व खाद्य पुरस्कार (1987)** –प्रथम प्राप्तकर्ता

- **रेमन मैग्सेसे पुरस्कार (1971)**
- **अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवॉर्ड (1986)**
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने उन्हें **"फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी"** की उपाधि दी।
- **अंतर्राष्ट्रीय सम्मान:**
  - ऑर्डर ऑफ गोल्डन हार्ट (फिलीपींस)
  - ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चरल मेरिट (फ्रांस)
  - ऑर्डर ऑफ द गोल्डन आर्क (नीदरलैंड्स)
  - ऑर्डर ऑफ कंबोडिया।

निष्कर्ष

एम.एस. स्वामीनाथन ने अपने निधन तक आर्थिक विकास रणनीतियों के माध्यम से लघु कृषकों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य किया। विज्ञान, समाज और प्रकृति के प्रति उनके समर्पण ने वैश्विक कृषि विकास और मानव कल्याण पर अमिट छाप छोड़ी।

3.14. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.14.1. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (Sovereign Credit Ratings)

स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P) ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को 'BBB-' से बढ़ाकर 'BBB' किया। S&P ने भारत की **लंबी अवधि** की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को **'BBB-' से 'BBB'** और **छोटी अवधि** की रेटिंग को **'A-3' से 'A-2'** कर दिया है, जिसमें **आउटलुक स्थिर (Stable)** है।

- यह **2007** के बाद भारत के लिए S&P द्वारा पहला सॉवरेन अपग्रेड है। 2007 में, भारत को **BBB- के इन्वेस्टमेंट-ग्रेड** में अपग्रेड किया गया था।
- यह अपग्रेड भारत की अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता; सार्वजनिक व्यय की बेहतर गुणवत्ता और मजबूत कॉर्पोरेट, वित्तीय और बाहरी बैलेंस शीट को दर्शाता है।

सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (SCR) के बारे में

- **यह क्या है:** यह दरअसल **किसी देश या संप्रभु संस्था के ऋण और उस पर ब्याज चुकाने के दायित्व को समय पर पूरा** करने का आकलन है। इसमें संबंधित **देश या संस्था की ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छाशक्ति,** दोनों को महत्त्व दिया जाता है।
- **प्रमुख SCR एजेंसियां:** S&P, Fitch और Moody's.
- **रेटिंग ग्रेड:** SCR में मोटे तौर पर देशों को **इन्वेस्टमेंट-ग्रेड** या **स्पेक्युलेटिव-ग्रेड** में रेट किया जाता है। **स्पेक्युलेटिव-ग्रेड** वाले देशों पर **कर्ज चुकाने में चूक (Default)** का जोखिम ज़्यादा होता है।
  - **इन्वेस्टमेंट-ग्रेड रेटिंग:** S&P और Fitch के लिए यह **BBB- से AAA** तक होती है, जबकि Moody's के लिए यह **Baa3 से Aaa** तक होती है।
- **महत्त्व:** उच्च रेटिंग से वैश्विक **पूंजी बाजारों से उधार लेने में मदद** मिलती है; उच्च रेटिंग से **विदेशी निवेश आकर्षित** होता है, और **कर्ज लेने की लागत कम** होती है।
- **मुद्दे:** रेटिंग प्रक्रियाओं में **पक्षपात,** हितों का टकराव और **रेटिंग सीलिंग** को लेकर चिंताएं हैं।
  - **रेटिंग सीलिंग:** यह इस विचार से संबंधित है कि किसी **कॉर्पोरेट संस्था को उस देश की तुलना में उच्चतर रेटिंग नहीं दी जाती जिसमें वह स्थित** है। इससे उस देश के घरेलू बाजार के विकास में बाधा आ सकती है।

3.14.2. गिफ्ट सिटी जैसे वित्तीय केंद्र (Gift City-Like Financial Centers)

वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अनुसार, प्रमुख महानगरों में गिफ्ट सिटी जैसे वित्तीय केंद्र विकसित करने चाहिए।

- यह टिप्पणी वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने की है। भारत का **पहला और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी (GIFT/ गिफ्ट सिटी)** में स्थापित किया गया है।

गिफ्ट सिटी IFSC (गांधीनगर, गुजरात) के बारे में

- इसे **2015** में एक **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)** के रूप में स्थापित किया गया था। इसे **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत नॉन-रेसिडेंट जोन** के रूप में नामित किया गया है।
  - IFSC एक ऐसा विशेष क्षेत्र होता है, जहां **निवासियों (रेजिडेंट) और गैर-निवासियों (नॉन-रेजिडेंट) को विदेशी मुद्रा में वित्तीय सेवाएं** प्रदान की जाती हैं।

- **IFSC के मुख्य कार्य:**
  - **अनुकूल कर संरचना:** IFSC **प्रतिस्पर्धी कर परिवेश** में सीमा-पार वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है।
  - **विश्वसनीय विनियामक व्यवस्था:** यह ऑनशोर प्रतिभा को ऑफशोर तकनीकी और विनियामकीय ढांचे के साथ विविध सुविधाएं प्रदान करता है।
  - **व्यापार करने में सुगमता:** वैश्विक मानकों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के सुगम संचालन को संभव बनाता है, तथा भारत में आने वाले और बाहर जाने वाले निवेश को बढ़ावा देता है।
- **विनियामक निकाय:** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA), भारत में IFSCs के अंतर्गत **वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों** को विनियमित करता है।
  - IFSCA को **IFSCA अधिनियम, 2019 के तहत 2020** में स्थापित किया गया है।
- **वर्तमान स्थिति:** GIFT-IFSC को **वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में 46वां स्थान मिला है (5 रैंक का सुधार); तथा फिनटेक रैंकिंग में 45वां स्थान मिला है** (4 रैंक का सुधार)।

समिति द्वारा की गई सिफारिशें

- विकास, प्रतिभा पूल और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए **बड़े शहरों के आस-पास वित्तीय नवाचार क्लस्टर या फिनटेक हब बनाए जाएं,** जैसा कि चीन ने अपने कई वित्तीय हब के माध्यम से किया है।
- पारदर्शिता व वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देकर, तथा डिजिटल अवसंरचना और विनियामक सैंडबॉक्स जैसे उपायों के जरिए **नीतियों को सुव्यवस्थित करना।**
- **अन्य:** कराधान व्यवस्था का सरलीकरण, नियमों के पालन संबंधी बोझ को कम करना, आदि।

3.14.3. भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (India's Retail Inflation)

जुलाई 2025 में, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर **1.55%** हो गई, जो पिछले 8 साल में सबसे निचला स्तर है। अखिल भारतीय **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)** द्वारा मापी गई यह मुद्रास्फीति जून 2017 के बाद **सबसे कम वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर** दर्शाती है।

- इसके अलावा, **अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) या खाद्य मुद्रास्फीति** पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर जुलाई 2025 में **-1.76%** रही। यह **जनवरी 2019 के बाद सबसे कम** है।

गिरावट के कारण

- **अनुकूल आधार प्रभाव:** इसका अर्थ किसी संदर्भित वर्ष के आंकड़ों का मौजूदा संवृद्धि दर पर पड़ने वाला प्रभाव है।
- **मुद्रास्फीति में गिरावट:** दालें और उत्पाद, परिवहन व संचार, सब्जियां, अनाज एवं उत्पाद, शिक्षा जैसी मदों की कीमतों में कमी आई है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के बारे में

- **अर्थ:** यह कुछ निश्चित **वस्तुओं और सेवाओं** के समूह के लिए समय के साथ उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई **कीमतों में औसत परिवर्तन** को मापता है।
- **महत्त्व:** यह मुद्रास्फीति का एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला **मैक्रोइकॉनॉमिक (समष्टि अर्थशास्त्रीय) संकेतक** है। इसका उपयोग सरकार और केंद्रीय बैंकों द्वारा **मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, राष्ट्रीय खातों में अपस्फीतिकारकों (Deflator) के रूप में, और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तय** करने के लिए किया जाता है।
- **प्रकाशक:** इसे **प्रत्येक महीने की 12 तारीख को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)** द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- **घटक: राष्ट्रीय स्तर पर चार प्रकार के CPI हैं:**
  - औद्योगिक श्रमिकों (IW) के लिए CPI;
  - कृषि मजदूरों (AL) के लिए CPI;
  - ग्रामीण मजदूरों (RL) के लिए CPI; तथा
  - शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों (UNME) के लिए CPI
- **CPI का आधार वर्ष:** 2012
- **थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से तुलना:** WPI **थोक स्तर पर मुद्रास्फीति** को मापता है और इसकी **भारांश पद्धति** CPI से अलग होती है।
  - CPI में **खाद्य पदार्थों** का भारांश **अधिक** होता है, जबकि WPI में **ईंधन समूह** का भारांश अधिक होता है।

3.14.4. वित्तीय क्षेत्रक के लिए RBI का FREE-AI विज़न (RBI'S Free-AI Vision For Financial Sector)

RBI की एक समिति ने **"फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (FREE-AI)"** का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य **वित्तीय सेवाओं में नवाचार और जोखिम प्रबंधन के बीच संतुलन** स्थापित करना है।

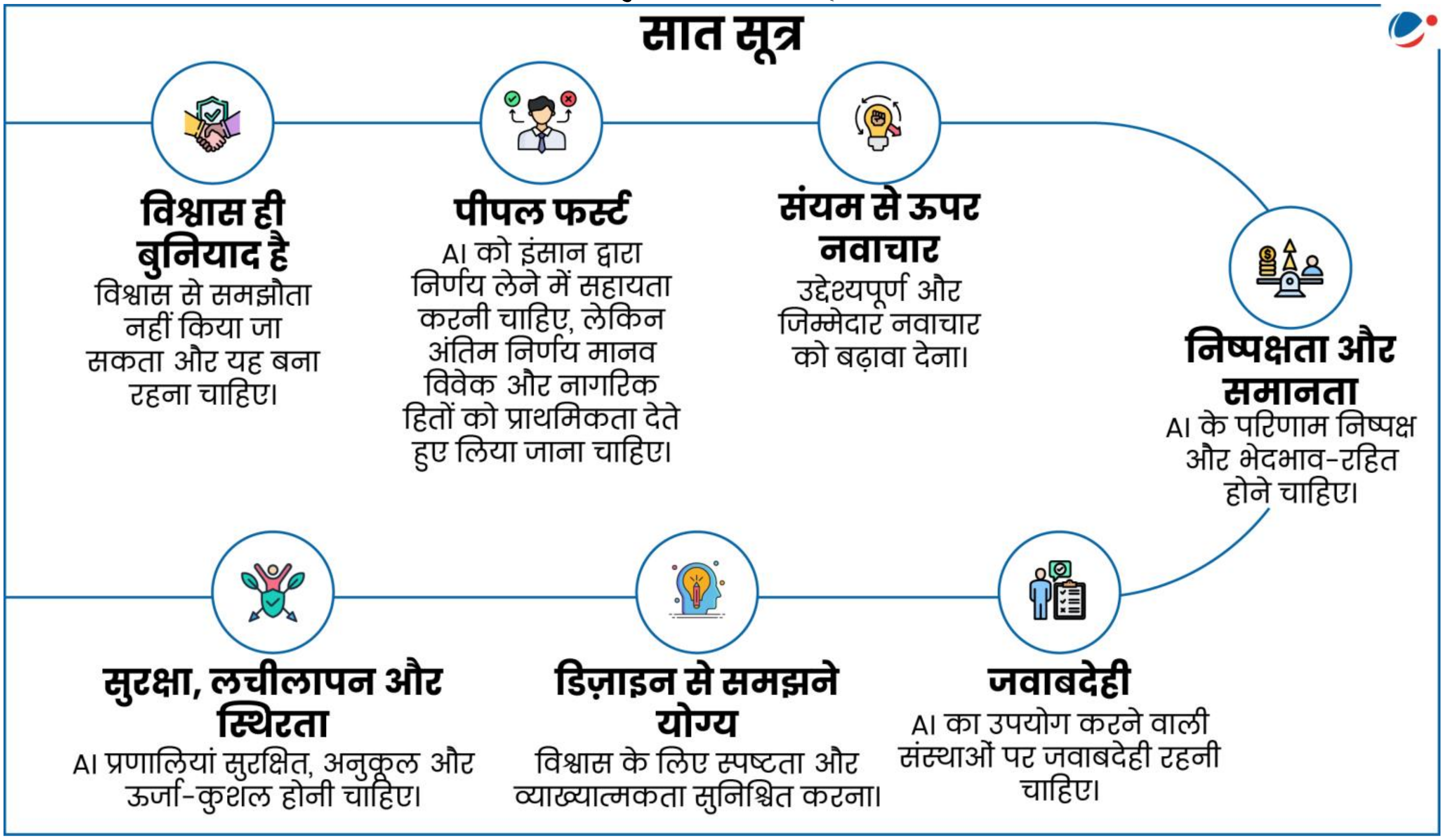

FREE-AI विजन के बारे में

- **उद्देश्य:** भारत के वित्तीय क्षेत्रक में AI को **सुरक्षित, निष्पक्ष और जवाबदेह तरीके से अपनाने** को सुनिश्चित करना।
- **7 सूत्र:** AI को अपनाने के लिए **मूलभूत सिद्धांत** (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- **द्वि-आयामी दृष्टिकोण:**
  - **नवाचार को बढ़ावा देना:**
    - **डेटा और कंप्यूट तक समान पहुंच के लिए साझा अवसंरचना।** इसे **इंडियाAI मिशन** के तहत स्थापित किए गए **AI कोष** के साथ एकीकृत किया जा सकता है।
    - परीक्षण के लिए **AI इनोवेशन सैंडबॉक्स** और **स्वदेशी** वित्तीय AI मॉडल्स।
    - विनियामक मार्गदर्शन के लिए **AI नीति** बनाना।
    - **संस्थागत क्षमता निर्माण** (बोर्ड और कार्यबल)।
    - समावेशन और अन्य प्राथमिकताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए कम जोखिम वाले **AI समाधानों हेतु नम्य अनुपालन आवश्यकताएं।**
  - **जोखिम को कम करना:**
    - विनियमित संस्थाओं द्वारा **बोर्ड-अनुमोदित AI नीतियां।**
    - **उत्पाद अनुमोदन प्रक्रियाओं,** उपभोक्ता संरक्षण ढांचों और ऑडिट में AI-संबंधी पहलुओं को शामिल करना।
    - **मजबूत साइबर सुरक्षा** और घटना रिपोर्टिंग।
    - मजबूत **AI लाइफसाइकल गवर्नेंस।**
    - **उपभोक्ताओं को AI के साथ अंतर्क्रिया करते समय जागरूक** करना।

FREE-AI विज़न क्यों महत्वपूर्ण है?

- **AI का बढ़ता प्रभाव: वित्तीय क्षेत्रक में AI संबंधी निवेश से संबंधित अनुमान-**
  - बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार और भुगतान क्षेत्रक में **2027 तक AI संबंधी निवेश 8 लाख करोड़ रुपये (97 बिलियन डॉलर) तक पहुंच** सकता है।
  - केवल **जनरेटिव AI (GenAI) के लिए 2033 तक 1.02 लाख करोड़ रुपये (12 बिलियन डॉलर) तक निवेश** होने की संभावना है, जो **सालाना 28-34% की दर** से बढ़ेगा।
- **उभरते जटिल जोखिम:** AI से **डेटा गोपनीयता, एल्गोरिदम पक्षपात, बाजार में हेरफेर, साइबर सुरक्षा सुभेद्यताएं और गवर्नेंस संबंधी विफलताएं जैसे नए खतरे** पैदा होते हैं। इन खतरों का सामना पारंपरिक ढांचा नही कर सकता।
  - उचित प्रबंधन के बिना, ये जोखिम **बाजार की अखंडता को कमजोर** कर सकते हैं; **उपभोक्ता विश्वास को कम** कर सकते हैं और **प्रणालीगत सुभेद्यताएं** पैदा कर सकते हैं।

3.14.5. स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक (Small Finance Bank Universal License)

RBI ने एक दशक में पहली बार किसी बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया। यह लाइसेंस **AU स्मॉल फाइनेंस बैंक** को दिया गया है। RBI ने **AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक लघु वित्त बैंक (SFB) से यूनिवर्सल बैंक** में बदलने के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी है।

- यह एक ऐसा लाइसेंस है, जो किसी बैंक को **व्यावसायिक और निवेश बैंकिंग सहित सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं एक ही मंच पर** उपलब्ध कराने की अनुमति देता है।
- इससे पहले **2014 में बंधन बैंक और IDFC बैंक (जो बाद में IDFC फर्स्ट बैंक बना)** को यह लाइसेंस मिला था।

स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए पात्रता मानदंड:

- **स्थिति:** कम-से-कम **5 वर्षों से अनुसूचित बैंक** का दर्जा होना चाहिए।
- **स्टॉक लिस्टिंग:** बैंक के शेयर किसी **मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज** पर सूचीबद्ध होने चाहिए।
- **नेट वर्थ:** बैंक की न्यूनतम नेट वर्थ **1,000 करोड़** रुपये होनी चाहिए।
- **वित्तीय स्थिति:**
  - **लाभप्रदता:** पिछले **दो वित्त वर्षों में बैंक को निवल लाभ** हुआ होना चाहिए।
  - **परिसंपत्ति गुणवत्ता:** पिछले **दो वित्त वर्षों में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (G-NPA) और निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (N-NPA) क्रमशः 3% व 1% से कम या बराबर** होनी चाहिए।
- **प्रमोटर संबंधी शर्तें:** इस बदलाव के दौरान **किसी भी नए प्रमोटर को जोड़ा नहीं** जाएगा और **न ही मौजूदा प्रमोटर्स में कोई बदलाव** किया जाएगा।
- **प्राथमिकता: विविध ऋण पोर्टफोलियो** वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्राथमिकता दी जाएगी।

लघु वित्त बैंक (Small Finance Bank: SFB)

शुरुआत: 2014-15 के **केंद्रीय बजट** में इसकी घोषणा की गई।

उद्देश्य: वित्तीय समावेशन।

पंजीकरण: यह **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत एक **पब्लिक लिमिटेड कंपनी** के रूप में पंजीकृत होता है।

लाइसेंस और विनियमन: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत।

पूंजी की आवश्यकता: 200 करोड़ रुपये (कुछ SFBs के लिए अपवाद)।

पात्र प्रमोटर्स: बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव रखने वाले भारतीय निवासी व्यक्ति/ पेशेवर।

Vision Publication
Igniting Passion for Knowledge..!
Scan the QR code to explore our collection and start your journey towards success.

3.14.6. RBI ने को-लेंडिंग नियमों को सख्त किया (RBI Tightens Co-Lending Norms)

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के बीच को-लेंडिंग व्यवस्था (CLA) के लिए संशोधित दिशा-निर्देश** जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश **बैंकिंग विनियमन अधिनियम (1949), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (1934) और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम (1987)** के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

को-लेंडिंग क्या है?

- को-लेंडिंग व्यवस्था (CLA) के तहत, **विनियमित संस्थाएं (REs)** आपस में साझेदारी कर उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान कर सकती हैं, बशर्ते कि वे वर्तमान विनियामक नियमों का पालन करें।

संशोधित दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

- **न्यूनतम हिस्सा:** प्रत्येक विनियमित संस्था को **ऋण का न्यूनतम 10% हिस्सा अपने पास रखना** होगा।
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL) का दर्जा:** यदि ऋण **PSL मानदंडों** में आता है, तो **हर ऋणदाता** को-लेंडिंग (CL) के तहत **अपने हिस्से के लिए PSL दर्जे** का दावा कर सकता है।
- **एकसमान परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रणाली:** यदि एक ऋणदाता किसी ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत करता है, तो सभी अन्य साझेदार ऋणदाताओं को भी उस ऋण को NPA वर्गीकृत करना होगा।
- **मिश्रित ब्याज दर:** उधारकर्ताओं से ली जाने वाली ब्याज दर सभी विनियमित संस्थाओं की आंतरिक ब्याज दरों के भारित औसत के आधार पर तय की जाएगी, जो उनके वित्त-पोषण योगदान के अनुपात में होगी।

3.14.7. नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा (Safety in The Civil Aviation Sector)

एक संसदीय स्थायी समिति ने नागर विमानन क्षेत्रक में सुरक्षा की समीक्षा पर रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारत में नागर विमानन क्षेत्रक की बढ़ती संवृद्धि के बीच **नागर विमानन सुरक्षा परिवेश और नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) की प्रभावशीलता की जांच** करती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

व्यवस्थागत सुधार के लिए प्रमुख क्षेत्र	मुद्दे	सिफारिशें
विनियामक स्वायत्तता और क्षमता बढ़ाना	• **DGCA में लगभग 50% स्टाफ की कमी है।** UPSC के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया धीमी और कठोर है।	• **DGCA को पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता** देने के लिए समयबद्ध योजना बनानी चाहिए। • UPSC से **अलग एक विशेष भर्ती तंत्र/ संस्था** स्थापित करनी चाहिए।
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATCO) की थकान और स्टाफ की कमी दूर करना	• **ATCO की लगातार** कमी और अत्यधिक कार्यभार।	• **थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली** का तत्काल विकास, एक व्यापक स्टाफिंग ऑडिट और प्रशिक्षण क्षमता का विस्तार करना चाहिए।

निगरानी और प्रवर्तन तंत्र मजबूत करना	• **विशेष रूप से विमान की उड़ान योग्यता और एयरपोर्ट मानकों** में कई सुरक्षा खामियों का लंबित समाधान।	• कमियों को दूर करने के लिए **एक समयबद्ध तंत्र** और वित्तीय दंड सहित सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जरूरत है।
बार-बार होने वाले परिचालन जोखिमों को सुलझाना	• एक समर्पित **ऑकरेंस रिव्यू बोर्ड होने** के बावजूद घटनाओं का गहन मूल-कारण विश्लेषण नहीं।	• प्रत्येक घटना के लिए विस्तृत **मूल-कारण विश्लेषण और केंद्रित उपचारात्मक कार्यक्रम**।
घरेलू रखरखाव, मरम्मत और कायापलट (MRO) क्षमताओं का विकास	• **आयातित पुर्जों पर उच्च कराधान** और अवसंरचनात्मक सीमाओं सहित घरेलू MRO कंपनियों के समक्ष चुनौतियां।	• **घरेलू MRO क्षेत्रक को बढ़ावा देना:** कर संरचना को युक्तिसंगत बनाना, वित्तीय और अवसंरचनात्मक प्रोत्साहन प्रदान करना, राष्ट्रीय विमानन कौशल विकास मिशन की स्थापना करना आदि।
न्यायोचित कार्य संस्कृति और व्हिसलब्लोअर सुरक्षा की स्थापना	• **दंड का भय गलतियों की रिपोर्टिंग** को हतोत्साहित कर सकता है। इससे सुरक्षा संबंधी निगरानी प्रभावित हो सकती है।	• एक व्यापक **व्हिसलब्लोअर सुरक्षा ढांचे** की स्थापना करना।

नोट: *भारत में विमानन सुरक्षा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए जून, 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.3. देखें।*

3.14.8. स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति (Steel Scrap Recycling Policy: SSRP)

कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 'स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति' (SSRP) पर रिपोर्ट जारी की। इस्पात मंत्रालय ने **SSRP को 2019** में अधिसूचित किया था, **जिसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:**

- **सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना: 6Rs** {कम करना (**R**educe), पुन: उपयोग करना, (**R**euse) पुनर्चक्रण करना (**R**ecycle), पुनर्प्राप्त करना (**R**ecover), पुनः डिजाइन करना (**R**edesign) और पुनः निर्माण करना (**R**emanufacture)} रणनीति को अपनाना।
- उपयोग अवधि पूरी कर चुके उत्पादों के लिए औपचारिक एवं वैज्ञानिक **संग्रह, डिस्मेंटल और प्रसंस्करण** गतिविधियों को प्रोत्साहन देना। ऐसे उत्पाद पुनर्चक्रण योग्य लौह, अलौह एवं धात्विक कबाड़ के स्रोत होते हैं।
- **विघटन एवं कतरन (Shredding)** इकाइयों से उत्पन्न कचरे और अवशेषों के निपटान हेतु तंत्र का निर्माण करना।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

प्रकट किए गए मुद्दे	**संबंधित सिफारिशें**
• इस्पात स्क्रैप क्षेत्रक पर **व्यापक डेटा बेस का अभाव**	• **स्टील स्क्रैप** का एक मजबूत डेटाबेस विकसित करना चाहिए। • उत्पादन, उपयोग, नीतियों, कार्यक्रमों और लाभों पर अपडेटेड डेटा के साथ एक **समर्पित पोर्टल** बनाना चाहिए और उसका रखरखाव करना चाहिए। • अन्य देशों के साथ तुलनात्मक आंकड़े भी शामिल करने चाहिए।
• स्टील स्क्रैप मामलों के लिए **नामित नोडल मंत्रालय का अभाव**	• **इस्पात मंत्रालय को नोडल एजेंसी** बनाना चाहिए। • इसके द्वारा स्टील स्क्रैप से संबंधित सभी डेटा (राज्यवार, क्षेत्रवार, आयात व निर्यात) एकत्रित, संकलित, अपडेट और साझा किए जाने चाहिए।
• **औपचारिक स्क्रैप बाजारों का अभाव**	• **अनौपचारिक स्क्रैप क्षेत्रक को औपचारिक** बनाने के लिए रोडमैप को लागू करना चाहिए। • आर्थिक और सामाजिक लाभ के लिए **कबाड़ियों और डिस्मेंटल करने वालों को सहकारी समितियों** में संगठित करना चाहिए।
• स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग क्षेत्रक को **उद्योग का दर्जा न मिलना**	• घरेलू/ विदेशी निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन करने तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्क्रैप रीसाइक्लिंग क्षेत्रक को **'उद्योग का दर्जा'** प्रदान करना चाहिए।

• स्क्रैप कार्यबल के लिए **कौशल विकास और प्रमाणन का अभाव**	• राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा **कबाड़ प्रबंधन पर प्रमाणन कोर्स** शुरू किया जाना चाहिए। • औपचारिक क्षेत्रक की भविष्य की आवश्यकताओं के लिए **कार्यबल और उद्यमियों को प्रशिक्षित** करना चाहिए।
• स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्रों में **अप्रचलित प्रौद्योगिकी का उपयोग**	• इन केंद्रों को **(गैर-राजकोषीय) प्रोत्साहन** देकर आधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए, जैसे: o AI-संचालित ऑप्टिकल सेंसर; o कबाड़ ट्रेसेबिलिटी के लिए ब्लॉकचेन; o इस्पात मिलों को कबाड़ संग्राहकों से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

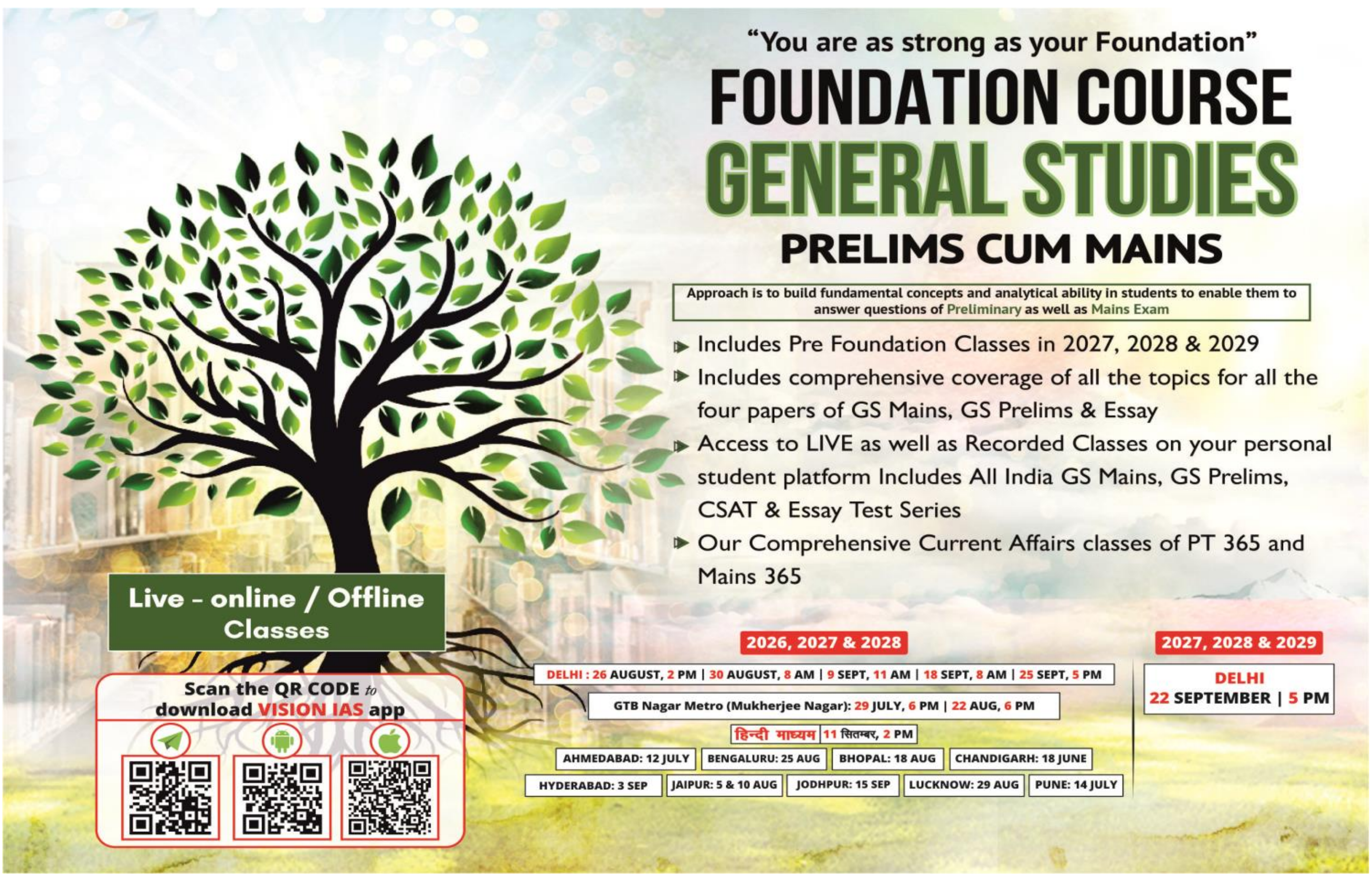

4. सुरक्षा (Security)

4.1. उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन (High-Powered Demography Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, **अवैध अप्रवासन** की चुनौती से निपटने के उद्देश्य से एक **उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन** के शुभारंभ की घोषणा की।

अन्य संबंधित तथ्य

- **अवैध अप्रवासी** वे हैं जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना चोरी-छिपे और गुप्त तरीके से देश में प्रवेश करते हैं।
- वर्तमान में भारत में रह रहे अवैध अप्रवासियों की संख्या का कोई आधिकारिक डेटा नहीं है।
    - 2016 में, सरकार ने सूचित किया था कि भारत में लगभग **20 मिलियन** अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी रह रहे हैं।

भारत में अवैध घुसपैठ/ अप्रवास को सुगम बनाने वाले कारक

भौगोलिक	सामाजिक-आर्थिक	राजनीतिक/ प्रशासनिक	ऐतिहासिक/ सांस्कृतिक	सुरक्षा/ रणनीतिक
खुली और नदी वाली सीमाएं (बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार); सीमाओं पर घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र का होना, आदि।	पड़ोसी देशों में गरीबी, बेरोजगारी, धार्मिक उत्पीड़न, आदि।	भ्रष्टाचार (नकली ID बनवाना आसान होना), राजनीतिक संरक्षण (वोट-बैंक की राजनीति), आदि।	विभाजन (1947) और 1971 के युद्ध के कारण हुए प्रवास; साझा संस्कृति के कारण पता लगाना मुश्किल।	आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ (पाकिस्तान समर्थित), तस्करी नेटवर्क, निगरानी हेतु कमजोर व्यवस्था।

अवैध अप्रवासन और घुसपैठ से जुड़ी प्रमुख चिंताएं

राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे

- **आतंकवादी संबंध और कट्टरता:** रोहिंग्या जैसे **अवैध अप्रवासियों को** चरमपंथी समूह **अपने समूह में शामिल** कर सकते हैं।
    - भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को हथियार एवं मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अन्य सीमा-पार आपराधिक गतिविधियों से भी खतरा है।
- **जनसांख्यिकीय बदलाव और सामाजिक सामंजस्य:** बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों के आने के कारण असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में **महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव** हुए हैं।
    - अप्रवासियों की बड़ी संख्या में आवक से **नृजातीय/ धार्मिक टकराव** हो सकता है। उदाहरण के लिए- बांग्लादेश से अवैध प्रवासन के कारण असमिया पहचान को खतरा।

सामाजिक-आर्थिक बोझ

- **सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव/ कल्याणकारी योजनाओं पर बोझ**: उदाहरण के लिए- स्वास्थ्य सेवा, आवास आदि।
- **श्रम बाजार में गड़बड़ी**: अवैध प्रवासी कम मजदूरी पर काम करते हैं, जिससे स्थानीय श्रमिकों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और मजदूरी संरचना पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **अन्य**: अवैध प्रवासी रहने के लिए **कृषि और वन भूमि पर अतिक्रमण** कर लेते हैं, आदि।

भारत में अवैध अप्रवासन/ घुसपैठ को रोकने के लिए उठाए गए कदम

- **विधायी और नीतिगत उपाय**
    - **अप्रवासन और विदेशी अधिनियम, 2025:** इसके तहत अधिकारियों को अवैध अप्रवासियों का पता लगाने, हिरासत में लेने और निर्वासित (उनको उनके मूल देश में भेजना) करने का अधिकार दिया गया है।
    - **राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC):** इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम में अपडेट किया गया है।
    - **अन्य**: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), 2019, आदि।
- **सीमा प्रबंधन पहल**
    - **सीमा पर बाड़ लगाना और फ्लडलाइटिंग**: यह भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर किया गया है।
    - **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)**: इसमें स्मार्ट प्रौद्योगिकियों (रडार, सेंसर्स, ड्रोन्स) का उपयोग किया गया है।
- **संस्थागत और प्रशासनिक उपाय**
    - **विदेशी ट्रिब्यूनल (FTs):** ये अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जिनकी स्थापना 1946 के विदेशी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 1964 के विदेशी (ट्रिब्यूनल) आदेश के माध्यम से अवैध अप्रवासन और राष्ट्रीयता के मामलों का निर्णय करने के लिए की गई थी।

आगे की राह: अवैध घुसपैठ/अप्रवासन को रोकने के उपाय

- **सुरक्षा और खुफिया जानकारी को मजबूत करना**: उदाहरण के लिए एकीकृत खुफिया ग्रिड बनाना, IB, BSF, राज्य पुलिस और स्थानीय खुफिया इकाइयों के बीच निर्बाध समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
- **सीमा प्रबंधन को मजबूत करना**: उदाहरण के लिए- विशेष **फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट** और नदी के हिस्सों में UAV से निगरानी करने की आवश्यकता है।
- **राष्ट्रीय शरणार्थी कानून लागू करना**: भारत को असली शरणार्थियों और अवैध अप्रवासियों के बीच कानूनी रूप से अंतर करने के लिए एक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून की आवश्यकता है।
    - भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन या उसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- **औपचारिक द्विपक्षीय प्रत्यावर्तन समझौते:** अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की उनके देश में वापसी सुनिश्चित करना। **प्रत्यावर्तन** का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसके मूल देश में वापस भेजना।
- **अन्य**:
    - अवैध अप्रवासन के प्रबंधन में सहायता के लिए **संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR)**[36] जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए।
    - **राष्ट्रीय पहचान पत्र (NIDs)** शीघ्र जारी करना चाहिए।
    - अवैध अप्रवासियों/ शरणार्थियों के **बायोमेट्रिक रिकॉर्ड** को बनाए रखने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन अवैध घुसपैठ की लंबे समय से चली आ रही चुनौती से निपटने के लिए एक समयानुकूल कदम है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सीमा पर बाड़बंदी और निगरानी कितनी मजबूत होती है, विदेशी ट्रिब्यूनल कितनी तेजी से फैसले करते हैं, द्विपक्षीय प्रत्यावर्तन समझौते कितनी कुशलता से लागू होते हैं, और राष्ट्रीय पहचान प्रणाली कितनी सुदृढ़ होती है।

4.2. रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्रक की हिस्सेदारी में वृद्धि (Increased Private Sector Share in Defence Production)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा उत्पादन विभाग[37] के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्रक की हिस्सेदारी 23% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। **यह लगातार तीसरा वर्ष है जब निजी क्षेत्रक की भागीदारी में वृद्धि दर्ज की गई है।**

[36] United Nations High Commissioner for Refugees

[37] Department of Defence Production

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्रक की हिस्सेदारी में वृद्धि के कारण

संस्थागत सुधार

- **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)** और **सैन्य मामलों के विभाग** का गठन किया गया है। इस कदम का उद्देश्य सशस्त्र बलों के भीतर तालमेल बढ़ाना और सैन्य बलों द्वारा स्वदेशी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

नीतिगत और विनियामक सुधार

- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP-2020):** इसके तहत घरेलू खरीद को प्राथमिकता दी गई है। इससे निजी क्षेत्रक की कंपनियों के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के अवसर खुले हैं और स्वदेशी विनिर्माण को मजबूती मिलती है।
- **उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति:** 2020 में, **ऑटोमैटिक रूट** के तहत 74% तक तथा और **सरकारी रूट** के माध्यम से 100% तक FDI की अनुमति दी गई है। इससे रक्षा क्षेत्रक से संबंधित विश्व की बड़ी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए C-295 विमान के लिए टाटा-एयरबस साझेदारी।

डेटा बैंक

भारत में रक्षा उत्पादन

- 2029 तक भारत का रक्षा उत्पादन लक्ष्य **3 लाख करोड़ रुपये** है।
- 2014-15 और 2024-25 के बीच रक्षा उत्पादन में **223% की वृद्धि।**
- पहले (65-70% आयात) की तुलना में अब **65%** रक्षा उपकरण घरेलू स्तर पर विनिर्मित होते हैं।
- 2013-14 से 2024-25 के दौरान भारत से रक्षा निर्यात में **34 गुना** वृद्धि।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया जैसे प्रमुख खरीदारों के साथ **100 से अधिक** देशों को निर्यात।

- **सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (PILs)[38]:** इसके अंतर्गत सरकार ने 5,500 से अधिक आइटम्स के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे घरेलू स्रोतों से निर्धारित रक्षा सामग्री की खरीद करना अनिवार्य हो गया है और निजी उद्योगों के लिए सुनिश्चित मांग पैदा हुई है।
- **मेक इन इंडिया पहल:** यह अभियान स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देता है और निजी कंपनियों को रक्षा संबंधी उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे निजी क्षेत्रक की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए, **श्रीजन/ SRIJAN पोर्टल**।

औद्योगिक अवसंरचना और बजट संबंधी सहायता

- **रक्षा औद्योगिक गलियारे:** उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित विनिर्माण केंद्र स्थापित किए गए है। ये केंद्र निजी क्षेत्रक के निवेश को आकर्षित करने के लिए **प्रोत्साहन, अवसंरचना और निवेश-अनुकूल नीतियां प्रदान** करते हैं।
- **बजटीय प्राथमिकता**: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा मंत्रालय ने अपने **आधुनिकीकरण बजट का 75%** (1.11 लाख करोड़ रुपये) विशेष रूप से भारतीय कंपनियों से रक्षा संबंधी खरीद के लिए निर्धारित किया है।

स्वदेशी रक्षा उत्पादन का महत्व

सामरिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा संघर्ष के समय आपूर्ति-श्रृंखला के व्यवधान के प्रति सुभेद्यता में कमी।	**परिचालन तत्परता** यह आधुनिकीकरण और बढ़ते खतरों के अनुसार जल्दी अनुकूलन करने में मदद करता है।	**तकनीकी महत्व** छुपी हुई कमजोरियों (जैसे- बैकडोर) का खतरा कम होता है और प्रौद्योगिकी का सकारात्मक प्रभाव नागरिक क्षेत्रों पर पड़ता है, आदि।	**कूटनीति और सॉफ्ट पावर** हथियारों के निर्यात के जरिए ग्लोबल साउथ में रणनीतिक प्रभाव बढ़ेगा।	**आर्थिक लाभ** आयात बिल में कमी, रोजगार सृजन, आदि।

नवाचार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

- **नवाचार इकोसिस्टम (iDEX और ADITI)**: स्टार्ट-अप्स और MSMEs को अनुदान और कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं ताकि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन्स और क्वांटम सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का विकास कर सकें। इससे उन्नत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

---

[38] Positive Indigenization Lists

- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: इसमें लाइसेंस की वैधता बढ़ाना, रक्षा संबंधी कई आइटम्स को लाइसेंस-मुक्त करना, और डिजिटल निर्यात स्वीकृति प्रणाली लागू करना** निजी कंपनियों के लिए प्रवेश बाधाएं कम करना आदि शामिल हैं।

भारत के रक्षा संबंधी उत्पादन में चुनौतियां

- **उत्पादन में विलंब:** रक्षा उद्योग सरकार द्वारा तय निर्यात लक्ष्य से काफी पीछे है। उदाहरण के लिए- HAL को मलेशिया का LCA कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स को फिलीपींस में एक टेंडर भी नहीं मिला।
- **उद्योग और विनिर्माण:** कच्चे माल की सीमित उपलब्धता, उच्च-तकनीकी घटकों की जरूरत और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भरता, सीमित उत्पादन क्षमता एवं कम मांग के कारण बड़े स्तर पर उत्पादन संभव नहीं हो पा रहा है।
- **आयात पर निर्भरता:** भारत लंबे समय से हथियारों, संबंधित घटकों और मशीनों के पार्ट्स के लिए आयात पर निर्भर है। यह बात भारत को आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है। उदाहरण के लिए- रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण S-400 में देरी।
- **तकनीकी:** विदेशी **मूल उपकरण विनिर्माता (OEMs)**[39] अपनी **बौद्धिक संपदा की सुरक्षा** करते हैं और **प्रौद्योगिकी का सीमित हस्तांतरण** करते हैं। इससे स्थानीय नवाचार और उन्नत विनिर्माण क्षमताओं में बाधा उत्पन्न होती है।
  - भारत के पास **AI, हाइपसोनिक्स, साइबर युद्ध और स्टील्थ प्रौद्योगिकी सहित उभरती रक्षा प्रौद्योगिकियों में सीमित तकनीकी क्षमता** है।
- **वित्त-पोषण में कमी:** रक्षा बजट **अभी भी 3% के बेंचमार्क** से कम है, जिसमें से आधे से अधिक सैन्य कर्मियों पर खर्च होता है। इस वजह से **आधुनिकीकरण और अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए काफी कम धन** बचता है।
- **विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता: "मेक इन इंडिया"** के बावजूद, भारत अत्याधुनिक तकनीकों के लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे वैश्विक भागीदारों पर निर्भर है।

आगे की राह

- **स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ाना और प्राथमिकता देना**: वैश्विक मानकों के अनुरूप रक्षा अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ाकर **कम-से-कम GDP का 2%** करने की आवश्यकता है।
- **एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी (AoT) यानी प्रौद्योगिकी अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना:** विदेशी **OEMs** के साथ संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसमें प्रौद्योगिकी साझाकरण, सह-विकास और सह-विनिर्माण आदि शामिल होना चाहिए।
- **कौशल विकास और मानव संसाधन पर ध्यान केंद्रित करना:** रक्षा संबंधी उद्योग और अनुसंधान एवं विकास की जरूरतों के अनुरूप **विशेषीकृत डिफेंस एजुकेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल कार्यक्रम संचालित** करने की आवश्यकता है।
- **निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना**: DPSUs (सार्वजनिक क्षेत्रक के रक्षा उपक्रमों) और निजी कंपनियों को मजबूत प्रतिस्पर्धा के लिए विदेशी अनुबंधों में संयुक्त रूप से बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **नवाचार को बढ़ावा देना**: लघु उद्यमों को रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने के लिए निरंतर **हैंड होल्डिंग, वित्त-पोषण और क्षमता-निर्माण सहायता** प्रदान करनी चाहिए।
- **विजय राघवन समिति**: रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़े निर्णयों पर निगरानी रखने के लिए **PMO-नेतृत्व वाली रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद** को सशक्त बनाया जाना चाहिए। DRDO को मुख्य रूप से **अनुसंधान और विकास पर ही ध्यान केंद्रित** करना चाहिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास में **निजी क्षेत्रक और शिक्षाविदों की भागीदारी बढ़ाने** का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष

आगामी दशक भारत को न केवल एक विनिर्माता के रूप में, बल्कि AI-संचालित प्रणालियों से लेकर अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा तक, वारफेयर संबंधी प्रौद्योगिकियों के भविष्य को आकार देने वाले एक नवप्रवर्तक के रूप में स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाकर, समान शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाकर, और स्टार्ट-अप्स और MSMEs के एक सक्षम इकोसिस्टम को विकसित करके, भारत **वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखला** में अपनी भूमिका को नए सिरे से निर्धारित कर सकता है।

[39] Original Equipment Manufacturers

4.3. सुदर्शन चक्र मिशन (Sudarshan Chakra Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान **मिशन सुदर्शन चक्र** के शुभारंभ की घोषणा की।

- इस मिशन का उद्देश्य दुश्मन की सैन्य घुसपैठ को निष्क्रिय करने और भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है।
- इसके अतिरिक्त, भारतीय वायु सेना प्रोजेक्ट कुशा पर तेजी से प्रगति करने के लिए दबाव डाल रही है। प्रोजेक्ट कुशा DRDO के नेतृत्व में लॉन्ग-रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम विकसित करने की एक स्वदेशी पहल है।

प्रोजेक्ट कुशा

- **विकसित करने वाला निकाय**: DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
- **उद्देश्य**: लॉन्ग-रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम विकसित करने की एक स्वदेशी पहल है।
    - इसके तहत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (LR-SAM) विकसित की जानी है।
- **पूरा होने में लगने वाला अनुमानित समय**: 2028-2029

सुदर्शन चक्र मिशन के बारे में

उद्देश्य

- राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करके भारत की निवारक और आक्रामक क्षमताओं को मजबूत करना।
- यह भारत की **बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली**[40] का हिस्सा होगा।

विशेषताएं:

- **समयावधि**: मिशन 2035 तक पूर्ण हो जाएगा।
- **व्यापक सुरक्षा**: यह भारत के रणनीतिक, नागरिक और धार्मिक स्थलों/ परिसंपत्तियों (जैसे अस्पताल, रेलवे) की सुरक्षा करेगा।
- यह हवा, जमीन और समुद्र में एक विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच के साथ सभी सार्वजनिक स्थानों को कवर करेगा।
    - यह मिशन **उन्नत निगरानी, साइबर सुरक्षा और भौतिक अवसंरचना** की सुरक्षा को एकीकृत करेगा।
    - यह लक्षित एवं सटीक कार्रवाई के लिए एक प्रणाली होगी।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी:** पूरी तरह से भारत में ही अनुसंधान और विकसित एवं विनिर्मित।
- **हवाई वर्चस्व:** यह स्थलीय सैनिकों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करेगा।
- **निवारक प्रभाव:** संभावित दुश्मन के आक्रमण के खिलाफ एक मजबूत निवारक प्रभाव पैदा करेगा।
- **आत्मनिर्भरता:** यह मिशन रक्षा आधुनिकीकरण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करेगा।

निष्कर्ष

मिशन सुदर्शन चक्र भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक तकनीकी श्रेष्ठता का अद्भुत मेल है। यह मिशन देश की संप्रभुता की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

***नोट:** एयर डिफेंस सिस्टम (ADS)के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मई, 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 4.2. और 4.6. देखें।*

संबंधित सुर्ख़ियां

DRDO ने 'एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS)' का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया

इसके द्वारा निगरानी करने, खतरे की पहचान करने और वायु रक्षा प्रणालियों को मिलाकर सुरक्षा के विविध स्तर प्रदान करने की उम्मीद है।

IADWS के बारे में

- **मुख्य घटक: क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-एयर मिसाइल (QRSAM):** इसे **DRDO ने स्वदेशी** रूप से विकसित किया है।

[40] Multi-Layered Missile Defence System

- यह एक **छोटी दूरी (5 से 30 किमी तक)** वाली **सतह से हवा** में मार करने में सक्षम मिसाइल प्रणाली है। इसे सेना के हथियारबंद और सैन्य वाहनों के काफिले को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म (जैसे ट्रक) पर स्थापित किया जा सकता है, जिससे यह सचल अवस्था में भी हवाई रक्षा प्रदान कर सकती है।
- **एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS) मिसाइल:** इसे **अनुसंधान केंद्र इमारत (RCI)** द्वारा विकसित किया गया है।
  - यह **मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPADS) है,** जिसे कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **हाई पावर लेजर-आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (DEW):** इसे **उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र** द्वारा विकसित किया गया है।
  - **लेजर-DEW प्रकाश की गति से लक्ष्य को निशाना बना** सकता है तथा लक्ष्य को नष्ट करने के लिए तीव्र लेजर बीम का उपयोग करता है।

- **कमान सेंटर:** सभी हथियार प्रणाली घटकों का एकीकृत संचालन **केंद्रीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र**[41] द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे **रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL)**[42] ने विकसित किया है।

4.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.4.1. अग्नि-5 (AGNI-5)

भारत ने अग्नि-5 इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण **सामरिक बल कमान (SFC)** के अधीन किया गया है।

- SFC भारत के **परमाणु कमान प्राधिकरण** का हिस्सा है। यह देश के **सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियारों के भंडार के प्रबंधन एवं प्रशासन** का काम करता है।

अग्नि-5 के बारे में

- यह एक **परमाणु-सक्षम सतह-से-सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल (SSBM)** है। यह **तीन-चरणीय ठोस ईंधन** इंजन से चलती है।
- **रेंज:** 5,000 किलोमीटर से अधिक।
- **विकासकर्ता:** इसे **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)** ने विकसित किया है।
  - अग्नि, **एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP)** के तहत विकसित **पांच मिसाइलों** में से एक है।
    - IGMDP के तहत विकसित अन्य मिसाइलों में **पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश** हैं।
- **महत्त्व:** यह भारत को **मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल (MIRV)-सक्षम IRBMs** वाले चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल करता है। भारत के अतिरिक्त यह प्रणाली **अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस** के पास है।

सतह-से-सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल (SSBM)

प्रक्षेप्य गति में मिसाइल को लांच करने के लिए इसे आरंभिक चरण में **रॉकेट बूस्टर के माध्यम से एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाया** जाता है। इसके बाद बूस्टर अलग हो जाते हैं और मिसाइल **गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर तेजी से गिरते हुए लक्ष्य पर हमला** कर देती है।

ये परमाणु या पारंपरिक, दोनों तरह के **वॉरहेड** ले जा सकती हैं।

हथियारों का प्रकार: शॉर्ट-रेंज (1,000 कि.मी. से कम); **मीडियम-रेंज** (1,000-3,000 कि.मी.); **इंटरमीडिएट-रेंज** (3,000 से 5,500 कि.मी.); **लॉन्ग-रेंज** (5,500 कि.मी. से अधिक)

---

41 Centralised Command and Control Centre

42 Defence Research & Development Laboratory

4.4.2. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News)

SLINEX: भारतीय नौसेना के जहाज **आईएनएस राणा** और **आईएनएस ज्योति कोलंबो** में **"श्रीलंका-भारत नौसेना अभ्यास (SLINEX-25) के 12वें संस्करण** में भाग लेंगे।

- आईएनएस राणा निर्देशित **मिसाइल विध्वंसक** है जबकि आईएनएस ज्योति **फ्लीट टैंकर** है।
- यह **भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास** है। इसकी **शुरुआत 2005 में** हुई थी।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. ई-मोबिलिटी (E-Mobility)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग ने पहले **इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स** के साथ **"अनलॉकिंग ए 200 बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs)"** नामक रिपोर्ट जारी की है।

इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में

- नीति आयोग ने वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ मिलकर **इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI)** लॉन्च किया है। यह राज्यों के लिए **अपनी तरह का पहला बेंचमार्क टूल,** जो उन्हें अन्य राज्यों की तुलना में अपनी प्रगति का आकलन करने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह इंडेक्स 3 प्रमुख श्रेणियों के तहत 16 प्रदर्शन संकेतकों का आकलन करता है:
  - **परिवहन प्रणाली के विद्युतीकरण में प्रगति:** इसके तहत मांग पक्ष के मामले में EVs को अपनाने की दर को ट्रैक किया जाता है।
  - **चार्जिंग अवसंरचना की मौजूदगी:** इसमें चार्जिंग नेटवर्क के विकास का आकलन किया जाता है।
  - **EV संबंधी अनुसंधान एवं नवाचार**: इसमें आपूर्ति पक्ष के मामले में अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयासों का मूल्यांकन किया जाता है।
- यह सूचकांक राज्यों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: **अचीवर्स (100), फ्रंट रनर्स (65-99), परफॉर्मर्स (50-64) और एस्पिरेंट्स (0-49)।**
  - वर्ष 2024 के लिए, दिल्ली 77 अंकों के साथ इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद **महाराष्ट्र** (68), **चंडीगढ़** और **कर्नाटक** का स्थान आता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के बारे में

- **प्रकार:**
  - **बैटरी EVs (BEV):** ये पूरी तरह बैटरी से चलते हैं।
  - **हाइब्रिड EVs (HEV):** इनमें इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं।
  - **फ्यूल सेल EVs (FCEV):** इसमें फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से बिजली बनती है, जिसका उपयोग वाहन को चलाने के लिए किया जाता है।
  - **प्लग-इन हाइब्रिड EVs (PHEV):** इनमें इंजन और रिचार्जेबल बैटरी दोनों का उपयोग किया जाता है।
- **भारत में ई-मोबिलिटी की स्थिति (अनलॉकिंग ए 200 बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स)**
  - 2024 में **2.08 मिलियन** EVs की बिक्री हुई, जो 2016 में 50,000 की तुलना में काफी अधिक है।
  - 2024 में **EVs की पैठ 7.6%** थी, जो **2030 तक 30% के लक्ष्य** को हासिल करने में धीमी प्रगति को दर्शाता है।

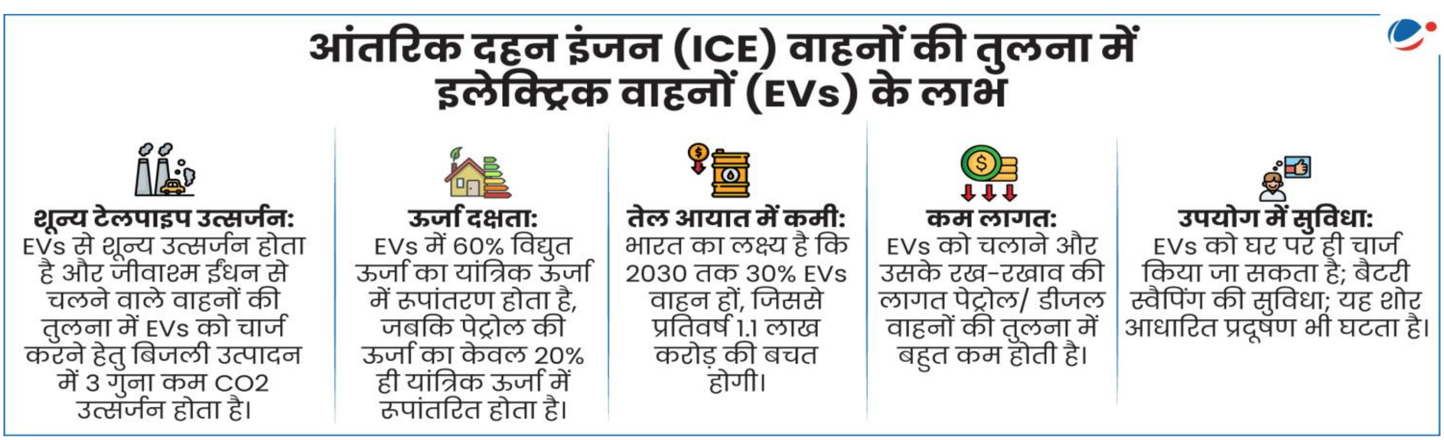

रिपोर्ट में उजागर की गई प्रमुख चुनौतियां

चुनौती वाले क्षेत्र	संबंधित मुद्दे
वित्तीय चुनौतियां (ई-बसें और ई-ट्रक)	• **उच्च पूंजीगत लागत**: EV बसों/ट्रकों की लागत ICE वाहनों की लागत से 2-3 गुना अधिक होती है, जिससे छोटी कंपनियों के लिए इन्हें अपनाना मुश्किल हो जाता है। • **EMI का उच्च बोझ**: छोटे ऑपरेटरों की ऋण चुकाने की क्षमता पर वित्तीय संस्थाओं में संदेह रहता है।
वाहन-केंद्रित चुनौतियां	• महंगी और भारी बैटरियां **ट्रक की भार वहन क्षमता को कम** कर सकती हैं। • **15-वर्ष बाद वाहन को स्क्रैप करने संबंधी नियम से इनकी रीसेल वैल्यू (पुनर्विक्रय मूल्य) कम हो जाती है।**
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी चुनौतियां	• **सार्वजनिक चार्जिंग,** घरेलू चार्जिंग से लगभग **4 गुना महंगी** है (18% GST+ ऑपरेटर का मुनाफा) • **DISCOMs से अपस्ट्रीम पवार सप्लाई कनेक्शन में समस्याएं**: उदाहरण के लिए, कनेक्शन प्राप्त करने के लिए शुल्क संरचनाओं में भिन्नताएं और बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ संरचनाओं में असमानताएं मौजूद हैं। • शहरों में और राजमार्गों पर **भूमि की उपलब्धता से संबंधित समस्याएं।** • **रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs)** चार्जिंग स्टेशनों को **सुरक्षा संबंधी जोखिम** के रूप में देखते हैं। • डिस्कॉम, शहरी स्थानीय निकायों, परिवहन विभागों और राज्य नोडल एजेंसियों के बीच **सहयोग का अभाव** है। • स्थान निर्धारण, बुकिंग और भुगतान के लिए एक **एकीकृत ऐप का अभाव** है।
जागरूकता और धारणा संबंधी चुनौतियां	• **राज्यों में अलग-अलग प्रोत्साहनों के कारण भ्रम की स्थिति जैसे कि परमिट की छूट या कम कर की दरें।** • **अकुशल/ विखंडित** जागरूकता अभियान। • **गलत धारणाएं**: इसमें फायर सेफ्टी, बैटरी क्षरण, वाहन की रेंज और रीसेल वैल्यू से संबंधित चिंताएं शामिल हैं।
अपर्याप्त डेटा और विनियामकीय अंतराल	• **VAHAN डेटाबेस में EV श्रेणियों के बारे में सटीक डेटा का अभाव:** इससे नीति बनाने, टार्गेटेड सब्सिडी सुनिश्चित करने और प्रगति की निगरानी करने में कठिनाई आती है। • **विशिष्ट बैटरी आईडी का अभाव** ट्रैकिंग, पुनर्विक्रय और पुनर्चक्रण इकोसिस्टम को कमजोर करता है। • विनिर्माताओं के **लिए इनवर्टेड GST** के चलते इनपुट GST 18% और आउटपुट GST 5% है, जिससे कार्यशील पूंजी अवरुद्ध हो जाती है और इनपुट टैक्स बढ़ जाता है।

भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **पीएम ई-ड्राइव योजना:** इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर (e-2Ws), इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर (e-3Ws), इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक एंबुलेंस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। साथ ही, उपभोक्ताओं (खरीददारों/ अंतिम उपयोगकर्ताओं) को कुछ प्रकार के EV खरीदने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना:** इस योजना का उद्देश्य वैश्विक EV विनिर्माताओं से निवेश आकर्षित करना और भारत को पैसेंजर कारों के विनिर्माण का केंद्र बनाना है।
- **पीएम ई-बस सेवा - पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) योजना:** इसका लक्ष्य 38,000 से अधिक ई-बसों की तैनाती करना है और सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा भुगतान में चूक होने पर ऑपरेटरों के लिए भुगतान सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- **ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए PLI योजना:** इसका उद्देश्य एडवांसड ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, 50% मूल्य वर्धन सुनिश्चित करना और ऑटो क्षेत्रक में निवेश आकर्षित करना है।
- **PLI - एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल:** यह योजना 50 GWh घरेलू बैटरी विनिर्माण को समर्थन देती है, जिससे आयात कम होगा।
- **लागत में कमी**: इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।
- **इवोल्यूशन (EVolutionS) कार्यक्रम**: यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा EV स्टार्टअप्स के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है।

आगे की राह: रिपोर्ट में की गयी सिफारिशें

- **प्रोत्साहन से अनिवार्यता की ओर:** शून्य उत्सर्जन वाहनों (ZEVs) के उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना; आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाले वाहनों पर उच्च पंजीकरण शुल्क/कर लगाना चाहिए।

- **सैचुरेशन दृष्टिकोण: 5 साल के भीतर 5 चुने हुए भारतीय शहरों में 100% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी** को अपनाना। इसके लिए संबंधित अवसंरचना का विकास करना, परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए अनिवार्य नियम बनाना और लक्षित वित्त-पोषण जैसे कदम उठाने चाहिए।
- **ई-बसों और ई-ट्रकों के लिए वित्त-पोषण**: इन वाहनों की खरीद के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक और बहुपक्षीय स्रोतों से एक **समेकित निधि का गठन करना चाहिए।**
- **बैटरी संबंधी अनुसंधान:** इसमें उपयोग होने वाले पदार्थों को और बेहतर बनाने के लिए **अकादमिक-उद्योग-सरकार साझेदारी का निर्माण** करना चाहिए।
- **रणनीतिक चार्जिंग अवसंरचना:** इसमें 20 प्रमुख गलियारे विकसित करना, नोडल एजेंसियां स्थापित करना, **हब स्थलों का मानचित्रण करना** तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए समय के अनुसार कीमत निर्धारण का उपयोग करना जैसे उपाय शामिल हैं।
- **एकीकृत राष्ट्रीय EV ऐप**: यह चार्जिंग स्टेशनों का पता लगाने, स्लॉट बुक करने, भुगतान करने और समर्पित EV पावर लाइनों का पता लगाने के लिए सेवाएं प्रदान करेगा।
- **अग्रिम लागत को कम करना**: इसमें बसों और ट्रकों के लिए लीजिंग मॉडल को बढ़ावा देना शामिल है, ताकि छोटे ऑपरेटर आसानी से इलेक्ट्रिक वाहन को अपना सकें। साथ ही **बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) की सुविधा** शुरू करनी चाहिए, जिससे बैटरी खरीदने का भारी खर्च कम हो जाए। बैटरी के कंडीशन को ट्रैक करने के लिए **बैटरी पासपोर्ट सिस्टम** लागू करना चाहिए।
    - इलेक्ट्रिक वाहन की कुल कीमत का करीब 40% हिस्सा सिर्फ बैटरी की लागत होती है।
- **जागरूकता और सूचना:** इसके लिए एक **राष्ट्रीय EV जागरूकता कार्यक्रम** शुरू करना चाहिए, हितधारकों की डेटा संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करना, और निर्णय लेने में मार्गदर्शन के लिए एक व्यापक सूचना प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) को अपनाने से संबंधित सर्वोत्तम उदाहरण

- **चीन: "10 सिटीज, 1000 व्हीकल" कार्यक्रम** चीन द्वारा शुरू की गयी एक प्रमुख पहल है। इसके तहत 10 चुनिंदा शहरों को कहा गया कि वे सरकारी वाहनों में कम-से-कम 1000 न्यू एनर्जी व्हीकल (NEVs) को उपयोग में लाएं।
- **सिंगापुर**: सिंगापुर की लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी **ईवी इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्राइवेट लिमिटेड** की स्थापना **की गई**। इसका उद्देश्य सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की सुगम बनाना था।
- **यूरोप: चार्जमैप (ChargeMap)** ऐप रियल टाइम में चार्जिंग स्टेशन डेटा, यूजर्स रिव्यू प्रदान करता है साथ ही यह नेविगेशन सिस्टम के साथ एकीकृत भी है।
- **यूनाइटेड किंगडम: एडवांसड प्रपल्शन सेंटर (APC)** ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करता है जो प्रोटोटाइप से व्यावसायिक उत्पादन तक का रास्ता आसान बनाते हैं। फैराडे बैटरी चैलेंज ने यू.के. बैटरी इन्डस्ट्रलाइजेशन सेंटर (UKBIC) की स्थापना की है, जहाँ कंपनियाँ अपने लैब प्रोटोटाइप को बड़े स्तर पर उत्पादन तक ले जा सकती हैं।

5.2. आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग पर भारत का संकल्प (India's Resolution on Wise-Use of Wetlands)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के **'आर्द्रभूमि के लिए संधारणीय जीवन-शैली को बढ़ावा देना' शीर्षक वाले संकल्प को जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (CoP)** में 172 देशों के समर्थन से अपनाया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह संकल्प **मिशन लाइफ/ Mission LiFE (पर्यावरण के अनुकूल जीवन-शैली) के सिद्धांतों के अनुरूप है।**
    - **मिशन लाइफ** भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक आंदोलन है। इसे **2021 में ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-26)** में प्रस्तुत किया गया था।

- इसका उद्देश्य **व्यक्तियों और समुदायों** को ऐसी जीवन-शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जो **प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने** वाली हो और उसे नुकसान न पहुंचाए।

आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में

- यह **रामसर कन्वेंशन** के तहत आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु मुख्य सिद्धांत है।
- इस कन्वेंशन के तहत संधारणीय विकास के संदर्भ में विवेकपूर्ण उपयोग को **पारिस्थितिकी-तंत्र आधारित पद्धतियों** के आधार पर आर्द्रभूमियों की **पारिस्थितिक विशेषताओं को बनाए रखने** के रूप में परिभाषित किया गया है।
- इसके सभी **पक्षकारों पर राष्ट्रीय योजनाओं, कानून, प्रबंधन कार्यों और सार्वजनिक शिक्षा** के माध्यम से विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है।
- **आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति भारत का दृष्टिकोण**
    - **जलीय पारिस्थितिकी-तंत्रों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना** (NPCA) शुरू की गई है।
    - **एकीकृत प्रबंधन योजनाएं (IMPs)** संधारणीय उपयोग के लिए रणनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं।
    - भारत ने **"वेटलैंड वाइज यूज- एन इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क" 2024** शीर्षक से एक फ्रेमवर्क जारी किया है।
    - **'मिशन सहभागिता' और 'आर्द्रभूमि बचाओ अभियान'** में 2 मिलियन से अधिक नागरिक स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए। इससे **170,000 से अधिक आर्द्रभूमियों का मानचित्रण** संभव हो सका।

COP15 के अन्य आउटकम्स

आउटकम्स/पहलें पहल	विवरण
"विक्टोरिया फॉल्स" घोषणा-पत्र को अपनाना	इसके तहत आर्द्रभूमि की पारिस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक भूमिकाओं को मान्यता दी गई है; जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी शमन और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में योगदान में उनके महत्त्व को उजागर किया गया है।
भारत-बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल रणनीतिक योजना 2025-2030 का शुभारंभ	आर्द्रभूमियों को होने वाले नुकसान को रोकना और उन्हें उनकी प्राकृतिक स्थिति में पुनः बहाल करना कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम
ब्रिज (BRIDGE) कार्यक्रम का शुभारंभ	लैंगिक समावेशन और महिला नेतृत्व पर आधारित अनुदान
फ्रेश वाटर चैलेंज	यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है।
वैश्विक जलीय पक्षी अनुमान साझेदारी (GWEP) की स्थापना का समर्थन	GWEP को रामसर कन्वेंशन के तहत स्थापित किया गया है। यह डेटा स्रोतों को एकीकृत एवं निगरानी क्षमता का निर्माण करता है तथा जलीय पक्षियों की आबादी में आने वाली गिरावट और आर्द्रभूमि क्षरण को रोकने के लिए संरक्षण संबंधी समझौतों के लिए जानकारी प्रदान करता है।

रामसर कन्वेंशन के बारे में

अंगीकरण: इसे 1971 में ईरान के रामसर में अपनाया गया और यह 1975 में लागू हुआ।

परिचय: यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग हेतु एक अंतर-सरकारी संधि है।

रामसर स्थल: विश्व स्तर पर 2,500 से अधिक रामसर स्थल हैं। किसी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप नामित होने के लिए नौ मानदंडों में से कम-से-कम एक को पूरा करना अनिवार्य होता है।

भारत: यहां 91 रामसर स्थल हैं, जो एशिया में सबसे अधिक है।

5.3. हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं (Cloudbursts In Himalayan Regions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के कई क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में दर्ज की गईं।

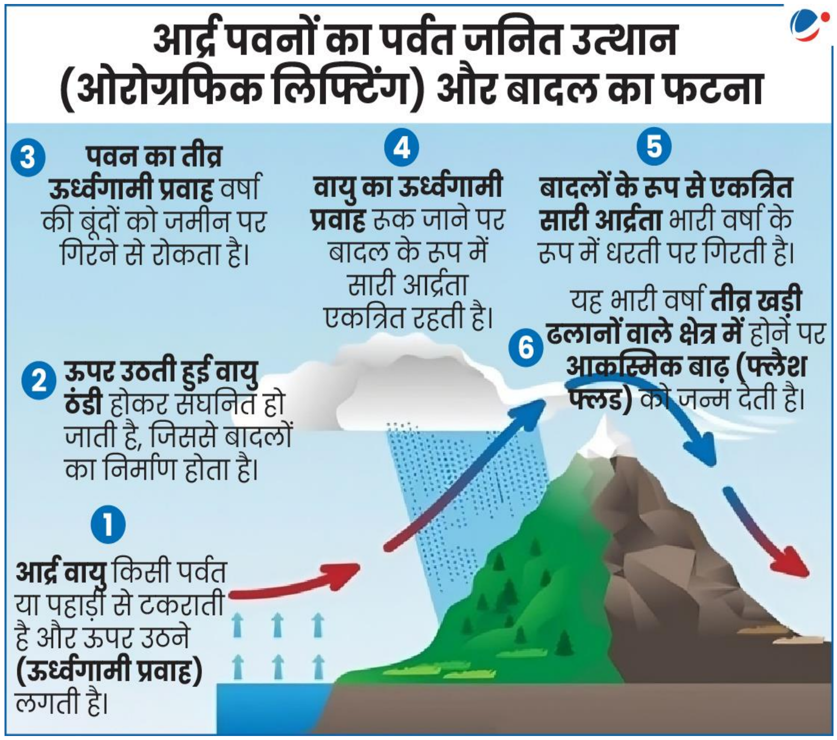

बादल फटने (Cloudburst) के बारे में

- यह अल्प अवधि में **अत्यधिक मात्रा में वर्षण** की घटना है, जो कभी-कभी ओलावृष्टि एवं गर्जना के साथ होती है। इससे अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) बारिश की किसी घटना को "बादल फटना" तब मानता है, जब **किसी स्थान पर "एक घंटे में 10 से.मी. या इससे अधिक वर्षा" दर्ज की गई** हो।
- **हाल के उदाहरण:** किश्तवाड़ जिला, जम्मू-कश्मीर (2025); चमोली, उत्तराखंड (2025); हिमाचल प्रदेश (2020)।
- बादल फटने की घटनाएं मैदानी इलाकों में भी होती हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में ये अधिक आम हैं, क्योंकि यह "पहाड़ों से टकराकर आर्द्र पवनों के ऊपर उठने" (ओरोग्राफिक लिफ्ट) के कारण होता है। (इन्फोग्राफिक देखें)
- **बादल फटने के परिणाम: अचानक बाढ़ आना, बांध टूटना, मिट्टी का धंसना/ भूस्खलन** आदि घटनाएं देखने को मिलती हैं। इससे जान-माल का नुकसान होता है; घरों, सड़कों और सार्वजनिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचता है; जैव विविधता की हानि होती है; आदि।

बादल फटने की घटनाओं से निपटने में आने वाली चुनौतियां

- **जलवायु परिवर्तन:** ग्लोबल वार्मिंग ने वर्षा के पैटर्न को बदल दिया है, जिससे बार-बार और तीव्र वर्षा हो रही है।
  - उदाहरण के लिए, तापमान में प्रत्येक 1°C की वृद्धि से हवा में **लगभग 7% अधिक नमी वहन करने की क्षमता बढ़** जाती है।
- **पूर्वानुमान संबंधी चुनौतियां:** बादल फटने की घटनाएं अत्यधिक **स्थानीय** और **अल्पकालिक** होती हैं और इनका **पूर्वानुमान लगाना कठिन** होता है; बादल फटने की घटना की जगह और समय के बारे में सैटेलाइट आधारित तकनीक में सटीकता का अभाव होता है; डॉप्लर रडार लगभग 3 घंटे पहले इसकी चेतावनी जारी करते हैं, लेकिन वे अत्यधिक महंगे और सीमित क्षेत्र के लिए प्रभावी होते हैं, आदि।
- **मानव-जनित कारण:** जंगलों की कटाई, आर्द्रभूमियों का नष्ट होना और अनियोजित विकास के कारण प्रकृति की पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे अचानक बाढ़ और नुकसान की संभावना और बढ़ जाती है।

आगे की राह: बादल फटने से होने वाली आपदा को कम करने की रणनीति (DRR)[43]- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2019)

- **भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का निर्धारण (LHZ)[44]:** रिमोट सेंसिंग, हवाई तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजरी और स्थानीय जानकारी की मदद से उन क्षेत्रों का सही मानचित्र बनाना जो भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
- **एजेंसियों के बीच समन्वय:** केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच तालमेल बनाकर **नियमों को अपडेट करना, नए मानक अपनाना, कानूनों में संशोधन करना** और **नीतियों की समीक्षा** करना।
  - **अग्रिम चेतावनी** की सूचना सभी तक पहुंचाना सुनिश्चित करना।

---

43 Disaster Risk Reduction

44 Landslide Hazard Zonation

- **संरचनात्मक उपाय (Structural Measures):**
    - पर्वतों के ढलानों को स्थिर बनाए रखने के लिए **जैव-इंजीनियरिंग तकनीक** (पेड़ लगाना, वनस्पति उगाना) का उपयोग करना और **सुरक्षात्मक संरचनाएं** बनाना।
    - **वर्षा के जल की निकासी व्यवस्था (ड्रेनेज सिस्टम), छोटी नदियों (rivulets)** और प्राकृतिक जल प्रणालियों का रखरखाव एवं उनमें सुधार करना, ताकि बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके।
- **गैर-संरचनात्मक उपाय:**
    - जीवन और संपत्ति के नुकसान के लिए **बहु-जोखिम बीमा** का विस्तार करना।
    - **जोखिम के प्रति संवेदनशील शहरी नियोजन** को अपनाना, जिसमें भवन उप-नियमों में ऐसे बदलाव किए जाएं ताकि आपदा के समय नुकसान कम हो।
    - बढ़ती हुई और अत्यधिक जोखिम वाली बस्तियों में **बहु-स्तरीय सुरक्षा योजनाओं** को लागू करना।
- **क्षमता विकास:**
    - **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)** और **पंचायती राज संस्थानों (PRIs)** की क्षमता में वृद्धि करना, ताकि वे आपदाओं का बेहतर तरीके से सामना करने की तैयारी और आवश्यक कार्रवाई कर सकें।
    - बीमा और **जोखिम को साझा/ स्थानांतरित करने वाले साधनों** के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना।
- **जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिम प्रबंधन:** अनुकूलन संबंधी **राज्य-विशिष्ट** और स्थानीय प्रयासों को बढ़ावा देना तथा उनका समर्थन करना।

निष्कर्ष

हाल ही में हुई क्लाउडबर्स्ट (बादल फटने की घटना) की घटना यह दिखाती है कि विशेषकर हिमालयी क्षेत्रों में आपदा जोखिम कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है। हमें केवल आपदा के बाद राहत पहुंचाने के बजाय, पहले से तैयारी और आपदा-रोधी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इसके लिए- अग्रिम चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना, समुदाय-आधारित अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देना, आपदा प्रबंधन को संधारणीय विकास से जोड़ना तथा तकनीक, स्थानीय ज्ञान और बेहतर शासन का इस्तेमाल कर जोखिमों को कम करना जरूरी है।

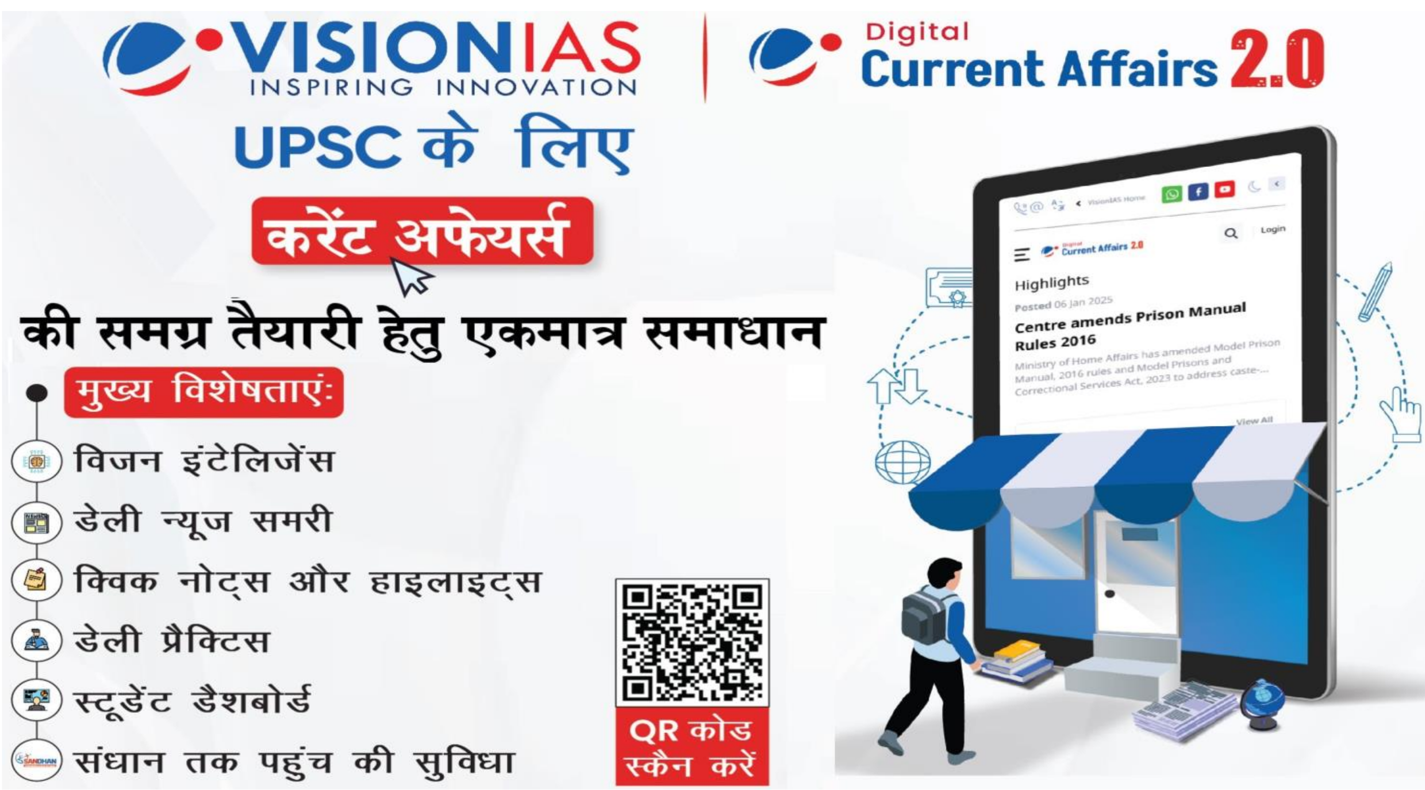

5.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.4.1. भारत का जल प्रबंधन (India's Water Management)

हाल ही में, **जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति** ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति और पर्याप्त निवेश के बावजूद, भारत को **बाढ़ एवं जल संकट के कारण गंभीर सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना** करना पड़ रहा है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

विषय	वर्तमान स्थिति/ मुद्दे	सिफारिशें
बाढ़ पूर्वानुमान का आधुनिकीकरण और विस्तार करना	केंद्रीय जल आयोग (CWC) 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में **340 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों का संचालन** करता है। इनकी संख्या **2026 तक लगभग 375** तक बढ़ाने की योजना है।	**जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ के पूर्वानुमान में आने वाली चुनौतियों से निपटने** के लिए वर्तमान प्रणाली को उन्नत करना चाहिए।
नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम	• **30 रिवर लिंक परियोजनाओं** की पहचान की गई है। • इसमें **राज्यों के बीच आम सहमति का अभाव** एक बड़ी बाधा है, क्योंकि संविधान की **सातवीं अनुसूची** के तहत **जल राज्य सूची** का विषय है।	परियोजनाओं के लाभों पर विस्तृत अध्ययन करना चाहिए; संबंधित राज्यों के बीच जागरूकता बढ़ानी चाहिए तथा रिवर लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए।
बांध सुरक्षा	6,000 से अधिक बांधों में से **केवल 459 को लेकर आपातकालीन कार्य योजनाएं (EAPs)** हैं। • **बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021** के तहत पांच वर्षों के भीतर एक आपातकालीन कार्य योजना को अनिवार्य किया गया है।	**राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण** को EAP की तैयारी के लिए बांध के स्वामियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए।
वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण	**'जल शक्ति अभियान: वर्षा जल संचयन' और 'जल संचय जन भागीदारी'** समुदाय-संचालित पहलें हैं। ये जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देती हैं। • भूजल पुनर्भरण में 2017 की तुलना में 2024 में 11.36 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) की वृद्धि हुई है। **(डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2024)**	वर्षा जल संचयन पहलों के लिए समर्थन बढ़ाने और उसे बढ़ावा देने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को वर्षा जल संचयन हेतु समर्पित वित्तीय अनुदान प्रदान करना चाहिए।
सक्रिय और एकीकृत दृष्टिकोण	**नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा** विचाराधीन है।	• **जल शक्ति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय** को मिलकर एक स्वतंत्र पहल के रूप में **सीमा-पार बाढ़ प्रबंधन को साकार** करना चाहिए। • बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन** के अंतर्गत निकायों में **स्थानीय सांसदों/ विधायकों** को शामिल किया जाना चाहिए।

भारत के वाटर गवर्नेंस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #125

भारत के वाटर गवर्नेंस में सुधार: उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए अनिवार्य

5.4.2. ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इंवेस्टमेंट्स (Global Outlook Council on Water Investments)

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने 'ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट्स (GOCWI)' के लॉन्च की घोषणा की।

GOCWI के बारे में

- **इसे G20 प्रेसिडेंशियल लेगसी इनिशिएटिव** के रूप में लॉन्च किया गया। यह **ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप (GWP)** के **ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा** का एक प्रमुख स्तंभ है।
    - GWP एक बहु-हितधारक कार्रवाई नेटवर्क और अंतर-सरकारी संगठन है। यह **जल संसाधनों के न्यायसंगत, संधारणीय और कुशल प्रबंधन** के लिए कार्य करती है।
    - GWP के **ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडे का लक्ष्य** वर्ष 2030 तक **जल सुरक्षा के लिए 15 बिलियन डॉलर** जुटाना है ।
- यह विश्व भर में जल सुरक्षा में निवेश के लिए राजनीतिक समर्थन और वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए एक **उच्च स्तरीय फोरम के रूप में** कार्य करेगा।

5.4.3. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Boards)

सुप्रीम कोर्ट ने **दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति बनाम लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड** मामले में यह निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि केवल अदालतें ही **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति** आरोपित कर सकती हैं।

- **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति** पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक नीतिगत तरीका है, जो **'प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत'** पर काम करता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **कानूनी अधिकार:** प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स (PCBs) के पास **जल अधिनियम, 1974 की धारा 33A और वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31A** के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करने का अधिकार है।
- **प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत:** PCBs इन अधिनियमों के तहत प्रत्येक उल्लंघन पर दंड नहीं लगा सकते, बल्कि केवल तभी दंड लगा सकते हैं, जब **किसी संस्था ने वास्तव में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया हो।**
    - **इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट-लीगल एक्शन बनाम भारत सरकार मामले** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत लागू हो, तो पर्यावरणीय क्षति की भरपाई जिम्मेदार उद्योग द्वारा ही की जानी चाहिए।
- **कार्रवाई का उचित तरीका:** बोर्ड्स यह तय कर सकते हैं कि प्रदूषणकर्ता पर केवल जुर्माना लगाना है या तत्काल पर्यावरण की क्षति की भरपाई (पुनर्स्थापना) करानी है, या दोनों तरह के दंड लगाने हैं।
    - **वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत सरकार (1996)** के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पर्यावरणीय क्षति की जिम्मेदारी में क्षतिपूर्ति और सुधार, दोनों शामिल होते हैं।
- **रोकथाम की उपाय:** विनियामक नुकसान होने से पहले ही **निवारक या पूर्व-उपाय** किए जा सकते हैं।

भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCBs)

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) केंद्रीय **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** के तहत कार्य करने वाला एक वैधानिक संगठन है।

इसकी स्थापना **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के तहत की गई है।

बाद में इसे **वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत भी अधिकार दिए गए।

CPCB के मुख्य कार्य: वायु और जल प्रदूषण को रोकना तथा इस संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs): इनकी स्थापना भी **उपर्युक्त अधिनियमों** के तहत की गई है। इनका मुख्य कार्य **CPCB** के साथ मिलकर संबंधित राज्य में पर्यावरण से जुड़े कानूनों और नियमों को लागू करना है।

5.4.4. UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड (Undp Equator Initiative Award)

कर्नाटक के धारवाड़ जिले के एक छोटे से गांव के **'बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह (SHG)'** को 'इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड' मिला है।

UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड के बारे में

- यह पुरस्कार **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** की **इक्वेटर इनिशिएटिव** के तहत **प्रत्येक दो साल में** दिया जाता है।
- इक्वेटर इनिशिएटिव **देशज** और **स्थानीय समुदायों** को भूमि निम्नीकरण, जैव विविधता संरक्षण और आजीविका से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के अवसर प्रदान करती है।
- इसे **"जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार"** के रूप में भी जाना जाता है।

'बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह' के बारे में

- इस समूह ने वर्षा सिंचित क्षेत्रों में **मिलेट्स-आधारित मिश्रित खेती** की शुरुआत की, **जलवायु-अनुकूल कृषि प्रणालियों** को बढ़ावा दिया, **पशुपालन और बागवानी** को प्रोत्साहित किया तथा मिलेट्स को लोकप्रिय बनाया।

5.4.5. अवाज़ा प्रोग्राम ऑफ एक्शन (APOA) 2024-2034 {Awaza Programme of Action (2024-2034) (APOA)}

तीसरा **'संयुक्त राष्ट्र-स्थलरुद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन (LLDC-3) तुर्कमेनिस्तान के अवाज़ा** में शुरू हुआ।

- यह सम्मेलन हाल ही में अपनाए गए **अवाज़ा प्रोग्राम ऑफ एक्शन** (APoA) को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा।

अवाज़ा प्रोग्राम ऑफ एक्शन (APOA) के बारे में:

- **इसे दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा** में सर्वसम्मति से अपनाया गया था।
    - यह स्थलरुद्ध विकासशील देशों (LLDCs) के समक्ष विकास संबंधी चिरकालिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक **व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।**
- **इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्रों** की स्थापना;
    - आवश्यक वित्त-पोषण जुटाने के लिए **अवसंरचना निवेश वित्त सुविधा का शुभारंभ;**
    - **व्यापार और क्लाइमेट रेजिलिएंस** को बढ़ावा देने के लिए UNFCCC वार्ता फोरम की स्थापना।

5.4.6. सुंदरबन टाइगर रिजर्व (Sundarbans Tiger Reserve)

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के नेतृत्व में **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) पैनल** ने **सुंदरबन टाइगर रिजर्व (STR)** के क्षेत्रफल का विस्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि **NBWL** की **अध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री द्वारा की जाती** है।

- इस विस्तार के बाद, अब सुंदरबन टाइगर रिजर्व **भारत के 58 टाइगर रिजर्व** में क्षेत्रफल की दृष्टि से **सातवें स्थान से दूसरे स्थान** पर आ गया है। अब यह क्षेत्रफल के मामले में केवल **आंध्र प्रदेश के नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व** से पीछे है।

टाइगर रिजर्व घोषित करने या उसके क्षेत्रफल में बदलाव करने की प्रक्रिया

- राज्य सरकारें **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के प्रावधानों** के अनुसार **टाइगर रिजर्व** अधिसूचित करती हैं। इसके लिए **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** से सलाह ली जाती है।
- **अधिसूचना में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:**
  - **राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होता है;**
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V** के अंतर्गत **NTCA** विस्तृत विवरणों की मांग करते हुए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी देता है;
  - **NTCA** समुचित जांच के बाद राज्य को प्रस्ताव की सिफारिश करता है;
  - **राज्य सरकार** संबंधित क्षेत्र को टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित करती है।
- **क्षेत्रफल में बदलाव की प्रक्रिया: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38W(1)** के अनुसार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण **की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की मंजूरी** के बिना टाइगर रिजर्व की सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकता।
  - इसके लिए प्रस्ताव भी **राज्य से ही प्राप्त** किए जाते हैं।

सुंदरबन टाइगर रिजर्व (STR)

- **अवस्थिति:** पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में।
- दुनिया में (बांग्लादेश के अलावा) **एकमात्र यही ऐसा मैंग्रोव वन** है, जिसमें बाघों की विशाल आबादी पाई जाती है।
- **सीमाएं:** बांग्लादेश (पूर्व), बंगाल की खाड़ी (दक्षिण), मतला नदी (पश्चिम), बिद्या और गोमदी नदियां (उत्तर-पश्चिम)
- **पहचान:** राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र, एक **प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व** का हिस्सा।

5.4.7. मातृ वन पहल (‘Matri Van’ Initiative)

गुरुग्राम में **अरावली पहाड़ियों** में **750 एकड़ का शहरी वन** विकसित करने के लिए **मातृ वन पहल** शुरू की गई है।

- यह पहल **'एक पेड़ माँ के नाम' कार्यक्रम** का हिस्सा है।
- इसका उद्देश्य **पारिस्थितिकी संरक्षण को बढ़ाना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है**, जो शहरी संधारणीयता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **इसके तहत पारिस्थितिकी पुनर्बहाली संबंधी घटकों में** आक्रामक प्रजातियों को हटाना, **देशी वृक्ष प्रजातियों का रोपण करना** और **अरावली-विशिष्ट जैव विविधता की पुनर्बहाली** शामिल है।

5.4.8. एटालिन जलविद्युत परियोजना (Etalin Hydroelectric Project)

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक विशेषज्ञ पैनल ने एटालिन जलविद्युत परियोजना को **पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश** की है।

एटालिन जलविद्युत परियोजना के बारे में

- **स्थान:** यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में प्रस्तावित है। यह क्षेत्र **पूर्वी हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट** का हिस्सा है।
- **नदियाँ:** इस परियोजना के तहत **ड्री** और **टांगोन** नदियों पर **कंक्रीट ग्रेविटी बांध** बनाया जाना है।
  - ड्री नदी एटालिन गांव के पास **टांगोन** नदी से मिलकर आगे **दिबांग नदी** के रूप में बहती है।

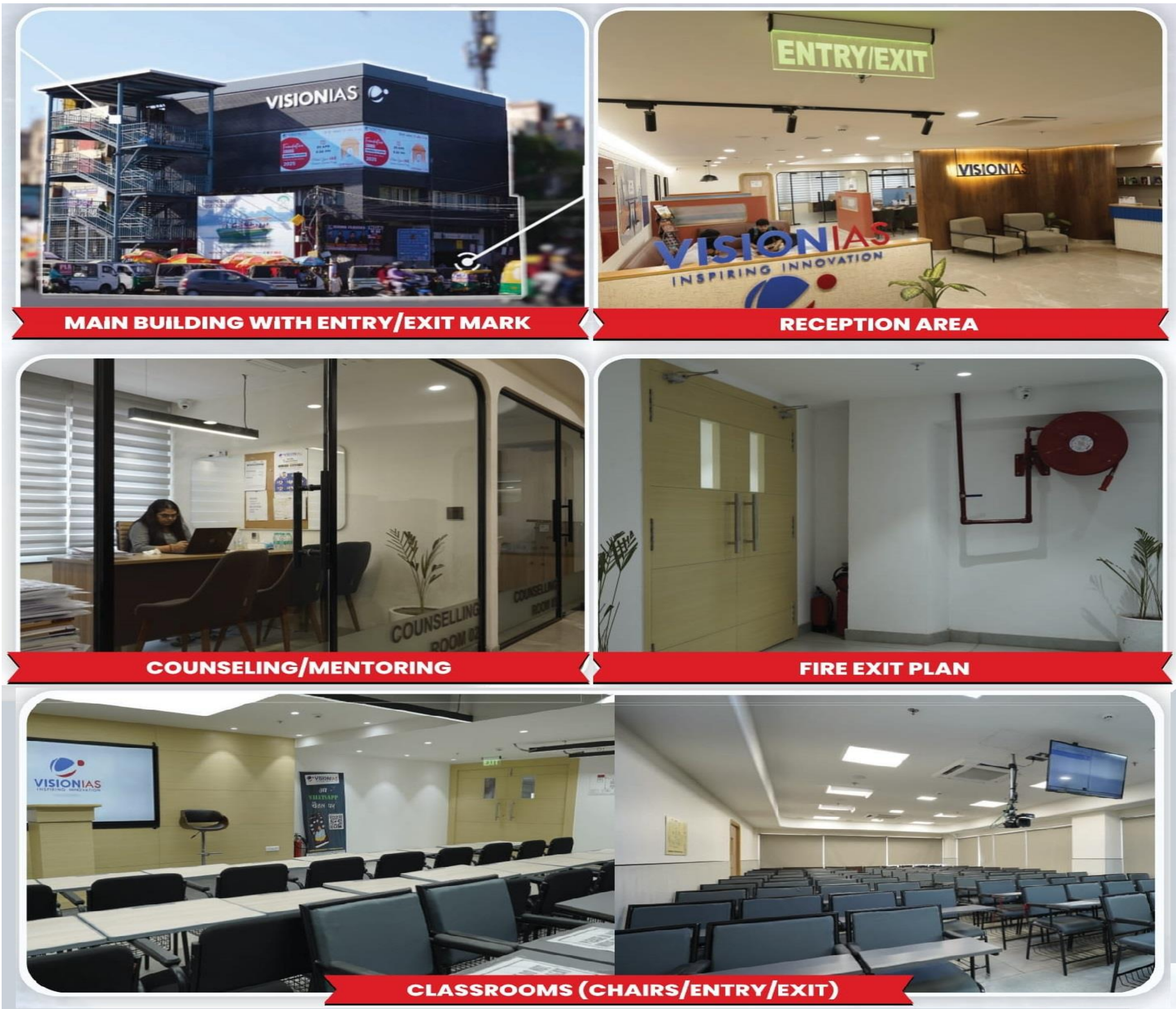

क्लासरूम प्रोग्राम : Vision IAS तैयारी के विभिन्न चरणों में सहायता और मार्गदर्शन के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है :

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा): लगभग 12–14 महीने में सम्पूर्ण सिलेबस कवरेज
- CSAT क्लासेज
- करेंट अफेयर्स क्लासेज– मासिक करेंट अफेयर्स रिवीजन, PT365, Mains365
- निबंध लेखन
- एथिक्स (Ethics)– एथिक्स क्रैश कोर्स, एथिक्स केस स्टडीज
- GS मेंस एडवांस कोर्स

5.4.9. सुर्ख़ियों में रहे ज्वालामुखी विस्फोट (Volcanic Eruptions in News)

* **माउंट लेवोटोबी:** यह **इंडोनेशिया के** दो सन्निकट **स्ट्रैटवोल्केनो** से बना है।
* **माउंट किलाउआ:** हालिया उद्गार **हलेमाउमाउ क्रेटर (Halemaumau Crater)** में हो रहा है जो **हवाई ज्वालामुखीय राष्ट्रीय उद्यान** का हिस्सा है।
    * **हवाई** एकमात्र अमेरिकी राज्य है जो पूर्णतः द्वीपों से मिलकर बना है।।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) : इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। **VisionIAS** पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए **Vision IAS** के **Innovative Assessment System™** द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (**GS Mains**) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया **GS** प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- **CSAT** टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (**Open Test**)
- **Abhyaas– Abhyaas Prelims & Mains**

मेंटरिंग कार्यक्रम – **UPSC** सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडे. मिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए **Vision IAS** प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (**Daksha**): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (**Lakshya**): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

करेंट अफेयर्स (Current Affairs)– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए **Vision IAS** द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- **PT** 365
- **Mains** 365

स्टडी मैटेरियल– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए **Vision IAS** द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- **PT** 365 एवं **Mains** 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (**PYQs**) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

Student Wellness Cell – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर **Vision IAS** द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

5.4.10. ड्रेक पैसेज (Drake Passage)

अर्जेंटीना और चिली के पास स्थित **ड्रेक पैसेज** में 7.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया।

ड्रेक पैसेज के बारे में:

- **अवस्थिति:** यह जल निकाय दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम पॉइंट **'केप हॉर्न'** और अंटार्कटिक प्रायद्वीप के उत्तर में स्थित **साउथ शेटलैंड आइलैंड्स** के बीच स्थित है।
- **नामकरण:** इसका नाम प्रसिद्ध अंग्रेज़ नाविक **सर फ्रांसिस ड्रेक** के नाम पर रखा गया है।
- **महासागरीय धारा:** यह जल निकाय मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। यह **अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट** का हिस्सा है, जो विश्व की **सबसे विशाल महासागरीय धारा** है।
- **ऐतिहासिक व्यापार मार्ग:** 1914 में **पनामा नहर** के खुलने से पहले यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था।
- **नाविकों के लिए चुनौती:** यह क्षेत्र **समुद्री तूफ़ानों और बर्फीले क्षेत्र** के लिए जाना जाता है, जिससे केप हॉर्न से गुजरने वाले जहाजों को अवरोधों का सामना करना पड़ता है।

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. शहरी प्रवासन (Urban Migration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **IIT इंदौर** द्वारा किए गए एक शोध में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन शहरों में दैनिक जीवन को एक नया रूप दे रहा है। कार्य, दिनचर्या और जीवनयापन की स्थितियों में निरंतर बदलाव ने शहरी प्रवासियों के सामने आने वाली व्यापक चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

क्या आप जानते हैं?

सर्कुलर प्रवासन (Circular Migration) बार-बार घटित होने वाला प्रवास का एक पैटर्न है, जिसमें लोग काम के लिए किसी अन्य जगह जाते हैं और रोजगार समाप्त होने पर वापस अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं।

> **प्रमुख विशेषता:** यह प्रवृत्ति **मुख्य रूप से निम्न-आय वर्गों में** देखी जाती है, जो शहरों, शहरी क्षेत्रों या विदेशों में मौसमी या अल्पकालिक रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं।

प्रवासन क्या है?

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM)**[45] प्रवासन को **लोगों के अपने सामान्य निवास स्थान से हटकर किसी नए निवास स्थान की ओर जाने** की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। यह निवास स्थान या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा-पार हो सकता है या एक ही राज्य के भीतर हो सकता है।
- **भारत में प्रवासी**
  - भारत की जनगणना प्रवासियों को **जन्मस्थान (PoB) और उनके अंतिम निवास स्थान (PoLR)** के आधार पर परिभाषित करती है।
    - **जन्मस्थान के मानदंड के अनुसार,** यदि किसी व्यक्ति का जन्मस्थान गणना स्थल (Enumeration place) से अलग है, तो गणना स्थल पर उस व्यक्ति को प्रवासी माना जाएगा।
    - यदि **किसी व्यक्ति का अंतिम निवास स्थान और गणना स्थल अलग** है, तो गणना स्थल पर उस व्यक्ति को प्रवासी माना जाएगा।

भारत में प्रवासन की स्थिति

- **शहरी प्रवासन:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर, **18.9% ग्रामीण से शहरी और 15.9% शहरी से शहरी** प्रवासन हुआ है, जो कुल प्रवास का लगभग **35%** है।
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक, **भारत की 40% से अधिक जनसंख्या के शहरी क्षेत्रों में रहने** की संभावना है।
  - **ग्राम से ग्राम प्रवासन 55%** के साथ सबसे अधिक है, जबकि **शहर से ग्राम प्रवासन 10%** के साथ सबसे कम है।
- **प्रवासियों का हिस्सा:** 400 मिलियन ड्रीम्स! रिपोर्ट के अनुसार **2023** में कुल आबादी में प्रवासियों की हिस्सेदारी **कुल जनसंख्या के 28.88%** (40.20 करोड़) थी, जो 2011 के **37.64%** से कम है।
  - **2011 की जनगणना के अनुसार, 45.57 करोड़** लोग प्रवासी हैं।
  - पांच राज्यों **उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल** से कुल **बाहर जाने वाले प्रवासियों का हिस्सा लगभग 48%** है, जबकि **महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आने वाले प्रवासियों** का हिस्सा लगभग समान ही है।
  - प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद - EAC-PM के अनुसार **पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक में आने वाले प्रवासियों** की दर सबसे तेजी से बढ़ रही है, जबकि **महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में घट** रही है।

शहरी प्रवासन को बढ़ावा देने वाले कारक

- **2011 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण से शहरी प्रवास के प्रमुख कारण:**
  - विवाह (29%),
  - परिवार के साथ स्थानांतरण (26%),
  - कार्य (24%),

[45] International Organisation for Migration

- जन्म के बाद स्थानांतरण (5.5%),
- शिक्षा (2%), और
- अन्य कारण (12%)

प्रवास को प्रभावित करने वाले दो प्रकार के कारक हैं-

	प्रतिकर्ष कारक (मूल स्थान छोड़ने के कारण)	**अपकर्ष कारक (गंतव्य स्थल चुनने के कारण)**
सामाजिक और राजनीतिक	• **उत्पीड़न** (नृजातीयता, धर्म, नस्ल, राजनीति व संस्कृति के आधार पर); • **युद्ध,** सशस्त्र संघर्ष, **मानवाधिकारों का उल्लंघन,** राजनीतिक अस्थिरता आदि।	• **शांति, स्थिरता,** जीवन और संपत्ति की सुरक्षा; • सुरक्षित देशों में **उदार शरण नीतियां** आदि।
जनसांख्यिकीय और आर्थिक	• उच्च **बेरोजगारी,** निम्न श्रम मानक; • **आर्थिक गिरावट,** अवसरों की कमी, कम वेतन आदि।	• **अधिक वेतन, बेहतर नौकरियां,** उच्च जीवन स्तर; • **शिक्षा के अवसर** और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं; • वृद्ध होते समाजों में **युवा श्रम की मांग** आदि।
पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी कारक	• **प्राकृतिक आपदाएं** (बाढ़, चक्रवात, भूकंप); • **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव** (सूखा, समुद्र का बढ़ता जलस्तर, चरम मौसमी घटनाएं) आदि।	• अनुकूल जलवायु, **सुरक्षित पर्यावरणीय परिस्थितियां** आदि।

शहरी प्रवास के परिणाम

- **आर्थिक परिणाम**
  - **आर्थिक विकास:** संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार कुशल प्रवासी विकास को बढ़ावा देते हैं, जबकि मौसमी और अस्थायी प्रवासी **राष्ट्रीय GDP में लगभग 10%** का योगदान करते हैं।
  - **जीवन स्तर में सुधार:** धन प्रेषण आवास, भूमि, शिक्षा और व्यवसाय के माध्यम से जीवन स्तर को बढ़ाता है।
  - **आर्थिक सुभेद्यताएं:** अनौपचारिक क्षेत्रक में संकेन्द्रण, कम वेतन, और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच की कमी प्रवासियों के लिए लगातार बनी रहने वाली चुनौतियां हैं।
    - **उदाहरण के लिए- भारत के कार्यबल का लगभग 90% हिस्सा** अनौपचारिक क्षेत्रक में है, जहां अधिकांश प्रवासी कामगार कार्यरत हैं।
    - **उदाहरण के लिए- कोविड-19** के कारण भारत में लगभग **11.4 मिलियन प्रवासियों** का वापस घर की ओर पलायन हुआ था।
- **जनसांख्यिकीय परिणाम**
  - **जनसंख्या संरचना:** प्रवासन जनसंख्या संतुलन को बदल देता है, जिससे लिंगानुपात असंतुलित होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर घटती है।
    - **उदाहरण के लिए-** महिलाओं के पलायन के कारण कोट्टायम का लिंगानुपात (1040) केरल के औसत लिंगानुपात (1084) से कम है।
- **सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम**
  - **सामाजिक परिवर्तन:** प्रवासी नई सोच, तकनीक और उपभोक्तावादी संस्कृति के साथ आते हैं, जिससे मूल क्षेत्रों का आधुनिकीकरण होता है।
  - **सामाजिक चुनौतियां:** इसमें जाति, धर्म और क्षेत्रीय मूल के आधार पर भेदभाव; भाषा संबंधी बाधाएं, घेट्टो (बस्तियों) का निर्माण आदि शामिल हैं।
    - **उदाहरण के लिए-** महाराष्ट्र में 2008 में प्रवासियों पर हुए हमले।
  - **आवास और अवसंरचना पर दबाव: उदाहरण के लिए-** पुणे में **564 झुग्गी-झोपड़ियां** हैं, जिनमें अनुमानित **30-40% आबादी** रहती है।

प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकारी पहलें

- **आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना:** इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों सहित भारत के सबसे कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान कर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है।
- **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY):** यह प्रवासी श्रमिकों सहित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त अनाज और प्रत्यक्ष नकद अंतरण प्रदान करती है।
- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) योजना:** यह 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करके खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।
- **ई-श्रम पोर्टल:** यह असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करता है, कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत करता है, और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक आसान पहुंच को सुनिश्चित करता है।
- **पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi):** इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है।
- **प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PMSYM):** इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है।

आगे की राह

- **प्रवासन पर कार्य समूह (2015) की सिफारिशें**
  - **कानूनी और नीतिगत ढांचा:**
    - **प्रवासियों के संवैधानिक अधिकारों** की रक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय लागू करने चाहिए।
    - **प्रवासियों की जाति-आधारित गणना** हेतु रजिस्ट्रार जनरल के प्रोटोकॉल में संशोधन किया जाना चाहिए।
  - **भेदभाव-रोधी उपाय:** नौकरियों और सेवाओं के लिए निवास प्रमाण (Domicile) की शर्त को समाप्त करना चाहिए, ताकि आवागमन एवं निवास की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।
  - **सर्व शिक्षा अभियान (SSA) की वार्षिक कार्य योजनाओं में प्रवासी बच्चों** को शामिल करने जैसे **मूलभूत अधिकारों तक पहुंच** प्रदान करनी चाहिए।
  - **वित्तीय समावेशन: अनौपचारिक धन हस्तांतरण** को रोकने के लिए **इंडिया पोस्ट के नेटवर्क** का उपयोग करके प्रेषण की लागत को कम करना चाहिए।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं का विस्तार करना:** 1998 से हर पांच साल में आयोजित किए जाने वाले **केरल प्रवासन सर्वेक्षण मॉडल का देश भर में विस्तार** किया जाना चाहिए, ताकि प्रवासन के गवर्नेंस और नीतिगत प्रतिक्रियाओं को मजबूत किया जा सके।

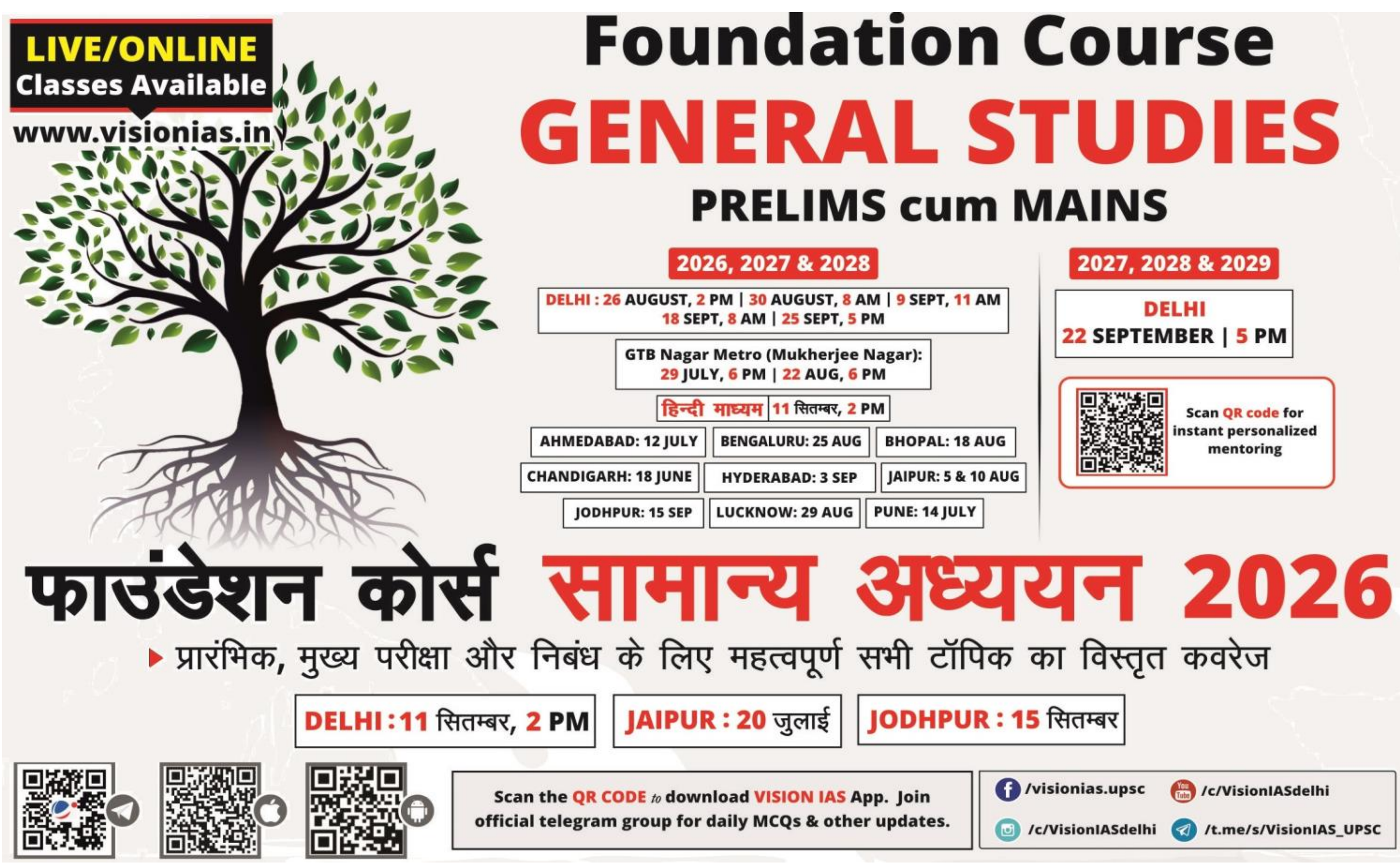

6.2. आदि कर्मयोगी अभियान (ADI Karmayogi Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय** ने आधिकारिक रूप से 'आदि कर्मयोगी अभियान' की शुरुआत की।

आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में

- यह **जमीनी स्तर से जनजातीय नेतृत्व का एक कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना; **उत्तरदायी और जन-केंद्रित शासन** को बढ़ावा देना तथा पूरे देश में **स्थानीय नेतृत्व के अवसर पैदा** करना है।
- **लक्ष्य:** 30 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 550 से अधिक जिलों और 3,000 प्रखंडों के 1 लाख से अधिक जनजातीय बहुल गाँवों में बदलाव लाने वाले **20 लाख नेतृत्वकर्ताओं का कैडर** तैयार करना।
    - इससे **10.5 करोड़ से अधिक जनजातीय** नागरिकों तक पहुंचने और उन्हें सशक्त बनाने की उम्मीद है।
- **विज़न:** आदि कर्मयोगी कैडर को **"जनजातीय सेवा पथ"** के रूप में स्थापित करना, जो **सेवा, समर्पण, और संकल्प** से प्रेरित हो, ताकि जनजातीय क्षेत्रों में **उत्तरदायी शासन तथा अंतिम छोर तक सेवाओं की उपलब्धता** सुनिश्चित हो सके।
- **मुख्य उद्देश्य:**
    - **उत्तरदायी, पारदर्शी और जवाबदेह शासन** को बढ़ावा देना;
    - **बॉटम-अप विज़निंग** और सहभागी योजना को सुगम बनाना;
    - **अग्रसक्रिय शिकायत निवारण** और फीडबैक प्रणालियों को संस्थागत बनाना;
    - प्रमुख जनजातीय पहलों के **अभिसरण के माध्यम से अंतिम छोर तक सेवाओं** की आपूर्ति सुनिश्चित करना। (इन्फोग्राफिक देखें)
- यह भगवान **बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती** के उपलक्ष्य में आयोजित **जनजातीय गौरव वर्ष** का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
    - **जनजातीय गौरव वर्ष** 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक मनाया जाएगा।

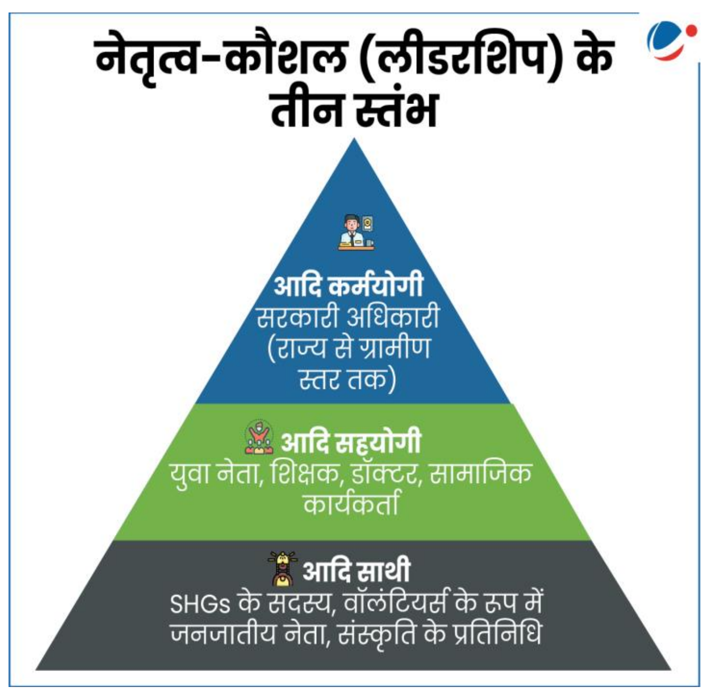

योजना की मुख्य विशेषताएं

- निवास स्थान से लेकर राज्य स्तर तक एक **बहु-स्तरीय नेतृत्व** संरचना। (इन्फोग्राफिक देखें)
- **बहु-विभागीय अभिसरण:** जनजातीय कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, जल शक्ति, स्कूली शिक्षा और वन विभाग।
- **कार्यान्वयन रणनीति:**
    - **गवर्नेंस लर्निंग वर्कशॉप्स का संचालन:** बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, देहरादून, रांची आदि केंद्रों पर क्षेत्रीय प्रोसेस लैब्स (RPLs) संचालित की जाएंगी।
    - **विलेज विज़निंग और विकास कार्य योजनाएं:** प्रत्येक गांव, अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ मिलकर **विलेज विज़न 2030 दस्तावेज़ एवं विकास कार्य योजना** तैयार करेगा।

- **मेंटरशिप इकोसिस्टम:** सेवानिवृत्त सिविल सेवक, जनजातीय बुजुर्ग, पद्म पुरस्कार विजेता आदि मेंटर्स के रूप में कार्य करेंगे।
- **आदि कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म:** सतत प्रशिक्षण, डेटा-संचालित उपकरण, ज्ञान साझाकरण और इम्पैक्ट डैशबोर्ड प्रदान किए जाएंगे।

लाभ/ अपेक्षित परिणाम

- सड़क संपर्क, पक्के आवास, नल का स्वच्छ पेयजल, घरेलू विद्युतीकरण, आयुष्मान भारत बीमा नामांकन सहित **सरकारी सेवाओं की 100% पूर्ण उपलब्धता** सुनिश्चित होगी। साथ ही, यह भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी जनजातीय परिवार वंचित न रह जाए।
- जनजातीय समुदायों के लिए **वन-स्टॉप सर्विस सेंटर्स** के रूप में **1 लाख आदि सेवा केंद्रों** की स्थापना की जाएगी।
- **100 से अधिक आदि कर्मयोगी छात्र अध्याय** प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IITs, NITs और IIMs में शुरू किए जाएंगे। इससे जनजातीय युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित होगी।
- सूचना प्रसार और शिकायत निवारण केंद्र के रूप में प्रत्येक जनजातीय गाँव में एक **'सिंगल विंडो रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस सेंटर'** की स्थापना की जाएगी।

जनजातीय विकास हेतु जनजातीय कैडर विकसित करने का महत्त्व

- **सेवा वितरण अंतराल को कम करना:** पिछले दशक में, अनुसूचित जनजाति कल्याण बजट (DAPST) में पांच गुना वृद्धि हुई है। यह बजट **₹25,000 करोड़ से बढ़कर ₹1,24,000 करोड़** हो गया है, लेकिन खराब वितरण के कारण परिणाम अभी भी कमजोर बने हुए हैं।
- **STs में गरीबी की सबसे अधिक दर और तीव्रता:** जनजातीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार **40.6% जनजातीय आबादी** गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करती है, जबकि गैर-जनजातीय जनसंख्या में यह आंकड़ा **20.5% है।**
- **जीवंत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का संरक्षण:** जनजातीय समुदायों की अपनी विशिष्ट भाषाएं, कला, नृत्य और त्यौहार होते हैं, जो आत्मसातीकरण के दबाव के कारण संकटग्रस्त हो रहे हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** ट्राइफेड/ TRIFED विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर जनजातीय उत्पादों के लिए जीआई टैगिंग कर रहा है।
- **जनजातीय पारिस्थितिक ज्ञान का उपयोग:** जनजातीय समुदायों की पारंपरिक प्रथाएं जैसे- झूम खेती, पवित्र उपवन, सामुदायिक वानिकी आदि जलवायु लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** ओडिशा के **डोंगरिया कोंध** कृषि-जैव विविधता को संरक्षित करते हुए मिलेट्स आधारित खेती करते हैं।
- **विकास का लोकतंत्रीकरण:** आदि कर्मयोगियों का चयन ग्राम सभाओं की परामर्श प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा, ताकि विश्वास, स्वामित्व और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा मिल सके।

निष्कर्ष

एक समर्पित आदिवासी कैडर, संस्कृति और पारिस्थितिक ज्ञान को संरक्षित करते हुए सेवा वितरण के अंतराल को समाप्त कर सकता है, गरीबी कम कर सकता है और ग्राम सभाओं को सशक्त बना सकता है। यह केवल क्षमता का ही नहीं, बल्कि संकल्प का भी विषय है, जो जनजातीय विकास को समावेशी और सतत राष्ट्र-निर्माण में बदल सकता है।

6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.3.1. बहु-विषयक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (MERITE) योजना {Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education (MERITE) Scheme}

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन' यानी **MERITE योजना** के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दी।

MERITE योजना के बारे में

- **योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना**
- **नोडल मंत्रालय: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय**

- **उद्देश्य:** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, प्राप्ति में समानता और गवर्नेंस में सुधार करना।
    - **यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** के अनुरूप है।
- **बजट: 2025-26** से 2029-30 तक की अवधि के लिए **4200 करोड़ रुपये।**
    - **विश्व बैंक** से ऋण के रूप में **2100 करोड़ रुपये** की बाह्य सहायता शामिल है।
- **लाभार्थी: 275 तकनीकी संस्थान, जिनमें 175 इंजीनियरिंग संस्थान और 100 पॉलिटेक्निक संस्थान** शामिल हैं।

6.3.2. केरल, भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना (Kerala Becomes India's First 100% Digitally Literate State)

यह उपलब्धि 2023 में शुरू किए गए **"डिजी केरलम"** कार्यक्रम के माध्यम से हासिल हुई है। इस का उद्देश्य सभी आयु वर्ग के नागरिकों तक **डिजिटल क्रांति और ई-सेवाएं** पहुंचाना है।

- यह केरल के **अक्षय प्रोजेक्ट** पर आधारित है, जिसने **मलप्पुरम** को भारत का पहला ई-साक्षर जिला बनाया था।

डिजिटल साक्षरता के बारे में

- यह **"व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपने रोजमर्रा के कार्यों को करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को समझने तथा उनका उपयोग करने की क्षमता"** को संदर्भित करती है।
- **डिजिटल रूप से साक्षर परिवार** का अर्थ है कि परिवार का **कम-से-कम एक** सदस्य (5 वर्ष या उससे अधिक आयु) कंप्यूटर चला सकता है और इंटरनेट का उपयोग कर सकता है।

सामाजिक-आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव

- **सरकारी कार्यकुशलता में सुधार:** किसान कॉल सेंटर्स और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) जैसी परियोजनाएं सेवाओं के वितरण की पारदर्शिता एवं गति बढ़ाती हैं।
- **ग्लोबल कनेक्टिविटी:** यह वैश्विक स्तर पर जानकारी को हासिल करने; बेहतर निर्णय लेने और सामाजिक जीवन व पारिवारिक संबंधों में सुधार में मदद करती है।
- **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी:** यह नागरिकों को शासन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती है।
- **वित्तीय समावेशन में तेजी:** यह **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और इंट्रीग्रेटेड पेमेंट इंटरफेस (UPI)** जैसी योजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद करती है।
- यह **विकसित हो रही डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ICT कौशल प्रदान** करती है और आजीविका के अवसरों को बढ़ाती है।

केरल ने भारत के पहले डिजिटल रूप से साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि हासिल की है। यह समावेशी डिजिटल रूपांतरण का एक सफल मॉडल प्रस्तुत करती है।

6.3.3. भारत का रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of India: RGI)

RGI ने राज्यों से जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक पंजीकरण की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव रखा।

RGI के बारे में

- **जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (RBD) 1969** के तहत नियुक्ति।
- **मंत्रालय:** केंद्रीय गृह मंत्रालय

- **मुख्य जिम्मेदारियां:**
  - **आवास एवं जनसंख्या गणना:** जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत।
  - **नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS):** जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (RBD) अधिनियम (1969) के तहत **जन्म एवं मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण** का प्रावधान करता है।
  - **अन्य:** सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR), मातृभाषा सर्वेक्षण, आदि।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम (Space Programme of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक सभा में **'विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका[46]'** पर एक विशेष चर्चा हुई।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि अंतरिक्ष में विशेष रूप से **शुभ्रांशु शुक्ला** द्वारा किए गए प्रयोग भारत को **विश्वबंधु भारत** (एक वैश्विक मित्र) के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
    - शुभ्रांशु शुक्ला **एक्सिओम-4 (Ax-4) मिशन** के तहत **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)[47]** पर गए थे।
    - वह ISS पर जाने वाले भारत के पहले और 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं।

अंतरिक्ष कार्यक्रम/प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका

अंतरिक्ष कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी भारत की कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, साथ ही विकास और उन्नति के नए अवसर भी उत्पन्न करेंगे।

क्षेत्रक	वर्तमान चुनौतियां	अंतरिक्ष-आधारित समाधान
कृषि और खाद्य सुरक्षा	जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मानसून; कम कृषि उत्पादकता; खराब फसल पूर्वानुमान	INSAT-3D/3DR मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है; **रिसोर्ससैट** फसल निगरानी और उपज संबंधी अनुमान में सहायता करता है।
अवसंरचना	एकीकृत योजना का अभाव; परियोजना कार्यान्वयन में देरी	**पीएम गति शक्ति** के तहत भारतमाला, सागरमाला, रेलवे आदि जैसी परियोजनाओं को एकीकृत करने के लिए इसरो इमेजरी और स्थानिक उपकरणों का उपयोग करता है।
आपदा प्रबंधन	बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, वनाग्नि के प्रति उच्च सुभेद्यता	**इसरो का आपदा प्रबंधन सहायता (DMS)[48] कार्यक्रम** रियल टाइम निगरानी, अग्रिम चेतावनी और आपदा-पश्चात आकलन को सक्षम बनाता है।
सुरक्षा और रक्षा	सीमा निगरानी में कमियाँ; संचार संबंधी सुभेद्यताएं; उभरते अंतरिक्ष आधारित खतरे	**जीसैट-7 और रीसैट** सुरक्षित संचार और निगरानी को मजबूत करते हैं; **मिशन शक्ति (2019)** ने उपग्रह-रोधी क्षमता का प्रदर्शन किया है।
रणनीतिक स्वायत्तता	नेविगेशन के लिए अमेरिकी GPS पर निर्भरता	**नाविक/NavIC (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन)** स्वदेशी नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है।
जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण	वनों की कटाई, ग्लेशियरों का पिघलना या उनका आकार कम होना, भूमि क्षरण, महासागरों का गर्म होना	**निसार (नासा-इसरो मिशन)** भूमि और हिमावरण में बदलावों, पारिस्थितिक तंत्र और महासागरों का अध्ययन करेगा।
स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति	दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच	**इसरो की टेलीमेडिसिन परियोजना।**

[46] Critical Role of the Space Programme for Viksit Bharat by 2047

[47] International Space Station

[48] Disaster Management Support

शिक्षा	ग्रामीण-शहरी शिक्षा में अंतर; सीमित डिजिटल शिक्षण अवसंरचना	**एडुसैट (EDUSAT)** दूरस्थ शिक्षा और शैक्षिक प्रसारण को संभव करता है।
पारदर्शिता और जवाबदेही	कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और खराब निगरानी	**मनरेगा परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग** जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
जल प्रबंधन	भूजल स्तर में गिरावट; खराब जलग्रहण योजना	**भुवन-सृष्टि (Bhuvan–SRISHTI) जियोपोर्टल** एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) परियोजनाओं की निगरानी को सक्षम बनाता है।

अंतरिक्ष क्षेत्रक में प्रगति भारत को विश्वबंधु कैसे बनाती है?

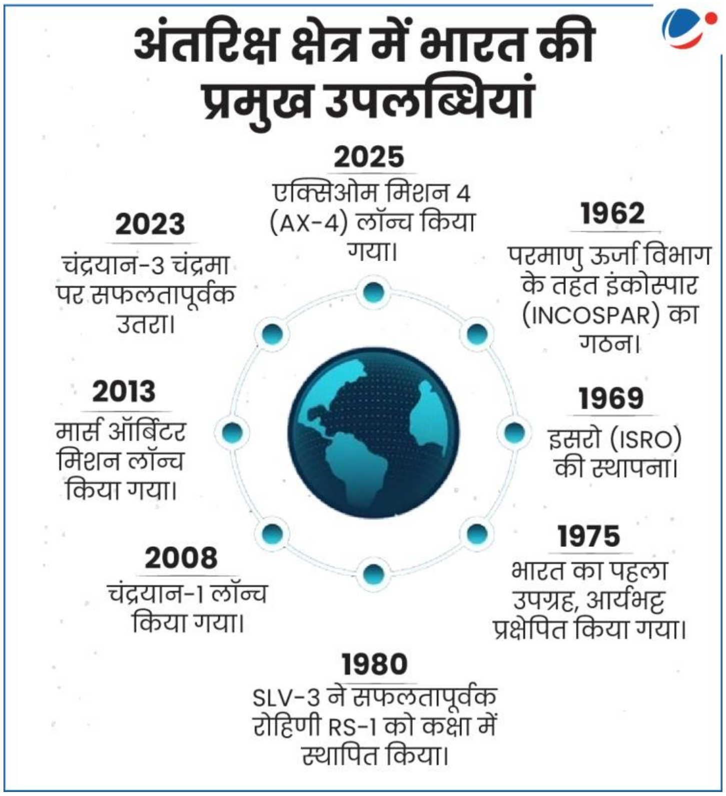

- **वैश्विक सहयोग: निसार (NISAR)** को **"विश्व के साथ भारत का वैज्ञानिक जुड़ाव"** कहा जाता है, जो डॉकिंग और इंटरऑपरेबिलिटी के वैश्विक मानकों का पालन करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक बनता है।
- **क्षेत्रीय नेतृत्व और सहायता:** 2017 में, भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र (पाकिस्तान को छोड़कर) के लिए **दक्षिण एशिया उपग्रह (GSAT-9)** लॉन्च किया।
  - NavIC के कवरेज क्षेत्र में आने वाले पड़ोसी देश NavIC की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- **सार्वभौमिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता और डेटा साझा करना:** उदाहरण के लिए, **चंद्रयान-3** के डेटासेट वैज्ञानिक समुदाय के लिए **प्रदान (PRADAN-नीति आधारित डेटा पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण, प्रसार और अधिसूचना प्रणाली)** पोर्टल प्रणाली पर उपलब्ध हैं।
- **क्षमता निर्माण संबंधी पहलें: उन्नति (इसरो द्वारा यूनीस्पेस नैनोसैटेलाइट असेंबली और प्रशिक्षण: UNNATI)** जैसे कार्यक्रम नैनोसेटेलाइट के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- **लागत-प्रभावशीलता और विश्वसनीयता:** उदाहरण के लिए, **मंगलयान (MOM)** दुनिया का सबसे किफायती इंटरप्लेनेटरी मिशन था, जिसने अंतरिक्ष में अत्यधिक दुरी तक कम लागत में पहुंच का मार्ग प्रशस्त किया।
  - भारत के प्रक्षेपण वाहनों से 34 देशों के 400 से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं।
- **उत्तदायी अंतरिक्ष अभिकर्ता:** भारत की **मलबा-मुक्त अंतरिक्ष मिशन (Debris-Free Space Missions: DFSM)** पहल का लक्ष्य 2030 तक सभी भारतीय अंतरिक्ष मिशनों को मलबा-मुक्त बनाना है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और संधारणीय बाहरी अंतरिक्ष सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **मानवीय सहायता: इसरो (ISRO)** अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह-आधारित खोज और बचाव (SAR) प्रणाली **कोस्पस-सारसैट (COSPAS–SARSAT)** का सदस्य है।

अंतरिक्ष क्षेत्रक में तीव्र विकास के लिए हालिया नीतिगत पहलें

- **भारत अंतरिक्ष नीति 2023:** इस नीति में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्रक की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- **FDI और स्टार्टअप इकोसिस्टम:** संशोधित **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** नीति के तहत, स्वचालित मार्ग से अंतरिक्ष प्रणालियों के लिए घटकों (Components) के विनिर्माण में **100% तक FDI** की अनुमति दी गई है।
  - इस प्रगतिशील माहौल ने हाल के वर्षों में 300 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे नवाचार में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है।

- **नया संस्थागत फ्रेमवर्क: न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)** इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में काम करता है। यह इसरो के उत्पादों और सेवाओं का प्रचार व व्यावसायीकरण करता है, तथा उद्योगों को उच्च-तकनीक आधारित अंतरिक्ष गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाता है।
    - **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)**[49] निजी क्षेत्रक की भागीदारी के लिए लॉन्च से लेकर ऑर्बिटल स्लॉट फायलिंग और डेटा प्रसार तक की सभी अंतरिक्ष गतिविधियों में सिंगल-विंडो सुविधा के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्ष

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास, वैश्विक सहयोग और संधारणीय विकास को बढ़ावा देता है। **2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS)** की स्थापना और **2040 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन** जैसे स्पष्ट लक्ष्यों के साथ, भारत खुद को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहा है। नवाचार, समावेशिता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ, भारत की अंतरिक्ष यात्रा **विकसित भारत@2047** के लक्ष्य को साकार करती है।

नोट: *एक्सिओम-4 मिशन (Axiom-4 Mission) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए जून, 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.1. देखें।*

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #112

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग: जिज्ञासा से वास्तविकता तक

7.2. भारत का पहला वाणिज्यिक भू-प्रेक्षण (EO) सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन {India's First Commercial Earth Observation (EO) Satellite Constellation}

सुर्ख़ियों में क्यों?

पिक्सेलस्पेस इंडिया (PixxelSpace India) के नेतृत्व वाले **समूह** ने **IN-SPACe** के प्रस्ताव या बोली प्रक्रिया में सफलता हासिल की है। यह **समूह** (कंसोर्टियम) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत भारत की पहली पूर्ण रूप से स्वदेशी वाणिज्यिक **भू-प्रेक्षण उपग्रह प्रणाली (EOSS)**[50] का निर्माण करेगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- **पिक्सेलस्पेस इंडिया कंसोर्टियम** में **पियरसाइट स्पेस (Piersight Space), सैटश्योर एनालिटिक्स इंडिया**[51], और **ध्रुव स्पेस (Dhruva Space)** शामिल हैं।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (EO-PPP) मॉडल:** इस मॉडल के तहत, निजी क्षेत्रक **EOSS** को डिज़ाइन करेगा, बनाएगा और संचालित करेगा, जबकि सरकार रणनीतिक, तकनीकी और नीतिगत सहायता प्रदान करेगी।
- **"जीरो-कोस्ट" वाली बोली:** इस परियोजना के लिए कंपनी ने "जीरो-कोस्ट" प्रस्ताव रखा है। यह समूह 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की पूरी पूंजी स्वयं निवेश करेगा। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली 350 करोड़ रुपये तक की सहायता भी यह समूह नहीं लेगा।

प्रस्तावित भू-पर्यवेक्षण उपग्रह प्रणाली (EOSS) के बारे में

- यह अगले 5 वर्षों में लॉन्च किए जाने वाले 12 अत्याधुनिक भू-प्रेक्षण (EO) उपग्रहों का एक समूह होगा।
- यह **पैनक्रोमैटिक, मल्टीस्पेक्ट्रल, हाइपरस्पेक्ट्रल**, और **माइक्रोवेव सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR)** सेंसर से लैस होगा।

---

[49] Indian National Space Promotion & Authorisation Centre

[50] Earth Observation Satellite System

[51] Satsure Analytics India

- **उपयोग:** यह जलवायु परिवर्तन की निगरानी, आपदा प्रबंधन, कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च-गुणवत्ता वाली भू-स्थानिक जानकारी सहित कई क्षेत्रों के लिए **एनालिसिस रेडी डेटा (ARD)** और **वैल्यू-एडेड सर्विसेज** प्रदान करेगा।

भू-प्रेक्षण (EO) उपग्रहों के बारे में

इन्हें अर्थ रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कहा जाता है। इन्हें भौतिक, रासायनिक, जैविक और मानव प्रणालियों सहित पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक और मानव जनित दोनों तरह की गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

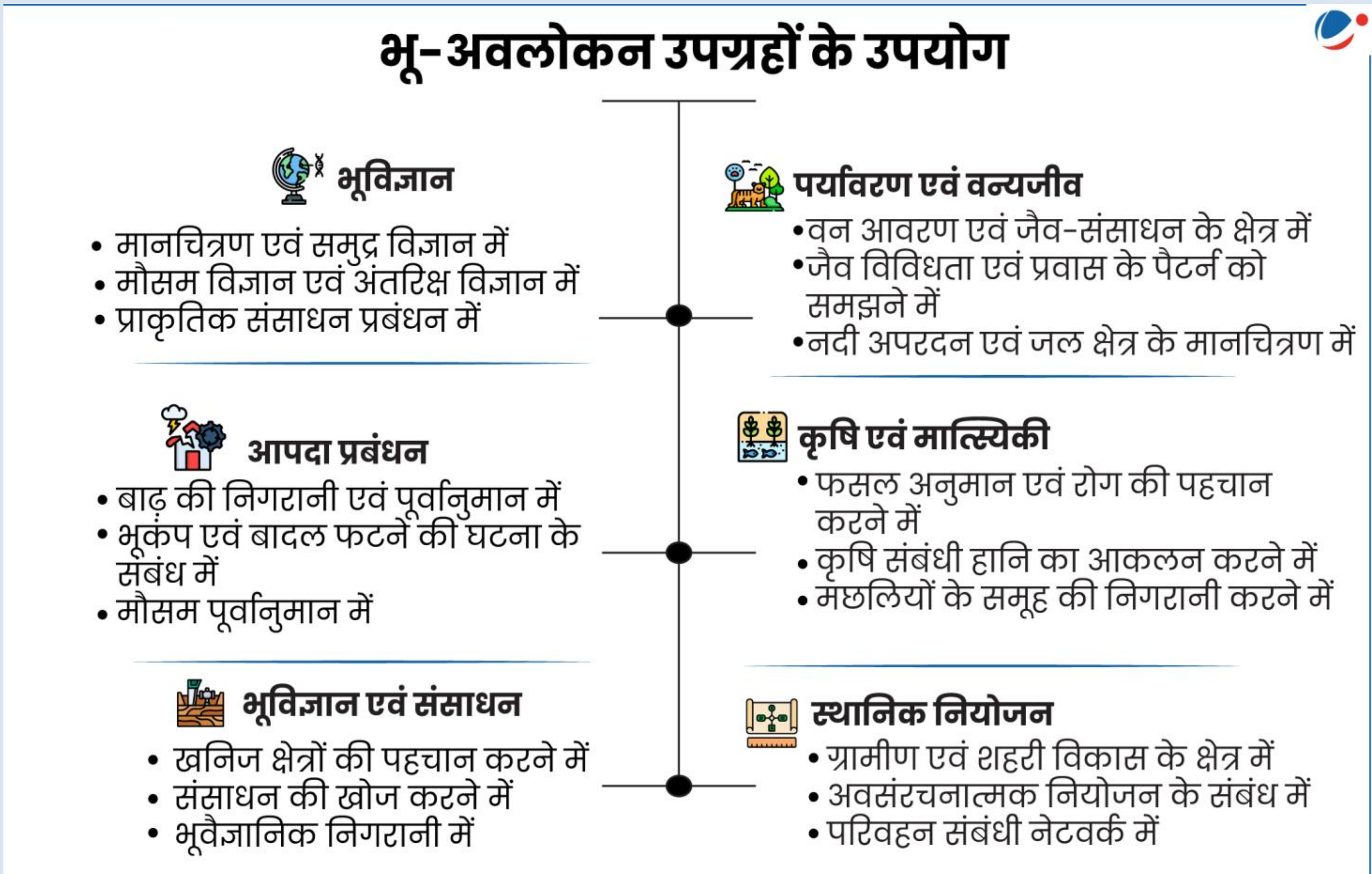

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी भागीदारी का महत्व

- **अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विकास:** निजी क्षेत्रक की मजबूत भागीदारी भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देती है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है।
    - वर्तमान में, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार लगभग **8.4 बिलियन** डॉलर है। इसका आकार 2033 तक बढ़कर **44 बिलियन** हो जाने का अनुमान है, जिसमें **11 बिलियन डॉलर** का निर्यात शामिल होगा, जो वैश्विक हिस्सेदारी का लगभग 7-8% होगा।
- **नवाचार और विकास:** निजी क्षेत्रक की अंतरिक्ष कंपनियां उपग्रह विकास, प्रक्षेपण यान और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में नवाचार ला रही हैं, जिससे नई तकनीकें और सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं।
    - उदाहरण के लिए, **पिक्सेल** ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह **'फायरफ्लाई'** लॉन्च किया, जो हाई-रिज़ॉल्यूशन हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रदान करता है।
- **इसरो की उत्पादकता में वृद्धि:** यह इसरो को उन्नत और दीर्घकालिक मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्रक में **आत्मनिर्भर भारत** को बढ़ावा मिलता है।
- **रोजगार सृजन:** बढ़ता हुआ निजी अंतरिक्ष क्षेत्रक युवाओं के लिए उच्च-कुशलता वाली नौकरियाँ और अवसर उत्पन्न कर रहा है। इससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं विकास में शामिल होने का मौका मिल रहा है और संभावित रूप से **ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा पलायन)** पर रोक लग रही है।
- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में रणनीतिक आत्मनिर्भरता:** निजी भागीदारी से भारत की **डेटा संप्रभुता** बढ़ेगी और विदेशी उपग्रहों पर आधारित इमेजरी और अन्य अंतरिक्ष संपत्तियों पर निर्भरता कम होगी।

- **वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का नेतृत्व:** 300 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के साथ, निजी क्षेत्रक की भागीदारी वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत कर रही है।
  - वर्तमान में, वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी केवल 2% है।

अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)[52]:** इसकी स्थापना अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों में निजी क्षेत्रक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 2020 में अंतरिक्ष विभाग (DoS) के तहत एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में की गई थी।
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** यह नीति विनियामक स्पष्टता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
- **वेंचर कैपिटल फंड:** इसके तहत अंतरिक्ष क्षेत्रक संबंधी आपूर्ति श्रृंखला में स्टार्ट-अप्स को वित्त-पोषित करने के लिए **1,000 करोड़** रुपये की निधि को स्वीकृत किया गया है।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** IN-SPACe ने इसरो द्वारा विकसित 10 अत्याधुनिक तकनीकों को 6 भारतीय उद्योगों में स्थानांतरित करने में मदद की है। उदाहरण के लिए, **एडवांस्ड इनर्शियल सेंसर्स** और फसल उपज अनुमान के लिए भू-स्थानिक मॉडल।
- **उदारीकृत FDI नीति:** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्रक में **100% तक FDI** की अनुमति दी गई है।

अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक की भागीदारी से जुड़ी चुनौतियां

- **व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष विधान का अभाव:** एक व्यापक कानून के अभाव में, नीतियों को लागू करना और अनुपालन सुनिश्चित करना कठिन है। इससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कानूनी अस्पष्टता पैदा होती है।
  - **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के दोहरे-उपयोग (Dual-use) की संभावना:** यह एक अनोखी चुनौती प्रस्तुत करती है, जिससे परियोजना में देरी होती है। साथ ही, इससे सरकार के अत्यधिक हस्तक्षेप के बिना बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता और हितों के टकराव से बचने के लिए एक स्वतंत्र अपीलीय प्राधिकरण की आवश्यकता भी उजागर होती है।
- **परिचालन संबंधी चुनौतियां:** अंतरिक्ष क्षेत्रक से संबंधित कानून के अभाव में विनियामकीय ट्रांजिशन उद्योग के लिए परिचालन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न करते हैं, जिससे कई मंत्रालयों से अनुमोदन प्राप्त करने में अनावश्यक देरी और भ्रम की स्थिति देखने को मिलती है।
- **तकनीकी बाधाएं:** बढ़ते शोध के बावजूद, भारतीय निजी क्षेत्रक के पास तकनीकी और वित्तीय क्षमता की कमी है, जिससे उनकी आयात पर निर्भरता बढ़ जाती है।
- **वैश्विक मांग का सृजन:** भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में, सेवाओं और उपयोग पर आधारित **डाउनस्ट्रीम क्षेत्र** का प्रभुत्व है, जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 80% हिस्सा है। वहीं, अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के विकास, परीक्षण और प्रक्षेपण से संबंधित **अपस्ट्रीम क्षेत्र** अभी शुरुआती चरण में है।
  - **अपस्ट्रीम क्षेत्र** में अंतरिक्ष संपत्तियों का विकास, परीक्षण और प्रक्षेपण शामिल है, जबकि **डाउनस्ट्रीम क्षेत्र** में उपग्रहों का उपयोग करके विभिन्न उपयोग और सेवाओं का संचालन किया जाता है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे भारत एक अंतरिक्ष क्षेत्रक संबंधित मजबूत संस्थागत क्षमता की ओर बढ़ रहा है, **पिक्सेल (Pixxel)** के नेतृत्व वाला **भू-प्रेक्षण (अर्थ ऑब्जर्वेशन) कॉन्स्टेलेशन** एक नए युग का प्रतीक बन रहा है। यह युग सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से ग्लोबल स्पेस गवर्नेंस में भारत की भूमिका को फिर से निर्धारित करेगा। भविष्य में, सतत नीतिगत समर्थन, क्षमता निर्माण और वैश्विक सहयोग यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि भारत न केवल अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करे, बल्कि अंतरिक्ष-आधारित समाधानों का एक अग्रणी निर्यातक भी बनकर उभरे। इस तरह, यह तकनीकी रूप से सशक्त और विश्व स्तर पर प्रभावशाली **विकसित भारत** के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा।

---

[52] Indian National Space Promotion and Authorization Center

7.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.3.1. ISRO ने त्सो कर वैली, लद्दाख में HOPE एनालॉग मिशन का उद्घाटन किया (ISRO Inaugurates Hope Analog Mission In Tso Kar Valley, Ladakh)

हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन (HOPE) चालक दल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया **आवास मॉड्यूल** और संचालन एवं समर्थन प्रणाली हेतु एक **उपयोगिता मॉड्यूल** है। ये मॉड्यूल्स **निर्बाध कार्यप्रवाह** के लिए आपस में जुड़े हुए हैं।

- इसरो द्वारा स्थापित HOPE स्टेशन **पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसी स्थितियां** निर्मित करेगा। इससे भविष्य के **अंतरग्रहीय मिशनों के लिए अनुसंधान में सहायता** मिलेगी।

HOPE मिशन के बारे में

- **नेतृत्व:** इसरो का **मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (HSFC), भारतीय उद्योग और प्रमुख संस्थान** संयुक्त रूप से इस मिशन का नेतृत्व कर रहे है।
- **उद्देश्य:**
  - **चंद्रमा और मंगल जैसे अन्य खगोलीय पिंडों के वातावरण** का अनुकरण करना;
  - अंतरिक्ष जैसे परिवेश में **मानव के अस्तित्व, स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और उपकरणों** का परीक्षण करना आदि।
- **किए जाने वाले अध्ययन:**
  - **एपिजेनेटिक्स, जीनोमिक्स, फिजियोलॉजी और मनोविज्ञान** जैसे विषयों पर शोध किए जाएंगे।
  - **नमूना संग्रह और सूक्ष्मजीव विश्लेषण तकनीकों का मूल्यांकन** किया जाएगा।
  - **स्वास्थ्य निगरानी और ग्रहीय सतह परिचालन प्रोटोकॉल का सत्यापन** किया जाएगा।
- **त्सो कर वैली को क्यों चुना गया?**
  - **मंगल जैसी परिस्थितियां: उच्च पराबैंगनी (UV) विकिरण, निम्न वायुमंडलीय दबाव, अत्यधिक ठंड और लवणीय पर्माफ्रॉस्ट जैसी स्थितियां** मंगल ग्रह के समान हैं।
  - यह स्थान **तकनीकी परीक्षणों और खगोल-जीव विज्ञान अनुसंधान** दोनों के लिए अनुकूल है।
- यह मिशन विश्व भर में चल रहे **व्यापक अनुरूप मिशनों** की प्रवृत्ति का हिस्सा है। इनका उद्देश्य लंबी अवधि के पृथ्वी से इतर अन्य खगोलीय पिंडों पर मानव मिशनों के लिए तैयारी करना है।
  - **वैश्विक संदर्भ:** विश्व में इस तरह के अन्य स्टेशन निम्नलिखित हैं:
    - **संयुक्त राज्य अमेरिका** का मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन;
    - **कनाडा** का फ्लैशलाइन मार्स आर्कटिक स्टेशन;
    - रूस का BIOS-3 आदि।

गगनयान - भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के बारे में

उद्देश्य: इसका उद्देश्य **3 सदस्यीय दल को 400 कि.मी. की ऊंचाई वाली कक्षा में 3 दिन के मिशन** पर भेजकर, सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इस प्रकार, भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

प्रक्षेपण यान: गगनयान मिशन के लिए **LVM3 रॉकेट** को चुना गया है।

मुख्य चरण (माइलस्टोन): इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट; टेस्ट व्हीकल मिशन; पैड एबॉर्ट टेस्ट; मानवरहित उड़ान परीक्षण; तथा मानवयुक्त उड़ान।

7.3.2. इसरो का सबसे भारी रॉकेट 'लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल (LMLV)' 2035 तक तैयार हो जाएगा (ISRO'S Heaviest Rocket Lunar Module Launch Vehicle (LMLV) To Be Ready By 2035)

लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल (LMLV) की मुख्य विशेषताएं

- **डिजाइन:** यह नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) का **उन्नत संस्करण** होगा।
  - इसकी **ऊंचाई लगभग 40 मंजिला इमारत** जितनी होगी।
- **उद्देश्य:** इसक **चंद्र मिशन** के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसमें 2040 तक भारत का पहला **मानव चंद्र मिशन** भी शामिल है।
- **पेलोड:** यह **निम्न भू-कक्षा (LEO) तक 80 टन या चंद्रमा तक लगभग 27 टन** भार ले जा सकता है।
- यह **3 चरण वाला यान** होगा। इसके **पहले दो चरणों के लिए द्रव प्रणोदक और तीसरे चरण के लिए क्रायोजेनिक प्रणोदक** का इस्तेमाल किया जायेगा।

इसरो के प्रमुख प्रक्षेपण यान और उनकी विशेषताएं

- **ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV):** यह इसरो का **द्रव चरणों वाला तीसरी पीढ़ी** का प्रक्षेपण यान है। यह **सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा, LEO और भू-तुल्यकालिक अंतरण कक्षा (GTO)** में उपग्रहों को स्थापित करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए- चंद्रयान-1, मंगल ऑर्बिटर मिशन आदि।
- **भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV):** यह **चौथी पीढ़ी का और तीन-चरणों** वाला प्रक्षेपण यान है। इसे **2.0 टन श्रेणी के उपग्रहों को GTO में स्थापित** करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग समायातः **संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित** करने के लिए किया जाता है।
- **LVM 3:** यह **हेवी लिफ्ट-ऑफ क्षमता से युक्त तीन-चरणों वाला प्रक्षेपण** यान है। यह **4 टन की श्रेणी वाले उपग्रहों को GTO तक या लगभग 10 टन वजन वाले उपग्रहों को LEO में स्थापित** करने में सक्षम है (जैसे चंद्रयान-2 और 3)।
  - इसे **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित** करने के लिए उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।
- **लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV):** यह पूर्णतः **ठोस प्रणोदक** से संचालित **तीन-चरणों** वाला प्रक्षेपण यान है। इसे **मिनी, माइक्रो या नैनो उपग्रहों (10 से 500 किलोग्राम वजन) को प्रक्षेपित** करने के लिए डिजाइन किया गया है।

7.3.3. यूरोपीय आयोग के जनरल-पर्पज AI (GPAI) कोड ऑफ प्रैक्टिस {EU AI Code of Practice On General-Purpose (GPAI)}

26 तकनीकी कंपनियों ने यूरोपीय आयोग के 'जनरल-पर्पज AI (GPAI) कोड ऑफ प्रैक्टिस' पर हस्ताक्षर किए। **अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM सहित 26 प्रमुख तकनीकी कंपनियों** ने स्वेच्छा से यूरोपीय आयोग के 'जनरल-पर्पज AI (GPAI) कोड ऑफ प्रैक्टिस' पर हस्ताक्षर किए हैं।

- यह संहिता **स्वैच्छिक** है, लेकिन इस पर हस्ताक्षर करने वालों को कानूनी स्पष्टता मिल सकती है और **EU के आगामी AI अधिनियम के बाध्यकारी प्रावधानों के अनुसार अनुकूलन करना** उनके लिए आसान हो सकता है। यह अधिनियम अगले **दो वर्षों** में लागू हो जाएगा।
- इस संहिता में **तीन** अध्याय हैं: **पारदर्शिता, कॉपीराइट और बचाव एवं सुरक्षा।**
- **यूरोपीय संघ AI अधिनियम के बारे में**
  - **यूरोपीय संघ AI अधिनियम** दुनिया का **पहला व्यापक AI कानून** है।
  - इस अधिनियम में विनियमन के लिए **जोखिम-आधारित दृष्टिकोण** अपनाया गया है। साथ ही, यह AI से उत्पन्न जोखिम के अनुसार उस पर **अलग-अलग नियम लागू** करता है।
  - यह AI प्रदाताओं के लिए **स्पष्ट जवाबदेही** सुनिश्चित करता है। इसका **अपनी मूल्य श्रृंखलाओं और थर्ड पार्टी जोखिम प्रबंधन के माध्यम से जनरेटिव AI का उपयोग करने वाले व्यवसायों** पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

- **जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR)** की तरह, EU AI अधिनियम के भी एक **वैश्विक मानक** बनने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में जीवन पर AI के नकारात्मक की बजाय सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करना है।
- **अनुपालन:** नियमों का पालन न करने पर **काफी जुर्माना** लगाया जा सकता है, जो कंपनी के **वैश्विक टर्नओवर का 7%** तक हो सकता है।

- **कंपनियों द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताएं**
  - कंपनियों का मानना है कि यह कोड **मॉडल डेवलपर्स के लिए कानूनी अस्पष्टताएं** पैदा करता है और आगामी AI अधिनियम के दायरे से परे है।
  - **विनियामक जटिलता और प्रशासनिक बोझ** से यूरोप की AI प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

7.3.4. ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (Brain-Computer Interface: BCI)

स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने 'पासवर्ड-प्रोटेक्टेड माइंड रीडिंग ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI)' विकसित किया।

यह नवाचार यह सुनिश्चित करता है कि ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस **उपयोगकर्ता की गोपनीयता** का सम्मान करे। इसके लिए **विचारों को टेक्स्ट या ऑडियो में बदलने से पहले एक मानसिक पासवर्ड** (Mental password) डालना जरूरी होगा।

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) क्या है?

- BCI एक ऐसी तकनीक है, जो **सीधे मस्तिष्क और डिवाइस के बीच संचार (Communication) स्थापित** करती है। यह **तंत्रिका संकेतों (Neural signals) को कमांड** में बदल देती है।
  - इस तरह यह **मांसपेशियों के नियंत्रण को बीच से हटा** देती है। इससे उपयोगकर्ता केवल **सोचकर ही ऐप्लिकेशन** चला सकते हैं।
- BCI **दिमाग की गतिविधि को रिकॉर्ड** करता है **(या तो सर्जरी से लगाए गए इम्प्लांट के जरिए या फिर बिना सर्जरी वाले धारण करने योग्य उपकरण से)**, फिर उन संकेतों को प्रोसेस करके कमांड में बदलती है। साथ ही, **सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उपयोगकर्ता को मिलने वाला फ़ीडबैक भी बहुत जरूरी** होता है।

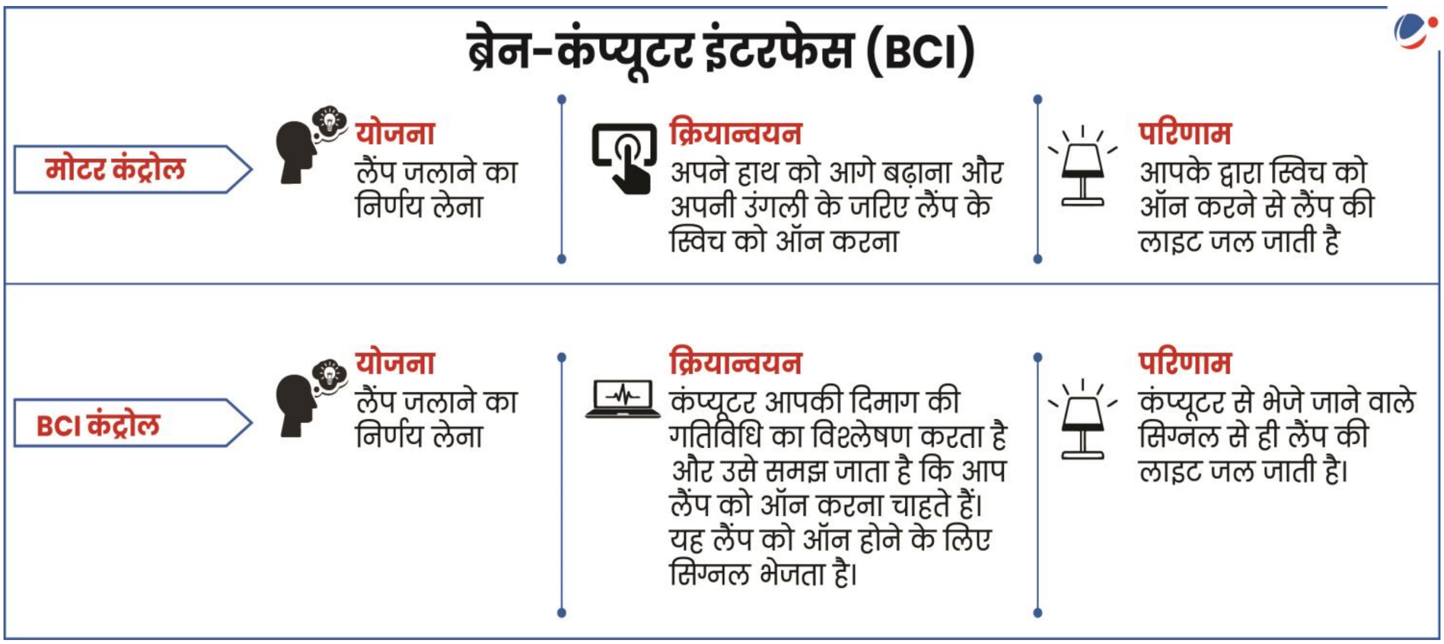

BCI के मुख्य उपयोग:

- **चिकित्सा:** लकवा, ALS या स्ट्रोक के मरीजों में दोबारा चलने-फिरने और बोलने की क्षमता लौटाने में मददगार।
- **मानसिक स्वास्थ्य:** मानसिक स्वास्थ्य के प्रबंधन और बेहतर करने के लिए फीडबैक प्रदान करना।
- **गेमिंग/ उद्योग:** और ज्यादा बेहतर गेमिंग अनुभव तथा फैसले लेने में मदद करने वाली प्रणालियों में।
- **संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ाना:** याददाश्त, ध्यान एवं निर्णय लेने की क्षमता को और बेहतर बनाने की संभावना।

BCI से जुड़ी मुख्य चिंताएं:

- **साइबर सुरक्षा:** ब्रेन टैपिंग (निजी विचारों/ विश्वासों को रोकना), भ्रामक उत्तेजना हमले (मन पर नियंत्रण), और AI घटकों पर प्रतिकूल हमले जैसे जोखिम की संभावना बनी रहेगी।
- **गोपनीयता:** संवेदनशील तंत्रिका डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाना एक मुख्य समस्या होगी।

- **मानसिक स्वतंत्रता:** व्यक्ति की मानसिक आत्मनिर्णय क्षमता (अपनी सोच पर खुद का नियंत्रण) के लिए खतरा होगा।
- **स्वास्थ्य पर असर:** BCI के लंबे समय तक इस्तेमाल के परिणाम अभी स्पष्ट नहीं हैं।
- **नियम और लागत:** मानक विनियमों की कमी और अधिक लागत इसकी पहुंच को सीमित करेगी।

आगे की राह

- **मजबूत विनियम:** विशेष डेटा गोपनीयता कानूनों को लागू करना चाहिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और उपयोगकर्ताओं की सहमति लेना सुनिश्चित करना चाहिए आदि।
- **बेहतर सुरक्षा:** BCI के लिए अलग से सुरक्षा उपाय और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम विकसित करने चाहिए।
- **न्यूरोराइट्स की स्थापना:** मानसिक गोपनीयता, सोच की स्वतंत्रता और मस्तिष्क पर आत्म-नियंत्रण की रक्षा करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह के शोषण या अनधिकृत हस्तक्षेप से बचा जा सके।

7.3.5. फास्टैग वार्षिक पास (Annual Fastag Passes)

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग वार्षिक पास सुविधा शुरू की।

- यह सुविधा FASTag को बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत को समाप्त कर देती है। एक बार में भुगतान किया गया 3,000 रुपए का शुल्क एक साल या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग्स तक मान्य होगा।

फास्टैग के बारे में

- यह एक ऐसा डिवाइस है जिसमें **रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग किया जाता है।** इसमें फास्टैग (RFID टैग) वाहन की फ्रंट विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है और फास्टैग से जुड़े अकाउंट से सीधे टोल का भुगतान हो जाता है।
  - RFID: इसमें टैग और रीडर्स होते हैं, जो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके वस्तुओं या लोगों की जानकारी पास के रीडर को भेजते हैं।
  - यह एक **शार्ट-रेंज तकनीक है**।
- इसका प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

7.3.6. महाराष्ट्र ने हाइपरलूप के निर्माण के लिए IIT मद्रास के स्टार्ट-अप (ट्यूटर हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड) के साथ समझौता किया (Maharashtra Inks Deal With Iit Madras Startup(Tutr Hyperloop Pvt Ltd) To Build Hyperloop)

यह **नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को पालघर जिले के प्रस्तावित वधावन पोर्ट से** जोड़ेगा। यह प्रस्तावित **लीनियर इंडक्शन मोटर (LIM)-आधारित हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम** है।

हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम के बारे में

- 2013 में, स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने हाइपरलूप नामक अल्ट्रा-हाई-स्पीड रेल (UHSR) की अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और इसे ओपन-सोर्स किया था।
- यह मूल रूप से **मैग्नेटिक लेविटेशन (मैगलेव)** प्रणाली है, जिसमें **पॉड्स** कम दबाव वाली ट्यूबों के जरिए अल्ट्रा-हाई स्पीड से यात्रा करते हैं।

- **इसकी कार्यप्रणाली और प्रमुख घटक**
    - हाइपरलूप एक सीलबंद ट्यूब में काम करता है, जिसमें बहुत कम हवा का प्रतिरोध होता है। अतः निर्वात और मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से पॉड्स को ट्रैक से कुछ ऊपर (हॉवर) बनाए रखा जाता है।
    - **लीनियर इंडक्शन मोटर (LIM)** पॉड्स को आगे बढ़ाते हुए 1,200 किमी/ घंटा की सैद्धांतिक गति प्रदान करती है।
    - **इसके प्रमुख घटकों में शामिल हैं:**
        - स्टील ट्यूब्स (100Pa दबाव से युक्त);
        - प्रेशराइज्ड कैप्सूल्स;
        - एयरफ्लो के लिए कंप्रेसर; तथा
        - एयर बेयरिंग सस्पेंशन।
- **लाभ:**
    - अति-उच्च गति (उदाहरण के लिए- 25 मिनट में मुंबई-पुणे),
    - ऊर्जा दक्षता (संभावित रूप से कार्बन-मुक्त),
    - शोर में कमी, और लॉजिस्टिक्स में सुधार (कार्गो को शीघ्रता और कुशलता से ले जाना)।
- **प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दे:**
    - यह अभी संकल्पना के चरण में हैं,
    - इसके निर्माण में उच्च लागत आएगी (केवल प्रौद्योगिकी के लिए प्रति मिल लगभग 25-27 मिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी),
    - सुरक्षा संबंधी चिंताएं (पॉड्स में आग लगना और दुर्घटना की स्थिति में लोगों को बाहर निकालने में कठिनाई),
    - ट्यूब में निर्वात को बनाए रखने संबंधी चुनौतियां,
    - ट्यूब का निर्माण यथा संभव एक सीध में करना, जिसके लिए नए विनियमों की आवश्यकता होगी।

हाइपरलूप प्रौद्योगिकी से जुड़ी तकनीकी और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता, निरंतर अनुसंधान और विकास तथा नए विनियामकीय फ्रेमवर्क अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

7.3.7. श्रेष्ठ/Shresth पहल (Shresth Initiative)

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने **राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्टता सूचकांक (SHRESTH)** का शुभारंभ किया। यह **राज्य औषधि विनियामक व्यवस्थाओं** को मानकीकृत और मजबूत करने की दिशा में एक राष्ट्रीय पहल है।

SHRESTH के बारे में

- SHRESTH से आशय है; **स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स।**
- यह **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)** की पहल है।
- **उद्देश्य:** देशभर में राज्य औषधि विनियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन में सुधार लाना, तथा यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षित दवाइयां और इनसे जुड़े गुणवत्ता मानकों को निरंतर पूरा किया जाए।
- **इसमें पांच प्रमुख विषयों पर आधारित सूचकांक होंगे:** मानव संसाधन, अवसंरचना, लाइसेंसिंग गतिविधियां, निगरानी गतिविधियां और जवाबदेही।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

8. संस्कृति (Culture)

8.1. गोस्वामी तुलसीदास जी (Goswami Tulsidas ji)

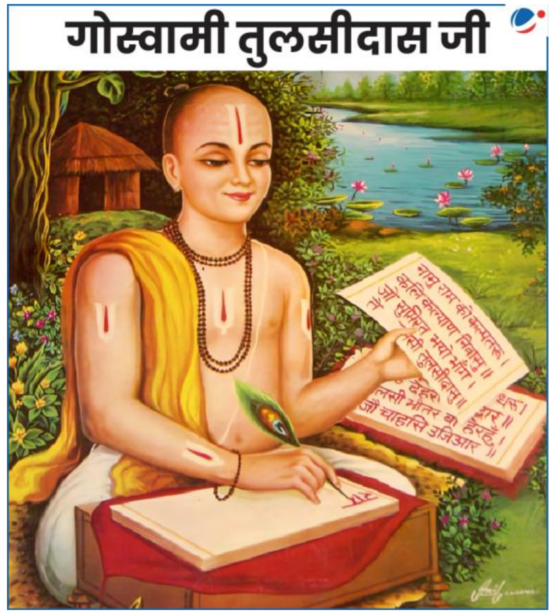

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी की **500वीं जयंती** मनाई गई।

गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में

- **जन्म:** माना जाता है कि उनका जन्म **उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गाँव** में हुआ था।
- **वास्तविक नाम:** रामबोला दुबे
- **पिता का नाम:** आत्माराम
- **माता का नाम:** हुलसी देवी
- **गुरु:** श्री नरहरिदास जी

प्रमुख योगदान

- **साहित्यिक योगदान:**
    - उन्होंने वाराणसी के गंगा के तट पर अस्सी घाट पर **अवधी भाषा** में **रामचरितमानस ग्रंथ** की रचना की।
        - रामचरितमानस **यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर** में दर्ज है।
    - उन्होंने **ब्रज भाषा** में **विनय पत्रिका और कवितावली** की रचना की।
    - उनकी प्रमुख रचनाओं में **गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै, हनुमान चालीसा** आदि शामिल हैं।
- **भक्ति आंदोलन:**
    - तुलसीदास, **जगद्गुरु रामानंदाचार्य** की परंपरा में रामानंदी संप्रदाय के एक **सुधारक और दार्शनिक** थे।
    - वह **सगुण भक्ति परंपरा** के एक **वैष्णव हिंदू संत** और **कवि** थे, जो **भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति** के लिए प्रसिद्ध थे।
        - **सगुण भक्ति परंपरा:** इसमें शिव, विष्णु (और उनके अवतार) तथा देवियों की पूजा उनके **मानव रूपों** में की जाती है।
        - उनका यह भी मानना था, कि **निर्गुण** (निराकार, गुणहीन और अमूर्त ईश्वर के प्रति भक्ति) **और सगुण भक्ति धारा एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं**; बल्कि, वे एक-दूसरे के पूरक हैं।
- **क्षेत्रीय बोलियों का प्रचार:** उनकी प्रमुख रचनाओं में **अवधी और ब्रज भाषाओं** के उपयोग से इन बोलियों के क्षेत्रीय प्रचार-प्रसार में मदद मिली।
- **मंदिर निर्माण:** उन्होंने वाराणसी में **भगवान हनुमान** को समर्पित प्रसिद्ध **संकटमोचन मंदिर** की स्थापना की।
- **रामलीला:** यह **तुलसीदास की रामचरितमानस** पर आधारित **रामायण** का **पारंपरिक नाट्य प्रदर्शन** है। इसकी शुरुआत **तुलसीदास के शिष्यों** ने उनकी मृत्यु के बाद की थी।
    - इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि रामलीला की परंपरा शुरू करने वाले पहले व्यक्ति **तुलसीदास के शिष्य मेघा भगत** थे, जिन्होंने इसे **1625 में** शुरू किया था।
        - जबकि अन्य लोगों का मानना है कि यह **रामनगर (बनारस) में 1200-1500 ई.** के आस-पास शुरू हुआ था।
    - रामलीला **यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची** में भी शामिल है।

तुलसीदास की शिक्षाएं

- **नवविधा भक्ति (नौ प्रकार की भक्ति):** इसमें संतों और भक्तों की संगति में रहना, भगवान की लीलाओं में प्रेम से डूबना, गुरु की सेवा करना आदि सिद्धांत शामिल हैं।
- **सामाजिक सरोकार:**
    - उन्होंने **दो सिद्धांतों** का प्रतिपादन किया जिन्होंने सामाजिक एकीकरण और उनकी रचनाओं की सामान्य स्वीकार्यता को बढ़ावा दिया:

- **सामाजिक समानता:** भगवान राम के लिए जाति-पाति का कोई महत्व नहीं, केवल भक्ति से ही मनुष्य उनका प्रिय बन सकता है। उन्होंने **जाति व्यवस्था का विरोध** करते हुए कहा: "कोई भी आपकी जाति या धर्म पर सवाल नहीं उठाएगा; यदि आप स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तो आप उसके हैं।"
- **शैव और वैष्णव का एकत्व:** तुलसीदास ने शिव और राम को एक ही स्वरूप माना।

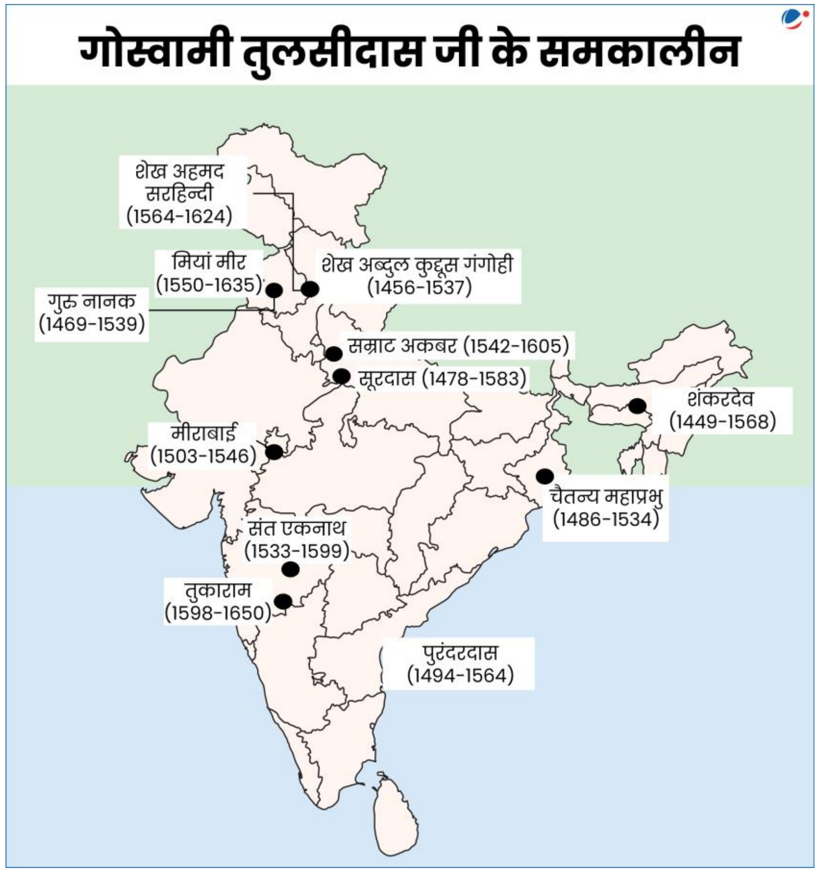

- **निराकार राम (अद्वैत विचार):** उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को अपनाया। इसके अनुसार, परम सत्ता निराकार और गुणहीन है। उन्होंने **निराकार रूप में राम की अवधारणा** को भी स्वीकार किया।
- **कराधान पर विचार:** उनका मानना था कि कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जैसे सूर्य पृथ्वी से जल खींचता है, जो बादलों में परिवर्तित होकर वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर आकर समृद्धि लाता है। इसी तरह, करों का उपयोग लोगों के कल्याण और समृद्धि के लिए होना चाहिए।

निष्कर्ष

तुलसीदास का जीवन और रचनाएं भक्ति, विनम्रता और सामाजिक सद्भाव के सार को दर्शाती हैं। समानता, एकता और अटूट विश्वास का उनका संदेश पीढ़ियों को प्रेरित करता है। सभी विभाजनों से ऊपर भगवान के लिए प्रेम पर जोर देकर, उन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास को नैतिक मार्गदर्शन और सामूहिक उत्थान की शक्ति में बदल दिया।

8.2. काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 साल (100 Years of Kakori Train Action)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2025 में **काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष** मनाया गया है।

काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में

- यह घटना **9 अगस्त, 1925** को **उत्तर प्रदेश के लखनऊ** के निकट **काकोरी** नामक गाँव में हुई थी। कई बार इसे काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन लूट भी कहा जाता है।
- इसे **हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के दस क्रांतिकारियों द्वारा** अंजाम दिया गया था। उन्होंने **ब्रिटिश भारतीय रेलवे से संग्रह किए गए धन को लूटा** था।
- घटना के तहत उन्होंने **शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही 8-डाउन ट्रेन** को काकोरी स्टेशन के पास रोक दिया। इस ट्रेन में ब्रिटिश सरकार का खजाना था।
- **प्रमुख नेता: राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी,** और अन्य।
  - **चंद्रशेखर आज़ाद** ने 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में अपनी मृत्यु तक पूरे भारत में **क्रांतिकारी गतिविधियों** को जारी रखा।

घटना का परिणाम

- **ब्रिटिश प्रतिक्रिया:** अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाते हुए बड़े स्तर पर **तलाशी अभियान** शुरू किया। इसके तहत एक महीने के भीतर **दो दर्जन से अधिक गिरफ्तारियां** हुईं और 40 से अधिक आरोपियों (क्रांतिकारियों से सहानुभूति रखने वाले लोग भी) को पकड़ा गया।
- **काकोरी षड्यंत्र केस:** ब्रिटिश अधिकारियों ने **HRA के 28 सक्रिय सदस्यों** पर **डकैती, षड्यंत्र, गैर-इरादतन हत्या** और **क्राउन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया।** इन गंभीर आरोपों से मामले की गंभीरता और अधिक बढ़ गई।

- **मृत्युदंड: राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी** और **ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा** सुनाई गई।
- **कैदियों का विरोध:** विभिन्न जेलों में भेजे गए **क्रांतिकारियों ने जेल की बदहाल स्थितियों का विरोध करने** और **राजनीतिक कैदी का दर्जा** देने की मांग करने के लिए भूख हड़ताल की।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव

- **भविष्य के क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा:** काकोरी के शहीदों के **साहस, विद्रोह और बलिदान** ने नई पीढ़ी के क्रांतिकारियों- **भगत सिंह, सुखदेव** और **राजगुरु** को प्रेरित किया।
- **राष्ट्रीय एकता:** इस घटना ने अलग-अलग धर्म और क्षेत्र से आने वाले क्रांतिकारियों के **क्रांतिकारियों के बीच एकता को उजागर** किया। **अशफाकउल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नेता स्वतंत्रता संग्राम की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का प्रतीक** बने।
- **जन जागरूकता:** इस हाई-प्रोफाइल मुकदमे और बाद में हुई फांसी ने **व्यापक राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। ब्रिटिश शासन की क्रूरता** को उजागर किया और क्रांतिकारी लक्ष्यों के लिए आम जनता के समर्थन को बढ़ावा दिया।
- **सीधी कार्रवाई की ओर झुकाव**: इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया मोड़ दिया। इसने यह संदेश दिया कि **केवल अहिंसक आंदोलन ही नहीं**, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सीधी कार्रवाई करना भी ज़रूरी है।
- **क्रांतिकारी भावना और विरासत:** इस घटना ने **भारतीय क्रांतिकारियों की बहादुरी और सूझबूझ का परिचय दिया**। इसे **भारत के स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार** की एक ऐसी साहसिक घोषणा के रूप में याद किया जाता है, जो **बलिदान और दृढ़ संकल्प की भावना** को दर्शाती है।
- **HRA का पुनर्गठन:** 1928 में, इसके संस्थापकों को फांसी दिए जाने के बाद, HRA का पुनर्गठन **हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA)** के रूप में किया गया।

HRA और HSRA के बारे में

- **हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA)**
  - इसका गठन **1924** में **राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी**, और अन्य क्रांतिकारियों ने किया था।
  - **मूल सिद्धांत:** सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित **संयुक्त राज्य भारत का संघीय गणराज्य की स्थापना करना**।
  - इस संगठन ने **एक संविधान (जिसे येलो पेपर के रूप में जाना जाता है) का मसौदा** तैयार किया और 1925 में "क्रांतिकारी" नामक एक घोषणा-पत्र प्रकाशित किया। इस घोषणा-पत्र में **महात्मा गांधी के अहिंसक तरीकों की आलोचना की गई** और युवाओं से ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में शामिल होने का आग्रह किया गया।
  - भारत के कई **शहरों में इसकी शाखाएं और बम निर्माण इकाइयां** थीं।
- **हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA)**
  - इसकी स्थापना **1928** में **दिल्ली के फिरोजशाह कोटला** में की गई थी।
  - **इसका विकास HRA से हुआ** था। इस संगठन **की विचारधारा का झुकाव स्पष्ट रूप से समाजवाद और मार्क्सवाद की ओर था।**
  - इसे **चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, राजगुरु**, और अन्य सहित क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित किया गया था।
  - **मूल सिद्धांत: भारतीय स्वतंत्रता** की निरंतर मांग के साथ-साथ **समाजवादी सिद्धांतों को अपनाना।**

निष्कर्ष

काकोरी ट्रेन एक्शन भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के परिदृश्य में एक अहम स्थान है। इसने न केवल औपनिवेशिक शोषण के आर्थिक आधार को चुनौती दी, बल्कि प्रतिरोध के लिए क्रांतिकारी तरीकों की ओर विचारधारा और संगठनात्मक बदलाव को भी रेखांकित किया। इसने बाद के क्रांतिकारी संगठनों जैसे HSRA को भी प्रेरित किया और भगत सिंह जैसे शख्सियतों को प्रभावित किया, जिससे अहिंसक प्रतिरोध के समानांतर सशस्त्र संघर्ष की निरंतरता सुनिश्चित हुई।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
न्यूज़ टुडे
रोजाना 9 PM पर न्यूज़ टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए
न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए
न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए
अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची
"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:
किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे में बेहतर समझ विकसित करने के लिए
न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है
टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

8.3. वीरता पुरस्कार (Gallantry Awards)

सुर्ख़ियों में क्यों?

79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, राष्ट्रपति ने 127 वीरता पुरस्कार और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों को मंजूरी दी।

वीरता पुरस्कारों के बारे में:

- **उद्देश्य:** युद्धकाल और शांति काल दोनों में बहादुरी, वीरता या आत्म-बलिदान का प्रदर्शन करने के लिए दिए जाते है।
- पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं।
- **मंत्रालय:** रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों और केंद्रीय गृह मंत्रालय से वीरता पुरस्कारों के लिए साल में दो बार सिफारिशें आमंत्रित करता है।
- **घोषणा:** इन पुरस्कारों की घोषणा **वर्ष में दो बार** - पहली गणतंत्र दिवस पर और फिर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाती है।
- **वीरता पुरस्कारों का इतिहास:**
    - **परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र:** ये पुरस्कार **26 जनवरी, 1950** को स्थापित किए गए थे, हालांकि ये **15 अगस्त, 1947** से प्रभावी हो गए थे।
    - **अशोक चक्र वर्ग I, अशोक चक्र वर्ग II और अशोक चक्र वर्ग III:** इनकी स्थापना **1952** में हुई थी और इनका प्रभाव भी **15 अगस्त, 1947** से ही शुरू हुआ।
        - **नाम बदला गया: अशोक चक्र वर्ग I, अशोक चक्र वर्ग II और अशोक चक्र वर्ग III** का नाम जनवरी 1967 में क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया।
- **लाभ:** पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक मौद्रिक भत्ता, यात्रा रियायतें और अन्य लाभ मिलते हैं।

वीरता पुरस्कारों के प्रकार, मानदंड और लाभ:

श्रेणी	नाम	विशेषताएं	पात्रता
युद्धकाल (शत्रु की उपस्थिति में भूमि, समुद्र या वायु में वीरतापूर्ण कार्य के लिए)	**परम वीर चक्र**	भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान, ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस, अमेरिकी मेडल ऑफ ऑनर, या फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर के समान है।	**नौसेना, थल सेना, वायु सेना, रिजर्व, और प्रादेशिक बलों** के **सभी रैंक**, जिसमें उनके निर्देशन में सेवा करने वाले **चिकित्सा** और **नर्सिंग कर्मचारी**, और और उनके निर्देशन में कार्यरत नागरिक शामिल हैं।
	महावीर चक्र	भारत का दूसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान।	
	वीर चक्र	भारत का तीसरा सर्वोच्च सैन्य सम्मान।	
शांतिकाल (युद्ध के मैदान से दूर वीरता, साहसी कार्रवाई या आत्म-बलिदान के लिए दिया जाता है)	**अशोक चक्र**	शांतिकाल में परम वीर चक्र के समकक्ष।	**सशस्त्र बलों, रिजर्व और प्रादेशिक बलों, नर्सिंग सेवाओं, पुलिस, केंद्रीय अर्ध-सैन्य बलों, रेलवे सुरक्षा बल,** और **सिविलियन सिटीजंस के सभी रैंक**।
	कीर्ति चक्र	शांतिकाल में महावीर चक्र के समकक्ष।	
	शौर्य चक्र	शांतिकाल में वीर चक्र के समकक्ष।	

अन्य विशिष्ट सेवा पदक

- **परम विशिष्ट सेवा पदक:** यह **अत्यंत असाधारण** विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।
- **अति विशिष्ट सेवा पदक:** यह **असाधारण** विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।
- **विशिष्ट सेवा पदक:** यह **उच्च कोटि की** विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।
- **सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक:** यह युद्ध/ संघर्ष/ शत्रुता के दौरान **अत्यंत असाधारण** विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।

क्या आप जानते हैं?

> यदि कोई सैनिक एक ही तरह का वीरतापूर्ण कार्य दोबारा करता है, तो उसे उसी चक्र (जैसे- परमवीर चक्र, महावीर चक्र आदि) के लिए 'Bar' (बार) या 'पट्टी' से सम्मानित किया जाता है।
>
> सभी वीरता पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जा सकते हैं।

- **उत्तम युद्ध सेवा पदक:** यह युद्ध/ संघर्ष/ शत्रुता के दौरान **असाधारण** विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।
- **युद्ध सेवा पदक:** यह युद्ध/ संघर्ष/ शत्रुता के दौरान **उच्च कोटि की** विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।
- **सेना/ नौसेना/ वायु सेना पदक:** यह दोनों तरह के कार्यों के लिए दिया जाता है, यानी **साहसिक कार्य** और कर्तव्य के प्रति **समर्पण** के लिए।

8.4. राष्ट्रमंडल खेल (Commonwealth Games: CWG)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की मंजूरी के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी दे दी है। इसके लिए प्रस्तावित मेजबान शहर **अहमदाबाद** है।

राष्ट्रमंडल खेल (CWG) के बारे में

- CWG एक बहु-खेल आयोजन है जो **प्रत्येक चार साल में** राष्ट्रमंडल देशों के बीच आयोजित किया जाता है।
  - पहला CWG 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में आयोजित किया गया था और **19वां (XIX) 2010 में दिल्ली में आयोजित** किया गया था।

क्या आप जानते हैं?

> किंग जॉर्ज VI राष्ट्रमंडल के पहले प्रमुख थे।

- **CWG के पुराने नाम:** ब्रिटिश एम्पायर गेम्स (1930-1950), ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल खेल (1954-1964), ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल (1970-1974)।

भारतीय ओलंपिक संघ (Indian Olympic Association: IOA)

स्थापना: 1927 में स्थापित; सर दोराबजी टाटा (अध्यक्ष) और डॉ. ए.जी. नोहरन (महासचिव) इसके प्रथम पदाधिकारी थे।

परिचय: यह एक **गैर-लाभकारी संगठन** है, जो 1860 के सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत पंजीकृत है तथा **केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय** द्वारा मान्यता प्राप्त है।

कार्य:
- भारत में **ओलंपिक एथलीटों या खेलों** और **कॉमनवेल्थ गेम्स** का शासी निकाय।
- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC), कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन (CGF), एशियाई ओलंपिक परिषद (OCA) और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के संघ (ANOC) का संबद्ध सदस्य।
- ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई गेम्स आदि आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों या टीमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

संचालन: **32 सदस्यीय कार्यकारी परिषद** द्वारा, जिसका प्रमुख IOA अध्यक्ष होता है।

राष्ट्रमंडल के बारे में

- **उत्पत्ति:** 1926 के कॉन्फ्रेंस में **ब्रिटेन और उसके डोमिनियंस** ने सहमति व्यक्त की कि **वे सभी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक समुदाय के समान सदस्य** हैं।
  - यद्यपि वे सभी **ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी के प्रति निष्ठा** रखेंगे परन्तु ब्रिटिश क्राउन का उनके शासन पर कोई अधिकार नहीं होगा।
  - इस समुदाय को **"ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस"** या **"कॉमनवेल्थ"** कहा गया।
- **सदस्य:** इसमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र में फैले **56 देश** (भारत सहित) शामिल हैं।
  - राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाले अंतिम दो देश **2022 में गैबॉन और टोगो** थे।
  - लंदन घोषणा-पत्र (1949) को अपनाते हुए यह घोषित किया गया कि गणराज्य और अन्य देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा बन सकते हैं।

- **प्रमुख संगठन:**
  - **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स:** सभी सदस्य सरकारें अपने उच्चायुक्तों के जरिए राष्ट्रमंडल सचिवालय के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अपना प्रतिनिधित्व करती हैं।
  - **राष्ट्रमंडल सचिवालय (लंदन):** इसका गठन 1965 में राष्ट्रमंडल के काम-काज का प्रबंधन करने के लिए एक केंद्रीय अंतर-सरकारी संगठन के रूप में किया गया है।

8.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.5.1. विट्ठलभाई पटेल (Vitthalbhai Patel)

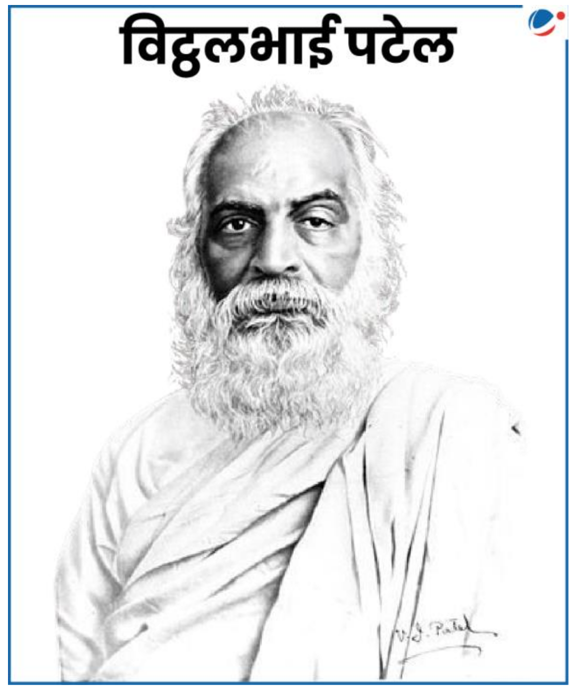

ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस ने विट्ठलभाई पटेल के **सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष** (अगस्त 1925) बनने के **100 साल पूरे होने** पर उनके योगदान का स्मरण किया।

विट्ठलभाई पटेल (1873-1933) के बारे में

- **जन्म:** नडियाद (गुजरात)
- वह **सरदार वल्लभ भाई पटेल** के बड़े भाई थे। वह एक प्रसिद्ध **राजनेता, वकील और समाज सुधारक** थे।

मुख्य योगदान

- भारत की स्वतंत्रता हेतु सामाजिक और राजनीतिक सुधार लाने के लिए खुद को समर्पित किया।
- वह **बॉम्बे विधान परिषद** के सदस्य बने।
- 1918 में **इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल** के लिए चुने गए।
- **स्वराज पार्टी:** 1922 में **मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन** किया।
- उन्होंने **1923 से 1925 तक बॉम्बे नगर निगम के मेयर** के रूप में कार्य किया।

8.5.2. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 (National Film Awards 2023)

हाल ही में, विविध श्रेणियों में **71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा** की गई।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में

- **स्थापना:** भारत सरकार द्वारा 1954 में गठित।
- **प्रदानकर्ता:** भारत के राष्ट्रपति (वार्षिक)।
- **पुरस्कार वर्ग:** फीचर फिल्म, गैर-फीचर फिल्म, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन और दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
  - **दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में**
    - **भारतीय सिनेमा का यह सर्वोच्च सम्मान** उन व्यक्तित्वों को दिया जाता है, जिन्होंने इसके विकास और उन्नति में उल्लेखनीय योगदान किया है।

- भारत सरकार ने **इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969** में दादा साहेब फाल्के की स्मृति में की थी। दादा साहेब फाल्के ने *राजा हरिश्चंद्र* (1913) का निर्देशन किया था, जिसे भारत की पहली फीचर फ़िल्म माना जाता है।
- पुरस्कार के अंतर्गत एक **स्वर्ण कमल पदक**, एक **शॉल** और **₹10 लाख की नकद राशि** प्रदान की जाती है।

- **श्रेणियां:** इसमें श्रेष्ठ फीचर फिल्म, श्रेष्ठ निर्देशन, श्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री, श्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी, श्रेष्ठ स्क्रीनप्ले और श्रेष्ठ संगीत निर्देशन जैसी प्रमुख श्रेणियां शामिल हैं।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास (Trust in Public Institutions)

परिचय

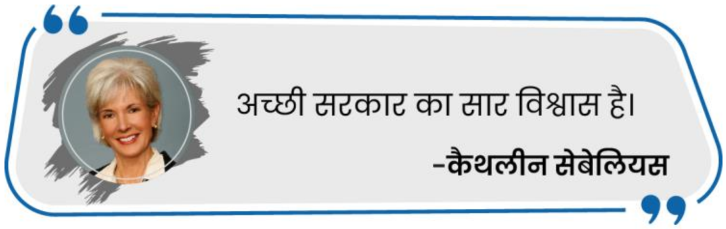

हाल के दिनों में, भारत के कई सार्वजनिक संस्थानों, जैसे- भारतीय चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो आदि के राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप लगाए गए। इससे देश के सार्वजनिक संस्थानों में लोगों के विश्वास के क्षरण को लेकर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। **संयुक्त राष्ट्र** की **विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025** यह दर्शाती है कि 21वीं सदी की शुरुआत से ही संस्थागत विश्वास में वैश्विक स्तर पर भारी गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में 1995 और 2022 के बीच एकत्र किए गए सर्वेक्षण आधारित डेटा का हवाला दिया गया है। इसके आधार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि आज, वैश्विक आबादी के आधे से अधिक लोगों का अपनी सरकार पर बहुत कम या बिल्कुल भी विश्वास नहीं है।

विश्वास का क्या अर्थ है?

- OECD विश्वास को इस प्रकार परिभाषित करता है: **"किसी व्यक्ति का यह विश्वास कि कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उनके अपेक्षित सकारात्मक व्यवहार के अनुरूप कार्य करेगी।"**
    - विश्वास सामाजिक अनुबंध का एक प्रमुख घटक है, जो शासन के लिए आवश्यक है। यह स्पष्ट समझ पर आधारित होना चाहिए कि विश्वास का स्वभाव क्या है, इसके कारक क्या हैं, और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं।
- **विश्वास के प्रकार:**
    - **क्षैतिज विश्वास:** यह विश्वास कि समुदाय के सदस्य एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं।
    - **ऊर्ध्वाधर विश्वास:** यह विश्वास कि समुदाय के सदस्य उन संस्थानों पर भरोसा करते हैं जो उस समुदाय पर शासन कर रहे हैं।
    - **सामाजिक विश्वास:** यह एक सामान्यीकृत विश्वास है, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए विशिष्ट लोगों पर केंद्रित नहीं होता है। यह अजनबियों में विश्वास, आत्मविश्वास या आस्था है और दीर्घकालिक आशावाद को दर्शाता है।
    - **राजनीतिक विश्वास:** यह संस्थानों और उनके कार्यकर्ताओं (जैसे- कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, पुलिस, मीडिया, निजी क्षेत्रक या व्यवसाय, गैर-सरकारी संगठन आदि) के प्रति विश्वास है।

सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास बनाए रखने से जुड़े हितधारक और उनके हित

हितधारक	हित
नागरिक	सार्वजनिक सेवाओं की कुशल डिलीवरी, सार्वजनिक भागीदारी, उच्च स्तर का आत्मिक कल्याण (खुशहाली में वृद्धि और दीर्घायु), लोकतांत्रिक जीवन, शासन की स्थिरता।
सरकारी संस्थान और अधिकारी	उचित नीति निर्माण और कार्यान्वयन, वैधता सुनिश्चित करना, नीति अनुपालन, प्रभावी कानून प्रवर्तन, अत्यधिक दबाव के बिना सुगम शासन।
नागरिक समाज और मीडिया	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में रुचि, लोगों के अधिकारों की मांग।
निजी क्षेत्रक	अनुमान योग्य नियमन, अनुबंधों का प्रवर्तन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, कम भ्रष्टाचार, व्यवसाय-अनुकूल वातावरण, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन।

सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास के क्षरण के कारण

- **प्रशासनिक संरचनाओं का खराब प्रदर्शन: द्वितीय ARC रिपोर्ट** के अनुसार, सेवाओं की खराब गुणवत्ता, जवाबदेही की कमी, अधिकारों का व्यक्तिपरक और नकारात्मक रूप से दुरुपयोग।
- **व्यापक आर्थिक असुरक्षा:** आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य और उसके संस्थानों का एक प्रमुख दायित्व है और यह सामाजिक अनुबंध की नींव है।
    - UNDESA के अनुसार, आर्थिक रूप से असुरक्षित व्यक्ति (जैसे- कम आय वाले, कम-शिक्षित समूह) अधिक सुरक्षित समूहों की तुलना में काफी कम संस्थागत विश्वास प्रदर्शित करते हैं।
- **राजनीतिक बहिष्करण:** हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बीच सीमित राजनीतिक प्रभाव, पुनर्वितरण नीतियों या बेहतर सेवाओं की मांग करने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है।
- **घोटाले और भ्रष्टाचार:** यह इस बात का संकेत देता है कि सार्वजनिक संस्थान लोगों या देश के सर्वोत्तम हित में काम नहीं कर रहे हैं, जिससे जनता का विश्वास कमजोर होता है।
- **भ्रामक सूचना और सोशल मीडिया:** सोशल मीडिया **संस्थागत विफलताओं (वास्तविक या काल्पनिक)** पर जोर दे सकता है, सूचना अभियानों को लक्षित कर सकता है, विचारों में हेरफेर कर सकता है, और चुनाव परिणामों की वैधता में विश्वास को प्रभावित कर सकता है।
- **अकुशल न्यायिक प्रणाली:** यह विधि के शासन को बाधित करती है और सार्वजनिक संस्थानों को लेकर शिकायतों के मामले में उपचार उपलब्ध कराने में बाधा डालती है।

सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास के प्रमुख चालक

क्षमताएं (Competencies)	
विश्वसनीयता (Reliability)	• आपातकालीन स्थिति में सरकार लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए तैयार हो। • सार्वजनिक कार्यालयों के साथ साझा किए गए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए किया जाए। • प्रशासनिक सेवाओं से सामान्य संतुष्टि और विशिष्ट पहलुओं से संतुष्टि।
जवाबदेही (Responsiveness)	• शिकायतों और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बाद सार्वजनिक सेवाओं में सुधार किया जाए। • सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अभिनव विचारों को अपनाएं। • सरकार निर्णय लेने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्यों का उपयोग करे।
मूल्य (Values)	
पारदर्शिता (Transparency)	• प्रशासनिक सेवाओं के बारे में जानकारी की सुगमता और उपलब्धता। • नीति निर्माण में नागरिक भागीदारी और जुड़ाव के अवसर। • सरकार सुधार के प्रभावों को स्पष्ट रूप से समझाती है।
अखंडता (Integrity)	• सरकार के अंगों (संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका) के बीच जवाबदेही।
निष्पक्षता (Fairness)	• सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा लोगों और व्यवसायों के साथ उनकी पृष्ठभूमि और पहचान की परवाह किए बिना एक जैसा व्यवहार करना। • सरकारी सेवाओं और लाभों के वितरण में निष्पक्ष व्यवहार। • संसद में विभिन्न क्षेत्रों और समूहों की जरूरतों का प्रतिनिधित्व।

सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास को मजबूत करने/ सुधारने के उपाय

- **नागरिक जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए, **सामाजिक लेखा परीक्षा** जैसे उपायों के माध्यम से **खुले** और समावेशी नीति निर्माण को बढ़ावा देना।
- **सुसंगत कार्यान्वयन और परिणाम:** सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में दिन-प्रतिदिन के संवाद के माध्यम से नागरिकों के अनुभवों में सुधार करना, **जैसे- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण।**
- **पारदर्शिता और संवाद को बढ़ावा देना:** यह सुनिश्चित करना कि नीति निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा सुलभ और सत्यापन योग्य हो, जैसे- **सरकारी डैशबोर्ड** के माध्यम से।
- **नैतिक शासन सुनिश्चित करना:** कार्रवाई की सत्यनिष्ठा, समानता पर ध्यान और हाशिए पर रहने वाले समूहों पर ध्यान नैतिक व्यवहार तथा सार्वजनिक विश्वास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **स्वतंत्र भ्रष्टाचार-विरोधी तंत्र:** जैसे- **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** में कुछ लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए संघ स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना को अनिवार्य किया गया।

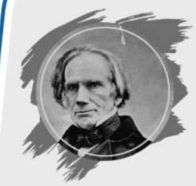

सरकार एक **न्यास (Trust)** है, और सरकारी अधिकारी **न्यासी (Trustees)** हैं। ये न्यास और न्यासी, दोनों ही **जनता के हित के लिए** बनाए गए हैं।

-हेनरी क्ले

- **संस्थागत फ्रेमवर्क को मजबूत करना:** संसद और कार्यपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध, साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका का होना, विश्वास निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।
- **भ्रामक सूचनाओं का समाधान करना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** सरकारों को **नए शासन मॉडल** को अपनाकर **भ्रामक सूचनाओं और दुष्प्रचार से सक्रिय रूप से निपटना** चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सूचना इकोसिस्टम लोकतांत्रिक बहस और चर्चा का समर्थन करें। जैसे, **तथ्य-जांच इकाइयों (Fact Checking Units)** की स्थापना।

निष्कर्ष

विश्वास किसी भी समाज के काम-काज का अभिन्न हिस्सा है। सरकार और उसके संस्थानों में विश्वास प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक शर्त है। सरकार में विश्वास का ह्रास "लोकतंत्र का संकट" माना जाता है, जिसके प्रत्यक्ष और गंभीर परिणाम प्रतिनिधिक लोकतंत्र, उसकी संस्थाओं और उसके कारकों की गुणवत्ता और क्षमता पर पड़ते हैं।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

आप एक ईमानदार IAS अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में एक तीव्र शहरीकरण वाले शहर के एक नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, जो असमानता और कमजोर अवसंरचना से जूझ रहा है। नगर निकाय में जनता का विश्वास पहले से ही कम है, क्योंकि आपके पूर्ववर्ती अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोपों पर हटा दिया गया था।

आपकी नियुक्ति के कुछ ही दिनों बाद, भारी वर्षा के दौरान एक नया बना फ्लाईओवर एक निम्न-आय क्षेत्र में ढह जाता है, जिससे मौतें, चोटें, और घरों व दुकानों का नाश होता है। यह त्रासदी जनता के गहरे आक्रोश और संस्थानों में अविश्वास को बढ़ावा देती है। सोशल मीडिया पर गलत सूचना के प्रसार से संकट और बढ़ जाता है। ईमानदार कर्मचारी हतोत्साहित और अनुचित रूप से दोषी महसूस करते हैं, जिससे राहत कार्य धीमा हो जाता है। इस बीच, सोशल मीडिया के किस्से नगरपालिका प्रशासन के विश्वसनीयता संकट को बढ़ा देते हैं।

राज्य के मुख्य सचिव आपको संवेदनशील लेकिन दृढ़ता के साथ कार्य करने का निर्देश देते हैं, जिससे राहत और जनता के विश्वास दोनों की बहाली सुनिश्चित हो सके।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(a) इस प्रकरण में विशेष रूप से संस्थागत विश्वास के संबंध में, उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों और दुविधाओं की पहचान कीजिए।

(b) संकट को प्रबंधित करने और संस्थागत विश्वसनीयता को फिर से बहाल करने के लिए आप क्या तत्काल और दीर्घकालिक कदम उठाएंगे?

(c) सोशल मीडिया का दुरुपयोग गलत सूचना फैलाने के लिए किया जा रहा है। आप नागरिकों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने और प्रशासन में विश्वास बहाल करने के लिए उसी मंच का लाभ कैसे उठाएंगे?

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
NCERT Classes for UPSC
Laying the Academic Foundation for Civil Services Excellence

9.2. आवारा कुत्तों के प्रबंधन की नैतिकता (Ethics of Stray Dog Management)

परिचय

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC)[53] के अनुसार, 2024 में 37 लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किए गए। WHO के अनुसार, **वैश्विक स्तर पर रेबीज से होने वाली मौतों में से एक-तिहाई** भारत में होती हैं। **सुप्रीम कोर्ट** ने अपने स्वतः संज्ञान आदेश (Suo motu order) में संशोधन किया, जिसमें दिल्ली-एनसीआर शेल्टर्स में सभी आवारा कुत्तों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने निर्णय दिया कि कुत्तों को, एक बार **कृमिनाशक दवा (deworming)** देने और **टीकाकरण (vaccination)** के बाद, उनके मूल क्षेत्रों में वापस छोड़ा जाना चाहिए।

ये घटनाक्रम नागरिकों की सुरक्षा चिंताओं के साथ आवारा कुत्तों के संरक्षण को **संतुलित करने** की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

प्रमुख हितधारक और निहित हित

हितधारक	हित
निवासी	• भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 51A(g)** के तहत, **जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखना** नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य है। • समुदाय का दृष्टिकोण सहायक से शत्रुतापूर्ण तक होता है, जो अक्सर आक्रामक कुत्तों या कुत्ते के हमलों के साथ व्यक्तिगत अनुभवों से तय होता है। • निवासियों को सुरक्षा जोखिमों, संपत्ति के नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। • बच्चे, बुजुर्ग आदि आवारा कुत्तों के साथ मुठभेड़ से असमान रूप से जोखिम का सामना करते हैं क्योंकि वे खतरे का आकलन करने या प्रभावी ढंग से खुद का बचाव करने में असमर्थ होते हैं।
पालतू जानवरों के मालिक	• **मालिक** कुत्तों का **परित्याग करके** समस्या में योगदान करते हैं। • वे पालतू **जानवरों के जिम्मेदारीपूर्ण स्वामित्व** और **आवारा पशुओं के प्रबंधन कार्यक्रमों** के लिए समर्थन के माध्यम से समाधान भी पेश कर सकते हैं।
सरकार और उसकी एजेंसियां	• नागरिक शिकायतों का समाधान करते हुए **टीकाकरण, नसबंदी** और आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए उपायों को लागू करना। • **नगरपालिका प्राधिकरण:** आवारा कुत्तों की आबादी का प्रबंधन करने के लिए **अनुच्छेद 243(W)** और 246 के तहत **संवैधानिक जिम्मेदारी** निभाते हैं और **पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960** का प्रभावी कार्यान्वयन करते हैं। • **राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC),** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय **2030 तक भारत में रेबीज उन्मूलन** के लिए सभी आवश्यक उपायों को लागू कर रहा है। ○ **2030 तक कुत्ते-जनित रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPRE)** में प्रत्येक हितधारक मंत्रालय/ विभाग के लिए रेबीज उन्मूलन के लिए एक परिभाषित भूमिका और जिम्मेदारियों का समूह है।
सर्वोच्च न्यायालय	• सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु अधिकारों दोनों की रक्षा करने वाले एक संतुलित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करना।
पशु कल्याण संगठन	• **आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण** की वकालत करते हैं। इसमें सामुदाय-आधारित देखभाल मॉडल, नसबंदी, टीकाकरण और उन्हें खाना खिलाने के कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता है और उन्हें मारने का विरोध किया जाता है। • **भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI)**[54] ने स्ट्रीट डॉग्स की आबादी के प्रबंधन, रेबीज उन्मूलन और मानव-कुत्ते संघर्ष को कम करने के लिए **संशोधित पशु जन्म नियंत्रण (ABC)**[55] **मॉड्यूल** प्रकाशित किया है।

---

[53] National Centre for Disease Control

[54] Animal Welfare Board of India

[55] Animal Birth Control

आवारा कुत्तों के प्रबंधन में नैतिक मूल्यों का संघर्ष

- **करुणा बनाम सार्वजनिक सुरक्षा:** आवारा कुत्तों को खाना खिलाना उन्हें जीवित रख सकता है, लेकिन यह उनकी आबादी और क्षेत्रीय आक्रामकता भी बढ़ा सकता है।
- **पशु अधिकार बनाम मानव अधिकार:** यह मौलिक सिद्धांत कि "जीने की इच्छा रखने वाले हर प्राणी को दर्द और पीड़ा से मुक्त रहने का अधिकार है" सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और भय से मुक्ति के लिए मनुष्यों के वैध अधिकारों के साथ संघर्ष उत्पन्न होता है।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने **जल्लीकट्टू केस, 2014** में, निर्णय सुनाते हुए जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) की व्याख्या को विस्तारित करते हुए जानवरों को भी इसमें शामिल किया।
- **कांट का दायित्ववाद बनाम उपयोगितावाद:** कांट का **श्रेणीबद्ध आदेश (categorical imperative)** सभी प्राणियों को अपने आप में एक साध्य के रूप में स्वीकार करने की मांग करता है, न कि केवल साधन के रूप में। आवारा कुत्तों का जबरन स्थानांतरण या डंपिंग उनकी गरिमा का उल्लंघन करता है।
    - यह दृष्टिकोण उपयोगितावादी मॉडल के विरुद्ध है, जिसमें मानव सुविधा के लिए जानवरों का बलिदान किया जा सकता है।
- **गैर-हानिकारक दुविधा (The Non-Maleficence Dilemma): "हानि मत पहुँचाओ"** का चिकित्सा सिद्धांत जानवरों और मनुष्यों दोनों पर लागू होता है, जिसके लिए ऐसे समाधानों की आवश्यकता होती है जो सभी पक्षों के नुकसान को कम करे।
    - वर्तमान दृष्टिकोण अक्सर इस सिद्धांत में असफल होते हैं क्योंकि या तो जानवरों को क्रूर नियंत्रण तरीकों से चोट पहुँचाई जाती है या मनुष्यों को अपर्याप्त जनसंख्या प्रबंधन के कारण नुकसान झेलना पड़ता है।
- **अधिकार-कर्तव्य के मध्य विरोधाभास (The Rights-Duties Paradox):** भले ही जानवरों पर कानूनी कर्तव्य लागू नहीं होते, लेकिन वे शिशु या दिव्यांग व्यक्ति की तरह ही अधिकारों के हकदार हैं। यह उनकी सुभेद्यता और संवेदनशीलता के कारण है, न कि उनकी उपयोगिता की वजह से।

आवारा कुत्तों के नैतिक प्रबंधन के तरीके

> सबको हिंसा से डर लगता है; सभी मृत्यु से डरते हैं। स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर देखें, न तो किसी की हत्या करनी चाहिए और न ही किसी अन्य से करवानी चाहिए। **- गौतम बुद्ध**

- **परोपकार का सिद्धांत (The Principle of Beneficence):** जानवरों और मनुष्यों दोनों के कल्याण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोएक्टिव (सक्रिय) और सुविचारित हस्तक्षेप आवश्यक हैं, न कि केवल प्रतिक्रियात्मक उपाय।
    - **पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023** व्यवस्थित नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से इस सिद्धांत को क्रियान्वित करने का एक प्रयास है।
    - **नीदरलैंड में** आश्रय गृहों से कुत्तों को गोद लेने को प्रोत्साहित करने के लिए **स्टोर से खरीदे गए कुत्तों पर उच्च कर लगाया गया है।**
- **आनुपातिकता और क्रमिक प्रतिक्रिया:** आवारा कुत्तों के मुद्दों पर प्रतिक्रियाएं वास्तविक जोखिमों के अनुपात में होनी चाहिए। हालांकि, अपर्याप्त कार्रवाई और अत्यधिक प्रतिक्रिया दोनों से ही बचना चाहिए। यह सिद्धांत मांग करता है:
    - व्यापक नीतियों के बजाय स्थानीय जरूरतों का साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन करना।
    - ऐसे उपायों को बढ़ावा देना, जो कम-से-कम हानिकारक हैं।
        - उदाहरण के लिए, दिल्ली-NCR में रेबीज के मामलों में वृद्धि के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने **आश्रय गृह बनाने, आवारा कुत्तों को स्थानांतरित करने और पेशेवर प्रबंधन, नसबंदी सुनिश्चित करने** का आदेश दिया।
    - सभी प्रभावित पक्षों के लिए परिणामों के आधार पर उपायों का नियमित मूल्यांकन और समायोजन।
- **सद्गुण नैतिकता (Virtue Ethics):** यह दृष्टिकोण किसी मामले का हल करने में **करुणा, जिम्मेदारी और ज्ञान जैसे गुणों** को विकसित करने पर केंद्रित है।
    - यह सामुदायिक जुड़ाव, शिक्षा और नैतिक उत्कृष्टता को दर्शाने वाली संधारणीय प्रथाओं के विकास पर जोर देता है।
- **राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन:** यह रेबीज के बढ़ते मामलों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए टियर-1 और टियर-2 शहरों को लक्षित करने वाली एक चरणबद्ध योजना है। इसके तहत, जानवरों द्वारा काटने के कारण होने वाले रेबीज के मामलों के लिए निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है।
- **स्थानीय निकायों और स्वयंसेवकों को सशक्त बनाना:** RWAs, स्थानीय अधिकारियों और **VOSD जैसे गैर-सरकारी संगठनों** को कुत्ते की देखभाल का प्रबंधन करना चाहिए। जो लोग सीधे मदद करने में असमर्थ हैं, उन्हें इन प्रयासों को आर्थिक रूप से समर्थन देना चाहिए।

निष्कर्ष

आवारा कुत्तों का प्रबंधन एक जटिल समस्या है, जिसके लिए बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें स्थानीय शासकीय निकाय, समुदाय और पशु अधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं। अंततः वन हेल्थ अप्रोच (One Health Approach) के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

आप एक बड़े भारतीय शहर के नगर आयुक्त हैं, जहां हाल ही में कुत्ते के काटने के मामलों और रेबीज से होने वाली मौतों में तेजी से वृद्धि हुई है। पशु कल्याण संगठन आवारा कुत्तों के किसी भी रूप में स्थानांतरण या मारने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, वहां के निवासी लोक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों ने जनता के भय को बढ़ा दिया है और आप पर जल्दी कार्रवाई करने का दबाव है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- इस प्रकरण में शामिल प्रमुख नैतिक मुद्दे क्या हैं?
- आप पशु अधिकारों के साथ लोक सुरक्षा को कैसे संतुलित करेंगे?
- एक मानवीय और व्यावहारिक कार्य-योजना का सुझाव दीजिए, जो संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हो।

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने युवा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए **'प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना'** की घोषणा की।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं

• **युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास** को सुविधाजनक बनाना।
• **रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार क्षमता को बढ़ाना** और सभी क्षेत्रकों (विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्रक) में **सामाजिक सुरक्षा का विस्तार** करना।
	प्रमुख बिंदु
	• **नोडल मंत्रालय:** श्रम और रोजगार मंत्रालय।
	• **कार्यान्वयन: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)** के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा।
	  ○ EPFO, **कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952** के तहत एक **वैधानिक** निकाय है।
	• **लक्ष्य:** इस योजना का लक्ष्य **दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन** को समर्थन प्रदान करना है। इसमें पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी लक्षित किया गया है।
	• **योजना के दो मुख्य भाग:**
	  ○ **भाग A- पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सहायता:** यह **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)** के साथ पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए है।
	    ▪ **प्रोत्साहन:** एक महीने के EPF वेतन को ध्यान में रखते हुए नवनियोजित युवाओं को **दो किस्तों में 15,000 रुपये** तक का प्रोत्साहन
	    ▪ **पहली किस्त 6 महीने तक की नौकरी के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने** के बाद दी जाएगी।
	  ○ **पात्र कर्मचारी: 1 लाख रुपये प्रति माह** तक के वेतन वाले कर्मचारी।
	  ○ **बचत को प्रोत्साहित करना:** प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए **जमा खाते की बचत** के रूप में रखा जाएगा।
	  ○ **भुगतान:** यह **आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS)** का उपयोग करते हुए **DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण)** के माध्यम से किया जाएगा।
	  ○ **कर्मचारी के लिए लाभ:** सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के माध्यम से नौकरी का औपचारिकरण होगा, ऑन-जॉब ट्रेनिंग से पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों की नियोजन योग्यता का संवर्धन होगा, नियोजन क्षमता बेहतर होगी और वित्तीय साक्षरता कौशल में वृद्धि होगी।
	• **भाग B - नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन**
	  ○ **पात्रता:** नियोक्ताओं को **1 लाख रुपये तक के वेतन वाले नए कर्मचारियों** के संबंध में प्रोत्साहन मिलेगा।
	  ○ **प्रोत्साहन:** सरकार **कम-से-कम 6 महीने** तक जारी रहने वाले प्रत्येक **अतिरिक्त नियोजन के लिए नियोक्ताओं को दो साल तक प्रतिमाह 3000 रुपये तक का प्रोत्साहन** प्रदान करेगी।
	    ▪ **विनिर्माण क्षेत्रक** के लिए प्रोत्साहन **तीसरे और चौथे वर्ष** तक भी बढ़ाया जाएगा।
	  ○ **प्रोत्साहन तंत्र: प्रोत्साहन राशि** सीधे पैन-लिंक्ड खातों में भेजी जाएगी।
	  ○ **भुगतान व्यवस्था:** नियोक्ता के **PAN लिंक्ड खाते** में सीधे जमा होगा।
	  ○ **नियोक्ताओं के लिए लाभ:** अतिरिक्त नौकरी सृजन की आर्थिक भरपाई होगी, कार्यबल की स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा मिलेगा।

***नोट:** युवा रोजगार योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए जुलाई, 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.3. देखें।*

10.2. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: PMUY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **2025-26 के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं हेतु 12,000 करोड़ रुपये की लक्षित सब्सिडी** को मंजूरी दी।

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>मुख्य विशेषताएं</th></tr>
<tr><td>

गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को तरल पेट्रोलियम गैस (LPG) कनेक्शन उपलब्ध कराना।
स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाना; इनडोर वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना और खाना पकाने के ईंधन के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ व दक्ष विकल्प प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना।

</td><td>

मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG)।
प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
शुरुआत: इसे 2016 में ग्रामीण गरीबों को 8 करोड़ नि:शुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।

उज्ज्वला 2.0 (2021 में शुरू): प्रवासी घरों के लिए विशेष सुविधा के साथ PMUY योजना के तहत 1.6 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन का आवंटन।
वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए 75 लाख अतिरिक्त कनेक्शन अनुमोदित किए गए हैं, जिसका कुल लक्ष्य 10.35 करोड़ एलपीजी कनेक्शन है।

कार्यान्वयन: MoPNG द्वारा तेल विपणन कंपनियों (OMCs) और राज्य सरकारों के सहयोग से।
पात्रता: किसी गरीब परिवार की वयस्क महिला जिसके पास मौजूदा एलपीजी कनेक्शन नहीं है और जो कुछ मानदंडों को पूरा करती है (अधिक जानकारी के लिए इन्फोग्राफिक देखें)।
नामांकन: पात्र महिला पते के प्रमाण, राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक विवरण के साथ निकटतम वितरक को KYC फॉर्म जमा करके आवेदन कर सकती है।

प्रवासियों के लिए: राशन कार्ड या पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्व-घोषणा पर्याप्त है।

योजना के लाभ:

नकद सहायता: 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 1600 रुपये और 5 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए 1150 रुपये की नकद सहायता का प्रावधान है।

इसमें सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, LPG रबड़ पाइप, उपभोक्ता कार्ड और इंस्टॉलेशन शुल्क की लागत शामिल है।

नि:शुल्क कनेक्शन के साथ पहला LPG रिफिल और स्टोव (हॉट प्लेट) मुफ्त।
लक्षित सब्सिडी: हर साल 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी।

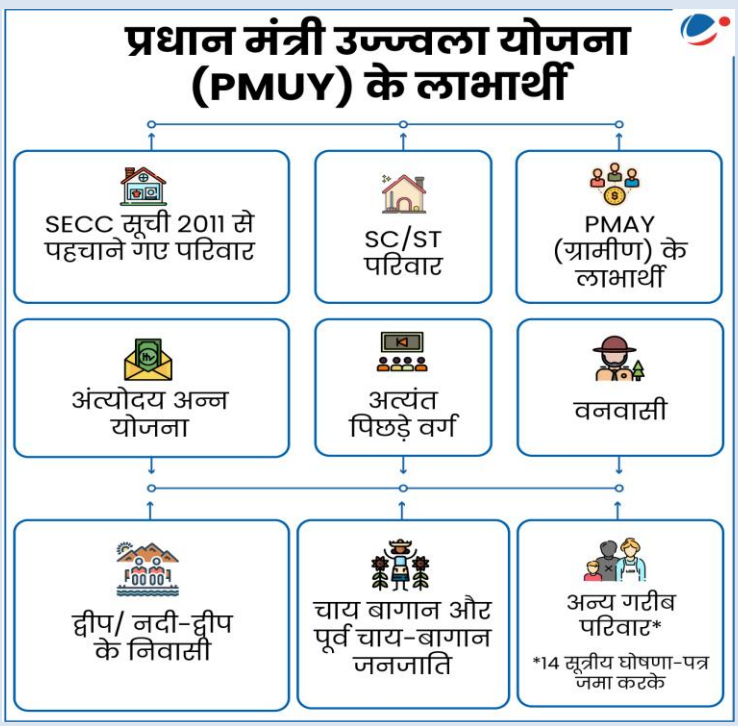

</td></tr>
</table>

	• **अपात्रता** ○ किसी भी तेल विपणन कंपनी से मौजूदा एलपीजी कनेक्शन वाले परिवार। ○ जिस परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, वह इस योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए पात्र नहीं है। ○ **एलपीजी पंचायत:** एलपीजी के सुरक्षित उपयोग और पारंपरिक ईंधन की तुलना में एलपीजी के उपयोग के लाभों पर चर्चा करने की परिकल्पना की गई है। • **उपलब्धियां:** ○ 1 मार्च 2025 तक **पूरे भारत में 10.33 करोड़ PMUY कनेक्शन** दिए गए। ○ **वैश्विक मान्यता: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** द्वारा पर्यावरण एवं महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए इस योजना की सराहना की गई है।

11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)

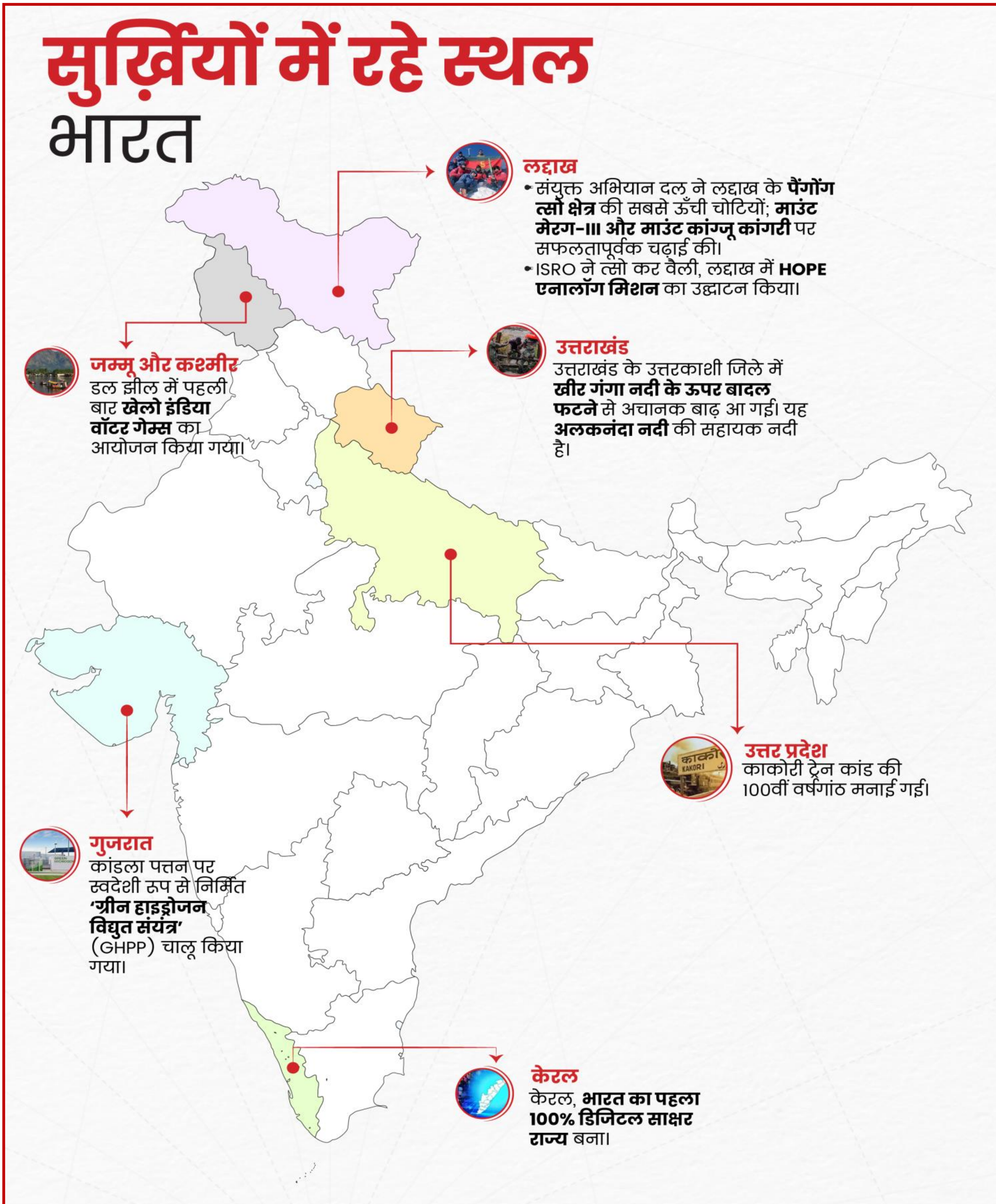

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

विश्व

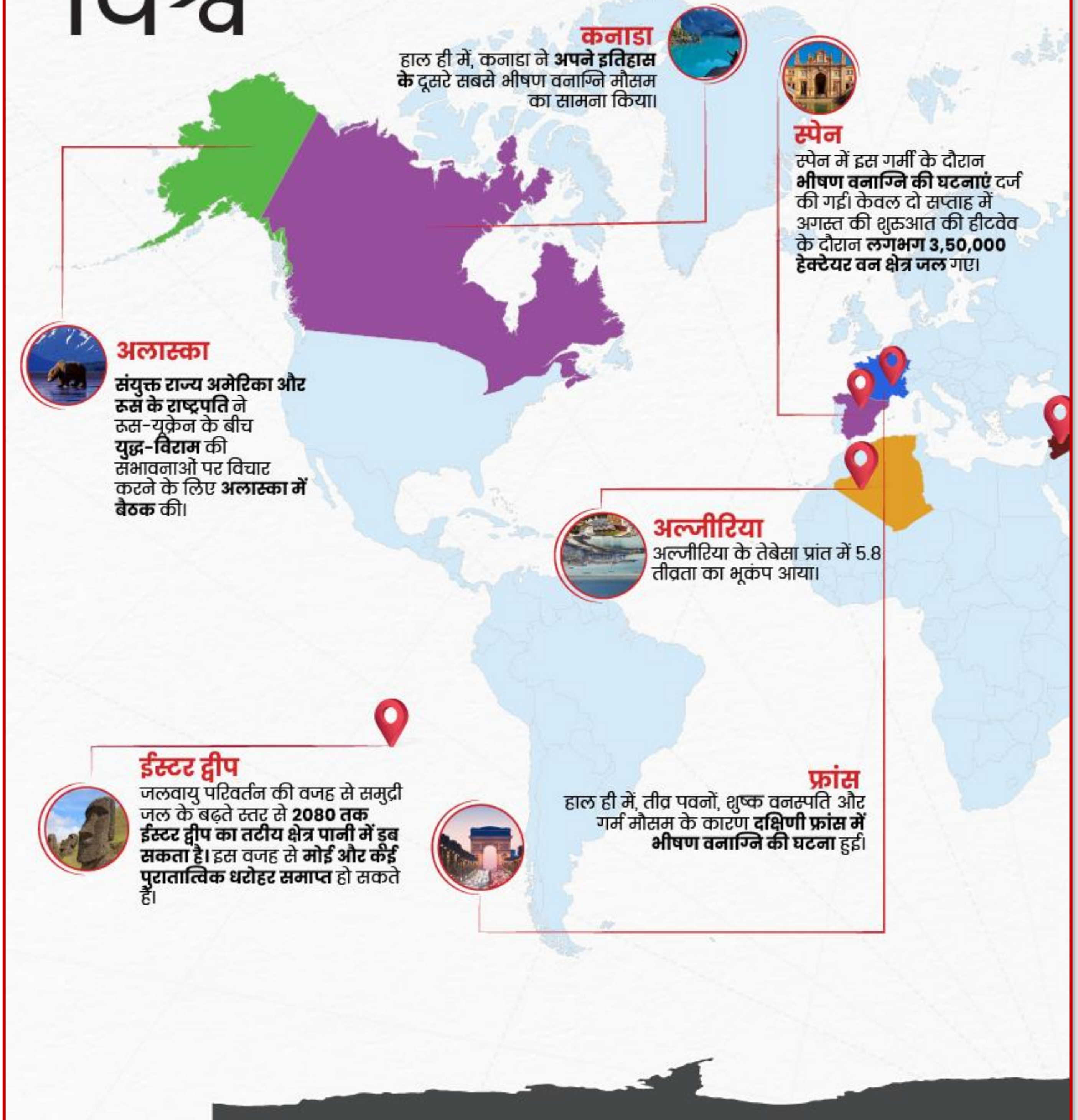

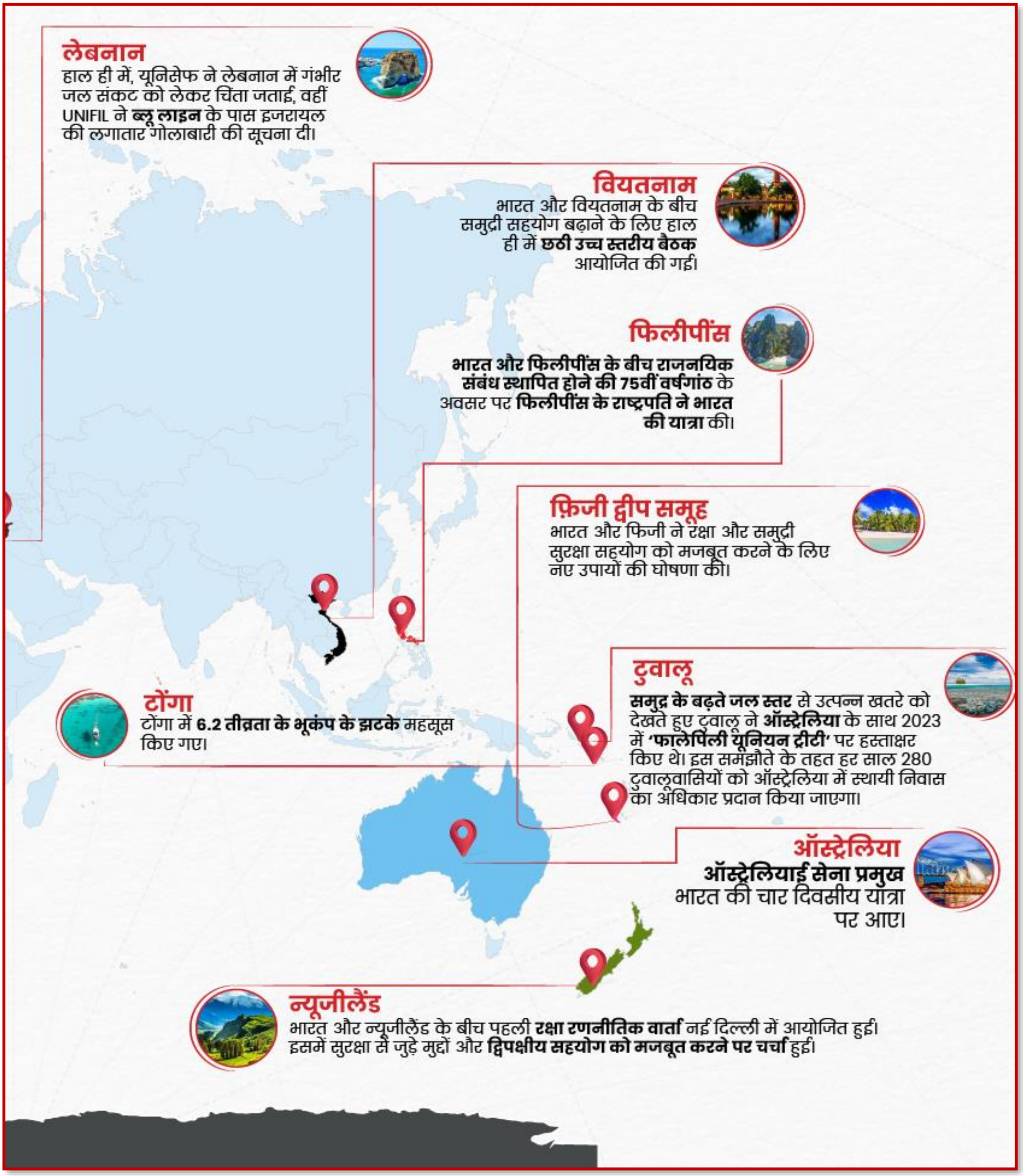

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स

2026 प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली

11 सितम्बर, 2 PM

अवधि – 12 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए **QR कोड को स्कैन कीजिए**

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए **QR** कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल **टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए**

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधिः 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधिः 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोटः अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Heartiest Congratulations
to all Successful Candidates

10 in **TOP 10** Selections in **CSE 2024**
from various programs of **Vision IAS**

1 AIR
Shakti Dubey

2 AIR
Harshita Goyal
GS Foundation Classroom Student

3 AIR
Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom Student

4 AIR
Shah Margi Chirag

5 AIR
Aakash Garg

6 AIR Komal Punia

7 AIR Aayushi Bansal

8 AIR Raj Krishna Jha

9 AIR Aditya Vikram Agarwal

10 AIR Mayank Tripathi

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

137 AIR Ankita Kanti

182 AIR Ravi Raaz

438 AIR Mamata

448 AIR Sukh Ram

509 AIR Amit Kumar Yadav

DELHI

HEAD OFFICE
33, Pusa Road,
Near Karol Bagh Metro Station,
Opposite Pillar No. 113,
Delhi - 110005

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visionias hindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची